एकादश माला, खंड 10, अंक 18

सोमवार, 17 मार्च, 1997
26 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(भाग-एक)
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 10, चौथा सत्र (भाग-एक), 1997/1918 (शक)]

अंक 18, सोमवार, 17 मार्च, 1997/26 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 304	1—33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 305 से 320	33—57
अतारांकित प्रश्न संख्या 3335 से 3565	58—250
बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण के बारे में 26 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2867 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	250
सभा पटल पर रखे गए पत्र	251—256
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	256—257
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन—*सभा पटल पर रखा गया*	257
नियम 377 के अधीन मामले	274—278
(एक) बिहार में मोहाने जलाशय परियोजना का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	274
(दो) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में रसोई गैस कनैक्शन की प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस का आवंटन किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन॰ डेनिस	275
(तीन) कलकत्ता से तेजपुर के बीच उड़ानों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	275—276
(चार) शेखपुरा, बिहार में स्थापित कम शक्ति के ट्रांसमीटर को किसी सरकारी भवन में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रमेन्द्र कुमार	276
(पांच) मध्य प्रदेश में इंदौर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	276—277
(छः) बिहार में पृथक वनांचल राज्य की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	277
(सात) बैंकों में, विशेषकर पश्चिमी उड़ीसा में, पर्याप्त करेंसी नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	277—278
(आठ) कर्नाटक में हुबली-धारवाड़ बाई-पास का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवानंद एच॰ कौजलगी	278

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—*वापस लिया गया*	
और	
राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक-*पारित*	278—301, 303—355
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	278—281, 281—284
प्रो॰ सैफुद्दीन सोज	284—287, 339—352
श्री राम नाईक	287—293
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	294—301
श्री के॰वी॰ सुरेन्द्र नाथ	303—306
प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास	306—308
श्री नीतीश कुमार	308—311
श्री सुरेश प्रभु	311—313
श्री भगवान शंकर रावत	313—317
श्री पी॰आर॰ दासमुंशी	318—323
श्री हरभजन लाखा	323—324
श्री हाराधन राय	324—326
श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन	326—327
श्री मानवेन्द्र शाह	328
श्री रमेश चेन्नित्तला	328—331
श्री राजीव प्रताप रूडी	331—333
वैद्य दाऊ दयाल जोशी	335—336
श्री अनंत गंगाराम गीते	336—337
श्री अनादि चरण साहू	337—339
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	339
खंड 2 से 23 और 1	353—354
पारित करने का प्रस्ताव	354—355
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जालंधर में हुए बम विस्फोट के बारे में	
श्री मोहम्मद मकबूल डार	301—303
सामान्य बजट, 1997-98	
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1997-98	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1996-97	
और	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95	356—394
श्री शरद यादव	377—393

लोक सभा

सोमवार, 17 मार्च, 1997/26 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता

+
*301. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री वी॰वी॰ राघवन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों, उप-वेतन या सेवावधि और सेवाशर्तों या कार्यभार और अपेक्षाएं तथा पदनामों मे कोई समानता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सहायक कर्मचारियों को, जो उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है, मान्यता प्रदान करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अनुगामी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में निर्धारित किया गया था कि सम्पूर्ण देश में शिक्षकों के लिए एक समान वेतनमान और सेवा परिस्थितियों के वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इसके अनुसरण के, साथ ही, विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और प्रोन्नति के लिए तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए इसकी संवैधानिक अनिवार्यता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के वेतनमान और सेवा परिस्थितियों में संशोधन किया है। सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य सरकारों को अपेक्षित वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। ये वेतनमान रजिस्ट्रारों इत्यादि पर लागू होते हैं चूंकि ये पद अक्सर सेवारत शिक्षकों द्वारा ही भरे जाते हैं। कुछ मामलों में पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा कार्मिक के लिए भी समान वेतनमान प्रदान किए गए हैं। जहां तक गैर-शिक्षण कर्मचारियों का संबंध है, सरकार ऐसे कार्मिकों के लिए एक समान वेतनमान निर्धारित नहीं करना चाहती जैसा कि शिक्षण कर्मचारियों के मामले में यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण देश में ऐसे कार्मिकों के लिए समान वेतनमान निर्धारित करने से गंभीर अनियमितताएं और समस्याएं उत्पन्न होगी चूंकि बहुत अधिक संख्या में ऐसे राज्य सरकारी कर्मचारी राज्य सरकारों के अन्य विभागों के कर्मचारी के समान ही कार्य और जिम्मेवारी का कार्य करते हैं। इसी तरह, ऐसे कर्मचारियों और अन्य विभागों में कर्मचारियों की विभिन्न अन्य श्रेणियों के मध्य "पद से पद" तथा "वेतनमान से वेतमान" पर काफी समय से अन्तर विद्यमान है। इस सन्तुलन पर बाधा डालने से राज्यों के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में गंभीर समस्याएं तथा असन्तोष उत्पन्न हो जाएगा।

इसलिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों और कालेजों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक समान वेतनमान निर्धारित करने के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, माननीय मंत्री ने केवल वक्तव्य ही नहीं अपितु लगभग पूरा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है। इस दस्तावेज में जो कुछ भी मेरे प्रश्न से सम्बद्ध है, मैं उसे पढ़ ही रही हूं। इस वक्तव्य में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सरकार शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना चाहती है और चूंकि गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और उनके वेतनमान भी अलग-अलग होते हैं अतः केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कोई भी उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मंत्री द्वारा यही मुख्य कारण बताया गया है।

क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न राज्यों के विभिन्न सरकारी कालेजों के शिक्षक, राज्यों के महाविद्यालय सेवा आयोग द्वारा और गैर सरकारी कालेजों के शिक्षक उनके प्रबन्धकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा इसके पश्चात् उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत लाया जाता है? यदि वास्तविक स्थिति यही है तो केन्द्रीय सरकार गैर-शिक्षण कर्मचारियों का, जो कि शिक्षकों के समान शिक्षा का आवश्यक अंग हैं, उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है?

श्री मुही राम सैकिया : महोदय, माननीय सदस्य ने यह सच कहा है कि राज्यों में सरकारी कालेजों के शिक्षकों की नियुक्ति राज्य आयोग द्वारा की जाती है। विभिन्न राज्यों के गैर-सरकारी कालेजों और विश्वविद्यालयों के मामले में शिक्षकों के वेतनमान गैर-शिक्षण कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमान से भिन्न हैं।

महोदय, भारत सरकार की वर्ष 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में यथा संशोधित, इस बात पर बल दिया गया है कि सारे देश में शिक्षकों के लिए समान वेतन और सेवा शर्तों के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

श्री रमेन्द्र कुमार : परन्तु उन्हें एक समान वेतन नहीं दिया जा रहा है।

श्री मुही राम सैकिया : इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के अनुसार विश्व-विद्यालयों और उच्च शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के संबंध में समन्वय एवं मानकों के निर्धारण तथा विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों के संवर्धन, निर्धारण और अनुपालन की संवैधानिक जिम्मेवारी पूरी करने में केन्द्रीय सरकार पूरे देश में एक समान वेतनमान और सेवा शर्तें निर्धारित करती है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार ने 1960 में कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान संशोधित किए थे। केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं के लिए राज्यों के गैर-सरकारी कालेजों और विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से मेरे प्रश्न का उत्तर मिलने की अपेक्षा मेरे प्रश्न को और अधिक बल मिला है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें मुख्याध्यापक का लंबा अनुभव प्राप्त है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह अच्छी तरह जानते हैं कि वह कठिनाई में हैं, मैं जानती हूं कि वह उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उनसे यह प्रश्न पूछा गया था कि गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता क्यों नहीं है। उनके अनुसार इसके दो कारण बताए हैं : विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानदण्ड बनाए रखने तथा संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता। मेरा मानना यह है कि संवैधानिक आवश्यकता शिक्षा प्रदान करने की है। उन्होंने यही दो कारण बताए हैं। यदि यही कारण हैं तो मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या गैर शिक्षण कर्मचारियों के संपूर्ण और सहर्ष सहयोग के बिना वह विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानदण्ड बनाए रख सकते हैं? निःसंदेह वे ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि वह अच्छी तरह जानते हैं, शिक्षकों को यह वेतनमान कई आन्दोलनों के बाद प्राप्त हुए हैं। यदि ऐसा है तो गैर शिक्षण कर्मचारियों को ही इससे वंचित क्यों रखा जाए जो कि उतनी ही गंभीरता से आन्दोलन कर रहे हैं और इसी प्रयोजन के लिए कल यहां आ रहे हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप संक्षिप्त उत्तर दे सकते हैं।

श्री मुही राम सैकिया : सरकार सामान्यतः विशेषज्ञ निकायों के निर्णयों और सिफारिशों के अनुरूप कार्य करती है। सरकार ने डा॰ राधाकृष्णन, डा॰ कोठारी और श्री गजेन्द्र गडकर सहित विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशें स्वीकार की हैं, इन विशेषज्ञ निकायों ने यह कहा है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की परिस्थितियों से ऐसे किसी निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राज्यों के विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों को सुधारना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। चूंकि ये विश्वविद्यालय राज्य सेवा आयोग द्वारा स्थापित किए जाते हैं; अतः यह उत्तरदायित्व राज्यों का है। अभी तक किसी भी राज्य ने इस सिफारिश को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। यदि राज्य यह सिफारिश स्वीकार कर लेंगे तभी राज्यों पर वित्तीय भार का प्रश्न उपस्थित होगा।

श्री वी॰वी॰ राघवन : सभापति महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से कोई भी सहमत नहीं होगा। महोदय, यदि शिक्षकों के मुद्दे पर विचार करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संवैधानिक उत्तरदायित्व है तो यही मानदण्ड गैर शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होता है। शिक्षण कार्य केवल शिक्षकों के द्वारा ही नहीं बल्कि गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सहायता से सम्पादित किया जाता है। इस सामाजिक न्याय के युग में एक स्नातक सहायक शिक्षकों के वेतन संबंधी बिल बनाता है और अन्य कार्य करता है। गैर-शिक्षण कर्मचारी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षा योजना का एक अभिन्न अंग है। उन्हें शिक्षक वर्ग से अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके प्रति सरकार का संवैधानिक दायित्व है। क्या सरकार गैर-शिक्षण संगठनों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करेगी?

श्री मुही राम सैकिया : महोदय, हमें समय-समय पर राज्यों के विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों से ज्ञापन मिलते रहे हैं। अभी हाल ही में हमें एक ज्ञापन मिला है जिसमें गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए अलग से एक समान वेतन और सेवा शर्तों की मांग की गई है। सरकार यह महसूस करती है कि इन कर्मचारियों में से अधिकांश कालेजों और विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षण कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं और इससे सुचारू कार्य संचालन में बाधा आयेगी और असंतोष फैलेगा तथा प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बन जाएगी क्योंकि इन कर्मचारियों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान हैं। इसके अतिरिक्त, विश्व-विद्यालयों और कालेजों के कर्मचारियों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बीच समान पदों और वेतनमानों की एक सुदीर्घ स्थापति समानता है। यदि इस समय कोई सुझाव दिया जाता है तो देश भर में प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बन जाएगी। इसलिए, फिलहाल, सरकार के पास इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री वी॰वी॰ राघवन : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मनोज कुमार सिन्हा : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में प्रवक्ता पद के चयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो न्यूनतम शर्त रखी है, उसके अनुसार उन्हीं व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिये बुलाया जायेगा जो

नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन सभी महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के लिये यह लागू करने का विचार रख रहा है जिन्हें विश्वविद्यालय आर्थिक सहायता देता है?

[अनुवाद]

श्री मुही राम सैकिया : महोदय, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को विशेष व्यवसायों की ओर आकर्षित करने हेतु शिक्षण के समन्वय, निर्धारण, संवर्धन और उनके मानदण्ड बनाए रखने के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार ने शिक्षकों के संशोधित वेतनमान कुछ ऐसे गैर शिक्षण अधिकारियों को भी दिए हैं जो उसी प्रकार के उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं जैसे—विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार—क्योंकि इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इन पदों को हस्तांतरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता है।

[हिन्दी]

श्री मनोज कुमार सिन्हा : सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि लैकचरार्स की नियुक्ति के लिये उन्हीं को बुलाया जाता है जो 'नेट' की परीक्षा उत्तीर्ण करता है। क्या ऐसे डिग्री कालेजों और पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के लिये भी यू॰जी॰सी॰ यह शर्त रखने जा रहा है जिन्हें वह आर्थिक सहायता देता है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कुछ वर्ष पूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय में कहा गया है कि कालेजों और विश्व विद्यालयों में 'डिमांस्ट्रेटरों' और 'लेबारेटरी इंस्ट्रक्टरों' जो कि उस समय गैर शिक्षण कर्मचारियों की श्रेणी के अन्तर्गत आते थे, को भी शिक्षण वर्ग में शामिल किया जाए। कुछ राज्यों ने तो अभी तक उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का अभी तक पालन नहीं किया है।

क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार 'लेबारेटरी डिमांस्ट्रेटरों' और 'इंस्ट्रक्टरों' को शिक्षक वर्ग में शामिल करने का मुद्दा राज्य सरकारों के साथ उठाएगी?

अन्य गैर शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में भी अजीब स्थिति है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वह सदन को कालेजों और विश्वविद्यालयों के संपूर्ण गैर शिक्षर्ण कर्मचारियों के लिए एक समान वेतनमान के मुद्दे पर राज्यों की उच्च शिक्षा से संबंधित मंत्रियों की बैठक बुलाने का आश्वासन देंगे?

श्री मुही राम सैकिया : विश्वविद्यालयों में पुस्तकाल्याध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों को संशोधित वेतनमान देने की सिफारिशें की गई हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा प्रश्न प्रयोगशाला के संबंध में है।

सभापति महोदय : वह प्रयोगशाला सहायक के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आप विभिन्न राज्यों की उच्च शिक्षा से संबंधित मंत्रियों की बैठक बुलाने जा रहे हैं?

श्री मुही राम सैकिया : जहां तक मेरी जानकारी है, उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई भी निर्णय नहीं आया जिसमें प्रयोगशाला सहायकों को कालेज शिक्षकों के बराबर का दर्जा दिया गया हो।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा आदेश है।

श्री मुही राम सैकिया : मैं इनके द्वारा दी गई सिफारिशें राज्य सरकार को भेज दूंगा। परन्तु हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि संयुक्त मोर्चा सरकार संघवाद फैलाने के संबंध में वास्तव में चिंतित है। इसलिए हम किसी सीमा तक ही आगे बढ़ सकते हैं, उससे अधिक नहीं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : सभापति महोदय, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की जो मांगें बहुत दिनों से चल रही हैं, उनको पूरा नहीं कर रहे हैं और उसका ये जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं जिसमें फाईनेंशियल बर्डन न स्टेट गवर्नमेंट पर है और न ही सैंट्रल गवर्नमेंट पर है। ए॰आई॰सी॰टी॰ की सैंट्रल कमेटी है जो टैक्नीकल एजुकेशन पर कंट्रोल करती है। दस साल पहले जो उनकी फीस का स्टेट्स था, आज भी वैसा ही है लेकिन एम्प्लाईज को उस समय 2000 रुपये देते थे, आज 10,000 रुपया देना पड़ रहा है। महाराष्ट्र और सभी सरकारों में फीस स्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है लेकिन फिर भी सरकार के हिसाब से दे रहे हैं। अब वे कालेज बंद हो रहे हैं लेकिन जहां गवर्नमेंट का बरडन नहीं है, उनकी जो इनकम है, खर्चा है...

सभापति महोदय : आप पूछना क्या चाहते हैं?

श्री दत्ता मेघे : सभापति जी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां फाईनेंशियल बर्डन नहीं है, वहां के लिये ए॰आई॰सी॰टी॰ फीस स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिये कोशिश करेगी ताकि बराबर स्केल दे सकें? आज आधे से ज्यादा पॉलिटैक्नीक्स बंद हो रहे हैं, क्या इसके लिए इंस्ट्रक्शन्स देंगे कि जो कालेज बराबर दे रहे हैं, आप भी स्टैंडर्ड फीस देने के लिये राज्य सरकार को कहेंगे?

[अनुवाद]

श्री मुही राम सैकिया : सभापति महोदय, यह सच है कि तकनीकी शिक्षा के संबंध में आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए व्यवस्था की गई है। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार के पास विश्वविद्यालयों को आत्म निर्भर बनाने हेतु, संसाधन जुटाने के लिए प्रस्ताव है। शुल्क संरचना के संबंध में भी प्रस्ताव हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बहुत पहले स्थापित किया गया था।

परन्तु शिक्षा पर व्यय में वृद्धि के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के पास ऐसी योजनाएं लागू करने के लिए एक प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपनी चिंता तो बहुत दिखाई है और ये कहते हैं :

[अनुवाद]

> ... विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और प्रोन्नति के लिए तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए इसकी संवैधानिक अनिवार्यता को पूरा करने के लिए..."

[हिन्दी]

स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग की चिन्ता तो कर रहे हैं लेकिन क्या इनका ध्यान बिहार की ओर गया है कि उस जैसे छोटे प्रदेश में यू॰जी॰सी॰ के नार्म्स की जिस तरह से सालों से धज्जियां उड़ाई जा रही है कि अपने एक विहम्सिकल आर्डर से कभी डिमोट कर दिया जाता है, फिर कोर्ट में लड़ते हैं तो फिर प्रमोट कर दिया जाता है और फिर छः-छः महीने तक सैलेरीज नहीं मिलती है। उसके बाद अभी जो अपांयटमेंट्स हुये हैं जिसमें वहां के राज्य चयन आयोग द्वारा जिस तरह से धांधलियां की गई हैं। जिस तरह राजनेताओं और प्रोविंशियल अफसरों के परिवार के चार-चार लोगों को उसमें चुना गया है जो नोर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, और इस प्रकार एक जाति के लोगों को उसमें भर दिया गया है।

सभापति महोदय : इसका इस प्रश्न से क्या संबंध है?

प्रो॰ रीता वर्मा : यू॰जी॰सी॰ के जो नोर्म्स बनाए गए हैं, क्या उनका बिहार जैसे राज्य में पालन हो रहा है या नहीं? क्या यह देखना मंत्री जी का दायित्व है या नहीं और इस दायित्व को पूरा करने के लिए वह क्या कर रहे हैं, यह मैं उनसे पूछना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री मुही राम सैकिया : महोदय, जहां तक बिहार का संबंध है, शर्तो के उल्लंघन के कारण वेतनमानों में वृद्धि के लिए और कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : वैसे सवाल का इससे संबंध नहीं है, लेकिन मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मुही राम सैकिया : जहां तक ऐसे लोगों का संबंध है जो मानदण्डों का उल्लंघन करते हैं तथा जहां तक निलंबनों का संबंध है मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि यह राज्य का विषय है। परन्तु यदि वह मुझे कोई ठोस उदाहरण देती हैं तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कोठारी आयोग ने समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धान्त अनुशंसित किया, क्या सरकार कोठारी आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री मुही राम सैकिया : महोदय, कोठारी आयोग ने शिक्षा आयोग की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है। उसने उसी प्रकार के मामलों के लिए सिफारिश की थी अर्थात वे शिक्षक जो विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्यरत समान शैक्षिक योग्यता प्राप्त वे शिक्षक जो समान कार्य करते हैं। परन्तु कोठारी आयोग ने समान कार्य के लिए समान वेतन की सिफारिश नहीं की।

कमांड क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं

+

*302. **श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :**
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमांड क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई राज्यवार सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के दौरान इस प्रयोजनार्थ पता लगाए गए क्षेत्र विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कौन-कौन से हैं; और

(ग) चालू योजनावधि के दौरान कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यान्वयन में क्या प्रगति की गई है?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) मंत्रालय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की राज्यवार समीक्षा करता है। वर्तमान योजना के पहले चार वर्षों के दौरान कार्यक्रम के मुख्य घटकों अर्थात फील्ड चैनलों, खेत नालियों, बाराबंदी और भूमि समतल करने के संबंध में हुई प्रगति का राज्यवार सलंग्न विवरणों में दिया गया है। तथापि, किसी राज्य में किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुलग्नक-I

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड चैनलों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(यूनिट हजार हैक्टेयर में)

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	1992-93 उपलब्धि	1993-94 उपलब्धि	1994-95 उपलब्धि	1995-96 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.36	1.05	1.19	0.09
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1.59	1.50	0.95	0.74
4.	बिहार	40.40	0.75	0.00	0.00
5.	गोवा	0.50	1.30	0.77	0.27
6.	गुजरात	22.78	9.25	8.19	22.04
7.	हरियाणा	23.70	30.74	44.17	33.95
8.	हिमाचल प्रदेश	1.10	0.62	0.10	0.01
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8.00	3.43	2.06	3.95
10.	कर्नाटक	17.64	27.05	9.43	13.04
11.	केरल	9.25	25.57	19.95	17.75
12.	मध्य प्रदेश	11.57	5.42	8.27	8.95
13.	महाराष्ट्र	22.13	25.50	27.42	39.49
14.	मणिपुर	0.39	2.20	1.31	2.50
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	18.32	9.08	6.73	8.80
18.	राजस्थान	39.49	21.81	34.52	51.83
19.	तमिलनाडु	50.73	47.40	40.16	43.94
20.	त्रिपुरा	0.20	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	90.16	130.26	94.12	116.55
22.	पश्चिम बंगाल	4.40	3.76	4.77	5.64
23.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन एवं द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	365.71	346.69	304.11	369.54

अनुलग्नक-I

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराबन्दी के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(यूनिट हजार हैक्टेयर में)

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	1992-93 उपलब्धि	1993-94 उपलब्धि	1994-95 उपलब्धि	1995-96 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.83	12.86	14.89	11.04
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	7.30	1.00	0.00	0.00
4.	बिहार	1.80	2.07	0.17	0.00
5.	गोवा	1.90	1.50	1.50	1.50
6.	गुजरात	33.18	17.84	6.34	7.06
7.	हरियाणा	31.90	18.87	13.72	9.58
8.	हिमाचल प्रदेश	1.93	1.78	0.88	0.13
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8.00	27.25	16.00	28.37
10.	कर्नाटक	21.00	7.91	18.30	9.63
11.	केरल	8.14	13.46	13.27	3.97
12.	मध्य प्रदेश	25.00	0.00	0.00	8.48
13.	महाराष्ट्र	5.48	13.33	15.18	4.25
14.	मणिपुर	0.00	1.66	1.99	1.36
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	60.58	55.33	71.26	56.55
18.	राजस्थान	36.66	18.14	31.31	53.86
19.	तमिलनाडु	16.48	49.80	59.60	58.34
20.	त्रिपुरा	0.20	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	360.50	259.64	241.73	198.45
22.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन एवं द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	636.88	512.44	506.14	452.57

अनुलग्नक-III

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खेत नालियों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(यूनिट हजार हैक्टेयर में)

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	1992-93 उपलब्धि	1993-94 उपलब्धि	1994-95 उपलब्धि	1995-96 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.31	0.64	1.17	0.30
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.01	0.00
6.	गुजरात	0.21	0.14	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.56	0.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.43	1.10	1.36	1.38
10.	कर्नाटक	3.50	0.80	0.01	0.01
11.	केरल	2.63	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	1.24	15.69	0.02
13.	महाराष्ट्र	20.47	19.25	0.00	16.65
14.	मणिपुर	1.00	0.92	0.00	0.98
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	5.84	0.00
17.	उड़ीसा	14.82	11.43	0.00	9.72
18.	राजस्थान	1.58	0.00	0.00	2.87
19.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	23.00	0.00	0.00	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन एवं द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	67.95	35.52	24.64	31.93

अनुलग्नक-IV

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि समतलन के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(यूनिट हजार हैक्टेयर में)

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	1992-93 उपलब्धि	1993-94 उपलब्धि	1994-95 उपलब्धि	1995-96 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.17	3.89	3.26	7.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.03	0.03	0.04	0.01
6.	गुजरात	0.37	0.14	0.05	0.00
7.	हरियाणा	1.37	0.96	0.63	0.65
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1.52	1.72	1.78	2.27
10.	कर्नाटक	22.30	25.58	0.00	0.00
11.	केरल	0.05	0.10	0.33	0.20
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	1.83	0.87	0.00	0.73
14.	मणिपुर	0.75	2.20	0.00	1.28
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	3.73
18.	राजस्थान	1.58	0.00	2.21	3.01
19.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन एवं द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	32.97	35.49	8.30	19.29

[अनुवाद]

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : महोदय, आन्ध्र प्रदेश का 60 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि कमांड क्षेत्र में है। इस प्रकार, सिंचाई के लिए विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध है। आन्ध्र प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और तैलंगाना एवं रायलसीमा के अत्यधिक पिछड़े और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अनेकों बृहत् और लघु सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने की काफी संभावनाएं हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त सिंचाई संभावनाओं के सृजन के लिए 19 बृहत् और 10 मध्यम परियोजनाएं तैयार करके केन्द्र को प्रस्तुत की हैं, लेकिन इन परियोजनाओं को अब तक स्वीकृति नहीं मिली है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : मेरा ख्याल है कि प्रोजेक्ट्स के बारे में इस सवाल में नहीं पूछा गया है। उसके लिए अलग से सूचना की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : महोदय, मैं माननीय मंत्री से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को कब स्वीकृति मिल जाएगी।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। किसी भी परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिलने में काफी समय लगता है।

सभापति महोदय : यह प्रश्न कमांड क्षेत्र विकास योजना से संबंधित हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : वह परियोजनाओं के सबंध में पूछ रहे हैं।

सभापति महोदय : आप किस परियोजनाओं के संबंध में पूछ रहे हैं?

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : महोदय, कमांड क्षेत्र में भी कुछ सिंचाई परियोजनाओं की जरूरत है। इसीलिए मैं इन परियोजनाओं के संबंध में पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : लेकिन यह प्रश्न तो कमांड क्षेत्र विकास योजना से संबंधित है।

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : महोदय, वहां काफी बंजर भूमि पड़ी है।

सभापति महोदय : आप कृपया मुख्य प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न ही पूछें।

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : ठीक है, महोदय। महोदय, एक परियोजना को अंतिम रूप से स्वीकृति मिलने में काफी समय लग जाता है क्योंकि जल संसाधन, पर्यावरण आदि जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों से स्वीकृति लेनी पड़ती है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रक्रिया को सुचारू बनायेगी ताकि राज्यों को अपनी परियोजनाओं के लिए एक ही स्थान पर तकनीकी-आर्थिक और पर्यावरणीय स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा सके।

सभापति महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : यह सवाल जो पूछा गया है, यह कमांड एरिया डेवलपमेंट के बारे में है और इसके बारे में सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं तो मैं जवाब कैसे दे सकता हूं?

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक अप्रयुक्त सिंचाई संभाव्यता का क्या अंतर रहा है और इस कारण से राष्ट्रीय राजकोष को कितनी हानि हुई है?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, यह सवाल कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए पूछा गया है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सभापति महोदय, मैं उसी का पूछ रही हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र : कमांड एरिया का मतलब यह होता है कि किसी भी राज्य के आसपास जो जमीन होती है उसकी सिंचाई के लिए विकास के क्या काम किये जाते हैं। उसमें यूटीलाइज्ट और अनयूटीलाइज्ड देश भर का जो इरीगेशन है, उसके बारे में सवाल दूसरा हो जाता है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सर, सवाल यह दूसरा नहीं है।

श्री जनेश्वर मिश्र : क्यों?

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : लगभग 10 मिलियन हेक्टयेर भूमि का अन्तर है।

[हिन्दी]

इसी वजह से नेशनल एक्सचेकर का बहुत लॉस हो रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह प्रश्न सिंचाई संभाव्यता से संबंधित नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं कमांड क्षेत्र विकास सिंचाई की स्थिति के बारे में पूछ रही हूं। इस समय कमांड क्षेत्र विकास सिंचाई की स्थिति यह है कि लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि का उपयोग नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह कमांड एरिया डेवलपमेंट पोटेंशियल के बारे में पूछ रही हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, कमांड एरिया डेवलपमेंट पोटेंशियल कोई शब्द नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : तो आप हिंदी में बता दीजिए कि वह क्या है?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, आम तौर से राज्य सरकारें अपनी स्कीम बनाती हैं और केन्द्र सरकार उसकी समीक्षा करती हैं और इसलिए इसकी कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सभापति महोदय, 10 मिलियन हैक्टेयर लैंड पड़ी हुई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी ने कमांड एरिया के बारे में बताया है शायद आपने ध्यान नहीं दिया है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सभापति महोदय, शायद उनको मालूम ही नहीं है।

सभापति महोदय : क्वश्चन के स्कोप के बाहर जाकर सप्लीमेंटरी पूछने पर मंत्री जी को परेशानी हो सकती है।

श्री एल॰ रमना : सभापति महोदय, मैं नया मैम्बर हूं पहली बार बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप हाथ उठायेंगे तो आपकी तरफ ध्यान जायेगा, अभी तो मैंने श्री रमेश चेन्नित्तला का नाम लिया है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : सभापति महोदय, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सिंचाई है। यह सर्वविदित है। मैं यह नहीं जानता कि मंत्री महोदय सभा को क्यों गुमराह कर रहे हैं। मूलतः इसका प्रयोजन केवल सिंचाई है, कतिपय भूमि को सिंचित भूमि में बदलना है।

मेरा प्रश्न यह है कि उक्त सी॰ए॰डी॰ए॰ के तहत धन के उपयोग में अनियमितताओं की कुछ खबरें हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वतंत्र अभिकरण के द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की देखरेख में केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है? कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए धन के आवंटन के क्या मापदण्ड हैं?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, कमांड एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए राज्य सरकार जितना पैसा देती है उसी से मैचिंग केन्द्र सरकार भी देती है। कुछ उससे ज्यादा राज्य सरकारें अपने आप खर्च करती है। मैंने शुरू में ही कह दिया कि सिंचाई राज्य का विषय है, केन्द्र केवल उसकी समीक्षा किया करता है। उसमें कहीं न कहीं इररेगुलरिटी आती है और इसकी जांच राज्य सरकार की एजेंसियों को ही करनी चाहिए। राज्य सरकार की जो एजेंसियां कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए सृजित की गई थी उनमें सिंचाई, कृषि मंत्रालय, सहकारिता और कई मंत्रालय हुआ करते थे। उनमें समन्वय का अभाव हो गया है। केन्द्र सरकार की तरफ से बार-बार उनको लिखा जा रहा है कि वे समन्वित प्रयास करें, ताकि इसमें कोई दिक्कत न आने पाये।

श्री शिवराज सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वास्तविक उपलब्धियों के आंकड़े दिये हैं, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि समतलन के संबंध में मध्य प्रदेश 1992-93 से लेकर 1995-96 तक शून्य, इसके बाद कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खेतों में नालियों के निर्माण में मध्य प्रदेश 0.02 और इसके बाद वाराबंदी के संबंध में मध्य प्रदेश 1993-94 में शून्य और 1994-95 में शून्य, इस साल केवल आठ हजार हैक्टेअर में 1995-96 में किया गया। फील्ड चैनल के संबंध में भी मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। बाकी राज्यों की तुलना में कई मामलों में शून्य, शून्य ही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के इतनी पीछे रहने के और इतनी दुर्गति के कारण क्या है।

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश सरकार हमारे पास जो योजनाएं भेजती है, उसी के हिसाब से रिपोर्ट दी जाएगी और जानकारी दी जाएगी। यह सही है कि भूमि समतलन के मामले में किसानों की बहुत दिलचस्पी नहीं रहा करती और न राज्य सरकारों की रहती है क्योंकि यह बहुत महंगा काम होता है। आम तौर से राज्य सरकारें बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं और कमांड एरिया के बारे में कम रखती हैं।

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान : सभापति महोदय, हम यदि परिशिष्ट एक, दो, तीन और चार में पिछले तीन वर्षों के विवरणों को देखें, तो पायेंगे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, दादर और नगर हवेली जैसे कुछ राज्यों के मामलों में इस परियोजना के मुख्य अवयवों के संबंध में लगभग शून्य आंकडा प्रदर्शित किया गया है। मैं, माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों को धन मुहैय्या कराया गया है और यदि हां, तो क्या उन्होंने उक्त धन का प्रयोग किया है या नहीं? इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, उन सभी ने इस विषय में कोई योजना ही नहीं भेजी, जिन राज्यों के बारे में माननीय सदस्य ने इशारा किया है और इसीलिए वहां 'जीरो' की फीगर दिखाई गई है।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा सिंचाई मंत्रालय और

राज्य सरकार से योजना पर चर्चा करते समय बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि संसाधनों के अभाव और अन्य कारणों से दीर्घकालीन सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में काफी समय लगता है। इसलिए राज्य सरकारों की सहभागिता से पास के क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिए कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इस संबंध में कई राज्य सरकारों ने वार्षिक योजना और पूरे योजनावधि में प्रत्येक वर्ष की संदर्शी योजना दोनों तैयार की थीं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा निगरानी की जाती है। आपने हमें जो ब्यौरा दिया है उससे मुझे लगता है कि बाडबेदी की मदद से असिंचित भूमि के प्रयोग के वास्ते राज्यों को कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अत्यधिक आवश्यकता है, वहां भूमि के समतलीकरण और सी॰ए॰डी॰ के अन्तर्गत आने वाली सभी योजनाएं चलानी होगी। मैंने कमांड क्षेत्र विकास पर दो कार्यशालाओं में भाग लिया है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। या तो राज्य कार्यक्रमों को अपनाते हैं और आप चुप रह जाते हैं या फिर आप कार्यक्रम बनाने का निश्चय करते हैं तथा राज्य चुप बैठ जाते हैं। आपके सामने मामले कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे। विवरण में कहा गया है कि : आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1992 से 1996 तक के चार वर्षों का पश्चिम बंगाल का आंकड़ा शून्य है, जबकि पुरूलिया, बांकुरा और अन्य स्थानों में आप कमांड क्षेत्र विकास सुविधाओं के सृजन के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मुझे इसका पता है क्योंकि कि मैंने दो कार्यशालाओं में भाग लिया है। पंचायत के लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई योजना और कार्यक्रम नहीं है। क्या आपने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत की है? यह कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दोहन के बिना पिछले चार वर्षों में शून्य क्यों रहा है? क्या आपने उनके साथ बातचीत की? आप यह नहीं कह सकते कि आप कुछ नहीं करेंगे और यह राज्यों पर निर्भर है। इसके लिए आप भी उत्तरदायी हैं।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, उसी सवाल को मैं बार-बार जवाब में दोहराऊं कि राज्य सरकार जो भी योजना अपनी तरफ से भेजती हैं, उसी योजना पर केन्द्र सरकार विचार करती है। बार-बार राज्य सरकारों को लिखा जाता है कि सिंचाई के इलाके में जो खेत आते हैं, उनको कमांड एरिया में विकसित किया जाए। उसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो केन्द्र सरकार के पास अपनी कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे वह कमांड एरिया डैवलप कर सके।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने बार-बार यही सवाल किया है कि इर्रीगेशन पोटैन्श्यल का लाभ मिल नहीं पाएगा जब तक कमांड एरिया डैवलपमेंट स्कीम सही ढंग से इम्पलीमेंट नहीं की जाएगी।

श्री जनेश्वर मिश्र : यह ठीक है।

सभापति महोदय : वैसी स्थिति में अगर राज्य सरकारें इस काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है तो क्या आप अपने स्तर से, अगर मुनासिब समझें, तो उनको बुलाकर, बैठक करके, कोई रास्ता निकालना चाहेंगे क्योंकि सभी माननीय सदस्यों का यही सवाल है। क्या इस बारे में आप अपनी तरफ से कोई इनीशियेटिव लेंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र : कमांड एरिया डैवलपमैंट के संबंध में केन्द्र सरकार इनीशियेटिव नहीं लेगी।

सभापति महोदय : समीक्षा करने के लिए, कुछ तो कर सकती है।

श्री जनेश्वर मिश्र : लेकिन राज्य सरकारों को, उनके इंजीनियर्स को, सचिव को अक्सर बुलाया जाता है और कभी-कभी मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाता है, और उनसे कहा जाता है आप ऐसे-ऐसे एरिया को शामिल करें जो सिंचाई के क्षेत्र में आते हैं ताकि आम किसानों तक जा सके और इसमें जहां तक राज्य सरकारें पहल करती हैं, हमारी तरफ से भी होती है।

सभापति महोदय : प्रश्न संख्या 303. श्री बनवारी लाल पुरोहित।

(व्यवधान)

डा॰ गिरिजा व्यास : सभापति महोदय, आप प्लीज एश्योरेंस दिलाइए मंत्री जी से कि केन्द्र सरकार एक कमेटी बनाकर राज्य सरकारों को देखेगी। आप एश्योरेंस दिलाइए।...*(व्यवधान)*

भारतीय चिकित्सा प्रणाली संबंधी सम्मेलन

***303. श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रियों, सचिवों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी निदेशक का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में पारित महत्वपूर्ण संकल्पों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के संबंध में कोई औषध नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) लोक सभा के पटल पर रखे गए विवरण में महत्वपूर्ण संकल्पों के ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सम्मेलन की सिफारिशों पर विभाग ने सिद्धान्तरूप से यह निर्णय लिया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए। इस संबंध में कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

विवरण

1. नौवीं योजना के दौरान भारतीय पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग और राज्य सरकारों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग को सिफारिश करना।

2. राज्य सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र के अपने कुल बजट आवंटन में से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के लिए पृथक रूप से बजट निश्चित करना चाहिए।

3. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी सूचना, शिक्षा व संचार के लिए अलग से पर्याप्त निधिया रखेंगी।

4. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को शिक्षा के मौजूदा मानकों/शिक्षा के मानदंडों को युक्ति संगत बनाने के लिए एक क्रिया चलानी चाहिए।

5. निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों के अनुपालन सुनिश्चित करके शिक्षा के मानकों का चरणवार ढंग से सुधार किया जाना चाहिए।

6. निम्नस्तर कालेजों की अन्धा-धुन्ध वृद्धि रोकी जानी चाहिए।

7. राज्यों सरकारों/केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाकालिक/सरकारी/अर्धसरकारी शिक्षकों, अनुसंधान चिकित्सकों और निजी चिकित्सकों के लिए पुनराभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाना चाहिए।

8. राष्ट्रीय स्तर के मौजूदा संस्थानों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सिद्ध और योग संस्थान नौवीं योजना में स्थापित किया जाना चाहिए।

9. केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों को एकीकृत और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

10. उन्हें विशेषरूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में अनुसंधानोन्मुखी परियोजनाएं चलानी चाहिए।

11. बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास में विश्वविद्यालयों, लोगों और निजी अनुसंधान संगठनों को सम्बद्ध किया जाए।

12. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधों के लिए भेषजीय मानक तैयार किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, और होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। मानक तैयार करने के लिए परियोजनाओं में बाह्य एजेंसियों को शामिल किया जाना चाहिए।

13. राज्य सरकारों को अपनी औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहिए।

14. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए।

15. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में एक पेटेंट सेवा बनाया जाना चाहिए।

16. औषधीय पादपों को संरक्षण, परिरक्षण और सम्वर्धन के लिए, "वनस्पति वन" के रूप में औषधीय पादप बागान स्थापित करने, औषधीय पादपों के लिए कृषि तकनीक विकसित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

17. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों की सेवाएं विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निष्पादन में उपयोग में लाई जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से इस देश में इंडियन सिस्टम आफ मैडीसिन, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, नैचुरोपैथी ओर होम्योपैथी आती है उनको किस बुरी तरह से नैग्लैक्ट किया जाता है। मेरा मतलब यह है कि आप जब से मंत्री बने हैं, तब से ही नहीं बल्कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से जितनी भी सरकारें आई, उन सभी ने इसको नैग्लैक्ट किया है। यह सब आरोग्य प्राप्त करने के सस्ते साधन हैं। गरीबों के इलाज के सबसे अच्छे और सस्ते साधन हैं, लेकिन सरकार इनको नजरअंदाज कर रही है।

मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि करीब एक साल पहले, यहां अंतुले साहब भी बैठे हैं, जब ये मंत्री थे, तो इन्होंने इसी तरह की सब राज्य सरकारों के मंत्रियों की एक कान्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद एक जोरदार प्रैस कान्फ्रेंस लेकर, उसमें घोषणा की कि इसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। पूरा एक अलग विभाग बनाया जाएगा और खूब पैसा देंगे और उन लोगों को पूरी एक पंचवर्षीय योजना की प्रोजेक्ट बनाने के लिए दी। एक फाइव इयर प्लान पर भी 2500 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई, परन्तु हुआ क्या, अभी का बजट आपका 1997-98 का आप देखिए, उसमें सिर्फ 37 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इस प्रकार से आप देखिए कि इसको कितनी बुरी तरह से नैग्लैक्ट किया जा रहा है। इससे कुछ हो सकता है क्या? इससे देश का भला हो सकता है क्या?

सभापति महोदय : पुरोहित जी, सवाल पर आ जाइए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि इसको इफैक्टिव करने के लिए क्या करेंगे? रेडक्रास के मकान में भाड़े में इनका दफ्तर पड़ा हुआ है। टोटल नैग्लैक्ट हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे? जो 37 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष है, उसको बढ़ाकर जैसा 2500 करोड़ का

बजट पंचवर्षीय योजना के लिए मांगा गया है, तो क्या आप उसको इतना पैसा देने वाले हैं? इस बजट को बढ़ाने के लिए और क्या कोई प्रयत्न हो रहे हैं या इसी तरह से नैग्लैक्ट रहेगा? बिना पैसे के कैसे काम चलेगा?

सभापति महोदय : ठीक है। वह सवाल आपने पूछ लिया है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : सर, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है इंडियन सिस्टम आफ मैडीसिन का जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और नैचुरोपैथी और योगा आती हैं। इनका हमारे देश में बहुत महत्व है। मगर किसी वजह से जो इम्पार्टेंस इनको मिलनी चाहिए थी, वह नहीं दी जा रही है।...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : सभाापति महोदय, यह "आयुर्वेदा" "सिद्धा" और "योगा" यह क्या है? महोदय, 'आयुर्वेद' 'सिद्ध' और 'योग' होता है न कि मंत्री महोदय जो बोल रहे हैं वह।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैंने इसके लिए 18-19 फरवरी को एक कान्फ्रेंस काल की थी जिसमें सारी स्टेट्स के हैल्थ मिनिस्टर्स जो इससे जुड़े हुए हैं, वे आए थे। उसमें कुछ रिजोल्यूशंस भी लिए गए थे। वे 23 पेजेज में हैं। इसके साथ-साथ इसका एक एक्शन प्लान भी बनाने के लिए कह दिया गया है कि कौन-कौन सी चीजें कब-कब पूरी की जाएंगी। उसको डेटवाइज देना चाहिए। कुछ चीजों में वह बन गया है और कुछ चीजों का 31 मार्च तक आ जाएगा। जहां तक बजट का सवाल है, पिछले साल इसका बजट 23 करोड़ रुपए का था। इस साल उसको 35 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें मैंने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से भी लिख कर यह कहा है कि यह पैसा बहुत कम है और हमारी इस साल की कम से कम 100 करोड़ रुपए की डिमांड है। चूंकि मैं इस सब्जैक्ट को बहुत ज्यादा इम्पार्टेंस दे रहा हूं इसलिए मैंने अपने डिपार्टमेंट से, अपने सैक्रेट्री हैल्थ से, अपने सेक्रेट्री वैलफेयर से कहा है कि आप हैल्थ में से, वैलफेयर में से कुछ बजट निकाल कर इस सिस्टम को भेजिए। मैं यह बात आज आपके सामने यहां पार्लियामेंट में कह रहा हूं कि मैं अपने डिपार्टमेंट के बजट में से 20-25 से 30 करोड़ रुपए तक निकाल रहा हूं जो मैं इस सिस्टम को देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : पुरोहित जी, सैकिंड सप्लीमेंट्री। क्या अब इसके बाद भी कोई गुंजाइश रह गई है?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सभापति महोदय, आज जो राष्ट्र के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो एक विकट समस्या है वह यह है ग्रामीण इलाके के अंदर जितने भी प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स हैं, उनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा डाक्टर्स लोग नहीं मिलते हैं।

उनमें 50 परसेंट डाक्टर नहीं रहते हैं क्योंकि ऐलोपैथिक डाक्टर जो एम॰बी॰बी॰एस॰ डिग्री लिये हुए होते हैं वे वहां जाना नहीं चाहते। आप एक आदेश जारी करें कि वहां डाक्टरों का रहना कम्पलसरी हो। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आयुर्वेद के जो स्नातक हैं उनको प्राईमरी हैल्थ सैंटर भेजने के लिए आपके मंत्रालय की तरफ से कोई आदेश निकालने पर विचार होगा?

सभापति महोदय : यह तो सुझाव है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : अभी सवाल उठा था और हमने बताया था कि हमने कांफ्रेंस की थी उसमें पांच वर्किंग ग्रुप बनाये गये थे। एक वर्किंग ग्रुप का यही सुझाव था कि हमारे देश में छह लाख इस सिस्टम के प्रैक्टिशनर हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग गांव में कैसे करेंगे। यह सच कह रहे हैं कि हमारे एलोपैथी के डाक्टर वहां जाना नहीं चाहते। मैंने बताया था कि हमारे रेजोल्यूशन पर एक वर्किंग प्रोग्राम बन रहा है। उसमें एक एजेंडा यह भी है कि छह लाख प्रैकटिशनर कैसे इस्तेमाल करें जिससे हम गांव में सुविधा पहुंचा सकें।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, श्री नरसिम्हा राव जी के मंत्रिमंडल में आयुर्वेद का अलग से मंत्रिमंडल बनाया गया था। यह सही है कि शेरवानी जी को जैसे इन्होंने प्रति उत्तर दिये हैं उससे लगता है कि इनकी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी आदि सबके प्रति रूचि है। इसलिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आयुर्वेद का अलग से मंत्री होता तो हमें और भी संतोष होता या शेरवानी साहब के पास केवल आयुर्वेद या देशी चिकित्सा पद्धति रहती तो कल्याण होता।

सभापति महोदय : पहले आप सप्लीमैंटरी पूछ रहे थे और अब आप उनसे विभाग छीनवा रहे हैं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आपने उत्तर में बताया है कि जो 17 कार्यक्रम हैं उसके 14 में आपने लिखा है कि करना चाहिए, करना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए, वृद्धि रोकी जानी चाहिए और आयोजित किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए, यह आप किससे कह रहे हैं। मंत्री जी, यह आपको करना है। आप किस को निर्देश कर रहे हैं? कृपा करके आपने अभी बताया कि 30 करोड़ रुपये मैं और निकालूंगा। दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान की पांच पैथियां आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध और योग, इन पांचों पद्धतियों पर आपका डिपार्टमैंट केवल ढाई पैसा देता है। बाकी के साढ़े सतानवे पैसे एलोपैथी पर व्यय होता है। आप क्या करेंगे? क्या आप ढ़ाई पैसे से पांच पैसे आगे बढ़ा पायेंगे? मुझे नहीं लगता कि यह सरकार गंभीरता से इस विषय को लेती हो जबकि सारा विश्व आयुर्वेद पद्धित की दुंदुभि बजा रहा है। हर व्यक्ति एलोपैथी चिकित्सा के साइट इफैक्ट के कारण आयुर्वेद की तरफ रूचि कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ढ़ाई पैसे से आपका डिपार्टमैंट कुछ कर सकेगा। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर पांच पैसा और बढ़ा सकेंगे। आप अपना राजनीतिक प्रभाव डालकर इसको पर्याप्त धनराशि दें।

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिये।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या आप प्रधानमंत्री जी पर दबाव डालकर और धनराशि मुहैया कराने की कृपा करेंगे?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मुझे तो आप सबका सहयोग चाहिए जिससे मुझे इसके लिए ज्यादा पैसा मिल सके। जहां तक इन्होंने सवाल उठाया था। हमने जो रेजोलूशन दिया था, उसका फाइनेलिटी यह थी कि यह करना चाहिए। उसके साथ-साथ एक एक्शन प्लान

बन रहा है कि किस-किस तारीख तक किस-किस महीने तक हो जाना चाहिए। आपकी दिलचस्पी रही है और आपने हमेशा इन बातों पर सवाल उठाया है। हमारा एक्शन प्लान 31 तारीख तक बन जायेगा। मैं आपको भी इसकी एक कापी भिजवा दूंगा। उससे आपको यह पता लग सकता है कि क्या चीज होने वाली है और क्या कब तक हो जायेगा।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : पैसे के बारे में आप क्या कर रहे हैं।

सभापति महोदय : इसका जवाब पहले दे चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा उत्तर में दिए गए विवरण के पैरा '8' में कहा गया है : "सभी मौजूदा अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।" कोट्टायम जिले के कुरीची-चंगानासेरी में स्थित केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान केन्द्र में ढांचागत तथा अनुसंधान सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने ढांचागत तथा अनुसंधान सुविधाओं को बेहतर बनाये जाने के संबंध में अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। लेकिन अब तक इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी को पहले ही अनेक अभ्यावेदन दिए जा चुके हैं। हमारे विद्वान साथी श्री रमेश चेन्नित्तला जो कोट्टायम चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं—ने भी वहां ढ़ांचागत तथा अनुसंधान सुविधाओं के बेहतर बनाने हेतु अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

सदन में दिए गए उत्तर के आधार पर मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार द्वारा कोट्टायम स्थिति होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्र में ढ़ांचागत तथा अनुसंधान सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, हम लोग पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बजटीय समर्थन के अभाव के कारण हमें उपलब्ध धनराशि से ही काम चलाना है...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : जो सुविधाएं केन्द्र में उपलब्ध हैं, उन्हें भी छोड़ दिया गया है। मुझे इसका कारण नहीं बताया गया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें। आप इस प्रकार व्यवधान नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : इन सभी कार्यक्रमों को देखने की हमारी योजना है। आपने जो सी॰सी॰आर॰एस॰ सेन्टर के बारे में कहा है, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं।

हमने निर्णय किया है कि वर्तमान अनुसंधान केन्द्रों को और अधिक बजट के साथ और अधिक सुदृढ़हीन किया जाए, बल्कि वहां होने वाले अनुसंधान कार्यों पर भी निगरानी रखी जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : वर्तमान सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

डा॰ सी॰ सिल्वेरा : महोदय, भारतीय चिकित्सा पद्धति देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव ने बाकायदा एक विभाग की स्थापना की थी और इस बात पर बल दिया गया था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति का देश में उत्तरोत्तर विकास हो सके ताकि ग्रामीण एवं शहरी जनता इसका लाभ उठा सके। दिए गए उत्तर के पैरा 12 में भेषजीय मानकीकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय पद्धति के अन्तर्गत बहुत सी ऐसी दवायें हैं जिनका मानकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इन विभिन्न दवाओं के मानकीकरण में कितना समय लगेगा? इस बारे में यह भी उल्लेख किया गया है कि मानकीकरण हेतु परियोजनाओं में बाहरी अभिकरणों को भी शामिल किया जाए। वे कौन से बाहरी अभिकरण हैं जो भारतीय प्रणाली की औषध उत्पादों के संबंध में मानकीकरण तैयार किए जाने में सहायक होंगे।

देश के कतिपय भागों में औषध तैयार करने में काम आने वाले पौधे उपलब्ध हैं। ये जड़ी-बूटियां अधिकतर देश के पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। मंत्रालय द्वारा इन पौधों को लगाने तथा इनका संरक्षण करने हेतु क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय : डा॰ सिल्वेरा, आप तीन पूरक प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, मानकीकरण के संबंध में हमने निर्णय लिया है कि नौंवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भेषजीय अध्ययन के समाप्त हो जाने के पश्चात हम अपनी सभी दवाओं का मानकीकरण कर लेंगे। हमारा लक्ष्य यही है और हमें पूरी आशा है कि नौंवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम भेषजीय मानक तैयार करने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

जहां तक बाहरी अभिकरणों का संबंध है, उसमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और जिन विश्वविद्यालयों में इस प्रणाली की पढ़ाई होती है वे भी इसमें शामिल हैं ताकि इस विषय में अध्ययन कर पाने में हमें सहायता मिल सके।

रसायमिक हथियार सम्मेलन

+

*304. **श्री प्रमोद महाजन** :
डा॰ असीम बाला :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रसायनिक हथियार सम्मेलन (सी॰डब्ल्यू॰सी॰) को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यह कब से लागू होगी;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान उन 68 राष्ट्रों में शामिल नहीं हैं, जिन्होनें इस संधि को स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया है, भारत द्वारा इस संधि पर समुचित रूप से विचार-विमर्श किये बिना ही इसे स्वीकार कर लेने से भारतीय सशस्त्र बलों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत ने रासायनिक शस्त्र अभिसमय पर 14 जनवरी, 1993 को हस्ताक्षर किये थे। 18 अक्तूबर, 1995 को उसका अनुसमर्थन किया था और 3 सितम्बर, 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास अनुसमर्थन दस्तावेज जमा कराये थे जिससे ऐसा करने वाला भारत 62वां देश बन गया है। रासायनिक शस्त्र अभिसमय अप्रैल, 1997 को लागू होगा। आज तक 70 देशों ने रासायनिक शस्त्र अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है।

संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान ऐसे देशों में हैं जिन्होंने इस सन्धि का अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है।

रासायनिक शस्त्र अभिसमय को भारत एक आदर्श निरस्त्रीकरण करार के रूप में मानता है क्योंकि यह सार्वभौमिक और भेदभाव-रहित सन्धि है। भारत को आशा है कि रासायनिक शस्त्र अभिसमय को सार्वभौमिक मान्यता मिलेगी। तथापि, यदि प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता इस सन्धि का अनुसमर्थन नहीं करते हैं और अपने अनुसमर्थन दस्तावेज जमा नहीं कराते हैं तो भारत उपयुक्त कार्यवाही के लिए स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार रखता है। भारत सरकार अपने ऊपर खतरों की आशंकाओं को ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति कटिबद्ध है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : सभापति महोदय, सुसंस्कृत मानवीय समाज हमेशा युद्धरहित और शस्त्ररहित दुनिया चाहेगा और चूंकि रसायनिक युद्ध, युद्ध का सबसे घिनौना तरीका है इसलिए रसायनिक शस्त्र अभिसमय हमेशा स्वागतार्थ हो सकता है। लेकिन जब रसायनिक शस्त्रों के सबसे बड़े भंडार अमरीका, रूस और हमारे अत्यन्त प्रिय पड़ोसी चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूटान में से किसी ने भी अभी तक इस रसायनिक शस्त्र अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में केवल भारत सरकार को ही इस अभिसमय का समर्थन करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी, यह समझना मुश्किल है। मैं जब सरकार का उत्तर देखता हूं तो उसमें सरकार यह कहती है कि यदि प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता, उसका अर्थ मैं स्वाभाविक रूप से यह लगा रहा हूं कि अमरीका, रूस, पाकिस्तान, चीन अगर इस संधि का अनुसमर्थन नहीं करते हैं तो भारत स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार रखता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इसकी समयावधि क्या है? पाकिस्तान, चीन, अमरीका, रूस अगर इस पर हस्ताक्षर करके इसका अनुसमर्थन नहीं करेंगे तो किस स्थिति में इस विफलता को सफलता की ओर ले जाएं। पाकिस्तान, चीन, अमरीका, रूस को समझाकर या तो हस्ताक्षर करवाए। और अगर हम हस्ताक्षर नहीं करवा सकते हैं तो कितने समय के बाद हम अपनी समीक्षा के अधिकार को उपयोग में लायेंगे, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सभापति जी, माननीय मैम्बर खुद डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने इन चीजों को देखा भी होगा और मेरा यह विश्वास है कि कागज इनके सामने से गुजरे होंगे और जब कागज इनके सामने से गुजरे होंगे...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : अच्छा हुआ, आपने यह नहीं कहा कि जैरोक्स बनवाई होगी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सभापति जी, जब कागज इनके सामने से गुजरे होंगे तो इन्होंने देखा होगा कि जितने देशों का नाम इन्होंने लिया है, उन्होंने इस समझौते पर दस्तखत किये हुए हैं, सिर्फ रैटीफाई नहीं किया। रैटीफिकेशन का भी कुछ समय है और हम यह देख रहे हैं कि तब तक रैटीफाई कौन करता है और उसके बाद यह ऑप्शन हमेशा रहेगा कि अगर हम समझें कि हमारी डिफेंस के लिए हमें जरूरी है कि हम विथड्रा कर लें तो जरूर कर लेंगे। लेकिन इस वक्त तक वह स्थिति नहीं आई। अमेरिका की बड़ी बात आपने की है, अमेरिका में आपस में झगड़े चल रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की एक सोच है, क्लिंटन साहब की दूसरी सोच है। उनका आपस का अन्दरूनी झगड़ा है और वह चल रहा है और इसलिए आपको समय है, जल्दबाजी नहीं की गई। सिर्फ यह कि दो वर्ष के बाद करना था, कर दिया है। हम वाच कर रहे हैं, इसलिए कुछ जल्दबाजी नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, हो सकता है कि मेरे हिन्दी शब्द उनकी समझ में न आये हों, मैं समझता था कि गुजराल साहब को समझने में समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं भी हस्ताक्षर और अनुसमर्थन, सिगनेचर और रैटीफिकेशन का फर्क जानता हूं और इसलिए जब मैंने कहा, तब मैंने यह नहीं कहा कि इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये, मैंने कहा कि इन्होंने अनुसमर्थन नहीं किया है और अनुसमर्थन करके वे दस्तावेज जब तक आप जमा नहीं करते, तब तक केवल आपके हस्ताक्षर इस सन्धि पर पर्याप्त माने नहीं जा सकते। अब तक यदि 70 देश कर चुके हैं, समय बहुत बचा नहीं है, अप्रैल में यह शुरू हो जायेगी, इसलिए कोई बहुत समय बचा है, यह नहीं है। लेकिन आपने अपने उत्तर में, जो कम से कम मेरे प्रश्नोत्तर में कहना चाहिए था, यह नहीं बताया कि आप पाकिस्तान के और चीन के साथ खास इसका क्या उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या आती है, जब इसका उपयोग होता है। आपका अगला उत्तर यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी रासायनिक शस्त्र उपयोग न करने की सन्धि हो चुकी है। सियाचिन में इसका उपयोग हुआ, इस प्रकार का एक संदेह है, अब यह सच है, गलत है, पता नहीं, लेकिन इस प्रकार की चर्चा है। ऐसी स्थिति में यह जो सन्धि बनेगी, इस सन्धि के बाद भी वे देश दस वर्ष तक अपने रासायनिक शस्त्र रख सकते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको जल्दबाजी भले न लगती

हो, दुनिया को यह जल्दबाजी लगती है। अमेरिका के झगड़े वे न कर पायें, रूस न कर पाये, पाकिस्तान और चीन अगर न करें तो हम समीक्षा कब करेंगे, इस प्रश्न का आपने मूल उत्तर नहीं दिया?

मैं फिर से पूछना चाहूंगा और उसके साथ एक छोटा सा प्रश्न अभी पूछ लूं, क्योंकि आप दूसरी सप्लीमेंट्री की अनुमति नहीं देंगे। इसमें एक छोटा सा मुद्दा है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि इस अभिसमय में रासायनिक उद्योग के परीक्षण की व्यवस्था है। उसके 400 इंसपैक्टर्स हैं, जो एड में रहेंगे और रासायनिक उद्योगों के परीक्षण करेंगे। अब रासायनिक उद्योगों के परीक्षण से छोटे गरीब तीसरे देशों की जो रासायनिक शक्ति है, मैं शस्त्रों की शक्ति नहीं कह रहा हूं, अन्य जो शक्ति है, इसकी गोपनीयता भंग होने का भी बहुत खतरा है तो यह टैक्नोलोजी बाहर जाने का भी इसमें बड़ा खतरा है तो यह टैक्नोलोजी हमारी इस परीक्षण के माध्यम से बाहर न जाये, जिस कामर्शियल वायलेशन की कोइ जिम्मेदारी यह ट्रीटी उठाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे रासायनिक उद्योग का क्या मार्गदर्शन हो रहा है, क्या प्रशिक्षण हो रहा है, जिसके कारण हमारी टैक्नोलीजी इसमें से परीक्षण के नाम पर चुराई न जाये, उस दूसरे उपबन्ध का भी आप उत्तर दें?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : पहले सवाल के जवाब में इन्होंने यह कहा है कि हमारे सामने आप्शन क्या है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे आप्शंस इस बात के मुताल्लिक बड़े खुले हैं कि अगर ऐसे देश साइन न करें, जिनसे हमें खतरा महसूस हो, जिससे रैटीफाई न करें, जिनसे हमको खतरा महसूस हो तो अपनी पोजीशन हम हमेशा रिव्यू कर सकते हैं और अगर ऐसी स्टेज आयेगी तो हम रिव्यू करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी यह स्टेज नहीं आई है, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। हमारी पोजीशन जहां तक है, इस वक्त जो पोजीशन है कि कितने देश इस पर रैटीफाई कर चुके हैं, वे करीब 70 देश के करीब हैं। उनका अपना दबाव बढ़ रहा है। जिनेवा में बातचीत हुई है। अब देखते हैं वे क्या करते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं। जब कोई ऐसी स्टेज आएगी तो हम पूरा ध्यान देंगे।

श्री प्रमोद महाजन : 70 देशों के हस्ताक्षर करने से समय हो गया है। नए देश न भी करें तो कोई बात नहीं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सियाधिन के मुत्तालिक जो आपने कहा है, तो हमारे नोटिस में अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि वहां या अन्य कहीं केमिकल वैपन्स का इस्तेमाल हुआ हो। हमारे और पाकिस्तान में एक बाइलैटरल समझौता हुआ है। उसमें यह भी है कि वैपंस आफ मास डिस्ट्रक्शन है, वह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, न हुए हैं। इसलिए अपनी सोच को हम सम्भाल कर रखे हुए हैं। आप इसकी अभी चिंता न करें।

श्री प्रमोद महाजन : तो पाकिस्तान किसलिए बना रहा है, अगर हमसे विरोध नहीं है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वह बना रहा है, न दुनिया के किसी मुल्क ने कहा है कि वह बना रहा है। इसलिए इसका अभी सवाल नहीं उठता। जहां तक आपने यह पूछा है कि टैक्नालॉजी का हम पर क्या असर पड़ेगा। इस समझौते में एक बात साफ है कि नॉन-वेपंस यूज की हमें छूट है। हमारे यहां केमिकल इस्तेमाल होता है। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की फैक्टरीज हैं, केमिकल वेपंस की इंडस्ट्रीज है। हम इनका निर्यात भी करते हैं। पिछले दिनों ईरान में झगड़ा भी हुआ था, वहां एक इंडस्ट्री बन रही है, वहां भेजने का सवाल था, हमने सर्टिफाई कर लिया था कि नॉन-वेपंस में यूज होगा। जब तक खतरा उस तरफ न हो, आम टेक्नोलॉजी पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है।

सभापति महोदय : श्री असीम बाला।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, क्षमा चाहता हूं। केमिकल वेपंस की, केमिकल फैक्टरीज की तीन केटेगरीज हैं, जिसमें एक में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन दो केटेगरीज ऐसी हैं जिसमें केमिकल परोक्ष रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए परीक्षण की व्यवस्था है, उसके बारे में क्या कहना है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : एक तो आपकी हिन्दी ऐसी है कि पूरी तरह समझ नहीं आती।

सभापति महोदय : इसके लिए आपकी वन टू वन मीटिंग की जरूरत है।

[अनुवाद]

डा॰ असीम बाला : सभापति महोदय, चूंकि प्रेस में रिपोर्टें आई हैं कि अमरीकी कम्पनियों द्वारा रसायनिक हथियारों का उत्पादन करके रसायनिक हथियारों सहित सभी प्रकार के हथियारों को अन्य देशों में चोरी छिपे बेचा जा रहा है और आतंकवादियों द्वारा वे हथियार खरीदे भी जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने आर॰डी॰एक्स॰ जैसे खतरनाक रसायन को अमरीका अथवा किसी अन्य विदेशी भाड़े के सैनिकों द्वारा भारत में भेजने पर रोक लगाने हेतु कोई कदम उठाएं हैं।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या आर॰डी॰एक्स॰ हमारे देश में चोरी छिपे लाया जा रहा है और क्या सरकार ने रसायनिक हथियारों के देश में अवैध प्रवेश पर रोक लगाने हेतु कोई कदम उठाए हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, खतरनाक रसायनों को आयात किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। हम किसी रसायनिक हथयार का आयात नहीं कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई जानकारी हो तो सूचित करें, हम इसकी जांच करेंगे।

जहां तक आर॰डी॰एक्स॰ का प्रश्न है, यह रसायनिक हथियार नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : यह आर्सेनिक है।

श्री मृत्युन्जय नायक : सभापति महोदय, सीमा पार से, विशेषकर चीन तथा पाकिस्तान जैसे पड़ौसी देशों के संभावित खतरों के परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गुटनिरपेक्ष

आन्दोलन का एक अग्रणी सदस्य होने के नाते क्या उन देशों की सुरक्षा हेतु गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों के बीच कोई विचार-विमर्श हुआ है।

महोदय, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता की हमेशा मांग की है और अमरीका भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर देता रहा है। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उक्त संधि की तत्काल पुष्टि किए जाने की क्या जल्दबाजी है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों से भी विचार-विमर्श कर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस संबंध में जल्दबाजी मुख्यतः इस बात की है कि वर्ष 1997 से ही यह संधि लागू हो जाएगी। इसीलिए यह प्रक्रिया जारी है। हमने कुछ वर्षों तक इंतजार किया और इसके बाद इसकी पुष्टि की है। इसका पुष्टिकरण वर्ष 1995 के शुरू में ही कर दिया गया था लेकिन संबंधित दस्तावेज अब जमा किए गए हैं। इस तरह से ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जल्दबाजी बस इसकी है कि संधि के 'एन्ट्री इन टू फोर्स' खण्ड "लागू होने" की बात है।

जहां तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का प्रश्न है, हम उनके लगातार संपर्क में हैं। जहां तक व्यापक जनसंहार वाले हथियारों का प्रश्न है, भारत तथा सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की यही आम राय है कि इन हथियारों को समाप्त किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं का पूरा किया जाना

***305. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चालू बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को संस्थाबद्ध करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सिंचाई के लिए जल संसाधन विकसित करने और बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए ठोस योजनाएँ तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों पर, उन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, जो पूरी होने के उन्नत स्तर पर हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए परिव्यय नियत करने, राज्य और केन्द्र स्तर पर परियोजनाओं की मानीटरिंग करने, वृहद और मध्यम सिंचाई क्षेत्र के लिए अधिक परिव्यय देने और बड़ी परियोजनाओं के लिए उप-परियोजना दृष्टिकोण अपनाने जैसे कई कदमों पर जोर दे रही है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण राज्य के विषय हैं और परियोजनाओं की जांच, उन्हें तैयार करना, उनका कार्यान्वयन एवं वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र योजना सहायता "ब्लाक अनुदानों" के रूप में दी जाती है और विकास के किसी क्षेत्र या परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती। तथापि, केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान 100 करोड़ रु॰ (संशोधित 500 करोड़ रु॰) के प्रावधान से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए राज्यों को बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय सहायता देने के लिए हैं। यह कार्यक्रम वर्ष 1997-98 के दौरान जारी रखा जा रहा है जिसके लिए 1300 करोड़ रु॰ का प्रस्तावित बजट प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार ने नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के द्वारा लघु, मझौली और वृहद सिंचाई परियोजनाओं को ऋण सहायता देने के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) भी शुरू किया है।

केन्द्र सरकार ने बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बाढ़ संबंधी राष्ट्रीय आयोग (1976-1980) की स्थापना, गंगा बेसिन के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना, ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन, केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ प्लेन जोनिंग का माडल बिल तैयार करने जैसे कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा, कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ प्रूफिंग और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के रखरखाव के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ असम को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा बेसिन के उपबेसिनों के बाढ़ नियंत्रण के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा, बराक प्रणाली और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बाढ़ नियंत्रण की मास्टर योजना तैयार करने में लगा हुआ है।

नौवहन का आधुनिकीकरण

***306. श्री पी॰ सी॰ थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन के विस्तार, आधुनिकीकरण और नौवहन परिचालन की कार्य-कुशलता में सुधार हेतु कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या देश के विभिन्न शिपयार्डों में पोत निर्माण और मरम्मत कार्य की स्थिति संतोषजनक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोचीन शिपयार्ड का आधुनिकीकरण करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने आधुनिक और सक्षम पोतों की खरीद को सुगम बनाने के लिए पोत खरीद प्रक्रिया को सरल और उदार बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। परिणाम स्वरूप, 7 मिलियन सकल पंजीकृत टन भार प्राप्त करने का आठवीं योजना का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय शिपयार्डों की स्थापित जहाज निर्माण क्षमता 2.8 लाख (लगभग) डी डब्ल्यू टी और जहाज मरम्मत क्षमता 3850 शुष्क गोदी दिवस प्रतिवर्ष है। सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है जो योजनागत स्कीमों के माध्यम से किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोचीन शिपयार्ड लि॰ के लिए इस कार्य हेतु 111.14 करोड़ रु॰ का प्रस्ताव किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

***307. श्रीमती शारदा टाडीपारथी :**

डा॰ एम॰ जगन्नाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश शहरी क्षेत्रों में कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो शहरी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र विशेषरूप से शहरी गंदी बस्तियों के लोगों के लिए इनकी संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में सरकारी, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) शहरी अस्पतालों और औषधालयों का नेटवर्क शहरी गन्दी बस्ती की जनसंख्या की भी सेवा करता है। दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और बैंगलूर की शहरी गन्दी बस्ती के क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं भी इस समय विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ की जा रही हैं। हाल ही में समाप्त हुई विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत मुम्बई और मद्रास में इसी प्रकार का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

[हिन्दी]

बाल परिचर्या तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम हेतु धनराशि

***308. श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान बाल परिचर्या तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा वर्ष 1997-98 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। संसद में प्रस्तुत किए गए 1997-98 के बजट में शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रु॰ का बजट प्रावधान है। बजट में राज्यवार प्रावधान नहीं किए जाते हैं।

(ख) शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्त्व कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं :-

(1) व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम

(2) अनिवार्य नवजात परिचर्या

(3) अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(4) तीव्र श्वसनी संक्रमण (न्यूमोनिया) नियंत्रण कार्यक्रम

(5) विटामिन "ए" की कमी की रोकथाम एवं नियंत्रण

(6) गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता रोकथाम और नियंत्रण

(7) आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए प्रथम रेफरल यूनिटों की स्थापना।

(8) मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित नए कदम भी उठाए गए हैं :-

(1) पल्स पोलियो टीकाकरण

(2) प्राथमिक विद्यालयों के लिए विशेष स्कूल स्वास्थ्य जांच योजना

(ग) कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन की जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। देश में अब तक स्थापित औषधालयों/अस्पतालों और जिला स्वास्थ्य ढांचे के व्यापक तंत्र द्वारा शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य	प्रदान की गई सहायता	
	1994-95	1995-96*
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1521.77	1769.09
अरूणाचल प्रदेश	55.73	142.39
असम	1106.12	971.02
बिहार	2494.33	2439.17
गोवा	24.98	35.52
गुजरात	1022.46	1222.94
हरियाणा	489.47	632.82
हिमाचल प्रदेश	235.15	252.14
जम्मू एवं कश्मीर	274.76	362.53
कर्नाटक	1133.84	1392.09
केरल	723.33	770.43
मध्य प्रदेश	2518.37	2575.75
महाराष्ट्र	1638.46	2380.53
मणिपुर	86.11	137.08
मेघालय	56.91	107.06
मिजोरम	28.69	65.51
नागालैंड	44.24	100.01
उडीसा	1330.37	996.53
पंजाब	491.38	734.41
राजस्थान	2076.07	1783.84
सिक्कम	23.76	47.37
तमिलनाडु	1274.75	1676.26
त्रिपुरा	77.12	97.14
उत्तर प्रदेश	4558.07	4723.08
पश्चिम बंगाल	1253.02	1788.04
अण्डमान निकोबार	6.07	28.56
चंडीगढ	11.93	27.63
दादरा नगर हवेली	9.81	11.35
दिल्ली	284.72	250.17
दमन एवं द्वीव	1.28	11.43
लक्षद्वीव	1.02	10.71
पाडिचेरी	26.12	40.46
योग	24880.21	27584.41

* पल्स पोलियो टीकाकरण के अन्तर्गत सामाजिक गतिशीलता के लिए संघ राज्यों को दी गई 16 करोड़ रुपए की सहायता शामिल नहीं है।

(आकड़े अनन्तिम है)

[अनुवाद]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

***309. श्री सनत मेहता :**

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को बड़ी परियोजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 और 1997-98 के बजट अनुदानों में राज्य-वार और परियोजनावार कुल कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ख) अब तक जारी की गई धनराशि का राज्य--वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूम कितनी सिंचाई क्षमता के सृजन का अनुमान लगाया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है जिसे वर्ष 1996-97 के संशोधित प्राक्कलन में 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। संसद की स्वीकृति के अधीन 1997-98 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 1300 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। 12.3.97 की स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित और जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता के राज्यवार और

परियोजनावार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	वर्ष 96-97 के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता की अनुमोदित राशि	जारी की गई केंद्रीय ऋण सहायता की राशि	पूरा होने पर परियोजना की सिंचाई क्षमता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
आंध्र पंदेश				(हजार हेक्टेयर में)	
1.	श्रीराम सागर चरण-I	63.00	31.50	392.00	
2.	चेय्येरू सिंचाई	7.50	3.75	9.11	
		70.50	35.25	401.11	
असम					
3.	पहुमारा	1.20	0.60	12.96	
4.	हवाईपुर लिफ्ट सिंचाई	1.75	0.875	2.43	
5.	रूपाही लिफ्ट सिंचाई	0.51	0.755	3.99	
6.	कल्लोंग सिंचाई	1.00	0.50	1.64	
7.	धनसिरी परियोजना	3.00	1.50	68.98	
8.	चंपामती	2.00	1.00	24.99	
9.	बोरोलिया	1.00	-	-	रूपाही से बोरोलिया को 1.00 करोड़ रुपए हस्तांतरित
		10.46	5.23	114.99	
बिहार					
9.	कोसी परियोजना	20.00	10.00	284.80	
10.	अपर कियूल	5.00	2.50	19.56	
11.	दुर्गावती	2.00	1.00	29.21	
		27.00	13.50	333.57	
गुजरात					
12.	सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना	95.00	71.25	1792.00	केंद्रीय ऋण सहायता की दूसरी किस्त प्रदान की गई।
13.	झुज	2.40	1.20	5.81	
14.	मुक्तेश्वर	0.65	0.325	6.19	
15.	हरनाव-II	0.13	0.065	3.44	

1	2	3	4	5	6
16.	अमरिया	0.27	0.135	2.37	
17.	सिपू	3.27	1.635	22.08	
		101.72	74.61	1831.89	
हरियाणा					
18.	जल संसाधन समेकन परियोजना	40.00	30.00	113.00	केंद्रीय ऋण सहायता की दूसरी किस्त प्रदान की गई।
19.	गुड़गांव नहर	5.00	2.50	81.00	
		45.00	32.50	194.00	
जम्मू व कश्मीर					
20.	मारवल लिफ्ट	1.00	0.50	11.20	
21.	लिथपोरा लिफ्ट	0.60	0.30	3.20	
22.	कोइल लिफ्ट	1.00	.50	2.30	
		2.60	1.30	16.70	
कर्नाटक					
23.	अपर कृष्णा चरण-I	114.00	57.00	424.94	
24.	मालप्रभा	3.00	1.50	218.19	
25.	हरिहल्ला	5.50	2.75	8.30	
		122.50	61.25	651.43	
केरल					
26.	कल्लाडा परियोजना	5.00	2.50	92.60	
		2.00	2.50	92.60	
मध्य प्रदेश					
27.	बाणसागर बहुउद्देशीय	31.00	15.50	249.00	
28.	इंदिरा सागर	50.00	25.00	109.00	
29.	ऊपरी वेनगंगा	5.00	2.50	105.30	
		86.00	43.00	463.00	
महाराष्ट्र					
30.	गोशिखुर्द परियोजना	20.00	10.00	190.00	
31.	सूर्या	4.00	2.00	27.19	

1	2	3	4	5	6
32.	वाधूर	4.80	2.00	23.58	
		28.00	14.00	240.77	
मणिपुर					
33.	खुगा	8.60	4.30	15.00	
		8.60	4.30	15.00	
उड़ीसा					
34.	रेंगाली सिंचाई (डब्ल्यू आर डी पी का भाग, उड़ीसा)	15.00	7.50	423.60	
35.	अपर इंदिरावती दायां तट नहर	38.00	19.80	556.00	
36.	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय	36.00	18.00	176.50	
37.	आनंदपुर बराज	3.10	1.55	40.18	
		92.10	46.05	1196.28	
पंजाब					
38.	रणजीत सागर बांध	90.00	67.50	348.00	दूसरी किश्त जारी की गई।
		90.00	67.50	348.00	
राजस्थान					
39.	जैसमन्द आधुनिकीकरण	1.85	0.925	8.35	
40.	चाप्पी	3.50	1.75	7.00	
		5.35	2.675	15.35	
त्रिपुरा					
41.	मानू	1.75	0.875	7.60	
42.	गुमती	3.12	1.56	9.80	
43.	खोवई	1.80	0.90	8.10	
		6.67	3.335	25.50	
तमिलनाडु					
44.	जल संसाधन समेकन परियोजना	40.00	20.00	13.00+ 655.00 (समेकन)	
		40.00	20.00	668.70	

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश					
45.	शारदा सहायक	20.00	10.00	1582.00	
46.	सरजू नहर	18.00	9.00	1404.00	
47.	ऊपरी गंगा, मध्य नहर सहित	20.00	10.00	187.00	
48.	राजघाट	6.00	3.00	-	
49.	गुन्ना नाला बांध	2.00	1.00	3.88	
50.	हिंडन कृषि दोआब	1.00	0.50	8.50	
	में खरीफ चैनल मुहैया करना	67.00	33.50	3195.38	
पश्चिम बंगाल					
51.	तीस्ता बराज	10.00	5.00	533.52	
		10.00	5.00	533.52	
	कुल योग	818.50	465.50	10353.03	

[हिन्दी]

भारत-पाक व्यापार संबंध

310. **कुमारी उमा भारती :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी व्यापार की फिर से शुरूआत करने और एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए मौजूदा वीजा प्रणाली को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों से लोगों के मध्य संपर्क को प्रोत्साहित करने, अलग हुए परिवारों को सहायता प्रदान करने और वाणिज्यिक एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की अपनी नीति के अनुरूप सरकार ने पाकिस्तान के व्यापारियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को वीजा प्रदान किये जाने को एकपक्षीय रूप से आसान बना दिया है। सरकार पाकिस्तानी व्यापारियों के लिए और भी उदार वीजा व्यवस्था के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

गैर-सरकारी अस्पतालों में कार्य करने को उत्सुक डाक्टर

*311. **श्री राजकेशर सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डाक्टर और विशेषज्ञ, विशेषरूप से वे जो दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बड़े अस्पतालों में कार्यरत हैं, गैर-सरकारी अस्पतालों में कार्य करने के उत्सुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनकी सेवाओं को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) ऐसे वरिष्ठ डाक्टरों और शल्यचिकित्सकों की प्रतिशतता क्या है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी अस्पतालों में कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से प्राप्त सूचना यह नहीं दर्शाती है कि वहां के काफी डाक्टर निजी अस्पतालों में कार्य करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। तथापि, विभिन्न वैयक्तिक कारणों से, जिनमें प्राइवेट क्षेत्र एवं विदेशों में नौकरी पाना भी शामिल है, डाक्टर नौकरी छोड़ते रहे हैं। यह अनुपात अधिक नहीं है।

डाक्टरों को अधिक सन्तुष्टि प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें यात्रा के अवसर प्रदान करने, ज्ञान को बढ़ाने और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अनुसंधान लेख प्रस्तुत करने के साथ-साथ संसाधनों की सीमा के अन्दर उनकी कार्य स्थितियों में सुधार लाना शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के 2.2 प्रतिशत डाक्टरों ने वैयक्तिक आधार पर त्यागपत्र दिया है। पिछले तीन वर्षों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ में यह संख्या कुल संकाय संख्या की 6.7 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत है। ऐसे डाक्टरों द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में जाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुषंगी स्वास्थ्य प्रणाली

***312. डा॰ कृपासिन्धु भोई :**

श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के लिए देश में अनुषंगी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कितनी राशि निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रस्तावित संख्या क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से राज्यों में अनुषंगी स्वास्थ्य प्रणाली का पुनर्गठन करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने वह परियोजना प्रस्ताव सहायता प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक को भेज दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) उन परियोजनाओं को देश में कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक से कितनी धनराशि प्राप्त करने की संभावना है; और

(छ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (छ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन हेतु योजनावधि में रखे गए परिव्ययों के अनुसार की जाती है। 9वीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कुछ राज्य सरकारों से विश्व बैंक की सहायता से द्वितीयक स्तर के स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसी परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब में पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्य के प्रस्तावों पर बाह्य अभिकरणों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करके कार्रवाई की जाती है और सामान्यतया इन्हें प्रतिफलित होने में 24 महीने तक का समय लग जाता है जो राज्यों द्वारा परियोजनाओं के अभिकल्पन और तैयार करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता

***313. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰) से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिषद द्वारा कितनी संस्थाओं को उनके शैक्षणिक मानदण्डों और परीक्षा परिणामों का सत्यापन करने के पश्चात मान्यता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को नई तकनीकी संस्थाएं खोलने और संबंधित एजेन्सियों के परामर्श से नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू करने संबंधी अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार, अ॰भा॰त॰ शिक्षा ने तकनीकी शिक्षा में 1504 डिप्लोमा स्तर तथा 753 डिग्री स्तर की संस्थाएं अनुमोदित की हैं जिनमें इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, वास्तुकला तथा होटल प्रबन्धन और खान-पान प्रबन्ध प्रौद्योगिकी के क्षेत्र शामिल हैं।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों से निर्वासित भारतीय

***314. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन :**

श्री सत्यजीत सिंह दिलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में खाड़ी देशों से कितने भारतीय निर्वासित किए गए;

(ख) इनमें से कितने लोग समुचित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद खाड़ी देशों को लौट गए;

(ग) शेष निर्वासित श्रमिकों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उन परिस्थितियों की जांच पड़ताल की गई है जिसमें अनेकों भारतीय समुचित दस्तावेजों के बिना ही संयुक्त अरब अमीरात चले गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) वर्ष 1996 के दौरान भारतीय मिशनों द्वारा भारतीयों को भारत लौटने के लिए आपात प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में 70,000 से अधिक भारतीयों को खाडी देशों से निर्वासित किया गया था। इन लोगों का निर्वासन या तो उनके वैध रूप से प्रवेश करने किन्तु निर्धारित समय से अधिक समय तक ठहरने के कारण अथवा अन्य कारणों से प्रवास अवैध हो जाने के कारण किया गया या उन्होंने वीजा/पासपोर्टों के साथ अथवा उनके बिना अवैध रूप से प्रवेश किया था। ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उनके भारतीय पासपार्टों पर अवैध रूप से ठहरने के कारण निर्वासित किया गया था, की सहर संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि स्थानीय अधिकारी भारतीय मिशनों को यह सूचना उपलब्ध नहीं कराते। अतः खाड़ी देशों में भारतीय राष्ट्रिकों की अवैध स्थिति ठहरने की वैध अनुमति न होने के कारण होती है न कि भारतीय यात्रा दस्तावेजों के अनुपलब्धता के कारण।

खाड़ी देशों से निर्वासित उन भारतीयों की वास्तविक संख्या, जो इन देशों को लौट गए हैं, का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि भारत से प्रस्थान करते समय अथवा खाड़ी देशों में पहुंचने पर भारतीय मिशनों में रिपोर्ट करते समय लौटे व्यक्तियों के रूप में उन्हें अपनी पहचान कराने के लिए नहीं कहा जाता।

सरकार ने भारत में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों को खाड़ी से निर्वासित भारतीय राष्ट्रिकों को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट अथवा नए पासपोर्ट, जैसा भी मामला हो, जारी करने के लिए पहले ही निर्देश दे दिए हैं। तथापि, खाडी देशों में उनकी वापसी अपने वैध वीजा प्राप्त करने पर निर्भर करती है।

संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित व्यक्तियों में से अधिकांश लोग आरंभ में वैध यात्रा दस्तावेज और वैध वीजा लेकर संयुक्त अरब अमीरात गए थे। बाद में, जब उन्होंने वीजा शर्तों का अनुपालन नहीं किया तो उनका प्रवास अवैध हो गया था। बड़ी मात्रा में उनका निर्वासन संयुक्त अरब अमीरात में आप्रवासन प्रक्रियाओं को कठोर बना देने और अवैध आप्रवासियों की जांच के परिणामस्वरूप हुआ है। तथापि, थोड़ी प्रतिशतता ऐसे लोगों की भी होगी जो वैध यात्रा दस्तावेजों पर अथवा इनके बिना पड़ोसी खाड़ी देशों से समुद्र मार्ग से गए होंगें अथवा जिन्होंने सड़क मार्ग से सीमा पर की होगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोही गतिविधियां

***315. श्री मोहन रावले :**
डा॰ माधवराव सिंधिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 के "द एशियन एज" में "हसीना एडमिट्स उल्फा कैम्प्स इन बांग्ला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शिविर कहां-कहां है तथा उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या ऐसे शिविरों को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हथियारों की सप्लाई के लिए माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बंगलादेश सरकार से ऐसे शिविरों को बन्द करने के लिये कहा है; और

(च) यदि हां, तो इस पर बंगलादेश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (च) सरकार का ध्यान दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 के एशियन एज में छपी खबर "हसीना ने बंगलादेश में उल्फा कैम्प होने की हामी भरी" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया। दिसम्बर, 1996 में दिल्ली में वार्ता के दौरान बंगलादेश की प्रधानमंत्री ने यह सूचित किया है कि उनकी सरकारी सीमा पार के विद्रोही गुटों की उपस्थिति सहित भारत की सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं को पूरी तरह से समझती है।

सरकार को बंगलादेश के भीतर उल्फा उग्रवादियों की भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी है। इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति सरकार की चिन्ता को बंगलादेश की सरकार के साथ उच्च स्तर पर नियमित तौर पर उठाया जाता रहा है। बंगलादेश की सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। बंगलादेश और भारत दोनों देश आतंकवाद और तोड़फोड़ की कार्रवाईयों के विरूद्ध मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में दूसरे के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। फरवरी, 1997 में भारत और बंगलादेश के गृह सचिवों की बैठक में भारत दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा संबंधी मामलों में विशिष्ट सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर भी सहमत हुए थे।

अधिगृहीत की गई भूमि के स्वामियों को रोजगार

***316. श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है जिसके अंतर्गत उन किसानों को जिनकी भूमि का बांध के निर्माण के लिए अधिग्रहण किया

गया है, परिवार के सदस्यों को ऐसी परियोजनाओं में रोजगार दिया जा सकता हो; और

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस समय राष्ट्रीय पुनर्स्थापना और पुनर्वास की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। तथापि, वर्ष 1980 में तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय ने बड़ी जलाशय परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में सभी राज्यों को निदेश जारी किए थे। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने पुनर्स्थापना और पुनर्वास के लिए अपनी-अपनी नीतियां तैयार की हैं जो राज्य दर राज्य और परियोजना दर परियोजना भिन्न-भिन्न हैं। जिन परिवारों की भूमि बांधों के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई है, उनके पात्र सदस्यों को रोजगार के अवसर देने में यथासंभव ध्यान रखा गया है।

(ख) दामोदर घाटी निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार बांधों, विद्युत संयंत्रों आदि के निर्माण की परियोजनाओं के लिए दामोदर घाटी निगम की नीति विस्थापित व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए पैनल से 30 प्रतिशत भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भरने की थी। नई परियोजनाओं के लिए उन परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने की नीति है जिनकी 75 प्रतिशत या उससे अधिक भूमि ले ली गई। वर्ष 1978 के बाद से, पुरानी परियोजनाओं के लिए पैनल में रखे गए 1398 विस्थापित व्यक्तियों में से 635 व्यक्तियों को अभी तक दामोदर घाटी निगम में रोजगार दिया गया है। जहां तक नई परियोजना, मेजा थर्मल पावर स्टेशन का संबंध है, विस्थापित कोटा में से 120 विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए हैं और उन सभी ने अकुशल पदों पर कार्यग्रहण भी कर लिया है।

तकनीकी संस्थाओं को सहायता

*317. **श्री के॰सी॰ कोंड्य्या :**

श्री संदीपान थोरात :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं को स्थापित करने हेतु विश्व बैंक/अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा परियोजनावार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक/अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता लेने हेतु स्थान-वार कौन-कौन सी नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने उपकरणों की खरीद के लिए तथा तकनीकी संस्थाओं में इंटरनेट सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए धनराशि की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) से (घ) तकनीशियन शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना में महाराष्ट्र में 3 नए पोलिटेकनिकों और कर्नाटक में 3 पॉलिटेकनिकों की स्थापना शामिल है। महाराष्ट्र के लिए उक्त परियोजना के अन्तर्गत कुल परिव्यय 164.2 करोड़ रुपये है और कर्नाटक के लिए 46.6 करोड़ रुपये है। कर्नाटक में फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान के लिए पॉलिटेकनिक को छोड़कर, अन्य सभी संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना में लगभग 1650 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से 19 राज्यों में पॉलिटेकनिकों को शामिल किया गया है। जहां तक तकनीकी संस्थाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से राज्य सरकारों द्वारा सहायता मांगने का संबंध है। इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की छानबीन नहीं की जा रही है।

स्वास्थ्यकर और स्वच्छ भोजन के लिए मार्ग निदेश

*318. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई "हैल्थ लॉ-इंटरनेशनल एंड रीजनल पर्सपेक्टिव्स" नामक पुस्तक का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों के गली मोहल्लों में स्थित छोटे-छोटे होटलों द्वारा स्वास्थ्यकर और स्वच्छ भोजन परोसा जाए, केन्द्र सरकार का राज्यों को कोई मार्गनिदेश जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) "हैल्थ लॉ-इंटरनेशनल एंड रीजनल प्रस्पेक्टिव्ज" नामक पुस्तक का अवलोकन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य निरापदता, एच॰आई॰वी॰/एड्स, नकली औषध, फार्मेसी कार्मिक शक्ति, औषध और एल्कोहल पर निर्भरता आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करने हेतु विभिन्न किस्म के स्वास्थ्य कानूनों की प्रकृति और कार्यक्षेत्र को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियम, 1955 में पहले ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गली-मोहल्लों के छोटे होटलों सहित खाद्य प्रतिष्ठानों द्वारा परोसे गए भोजन को निरापदता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए शर्तें

निर्धारित की गई है। ऐसी शर्तों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) भोजन प्रतिष्ठानों के परिसर सफाई संबंधी दोषों से मुक्त हों;

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे परिसर में जिसे शौचालय, मूत्रालय, कूड़े-कचरे, नाले अथवा गंदे और अपशिष्ट पदार्थ के भंडारण के स्थान से प्रभावकारी ढंग से अलग न किया गया हो; किसी खाद्य वस्तु का विनिर्माण, भंडारण नहीं करेगा अथवा उसे बिक्री हेतु नहीं रखेगा अथवा उसकी बिक्री की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

(3) खाद्य/भोजन प्रतिष्ठान किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो संक्रामक, सांसर्गिक अथवा घृणित रोग से ग्रस्त हो, नियुक्त नहीं करेगा।

(4) बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए प्रयुक्त बर्तनों को संदूषण से बचाने के लिए उपयुक्त रूप से ढक्कन लगे हों।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे खाद्य की निरापदता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त शर्तों को कड़ाई से लागू करें।

परिवार कल्याण तथा टीकाकरण कार्यक्रम

*319. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों में परिवार कल्याण तथा टीकाकरण कार्यक्रम कार्यकुशल तथा सुचारू रूप से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां उपरोक्त कार्यक्रम समुचित रूप से लागू नहीं किए जा रहे हैं; और

(घ) इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसकी स्वीकार्यता स्तर क्षेत्र में राज्य सरकार के ढांचे और गैर सरकारी संगठनों की प्रभावकारिता, सामाजिक आर्थिक स्थितियों, समुदाय में महिलाओं की साक्षरता और स्थिति जैसे पहलुओं पर निर्भर करता है। कार्य निष्पादन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में अपेक्षाकृत कम है।

(घ) पहले पैदा की गई व्यापक जागरूकता को देखते हुए अब लोगों के लिए सेवाओं को गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों को एक एकीकृत कार्यक्रम "प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य" में मिला दिया गया है। ऊपर के स्तर से गर्भ निरोधक लक्ष्य निर्धारित करने की पद्धति के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर सेवाओं के विकेन्द्रीकृत सुनियोजन की पद्धति शुरू की गई है। 9वीं योजना में राज्यों, जिलों, जो पिछड़ रहे हैं, पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है।

ब्लड बैंक

*320. **श्री अन्ना साहिब एम॰के॰ पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ब्लड बैंकों के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए नए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न राज्यों में निजी तथा सरकारी ब्लड बैंकों के कार्य की समीक्षा की है;

(घ) राज्यों में ऐसे कितने ब्लड बैंक कार्यरत हैं तथा उनका वार्षिक राज्यवार रक्त संचय तथा इनकी वास्तविक आवश्यकता क्या है; और

(ङ) देश में ब्लड बैंकों के वैज्ञानिक तथा प्रभावी संचालन के लिए हाल ही में किए गए विचाराधीन सुधारों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत रक्त बैंकों की संख्या और उनमें वार्षिक रक्त एकत्रण को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

वास्तविक जरूरत अभी अज्ञात है, फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति अस्पताली पलंग के लिए प्रति वर्ष रक्त की 7 यूनिटों की जरूरत की सिफारिश करता है।

(ङ) विवरण-I संलग्न है।

विवरण-I

1. राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत सोसायटी के रूप में 23 मई, 1996 को गठित और पंजीकृत की गई हैं।

2. राज्य रक्ताधान परिषदें संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में गठित की गई हैं।

3. राष्ट्रीय और राज्य परिषदों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों में कवर हैं :— प्रभावी अभिप्रेरण अभियान चलाना, रक्त दान

कार्यक्रम आरंभ करना, तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना और प्रतिरक्षी रूधिर विज्ञान तथा रक्ताधान चिकित्सा में स्नातकोत्तर शिक्षा के संवर्धन सहित रक्त बैंकों के कार्यकरण तथा प्रबंधन से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं।

4. इस संबंध में उच्चतम न्यायालय और निर्धारित अंतिम तारीख 17 मई, 1997 तक देश के सभी रक्त बैंकों को लाइसेंस देना सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

5. क्त का उचित ढंग से नियमित एकत्रण, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण और परिवहन तथा रक्त बैंकों का कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा औषध और प्रसाधन सामग्री नियम को संशोधित करने के लिए कार्य प्रारंभ हो गया है।

6. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि देश में इस समय प्रचलित रक्त दान के व्यवसाय की व्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से 1997 के अंत तक बंद किया जाए और स्वैच्छिक दान को बढ़ावा देकर रक्त की पर्याप्त मात्रा इकट्ठा करने के उपाय किए जाएं।

7. भारत सरकार से स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के जरिए रक्त एकत्र करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(क) प्राइम टाइम के दौरान उपयुक्त अंतरालों पर दूरदर्शन के जरिए विशेष रूप से विकसित टी॰वी॰ स्पाटों के प्रसारण द्वारा स्वैच्छिक रूप से रक्तदान के लिए जनता को दूरदर्शन के जरिए अभिप्रेरित करने हेतु जनप्रचार का एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

(ख) टाइम्स एफ॰एम॰ चैनल में लोकप्रिय संगीत कार्यक्रमों के जरिए स्वैच्छिक रक्तदान करने संबंधी संदेश प्रसारित किए जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की मदद से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने वन टु वन कम्युनिकेशन हेतु प्रोटो टाइप सूचना शिक्षा और संचार सामग्री फोल्डरों, पोस्टरों और स्टीकरों के रूप में विकसित की है और उन्हें स्थानीय भाषाओं में उपयोग करने तथा रूपांतरित करने हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद (विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार) ने स्वैच्छिक रक्तदान के जरिए रक्त की मांग तथा उसकी उपलब्धि के बीच होने वाले अंतरालों को पूरा करने के विचार से 50 चुनिंदे जिलों में स्वैच्छिक रक्तदान को एकत्र करने की प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना के निर्दिष्ट उद्देश्य हैं :—

1. रक्तदान संबंधी मिथकों, भ्रांतियों और अन्तर्बाधाओं को जागृति पैदा करने वाले अभियानों के जरिए लोगों के मन से उन्हें दूर कर देना;

2. स्वस्थ लोगों को स्वैच्छिक दाता बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए संचारकों को प्रशिक्षण करना;

3. नेटवर्किंग, स्वैच्छिक रक्त दाताओं और चलाए जा रहे रक्त बैंकों के बारे में सूचना हेतु कंप्यूट्रीकृत पद्धति विकसित करना।

योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति :

विज्ञान और प्रौद्यगिकी विभाग ने कुछ चुनिंदा गैर सरकारी संगठनों की सहायता से रक्त एकत्रीकरण आदि की स्थिति का निर्धारण करने के लिए 10 शहरों में अध्ययन शुरू किए हैं। स्वैच्छिक रक्त दाताओं को प्रेरित करने हेतु उपलब्ध साफ्ट-वेयर के मूल्यांकन कार्य को पूरा कर लिया गया है और नए साफ्टवेयर विकसित करने हेतु प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा प्रेरकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल भी विकसित किए जा रहे हैं। विभिन्न संगठनों से रक्त बैंकों और नेटवर्किंग को कंप्यूट्रीकृत प्रवृति हेतु प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

इसके अतिरिक्त 1997-98 के दौरान मार्गदर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभिप्रेरणा शिविरों का आयोजन करने का प्रस्ताव है।

इस कार्यक्रम में शामिल कुछ उद्देश्य स्वैच्छिक रक्त दाताओं के प्रचार-प्रसार संचारकों के प्रशिक्षण और सूचना आदि की नेटवर्किंग के लिए आधारित सामग्री तैयार करने हेतु साफ्टवेयर (फिल्म, स्लाइड, पोस्टर आदि) के संबंध में हैं।

(ङ) हर वर्ष पहली अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्त के एकत्रीकरण के लिए जन प्रचार माध्यमों और विशेष शिविरों के जरिए स्वैच्छिक रक्तदान की जरूरत के बारे में लोगों को शिक्षित करने हेतु विशेष अभियान चलाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के संदेश प्रसारित किए जाते हैं जिनमें स्वैच्छिक रक्त दान के लिए अपीलें की जाती हैं। इन संदेशों को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है।

विवरण-II

रक्त बैंक और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा एकत्र किए गए रक्त की मात्रा (वर्ष-1996)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रक्त बैंकों की संख्या	एकत्र किए गए रक्त की यूनिटें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	113	79800
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	816
3.	असम	44	115066
4.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	2	2721

1	2	3	4
5.	बिहार	69	49550
6.	चंडीगढ़ प्रशासन	2	43410
7.	दिल्ली	32	412526
8.	दादरा व नगर हवेली	–	135
9.	गुजरात	109	288965
10.	गोवा	7	17690
11.	हरियाणा	18	32130
12.	हिमाचल प्रदेश	13	10850
13.	जम्मू व कश्मीर	13	28917
14.	केरल	85	185615
15.	कर्नाटक	81	75090
16.	लक्षद्वीप	–	340
17.	महाराष्ट्र	197	592288
18.	मध्य प्रदेश	77	100155
19.	मेघालय	4	952
20.	मणिपुर	2	10410
21.	मिजोरम	4	11702
22.	नागालैंड	19	5103
23.	उड़ीसा	59	112606
24.	पंजाब	66	65320
25.	पांडिचेरी	2	8845
26.	राजस्थान	46	168330
27.	सिक्किम	1	1020
28.	तमिलनाडु	280	64435
29.	त्रिपुरा	5	11348
30.	उत्तर प्रदेश	121	103520
31.	पश्चिम बंगाल	95	285836
32.	दमण व दीव		545
	कुल	1475	*2236963
			**(+)581610
			2818573

* आंकड़ों का अनुमान रक्त की जांच के लिए अपेक्षित एच॰आई॰वी॰ किटों की मांग हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना से लगाया गया है। अनुमानों में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु 10 प्रतिशत कमी की गई है।

** आंकड़ों का हिसाब प्राइवेट रक्त बैंकों द्वारा एकत्र किए गए 26 प्रतिशत रक्त के हिसाब से लगाया गया है।

ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰

3335. **श्री उधव बर्मन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰) मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या क्या है और उसमें अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ अपने कर्मचारियों के चयन और भर्ती में संविधान के आरक्षण प्रावधानों का कड़ाई से पालन कर रही है;

(ग) ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ठेका/प्रतिनियुक्ति आधार पर तैनात किए गए कर्मचारियों तथा उनमें से खपाए गए/नियमित किए गए/स्थायी किए गए कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या कर्मचारियों को नियमित करते/खपाते समय आरक्षण के उपबंधों का पालन किया गया था;

(ङ) क्या ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ ने इस प्रकार खपाने/नियमित करने से पूर्व सरकार की पुर्वानुमति ले ली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में सभी श्रेणियों में संस्वीकृत नियमित पद 65 हैं। इस समय 18 पद भर लिए गए हैं जिनमें से 7 पद अनु॰ जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरे गए।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान, 81 लोगों का प्रतिनियुक्ति अनुबन्ध पर लिया गया है। इनमें से पांच व्यक्तियों का निम्नप्रकार विलयन किया गया है :—

1994	2
1995	1
1996	2

(घ) परिषद ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, आदि के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं होता।

वित्तीय सहायता

3336. **श्री टी॰ गोविन्दन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की टी॰डी॰ मेडिकल कालेज, अलापुज्ना में केन्द्र की सहायता से 10.05 करोड़ रुपये की लागत वाला

प्रतिबिंबशास्त्र और प्रयोगशाला सेवा संस्थान स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

औरतों का देह व्यापार

3337. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान "नवभारत टाइम्स" के दिल्ली प्रकाशन में 2 दिसम्बर, 1996 को *"फुटपाथ पर रहने वाली लड़कियां वेश्यावृत्ति की शिकार"* शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों से आज तक सरकार के ध्यान में ऐसी कितनी घटनाएं लायी गयी हैं;

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार वेश्याओं के कल्याणार्थ कोई योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने समाचार को नोट कर लिया है, जिसमें निराश्रित बच्चों के सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि निराश्रित लड़कियां परित्यक्त और उपेक्षित है और वेश्यावृत्ति की शिकार हैं।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत पूरे देश में दर्ज अपराधी की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :—

1994	–	7547
1995	–	6756
1996	–	5680

(घ) से (च) परित्यक्त बच्चों के कल्याण और विकास के लिये समेकित समुदाय आधारित गैर संस्थागत बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिय स्वैच्छिक संगठनों को समर्थन देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से सरकार ने 1993-94 में परित्यक्त बच्चों के कल्याणार्थ एक स्कीम चलाई। इस स्कीम के अन्तर्गत खतरनाक कार्यों में लगे बच्चों को वहां से हटाने और उनके शोषण को कम करने पर बल दिया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत बच्चों विशेषकर लड़कियों को अपने-अपने घरों में भेजने और औषधारिक प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिये उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। उनके शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने तथा उत्पादक कौशल प्रदान करने के लिये उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने के प्रयास किये जाते हैं।

वेश्याओं के कल्याण और पुनर्वास के लिये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम जैसी प्रशिक्षण, रोजगार और आयोत्पादक स्कीमों के अलावा ट्राइसेम और डुवाकरा स्कीमें भी स्रोत क्षेत्रों में चलायी जा रही है। वेश्यावृत्ति वाले कुछ क्षेत्रों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम भी शुरू की गयी है। सरकार ने वेश्यावृत्ति की शिकार लड़कियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिये किशोर अपराध न्याय अधिनियम के अन्तर्गत गृहों और अल्पावास गृहों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है।

सिक्किम में मृदा संरक्षण

3338. **श्री भीम प्रसाद दाहाल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम राज्य सरकार तथा गोरखा हिल कौंसिल ने केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए मृदा कटाव से संबंधित कोई योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम राज्य सरकार तथा दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिल से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए मिट्टी कटाव से संबंधित कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा संबंधी हार्डवेयर और उपकरणों की विदेशों से आपूर्ति

3339. **श्री मुखतार अनीस** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्त्ताओं ने देश में संपर्क कार्यालय स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन संपर्क कार्यालयों से व्यवहार करती है;

(ग) यदि हां, तो संपर्क अधिकारियों के नाम क्या हैं और सरकार को उनके किन प्रमुखों की जानकारी है;

(घ) क्या संपर्क अधिकारी बिचौलियों के रूप में काम करते हैं और प्राप्त किए गए ठेकों के संबंध में अपनी परिलब्धियों का एक प्रमुख भाग प्राप्त करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ङ) रक्षा हार्डवेयर तथा उपस्करों के प्रमुख विदेशी आपूर्तिकर्ता अपनी निगमित नीतियों के आधार पर भारत में सम्पर्क कार्यालय स्थापित करते हैं। प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने वाले विदेशी वाणिज्यिक संगठनों से संबंधित नीति भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा तय करके लागू की जाती है। जहां तक शस्त्रों एवं शस्त्र प्रणालियों की खरीद का संबंध है, सरकार की नीति उपस्करों के मूल निर्माताओं के साथ सीधे ही सौदा करने की है।

एम॰बी॰बी॰एस॰ डाक्टरों की आवश्यकता

3340. **श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने एम॰बी॰बी॰एस॰ डाक्टरों की आवश्यकता थी तथा इस समय विभिन्न राज्यों में कितने डाक्टर कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से कितने डाक्टर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपलब्धता और आवश्यकता के बीच की दूरी को पालने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु लिए जाने वाले प्रस्तावित कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, एलोपैथिक डाक्टरों में डाक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:2250 है और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यापैथी के अर्हता प्राप्त चिकित्सकों को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुपात 1:950 बनता है जो कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में सामान्य रूप से अच्छा माना जा सकता है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 30 जून, 1996 को 26930 डाक्टर कार्य कर रहे थे।

(ग) और (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की रिक्तियों को भरने के लिए डाक्टरों के बारे में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत भर्ती नीति बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में दो से तीन वर्षों की सेवा कर चुके चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर सीटों का कुछ प्रतिशत आरक्षित करने पर विचार करने की सलाह दी गई है।

बांधों का निर्माण

3341. **श्री ए॰सी॰ जोस : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में बांधों के निर्माण कार्य की निगरानी का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य प्रणाली अपनायी गयी है; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अधिकांश चल रही अनुमोदित बृहद तथा चुनिन्दा मझौली परियोजनाओं की मानटरी की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यक्रम तथा प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर परियोजनाओं का दौरा किया जाता है। कमियों तथा बाधाओं के सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। परियोजना स्थिति रिपोर्टें तैयार की जाती हैं जिनमें ऐसे मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया जाता है जिन पर राज्य सरकारों को विशेष ध्यान देना है तथा ये रिपोर्टें सभी संबंधितों को भेजी जाती हैं।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना

3342. **श्री राम नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1997 में निजी क्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना विषय पर राज्यों के मंत्रियों की कोई बैठक बुलाई गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए; और

(ग) उक्त बैठक में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों द्वारा मुख्यतः क्या विचार व्यक्त किये गये?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) तकनीकी तथा उच्च्य शिक्षा के लिए राज्य मंत्रियों की एक बैठक 11 फरवरी, 1997 को आयोजित की गई थी। निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं नियमन) विधेयक 1995, जो कि राज्य सभा में 25 अगस्त, 1995 को प्रस्तुत किया गया था, के साथ उक्त विधेयक पर मानव संसाधन विकास की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर इस बैठक में विचार किया गया। अधिकांश मंत्रियों का विचार था कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है।

2. इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिनांक 11 फरवरी, 1997 को आयोजित मंत्रियों की बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों की सूची

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम
1.	असम
2.	आंध्र प्रदेश
3.	अरुणाचल प्रदेश
4.	बिहार
5.	हरियाणा
6.	हिमाचल प्रदेश
7.	गोवा
8.	गुजरात
9.	कनार्टक
10.	केरल
11.	महाराष्ट्र
12.	मध्य प्रदेश
13.	मणिपुर
14.	मिजोरम
15.	नागालैण्ड
16.	उड़ीसा
17.	राजस्थान
18.	सिक्किम
19.	तमिलनाडु
20.	उत्तर प्रदेश
21.	पश्चिम बंगाल
संघ शासित प्रशासन	
1.	अंडमान एव निकोबार द्वीप समहू
2.	चंडीगढ़
3.	दिल्ली
4.	पाण्डिचेरी

खेल संबंधी नीति

3343. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवंबर, 1996 के "द टाईम्स ऑफ इंडिया" में "स्पोर्ट्स पोलिसी इज एड्रिफ्ट विद नो अकाउंटेबिलिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर॰) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त समाचार का आशय आमतौर पर देश में खेल-प्रबंधन में कथित रूप से व्याप्त अव्यवस्था से है।

(ग) सरकार खेल प्रबंधन में जिम्मेदारी और सभी खेल-विकास एजेंसियों के समन्विय दृष्टिकोण की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति को पुनः तैयार करने का पहले से ही एक प्रस्ताव है ताकि इस परिणाम-उन्मुख बनाया जा सके।

[हिन्दी]

जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला अनुदान

3344. श्री विजय गोयल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया;

(ख) जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को अन्य किन स्रोतों से धन प्राप्त हो रहा है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे स्रोतों से स्रोत-वार कितनी राशि प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

टेस्ट ट्यूब बेबी

3345. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1997 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" के नई दिल्ली संस्करण में "टेस्ट ट्यूब बेबी, नाउ 18, इज रेडी टू टॉक" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्गीय वैज्ञानिक-चिकित्सक द्वारा की गई खोज के आधार पर शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली के प्रचार प्रसार से देश में परिवार के नियोजन के क्षेत्र में प्रगति होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि इस मामले से नैतिक एवं कानूनी मुद्दे जुड़े हैं, इसलिए तकनीकी, वैज्ञानिक, विधिक और भौतिक सम्बन्धी मुद्दों सहित सम्बन्धित मुद्दों पर दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान वैज्ञानिक/चिकित्सक (जो अब जीवित नहीं हैं) की तुलना में यह उपलब्धियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं। फिर भी विशिष्ट कार्य योजना आवश्यक दिशानिर्देशों को अन्तिम रूप देने के बाद तैयार की जाएगी।

(घ) और (ङ) जी हां। सहायता प्राप्त प्रजननात्मक प्रौद्योगिकियों से परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहायता मिल सकती है क्योंकि इससे लोगों की परिवार नियोजन के प्रति सकारात्मक धारणा बनेगी और वे परिवार नियोजन सेवाएं प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे।

[हिन्दी]

विश्व बैंक सहायता

3346. श्री पवन दीवान :
श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :
श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश और गुजरात में कितने अस्पतालों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक की सहायता से इन राज्यों में नए अस्पताल/औषधालय स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है। स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सेवाओं के प्रदाय का उत्तरदायित्व प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र के प्रशासनों का है।

मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों से विश्व बैंक सहायता से अपने द्वितीयक स्तर के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। उनकी प्रक्रिया के अनुसार विश्व बैंक सहायता के लिए बातचीत और उसे अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में पिछली पद्धति के आधार पर 24 मास तक लगते हैं। तथापि इस समय ऐसे प्रस्तावों के अन्तिम परिणाम पर टिप्पणी करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में मलेरिया की घटनाएं

3347. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट और वेस्ट गोदावरी तथा कृष्णा जिलों में मलेरिया की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मलेरिया निवारण विभाग के अनुसार आंकड़ों से यह पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश के इन तीन जिलों में गत दो वर्षों के दौरान तीव्र वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन क्षेत्रों का दौरा करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के डाक्टरों के दल ने इस समस्या के संबंध में अपने निष्कर्ष अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो मलेरिया के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहायता हेतु क्या उपाय करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने किस सीमा तक राज्य की सहायता की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से मिली सूचनाओं के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान पूर्वी और पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में मलेरिया बढ़ रहा है। मलेरिया के रोगियों की प्रवृति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार को ऐसे किसी दौरे की जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च) केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 लागत की भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाता है। केन्द्र सरकार सामग्रियों के रूप में आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों को हर वर्ष सहायता प्रदान करती है जिसमें कीटनाशक, औषधें और लार्वानाशक इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को सामाग्रियों के रूप में प्रदत्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि 908.26 लाख रुपये बैठती है। सरकार विश्व बैंक की सहायता से उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के लिए अभी बातचीत कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश राज्य के मलेरिया स्थानिक मारी वाले जिलों को कवर किये जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष	मलेरिया रोगी	फाल्सीपेरम के रोगी	मौतें
पूर्वी गोदावरी			
1994	6883	6242	शून्य
1995	7042	6159	एक
1996	8991	7292	दो
पश्चिमी गोदावरी			
1994	262	185	शून्य
1995	288	207	शून्य
1996	384	287	शून्य
कृष्णा			
1994	11929	269	शून्य
1995	18963	1142	शून्य
1996	24489	2923	शून्य

कण्णानोर और कालीकट के बीच बाई-पास

3348. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कण्णानोर और कालीकट के बीच किसी बाई-पास का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य तेल्लीचेरी महे बाइपास का हवाला दे रहे हैं, जिसके लिए संरेखण को अनुमोदन दे दिया गया है। कार्य को दो चरणों में विभाजित किया गया है। चरण-I के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। निधियों के अभाव के कारण, चरण-II के लिए भूमि अधिग्रहण संस्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(ग) अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

प्राचीन स्मारकों पर कब्जा

3349. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में धार्मिक उद्देश्यों से बहुत सारे प्राचीन स्मारकों पर जबरन कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जबर्दस्ती कब्जा के इन मामलों में किसी की जवाबदेही सुनिश्चित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) विवरण में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार धार्मिक उद्देश्यों के लिए केन्द्र द्वारा संरक्षित कुछ स्मारकों पर कब्जा किया गया है।

(ग) और (घ) पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई है। स्मारकों पर अवैध कब्जे हटाए जाने के लिए विधि प्रवर्त्तन अभिकरणों की सहायता ली गई है।

विवरण

1.	सफदरजंग मकबरे पर मस्जिद	:	मस्जिद पर बलपूर्वक कब्जा किए जाने के उपरान्त अस्थायी अवधि के लिए जुम्मे नमाज अदा करने हेतु धार्मिक जनसभा का आयोजन किया जाता है।
2.	खेरूल मंजिल मस्जिद		प्रत्येक जुम्मे को दिन के दौरान नमाज अदा की जाती है, जब मस्जिद को जनसाधारण के लिए खोला जाता है।
3.	फिरोजशाह कोटला पर मस्जिद	:	फिरोजशाह कोटला पर स्थिति मस्जिद को रमजान माह के दौरान प्रत्येक रात्रि अस्थायी अवधि के लिए नमाज अदा करने हेतु बलपूर्वक कब्जा किया गया है। प्रत्येक (शुक्रवार) जुम्मे को नमाज भी अदा की जाती है।
4.	सराय शाहजी की मस्जिद		सराय शाहजी पर मस्जिद को धार्मिक विद्यालय चलाए जाने के लिए बलपूर्वक कब्जा किया गया है। प्रत्येक जुम्मे को नमाज अदा की जाती है जो रमजान के दौरान और सामान्यतः की जाती है।
5.	क्वादसिया मस्जिद		इस मस्जिद को एक स्वयंभू इमाम ने धार्मिक गतिविधियों के बहाने बलपूर्वक कब्जा किया हुआ है। इमाम स्मारक के भीतर आवास करता है।

6.	सुनहरी मस्जिद	:	प्रत्येक दिन नमाज अदा की जाती है। इमाम स्मारक के भीतर स्थायी रूप से आवास करता है।
7.	नीली मस्जिद	:	जब इसे आगन्तुकों के लिए खोला जाता है, दिन के दौरान केवल जुम्मे (शुक्रवार) के दिन नमाज अदा की जाती है।
8.	अफसरवाला स्थित मस्जिद, हमायूं का मकबरा	:	-वही-
9.	पुराना किला		एक मंदिर द्वारा कुछ क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बेदखली मुकद्दमा दर्ज किया है और मामला न्यायाधीन है।
10.	तुर्कमान गेट के समीप रजिया सुल्तान का मकबरा	:	धार्मिक गतिविधियों के लिए एक मौलवी द्वारा कब्जा किया गया है।
11.	गण्ढक की बावली कब्र	:	धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक मौलवी द्वारा अतिक्रमण।

भारत और कनाडा के बीच समझौता

3350. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और कनाडा के बीच उग्रवाद का मुकाबला करने हेतु कार्यदल गठित करने और विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार तथा द्विपक्षीय सहयोग में विविधीकरण के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) कनाडा के विदेश मंत्री लायड एक्सवर्दी की जनवरी, 1997 में हुई भारत यात्रा के दौरान दोनों सरकारों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग में तेजी लाने पर सहमति हुई थी। इस प्रयोजनार्थ आतंकवाद से सम्बद्ध एक कार्यकारी दल स्थापित करने का निर्णय हुआ था।

इस बात पर भी सहमति हुई थी कि भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तथा आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी सहयोग और परामर्श तेज करने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति गठित की जाए।

इन दोनों निकायों की पहली बैठक इस वर्ष के दौरान आयोजित किए जाने की संभावना है।

ग्रामीण खेलकूद स्टेडियम का विकास

3351. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण खेलकूद स्टेडियम का विकास करने की योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान केवल राज्य के लिए कितनी योजनाएं अनुमोदित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर॰) : (क) और (ख) खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत देश में स्टेडियमों के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य के लिए पांच स्टेडियम अनुमोदित किए गए थे।

तथापि, ग्रामीण स्टेडियमों के विकास के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।

हज यात्री

3352. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सभी यात्री विमान से यात्रा करते हैं या कुछ यात्री अभी भी जलयान से यात्रा करते हैं;

(ग) अगले वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) विमान और समुद्र यात्रा पर औसत खर्च का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हज यात्रा का सारा खर्च यात्री वहन करते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) केन्द्रीय हज समिति द्वारा किए गए हज प्रबंधों के अन्तर्गत वर्ष 1994 में 25,685, वर्ष 1995 में 30,505, और वर्ष 1996 में 50,346, हाजियों ने हज यात्रा की।

(ख) भारत से हज यात्रा पर जाने वाले सभी हाजी अब वायुयान से यात्रा करते हैं।

(ग) केन्द्रीय हज समिति के तत्वावधान में अगली हज यात्रा के लिए जिन हज यात्रियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं उनका राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

1.	आंध्र प्रदेश	1728
2.	अण्डमान और निकोबार	22
3.	असम	512
4.	बिहार	924
5.	चण्डीगढ़	3
6.	दादरा और नागर हवेली	6
7.	दमन और द्वीव	15
8.	दिल्ली	1746
9.	गोवा	15
10.	गुजरात	5280
11.	हरियाणा	957
12.	हिमाचल प्रदेश	7
13.	जम्मू और कश्मीर	2849
14.	कर्नाटक	3002
15.	केरल	4049
16.	लक्षद्वीप	89
17.	मध्य प्रदेश	3198
18.	महाराष्ट्र	8023
19.	मणिपुर	168
20.	उड़ीसा	91
21.	पांडिचेरी	35
22.	पंजाब	142
23.	राजस्थान	3447
24.	तमिलनाडु	2124
25.	त्रिपुरा	19
26.	उत्तर प्रदेश	3936
27.	पश्चिम बंगाल	1438

(घ) से (च) हज यात्रा पर होने वाले व्यय का एक भाग सरकारी सहायता द्वारा किया जाता है। पिछली हज यात्रा के दौरान सरकारी सहायता राशि निकालने के पश्चात् हवाई हजाज से यात्रा का औसत व्यय 12000/- रुपये आया था। भारत से समुद्री जहाज द्वारा हज यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः समुद्री जहाज से यात्रा का औसत व्यय उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के नलकूप

3353. **श्री सौम्य रंजन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने पूर्वी क्षेत्र में नलकूप लगाने के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भू जल बोर्ड ने पूर्वी राज्यों में भूजल के अन्वेषण और विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, इन राज्यों में 16,125 उथले नलकूपों और 1100 मध्यम नलकूलों का निर्माण 136.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर करने का प्रस्ताव है, जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और हिताधिकारियों द्वारा 60:30:10 के अनुपात में बॉटी जानी है। इस स्कीम पर अभी भी परामर्श हो रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

3354. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह बताया है कि आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तावित लगभग सभी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय मंजूरी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई सूचना न भेजे जाने के कारण रोक दी गई थी और इसमें केन्द्र सरकार की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र को भेजी गई सभी परियोजनाएं राज्य सरकार को आगे मंजूरी देने हेतु वापस भेज दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के बारे में जानकारी देर से देने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कारण बताए गए हैं;

(घ) राज्य सरकार के पास तथा केन्द्र सरकार के पास इस समय कुल कितनी परियोजनाएं लंबित हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश की लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे देगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) तकनीकी सलाहकार समिति ने 19 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं को स्वीकार करने योग्य पाया लेकिन इनके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। केन्द्रीय

जल आयोग की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए और साथ ही अन्तरराज्यीय मामलों को समाधान के लिए ।। परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें राज्य सरकार को वापस कर दी गई हैं। केन्द्रीय जल आयोग 2 परियोजनाओं की जांच कर रहा है।

परियोजनाओं को स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षणों को पूरा करती है और इसमें शामिल यदि कोई अन्तर-राज्यीय मामले हों, तो उनका समाधान करने के साथ-साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से कितनी जल्दी स्वीकृति लेती है।

मजौली द्वीप

3355. **डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी :**
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में मजौली द्वीप का कितना भाग दस वर्ष पहले ब्रहमपुत्र नदी में बह गया था;

(ख) इस समय द्वीप का क्षेत्रफल क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता था और धीरे-धीरे नदी द्वारा भूमि कटाव से इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या नौवीं योजना के दौरान इस द्वीप के संरक्षण हेतु कोई विशेष योजना बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 1971 की जनगणना के अनुसार मजुली द्वीप का भौगोलिक क्षेत्र 924.60 किमी॰ था। 1993 के दौरान इस द्वीप का आकार 879.23 वर्ग किमी॰ था जो कि उपग्रह कल्पना के अध्ययन पर आधारित था।

(ग) जी हां।

(घ) ब्रहमपुत्र बोर्ड ने हाल ही में मजुली द्वीप के बाद और कटाव प्रबंधन की मास्टर योजना तैयार करने के लिए कार्य शुरू कर दिए हैं। इन कार्यों में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण, वास्तविक माडल तैयार करने पर विचार किया गया है और इस प्रकार से प्राप्त परिणामों का उपयोग बाढ़ और कटाव के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए किया जाएगा।

असम सरकार ने मजुली द्वीप में उपयुक्त स्थलों पर तटबंधों/रिटायरमेंट्स गाद हटाने के साधन तैयार करने का प्रस्ताव किया है। राज्य वन विभाग ने 1996-97 के दौरान मजुली द्वीप के पारस्थितिक स्थिरीकरण तथा संरक्षण पर संक्षेप में परियोजना तैयार की है। इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) मजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए नौवीं योजना के दौरान निम्नलिखित योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है : तीन फेजों में ब्रहमपुत्र नदी के कटाव से ब्रहमपुत्र बांध की सुरक्षा के लिए 4 किमी॰ पर भू-स्परों का निर्माण।

आरम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र

3356. **श्री जयन्त भट्टाचार्य :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 6 से 9 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिये राज्यों के विभिन्न प्रखण्डों में स्थित आरम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति सम्बन्धी निर्णय क्या हैं; और

(ग) आरम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों का भविष्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) चूंकि 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा इस विभाग के समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का एक घटक है, इसलिए पुनरावृत्ति से बचने के लिये प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम को धीरे-धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जहां कहीं भी प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्रों को बन्द किया जायेगा, वहां उनकी सेवाओं का इस्तेमाल अन्य मौजूदा कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं

3357. **डा॰ राम विलास वेदान्ती :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भू-क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से में किसी प्रकार की कोई सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए प्रकाशित भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 20.84 मिलियन हेक्टेयर में से 11.56 मिलियन हेक्टेयर निवल क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य नहर तथा राजघाट एवं दो मझौली सिंचाई परियोजनाएं अर्थात् उत्तर प्रदेश के हिंडन डोह में गुण्टा नामा बांध तथा खरीफ चैनल सहित 4 वृहद सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् सारदा सहायक, सरजू नहर, अपर गंगा के लिए 67.00 करोड़ रुपए की केंद्रीय ऋण सहायता निर्धारित की गई है।

घाटमपुर क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में नहरों से गाद का निकर्षण

3358. **श्रीमती कमल रानी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहरों से गाद के निकर्षण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) घाटमपुर क्षेत्र में नहरों से गाद निकर्षण हेतु आबंटित धनराशि क्या है;

(ग) क्या सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से नहरों से गाद निकर्षण हेतु फर्जी भुगतान किये जा रहे हैं;

(घ) क्या इस संबंध में किसी एजेन्सी द्वारा कोई जांच करायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कतिपय खेलों को बन्द किया जाना

3359. **चौधरी रामचन्द्र बेंदा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और फेंसिंग खेलों को अपनी सभी योजनाओं से हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने छात्रों के माता-पिता को शिक्षा, भोजन/ठहरने इत्यादि खर्चों इससे पूर्व जिनका उन्हें भुगतान किया जाता था, को वहन करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर॰) : (क) प्राथमिकता प्राप्त खेल विधाओं पर अधिक जोर देने की दृष्टि से, जिमनास्टिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और फेंसिंग जैसे गैर प्राथमिकता प्राप्त खेलों को भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं से हटाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशकों को खेल विधाओं को हटाने के संदर्भ में अपनी सिफारिशें उच्च शक्ति प्राप्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण के ध्यान में यह बात आयी है कि क्षेत्रीय निदेशकों में से किसी एक निदेशक ने अपने स्तर पर ही अनुदेश जारी किये हैं जिनमें बच्चों के माता-पिता से योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा, भोजन/ठहरने आदि के खर्च को वहन करने के लिए कहा गया है। इन अनुदेशों को वापस लिया जा रहा है।

अफगानिस्तान समस्या

3360. **श्री दिलीप संघानी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अफगानिस्तान के आन्तरिक मामले में पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के बढ़ते हस्तक्षेप की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सोचती है कि अफगानिस्तान को अस्थिर करने की पाकिस्तान की नीति दक्षिण एशिया में सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी स्थिति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, और क्या सरकार ने इस संबंध में रूस, ईरान और अन्य देशों से कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी, हां। अफगानिस्तान में विदेशी दखलंदाजी दक्षिण एशिया सहित इस क्षेत्र की शान्ति और स्थायित्व के लिए उपयोगी नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार अफगानिस्तान में घट रही घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और इस मसले पर, रूस और ईरान सहित संबंधित देशों से विचार विनिमय किया हैं। भारत ने अक्तूबर, 1996 के दौरान ईरान द्वारा अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार करने के लिए आयोजित तेहरान सम्मेलन में भी भाग लिया और नवम्बर, 1996 में न्यूयार्क और जनवरी, 1997 के दौरान अशगाबात में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित बैठकों में भी भाग लिया है। इन बैठकों के दौरान हमने अफगानिस्तान की एकता, स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता

के प्रति अपने समर्थन को दोहराया है। अफगानी पक्षों के बीच शान्तिपूर्ण वार्ताओं की मांग की है और इस संघर्ष के समाधान के लिए विदेशी हस्तक्षेप की समाप्ति की आवश्यकता पर बल दिया है।

[हिन्दी]

हेलान परियोजना का सर्वेक्षण

3361. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या जल संसाधन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मांटला जिले में हेलान परियोजना (नर्मदा कछाड़) के लिए सर्वेक्षण 1996 में शुरू कराया गया था;

(ख) क्या इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त परियोजना का कार्य कब से आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) केन्द्र में, राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के संबंध में कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र जलमार्ग

3362. **डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) उत्तरपूर्वी राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने उत्तरपूर्वी क्षेत्र में परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें ब्रह्मपुत्र का जलमार्ग के रूप में विकास करने के लिए टर्मिनल, रात्रि नौचालन सुविधाओं की स्थापना और नौचालन मार्ग का रख-रखाव शामिल है।

(ग) ब्रह्मपुत्र नदी के धुबरी से सदिया तक 891 कि॰मी॰ खंड को सितम्बर, 1988 में रा॰ज॰-2 घोषित किया गया था। नौचालन मार्ग के विकास और रख-रखाव के लिए प्रत्येक वर्ष के आधार पर बंडालिंग, चैनल मार्किंग जैसे संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। धुबरी और पांडु में फ्लोटिंग टर्मिनल मौजूद हैं। धुबरी, जोगीघोपा, तेजपुर, नियामति और डिब्रूगढ़ में अतिरिक्त फ्लोटिंग टर्मिनलों के प्रावधान के लिए 60.20 लाख रु॰ लागत की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। धुगरी और पाडु के बीच रात्रि नौचालन सुविधाएं प्रदान करने की एक स्कीम पर भी कार्यवाही की जा रही है। चालू वर्ष के दौरान धुबरी से डिब्रूगढ़ तक 2 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई के नौचालन मार्ग का रखा-रखाव किया जा रहा है। वर्ष 1997-98 के दौरान शेखोवा तक नदी संरक्षण कार्यों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धुबरी, जोगीघोपा, पांडु, तेजपुर, नियामति जैसे विभिन्न स्थानों पर यांत्रिक लदान/उतराई की सुविधायुक्त अतिरिक्त स्थायी टर्मिनलों का निर्माण शुरू करने और धुबरी से डिब्रूगढ़ तक के खंड के लिए रात्रि नौचालन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

3363. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1981 मे "अजय हॅसिया" के मामले में सरकार को यह निर्देश दिया था कि सीधी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए निर्धारित अंकों में एक अनुपात रखें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षा अधिकारियों की सीधी नियुक्ति में उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में उल्लंघन किए जाने का क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सीधी भर्ती द्वारा शिक्षा अधिकारियों के पद भरने के लिए, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर चयन किया जाता है अभ्यर्थियों की छंटनी लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती है। तथा साक्षात्कार की संयोजित योग्यता के आधार पर अन्तिम सूची तैयार की जाती है।

विवरण

"अजय हॅसिया" इत्यादि बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी और अन्यों इत्यादि के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि क्या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी संस्था को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत प्राधिकार है कि वे किसी कालेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए

यथाअनुज्ञेय मौखिक परीक्षा को वैधता प्रदान करें और क्या मौखिक साक्षात्कार के लिए $33^1/_3$ प्रतिशत अंकों का आवंटन मनमाना और अनुचित है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह फैसला किया कि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर को संविधान के अनुच्छेद-12 के अर्थ के अन्तर्गत एक प्राधिकार है कि मौखिक साक्षात्कार पर एकमात्र परीक्षा के रूप में विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि इसे एक अतिरिक्त अथवा अनुपूरक परीक्षा के रूप में लिया जाए और इसके अतिरिक्त इस पर ध्यान दने में अत्यधिक सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिए कि मौखिक साक्षात्कार परीक्षा लेने के लिए नियुक्त व्यक्ति ऊंची निष्ठा वाली बौद्धिक क्षमता प्राप्त तथा अर्हताप्राप्त है।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी राय व्यक्त की कि उनके विचार से यदि मौखिक साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक कुल अंकों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होते तथा अभ्यर्थियों का उचित साक्षात्कार लिया जाता है और सुसंगत प्रश्न विचारार्थ अपेक्षित तथ्यों के संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से पूछे जाते हैं तो मौखिक साक्षात्कार परीक्षा औचित्य तथा गैर-मनमाने पन के मानदण्ड को पूरा करेगी।

[अनुवाद]

संस्कृत भाषा में शिक्षा

3364. श्री आर॰वी॰ राई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संस्कृत भाषा में शिक्षा देने का प्रचार करने के लिए कुछ उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने संस्कृत भाषा के विकास के लिए विभिन्न योजनायें/कार्यक्रम निर्धारित किये हैं। इनमें स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थानों, संस्कृत साहित्य का प्रकाशन, अभावग्रस्त परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले प्रख्यात संस्कृत विद्वानों, संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण, संस्कृत सेमिनारों/सम्मेलनों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, दो सम विश्वविद्यालयों तथा संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय योजनागत स्कीम के माध्यम से इन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

3365. श्री ऑस्कर फर्नान्डीज़ :

श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष कितने राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट "बी" तथा "सी" सर्टिफिकेट लेकर पास होते हैं;

(ख) क्या "बी" तथा "सी" सर्टिफिकेट पाने वाले कैडेटों के लिए रक्षा सेवाओं में रोजगार हेतु रिक्तियां आरक्षित होती हैं;

(ग) यदि हां, तो रक्षा सेवाओं में उनके लिए कितनी प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) प्रति वर्ष औसतन 50,000 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को "ख" प्रमाणपत्र और 13,500 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को "ग" प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ख" और "ग" प्रमाणपत्र धारक कैडेटों के लिए रिक्त पदों का कुछ प्रतिशत रक्षा बलों के अफसर संवर्ग में भर्ती के लिए आरक्षित है और रक्षा बलों के अन्य रैंकों में भर्ती के लिए उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। इससे संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

संगठन का नाम	अफसर संवर्ग में भर्ती में रियायत	रैंकों को भर्ती में रियायत	टिप्पणी
1	2	3	4
1. सेना	(क) "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 32 रिक्तियां।		बशर्ते कि वे संघ लोक सेवा आयोग और सेना चयन बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाए जाएं।

1	2	3	4
	(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में एस एस सी (गैर-तकनीकी) के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा से छूट दी जाती है।		
		(क) सैनिक (जीडी) श्रेणी और सैनिक तकनीकी/क्लर्क/एस के टी/परिचर्या सहायक के रूप में भर्ती के लिए शारीरिक मानदंडों और लिखित परीक्षा में "ख" और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को 8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत लाभ दिया जाता है।	
2. नौसना	नौसना शाखा के राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए नौसैना में कमीशन दिए जाने के लिए प्रति पाठ्यक्रम में 6 रिक्तियां आरक्षित हैं।		सेना चयन बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने से छूट दी जाती है।
		(क) "ख" और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को सेलर के रूप में सीधी भर्ती के लिए 4 और 6 अंकों का लाभ दिया जाता है।	
		(ख) "ख और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को आर्टिफिशर/और अप्रेंटिसों के रूप में भर्ती के लिए 10 और 15 अंकों का लाभ दिया जाता है।	
3. वायुसेना	(क) पायलटों की सीधी भर्ती के मामले में राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं।		संघ लोक सेवा आयोग की प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाती है।
	(ख) वायुसेना की प्रत्येक अन्य शाखाओं में राष्ट्रीय कैडेट के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं।		-वही-
		वायुसैनिक के रूप में चयन के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर से "ख" और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को 4 और 5 अंकों का लाभ दिया जाता है।	

1	2	3	4
4. राष्ट्रीय कैडेट कोर	(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर की पूर्णकालिक महिला अफसरों की 20 प्रतिशत रिक्तियां राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित हैं। (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर की पूर्णकालिक महिला अफसरों और सिविलियन ग्लाइडिंग अनुदेशक के रूप में भर्ती के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का "ग" प्रमाण-पत्र होना वांछनीय अर्हता है।		बालिका कैडेट अनुदेशकों (सार्जेंट मेजर अनुदेशक) की सभी रिक्तियां राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित हैं।
5. सैन्य परिचर्या सेवा	बी॰एस॰सी॰ (परिचर्या) पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारक के लिए। सीट आरक्षित है।	परिवीक्षाधीन परिचारिका पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाणपत्र धारकों के वास्ते 24 सीट आरक्षित हैं।	

स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं

3366. श्रीमती मीरा कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में केन्द्र द्वारा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रायोजित स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बालिका/महिला उच्च विद्यालय और महाविद्यालय

3367. डा॰ अमृत लाल भारती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर इलाहाबाद में चैल संसदीय चुनाव क्षेत्र में कोई बालिका/महिला उच्च विद्यालय/महाविद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस चुनाव क्षेत्र में महिलाओं के शैक्षणिक विकास हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम में गैर सरकारी संगठन

3368. श्री केशब महन्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कार्यरत उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा सहायता राशि प्राप्त होती है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इनके द्वारा जनसामान्य को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाल विवाह

3369. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल विवाह प्रथा देश में अभी भी प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार इस प्रथा को दूर करने हेतु कोई विशेष उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (ग) बाल विवाह की प्रथा देश के कुछ भागों में विद्यमान है। भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1978 पारित किया है जिसके अन्तर्गत लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। इस अधिनियम को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

सरकार राष्ट्रीय बालिका कार्ययोजना कार्यान्वित कर रही है, जिसमें बालिका का उत्तरजीविता, सुरक्षा और विकास पर बल दिया गया है। सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक और मुद्रित प्रचार माध्यमों के जरिये देश में बाल विवाह के खिलाफ प्रचार कार्यक्रम तेज कर दिये हैं। छोटी आयु में विवाह और उसके परिणामस्वरूप शीघ्र गर्भधारण करने के कारण बालिका के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में जागृति विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामाजिक जागृति पैदा की जा रही है। ये कार्यक्रम स्वैच्छिक अभिकरणों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे बालिका के दर्जे में सुधार करने के लिये विशिष्ट स्कीम तैयार करने पर विचार करें, जिसका एक उद्देश्य यह देखना है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु सीमा से पहले बालिका का विवाह न हो।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निधियों का उपयोग न कर पाना

3370. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आवंटित राशि का उपयोग न किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा शैक्षिक विकास कार्यक्रम के लिए उपयोग की गयी राशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को प्रदान की गई निधियों का उपयोग शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है ताकि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए शैक्षिक विकास कार्यक्रमों में शामिल है :—

1. पाठ्यचर्या विकास जिससे पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, शिक्षक दिग्दर्शिकाओं, पूरक सामग्री आदि का निर्माण होता है।
2. सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन दोनों ही स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा।
4. शैक्षिक सर्वेक्षण करवाना।
5. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रमों की सहायता करना।
6. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदानों में से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रु॰ लाख में)

1993-94	-	2568.67
1994-95	-	2744.28
1995-96	-	2473.04

जीन की खोज

3371. **श्री मंगल राम प्रेमी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1997 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "साईंटिस्ट्स फाइन्ड जीन दैट माइट हेल्थ पिपुल लूज वेट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) स्थूलता जीन का पता तीन वर्ष पूर्व लग गया था और इस पहलू पर कई अध्ययन किए गए हैं। समाचार में ऐसे एक अध्ययन

तथा थर्मोजेनेसिस के द्वारा स्थूलता नियंत्रण की संभावना का उल्लेख किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने स्थूलता और संबंधित रोगों के अध्ययन के लिए म्यूटेंट रैट मॉडल का विकास किया गया है। इस माडल से प्रस्तावित परिकल्पना की क्षमता का अध्ययन किया जाएगा।

[हिन्दी]

महाविद्यालयों को अनुदान

3372. **श्री जय सिंह चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न राज्यों के विद्यालयों को अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार तथा विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात के विद्यालयों को अनुदान देने का प्रावधान या प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्यालय-वार तथा मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंचेश्वर बांध परियोजना

3373. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने पंचेश्वर बांध परियोजना पर कार्य शुरू करने के संबंध में अपनी सहमति दे दी है;

(ख) क्या उक्त परियोजना पर कार्य आरंभ होने में अब भी कोई बाधा है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कब तक निर्माण कार्य आरंभ होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) महामहिम नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच हुई सन्धि के अनुसार, पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार किया जाना है।

(ख) विस्तृत संयुक्त परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर विचार-विमर्श किए जा रहे हैं।

(ग) विस्तृत संयुक्त परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही परियोजना का निर्माण शुरू किए जाने का सम्भावित समय पता चलेगा।

[अनुवाद]

टाइफाइड

3374. **श्री विजय पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टाइफाइड से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अभी भी काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने टाइफाइड पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंत्र ज्वर के कारण हुई मौतों की राज्य/संघ क्षेत्रवार संख्या (अनन्तिम) को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार के वर्तमान प्रयास निम्नलिखित पर संकेन्द्रित हैं :—

(1) संख्य शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सफाई, दोनों का सुधार;

(2) सामान्य जनता को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित पर सूचना शिक्षा एवं संचार योजना;

क. घर में जल का शुद्धिकरण :

ख. वैयक्तिक स्वच्छता में सुधार करना और उसका उच्च स्तर बनाये रखना।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आंत्र ज्वर के कारण हुई मौतों की राज्य/संघ क्षेत्रवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण (अनन्तिम)

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	मौतों की संख्या		
	1994	1995	1996
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	32	51	33
अरुणाचल प्रदेश	0	23	2
असम	–	–	–

1	2	3	4
बिहार	–	–	–
गोवा	0	0	0
गुजरात	20	11	6
हरियाणा	11	1	3
हिमाचल प्रदेश	4	3	2
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0
कर्नाटक	20	14	12
केरल	8	2	2
मध्य प्रदेश	38	53	150
महाराष्ट्र	57	42	8
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	0
मिजोरम	0	2	0
नागालैंड	1	7	0
उड़ीसा	37	21	18
पंजाब	0	4	0
राजस्थान	29	11	4
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	14	5	9
त्रिपुरा	4	0	0
उत्तर प्रदेश	27	–	67
पश्चिम बंगाल	46	0	0
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	1	0
चंडीगढ़	–	–	–
दादरा एवं नागर हवेली	0	1	6
दमन एवं दीव	0	2	0
दिल्ली	20	30	4
लक्ष्यद्वीव	0	0	0
पांडिचेरी	0	4	1
योग	372	288	327

(– सूचना अप्राप्त)

फ्लोराइड विषाक्तता का प्रभाव

3375. श्री येल्लैया नंदी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लोराइड विषाक्तता से प्रभावित राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) उन राज्यों विशेष तौर पर आन्ध्र प्रदेश में इससे प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण देश में विशेष तौर पर आन्ध्र प्रदेश में फ्लोराइड विषाक्तता से प्रभावित क्षेत्रों में जनता तथा मवेशियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) निम्नलिखित राज्यों में फ्लुरोसिस स्थानिक मारी के रूप में है :—

1. आंध्र प्रदेश
2. राजस्थान
3. गुजरात
4. कर्नाटक
5. तमिलनाडु
6. महाराष्ट्र
7. मध्य प्रदेश
8. उत्तर प्रदेश
9. हरियाणा
10. पंजाब
11. बिहार
12. उड़ीसा
13. केरल
14. जम्मू व कश्मीर
15. दिल्ली

(ख) राजीव गांधी राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश के सभी जिले प्रभावित हैं।

(ग) फ्लुरोसिस के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. सूचना, शिक्षा व संचार कार्यकलापों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना;
2. जानपदिक रोग विज्ञानीय सर्वेक्षण करना;
3. प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्रोतों के पीने के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करना;
4. समुदाय को पीने का साफ पानी प्रदान करना;
5. फ्लोराइड प्रदूषित जल का उपचार करने के लिए फ्लोराइडहीन करने वाले संयंत्र बनाना।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी परियोजनाओं के लिये गैर-सरकारी वित्त पोषण

3376. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गैर-सरकारी वित्त पोषण द्वारा शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी कुछ परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी वित्त पोषण के लिये कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं; और

(घ) शेष परियोजनाएं कब तक अनुमोदित कर दिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। ऐसी परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) संघ सरकार द्वारा अभी तक थाणे-भिवंडी बाइपास के निर्माण सं संबंधित एक परियोजना को अनुमोदन दिया गया है। अन्य परियोजनाएं जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं और उनके अंतिम रूप से अनुमोदित/स्वीकृत किए जाने के लिए कोई निर्धारित समयावधि बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

क्र॰सं॰	कार्य का नाम
1	2
1.	संपर्क मार्गों एवं लूपों सहित 0/115 से 23/509 कि॰मी॰ तक **थाणे-भिवंडी** बाइपास का सुधार एवं अनुरक्षण।
2.	रा॰रा॰ 4 पर **पनवेल पाइपास** का निर्माण।
3.	रा॰रा॰ 4 ख को चार लेन का बताना।
4.	**खारपाडा गांव** के समीप पातालगंगा नदी पर पी एम पी सड़क के 26/4 कि॰मी॰ में बड़े पुल का निर्माण।
5.	भंडारा के समीप रा॰रा॰ 6 के रायपुर-नागपुर खंड पर संपर्क मार्गों सहित **वेनगंगा** पर 39/1 मील (491/0 कि॰मी॰) में बड़े पुल का निर्माण।
6.	**नरधांना** में 228/0 कि॰मी॰ में पुलोपरि सड़क और धुले जिले में रा॰रा॰ 3 पर इसके संपर्क मार्गों के निर्माण सहित दबहाषी में तापी पुल से मुम्बई-आगरा सड़क रा॰रा॰ 3 के 233/0 कि॰मी॰ में मौजूदा दो-लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना।
7.	जलगांव जिले में रा॰रा॰ 6 पर 400/200 कि॰मी॰ से 428/00 तक सुदृढ़ीकरण सहित फेकारी गांव के समीप 399/0 कि॰मी॰ और नशीराबाद गांव के समीप 418/800 कि॰मी॰ में संपर्क मार्गों के साथ पुलोपरि सड़क का निर्माण।
8.	पनवेल-महाद-पंजिम सड़क, रा॰रा॰ 17, खंड III-**बांदा से पत्रादेवी** (18/758 कि॰मी॰ से 21/508 = 2.75 कि॰मी॰) के जराप से पत्रादेवी तक मिसिंग लिंक का निर्माण।
9.	मुम्बई-पुणे सड़क पर वड़गांव से लोनवाला 34/0 कि॰मी॰ से 61/600 के बीच सड़क और 61/600 कि॰मी॰ से 67/785 के बीच लोनवाला-खंडाला बाइपास को चार लेन का बनाना।
10.	जलगांव जिले में **पल्धी बाइपास** का निर्माण और 442/0 से 465/0 कि॰मी॰ में रा॰रा॰ 6 पर मौजूदा दो लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना।
11.	वारजे जंक्शन में 27/160 कि॰मी॰ से 27/680 में रा॰रा॰ 4 पर पुणे शहर के बाहर **पश्चिमी मोड़** पर आर सी सी फ्लाईओवर पुल का निर्माण।
12.	अमरावती जिले में **पिंगलई** नदी पर बड़े पुल का निर्माण और रा॰रा॰ 6 पर संपर्क मार्गों का निर्माण।
13.	नागपुर-हैदराबाद सड़क रा॰रा॰ 7 को 10/860 कि॰मी॰ से 30/0 तक (नागपुर-बुटीबोरी खंड) चार लेन का बनाना।

[हिन्दी]

मजदूरों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण

3377. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के आधार पर कारखानों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार को कोई विशिष्ट सलाह नहीं दी है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कामगारों के स्वास्थ्य की निगरानी रखने वाले ऐसे सर्वेक्षण और अध्ययनों को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद द्वारा जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन है, कपास, सीमेंट, कीटनाशकों जैसे विभिन्न उद्योगों में लगे कामगारों के स्वास्थ्य पर नियमित सर्वेक्षण किए जाते रहे हैं। कभी-कभार राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान विभिन्न अन्य परियोजनाओं पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भी सहयोग करता है। जब भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को स्वास्थ्य संबंधी किसी विशेष खतरे का पता चलता है, यह संबंधित प्राधिकारियों को समुचित उपचारी उपाय करने के लिए सतर्क करता है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नकली दवाओं का रैकेट

3378. श्री रामसागर :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री प्रमोद महाजन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1997 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में "स्पूरियस ड्रग्स रैकेट इन यू॰पी॰ एंड एम॰पी॰" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित मामले संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार पत्र की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाले फार्मास्यिुटीकल एककों द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बहुत से अस्पतालों को तीसरे पक्ष के माध्यम से आपूर्ति की गई औषधें घटिया और नकली भी पाई गई हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि कुछ बेईमान व्यापारियों का एक जाल है जो राज्य सरकार और कम्पनी के अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं और सेन्ट्रल पियस द्वारा विपणन की जाने वाली औषधों के लेबल से औषधियों की आपूर्ति करते हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों से तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं जिनके आधार पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

[हिन्दी]

भूमिगत जल

3379. श्री डी॰पी॰ यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमिगत जल का अनुमान लगाने की कार्य पद्धति की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूमि में कृत्रिम रूप से पानी पहुंचाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस पर अनुमानित लागत कितनी आई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययनों पर केन्द्रीय सेक्टर स्कीम लागू कर रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों की भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी तैयार की है। यह स्कीम परामर्शी-चरण पर है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम

3380. श्री तारीक अनवर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य अप-मिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) उपभोक्ता को स्वच्छ और सम्पूर्ण खाद्य उपलब्ध कराने के प्रयास में खाद्य अप-मिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों तथा उसके नियमों में संशोधन करना एक सतत् प्रक्रिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बने एक कार्य-दल ने इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर खाद्य, मानकों की केन्द्रीय समिति, जिसके राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ, सदस्य होते हैं, के विचार जानकर उनकी जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

बिछियन और बिहार नदियों पर बांध निर्माण

3381. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवा नगर में बिछियन और बिहार नदियों पर बांध निर्माण कार्य के विरूद्ध आंदोलन चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बांध के निर्माण के संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार रिवा नगर की बिछियन और बिहार नदी पर बांध के निर्माण के विरोध में इस समय कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

3382. श्री कचरू भाऊ राउत :

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन समिति को महाराष्ट्र में तीन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सिफारिश करने के लिए कहा गया है;

(ख) क्या इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 1996 में कोई प्रस्ताव भी भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) 853 कि०मी० लम्बी तीन सड़कों की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव दिसम्बर, 1996 में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने भी इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सिफारिश की थी।

(घ) निधियों के अभाव के कारण इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

जल संसाधन विभाग, कानपुर (उ०प्र०) के कामगार

3383. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधन विभाग, कानपुर (उ०प्र०) के दिहाड़ी पर काम करने वाले कामगार नियमित किए जाने, मंहगाई भत्ता, आकस्मिक/चिकित्सीय अवकाश और अन्य सुविधाओं के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सुविधाएं/परिलब्धियां उन्हें प्रदान नहीं की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) राज्य सरकार के सिंचाई विभाग कानपुर (उ०प्र०) में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने, मंहगाई भत्ता, आकस्मिक/चिकित्सा छुट्टी तथा अन्य सुविधाएं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान की जाती हैं।

पाकिस्तानी जेलों में बंद कैदी

3384. श्री ओमपाल सिंह "निडर" :

श्री सोहन वीर :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 दिसम्बर, 1996 के "जनसत्ता" में "पाक जेलों में अभी सड़ रहे हैं 71 युद्ध के 54 सिपाही" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने युद्ध-सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के लिए कोई कल्याण योजनाएं शुरू की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार यह समझा जाता है कि इस समय 54 लापता रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की हिरासत में हैं। लापता कार्मिकों को मारे गए मान लिया जाता है और उनके परिवारों को उदारीकृत पेंशन संबंधी लाभ दिए जाते हैं जिनमें उदारीकृत परिवार पेंशन, परिवार उपदान, संतान भत्ता और बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता शामिल है।

पान मसाला निर्माताओं द्वारा "जड़ी-बूटी युक्त" शब्द का प्रयोग किया जाना

3385. श्रीमती केतकी देवी सिंह :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री पंकज चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पान मसाला के निर्माताओं ने बिक्री बढ़ाने के लिए अपने पान मसाले के लिये "जड़ी-बूटी युक्त" शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे निर्माताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) पान मसाला उत्पादकों द्वारा "जड़ी-बूटी युक्त" शब्द का उपयोग किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत निर्धारित पान मसाला के मानकों में सुपारी, नारियल, कत्था, इलायची, सूखे मेवे, मुलैठी, साबरमूसा तथा अन्य सुगंधित जड़ी बूटियां और मसालों जैसे पादपोत्पादों से तैयार संघटकों का उपयोग करने की अनुमति पहले ही प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम द्वारा जलापूर्ति

3386. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बकाया धन की अदायगी न किए जाने के कारण दामोदर घाटी निगम ने पश्चिम बंगाल को जल की आपूर्ति बंद कर दी है और जिसके कारण बोरो की खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार पानी छोड़ा जाता है और सिंचाई जल छोड़ने के लिए देयों का भुगतान पूर्व शर्त नहीं है।

जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डी॰वी॰आर॰आर॰सी॰) द्वारा दामोदर घाटी निगम जलाशयों से सिंचाई जल छोड़ने का निर्णय लिया जाता है। इस समिति में पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार, केन्द्रीय जल आयोग और दामोदर घाटी निगम के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

बोफोर्स सौदा

3387. **लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने यह सबूत मिल जाने पर कि बोफोर्स सौदे में दलाली दी गई है, के पश्चात बोफोर्स सौदे को रद्द करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) बोफोर्स सौदा समाप्त करने के शुल्क के बारे में स्विटजरलैंड के लेखा-परीक्षा ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने के बाद जून, 1987 में तत्कालीन सेनाध्यक्ष से अनुरोध किया गया था कि वे बोफोर्स अनुबंध को रद्द करने में आने वाली उलझनों पर मूल्यांकन रिपोर्ट दें। तत्कालीन सेनाध्यक्ष से प्राप्त पत्र में यह विचार व्यक्त किया गया था कि बोफोर्स सौदे में दिए गए कथित धन के भुगतान के आरोप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु दबाव डालने के लिए यदि आवश्यक हो, तो इस अनुबंध को रद्द करने की धमकी का उपयोग किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया था कि हालांकि इस अनुबंध को रद्द करने से हमारी सीमाओं पर तैनात फार्मेशनों के लिए महत्वपूर्ण तोपखाना सहायता में 18 मास से 2 वर्ष के लिए काफी कमी आ जाएगी, फिर भी, वे इस परिकल्पित जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं। चूंकि, यह महसूस किया गया था कि उनकी इस टिप्पणी में उस समय मौजूद संभावित खतरे के परिदृश्य में इस अवधि के दौरान संक्षिप्त सुरक्षा प्रभावों, मौजूदा जोखिम व सापेक्ष नफरी तथा शत्रु का मुकाबला करने में होने वाली कमी का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया, इसलिए सेनाध्यक्ष से इस मामले की विस्तार से पुनः जांच-पड़ताल करने का अनुरोध किया गया। लेकिन, तत्कालीन सेनाध्यक्ष से 15.07.87 को प्राप्त उनका दूसरा पत्र वास्तव में उनके पहले पत्र की ही शब्दशः प्रतिलिपि मात्र था।

मध्याह्न भोजन योजना हेतु चावल

3388. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 हेतु स्कूली बच्चों के लिए सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत असम के लिए मुफ्त चावल के कितने कोटे की पूर्ति के लिए मंजूरी दी गयी है;

(ख) चालू वर्ष में अब तक राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल कितनी मात्रा में भेजा गया और उनके द्वारा कितनी मात्रा में चावल उठाया गया;

(ग) क्या राज्य सरकार इस अवधि के दौरान कभी-कभी पूरा मासिक कोटा नहीं उठा पायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे सामान्य-तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, के अन्तर्गत असम राज्य को वर्ष 1996-97 के लिए 62,815 मीट्रिक टन खाद्यान्न (चावल) आवंटित किया गया है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, इस राज्य सरकार ने फरवरी, 1997 तक 16,885 मीट्रिक टन चावल उठाए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान असम में माहवार उठाए गए खाद्यान्नों के बारे में भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आबंटन	(आंकड़े मीट्रिक टन में)
वर्ष 1996-97 का योग	62,815
उठाए गए खाद्यान्न	
अप्रैल, 1996	शून्य
मई, 1996	शून्य
जून, 1996	297
जुलाई, 1996	781
अगस्त, 1996	2969
सितम्बर, 1996	3144
अक्टूबर, 1996	2644
नवम्बर, 1996	2791
दिसम्बर, 1996	1081
जनवरी, 1997	1841
फरवरी, 1997	1337
कुल	16885

संकोश नदी से नहर निकालना

3389. **श्री अमर राय प्रधान : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन में पानी की नियमित वृद्धि और बेहतर प्रवाह के लिए संकोश नदी से पश्चिम बंगाल में गंगा तक नहर के निर्माण के लिए सरकार को स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नहर के पानी से प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें 4060 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने के लिए संकोश नदी पर बांधों के निर्माण की परिकल्पना है। तीस्ता बराज कुण्ड तक गुरुत्वाकर्षण नहर के जरिए बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से पानी छोड़े जाने का भी प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (वैपकोस) द्वारा पर्यावरण प्रभाव अध्ययन किए गये हैं और केन्द्रीय जल आयोग में अन्तिम रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जो नहर घटक भारतीय क्षेत्र में हैं उनकी जांच करने के लिए और उनकी निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से सम्पर्क किया जायेगा।

[हिन्दी]

नदी पर पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव

3390. **डा॰ बलिराम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विचारार्थ नदियों पर पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों विशेषकर उत्तर प्रदेश के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक निपटाया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) वार्षिक योजना 1996-97 के अनुसार, उ॰प्र॰ में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर पुलों से संबंधित निम्नलिखित दो प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है :—

क्र॰सं॰	नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰
1.	अनूपशहर ब्रांच नहर, 77 कि॰मी॰	रा॰रा॰-24
2.	पीली नदी, 191 कि॰मी॰	रा॰रा॰-56

इन प्रस्तावों के तकनीकी ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याएं

3391. **श्री एल॰ रमना :**

श्री अय्यन्ना पटरुधु :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में दीर्घकालिक व्यापक प्रस्तावित दृष्टिकोण क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों का लगातार मूल्यांकन करती है और पर्याप्त रक्षा तैयारी बनाए रखना सुनिश्चित करती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग

3392. **श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने नीतिगत मामले के रूप में नौंवी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं और बच्चों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है तथा बच्चों की उचित देख-रेख और उन्हें कुपोषण से बचाने के लिये सरकार से महिलाओं तथा बच्चों के लिये एक योजना बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना में किन योजनाओं को शामिल किया गया है अथवा शामिल किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया

3393. डा॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्तमान में किन-किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है;

(ख) इसके निगमित होने से लेकर अभी तक इसे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इसके पास कितने और किस-किस प्रकार के निकर्षण पोत हैं;

(घ) विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कार्यरत निकर्षण पोतों की संख्या कितनी है; और

(ङ) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्णतया नौवहनीय बनाने के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) सभी महापत्तनों, मध्यम पत्तनों, मत्स्य बन्दरगाहों, भारतीय नौसेना के शिपयार्डों और अंतर्देशीय जलमार्गों का बड़ा और अनुरक्षण निकर्षण।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

(लाख रु॰)

वर्ष	शेयरपूंजी के लिए	कार्यशील पूंजी ऋण	दीर्घावधि ऋण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1975-76	1984.00	54.81	391.51	पूरा ऋण वापस अदा किया जा चुका है।
1976-77	-	-	1179.31	वही
1977-78	816.00	-	934.96	वही
1978-79	-	-	16.70	वही
1983-84	-	-	719.00	वही
1993-94	-	-	2650.00	निर्धारण के अनुसार 1995-96 तक 650 लाख रु॰ वापस दिए जा चुके हैं। कोई भुगतान बकाया नहीं है।

टिप्पणियां :

1. वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के समक्ष दर्शाई गई राशियां (कार्यशील पूंजी, जिसका नकद भुगतान किया गया था, के लिए 54.81 लाख रु॰ को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा भारतीय निकर्षण निगम को हस्तांतरित परिसम्पत्तियों (निकर्षकों) की कीमत के लिए बहियों में किए गए समायोजन हैं। वर्ष 1983-84 और 1993-94 के समक्ष दशाई गई राशियों का भारतीय निकर्षण निगम को नकद भुगतान किया गया था।
2. वर्ष 1991-92 में 1.44 प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी का विनिवेश किया गया था और भारतीय निकर्षण निगम की शेष 98.56 प्रतिशत शेयर पूंजी सरकार के पास है।

(ग) (1) समुद्रगामी ट्रेलर सक्शन हापर ड्रैजर-7

(2) हाइपावर कटर सक्शन ड्रैजर-2

(3) अंतर्देशीय ड्रैजर-3

(घ) इस समय कोई नहीं।

(ङ) नौवीं योजना प्रस्तावों के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰ 2 के विकास के लिए निम्नानुसार 110 करोड़ रु॰ के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।

	(करोड़ रु॰)
नौचालन मार्ग विकास	53.00
टर्मिनल	29.00
नौचालन उपकरण	10.00
संगठन	5.00
अन्य	13.00
योग	110.00

नौचालन मार्ग विकास के अंतर्गत 17 करोड़ रु॰ का प्रावधान एक कटर सक्शन ड्रैजर और दो वाटर इंजक्शन ड्रैजरों की खरीद के लिए शामिल किया गया है। नौचालन विकास कार्य में राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰ 2 के प्रति वर्ष के अनुरक्षण निकर्षण से संबंधित खर्च भी शामिल है।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰ 2 के विकास कार्यों को योजना अवधि के दौरान उपलब्ध निधियों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा कान्सेप्ट प्लान तैयार करना

3394. **श्री दिनशा पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई॰आई॰टी॰) दिल्ली ने लगभग 3-4 वर्ष पहले एक कान्सेप्ट प्लान तैयार किया था और जिसे इसकी सीनेट और शासक मंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आई॰आई॰टी॰ दिल्ली में इस कान्सेप्ट प्लान को छोड़ दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आई॰आई॰टी॰ दिल्ली के लिए अन्य कान्सेप्ट प्लान पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने 1990 में संस्थान की संगठनात्मक संरचना पर एक कन्सेप्ट प्लान बनाया था और इसे छोड़ा नहीं गया है। सिफारिशें संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास प्रबन्धन में जापानी सहयोग

3395. **श्री नन्द कुमार साय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानव संसाधन विकास तथा संसाधनों के प्रबंधन में जापानी सहयोग आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी डॉक्टरों की विदेश यात्राएं

3396. **श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाने वाले सरकारी डॉक्टरों की विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय से सम्बद्ध संस्थाओं/अस्पतालों को ऐसे अन्तर्राष्ट्रय संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए डाक्टरों को संस्तुत करने की प्रथा को हतोत्साहित करने की सलाह दी गई है जहां विदेशी आतिथ्य सत्कार में खासकर प्राइवेट भेषजीय कम्पनियां शामिल हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि डाक्टर चिकित्सीय उपस्करों, भेषजीय सामग्री आदि की खरीद और उपयोग से संबंधित निर्णय करते समय प्रभावित न हों और वे अपने कार्य करने की संस्थाओं के हित के उद्देश्य में कार्य कर सकें।

विश्वविद्यालय

3397. **श्री पी॰आर॰ दासमुंशी :**

श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने विश्वविद्यालय कार्यरत हैं तथा आठवीं योजना के दौरान विद्यार्थियों की राज्यवार औसत संख्या क्या है; और

(ख) देश में आठवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित कितने डिग्री कालेज कार्यरत हैं तथा उनमें से विज्ञान संकाय, विज्ञान आनर्स पाठ्यक्रम के बिना चल रहे कालेजों की राज्यवार संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जलमार्गों का उपयोग

3398. **श्री नवल किशोर राय :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लम्बे जलमार्गों को विकसित करने की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि नहीं, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुल जलमार्गों में से केवल 8.9 प्रतिशत जलमार्ग का ही उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या है;

(ङ) क्या देश में कुल माल परिवहन में से केवल 3 प्रतिशत माल के परिवहन में जलमार्ग का उपयोग किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और जलमार्गों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की क्या योजना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां। तीन जलमार्गों, गंगा, ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है जहां नौचालन संबंधी विकास कार्य प्रगति पर हैं। इन जलमार्गों की संयुक्त लम्बाई 2716 किमी॰ है। अन्य संभावित जलमार्गों पर भी तकनीकी-आर्थिक अध्ययन भी किए गए हैं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उनका विकास किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जलमार्ग, सुन्दरवन, गोवा नदियां, ताप्ती, महानदी डेल्टा, गोदावरी का इस समय यंत्र-चालित जलयानों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 3000 किमी॰ है। यह कुल जलमार्ग का 8.9 प्रतिशत से भी अधिक है। इस संबंध में प्रतिशत और आंकड़ों के निश्चित ब्यौरे फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के स्वामित्व में भारतीय क्षेत्र

3399. श्री पी॰ नामग्याल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता समय से भारत के कुल कितने क्षेत्र पर (वर्ग किलोमीटर में) पाकिस्तान द्वारा राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार अवैध रूप से कब्जा किया गया है; और

(ख) पाकिस्तान से अपना क्षेत्र वापिस लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर राज्य के भारतीय क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के कब्जे में लगभग 78000 वर्ग कि॰मी॰ का क्षेत्र है। पाकिस्तान ने 1963 के तथाकथित चीन-पाक सीमा करार के अन्तर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 5120 वर्ग कि॰मी॰ का भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है।

(ख) सरकार पाकिस्तान के साथ अपने मतभेदों को शिमला समझौते के अन्तर्गत द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए कृत संकल्प है।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलीबारी

3400. डा॰ ए॰के॰ पटेल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण रेखा के विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या गोलीबारी की इन घटनाओं के कारण इन क्षेत्रों में किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अकारण गोलीबारी करने की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। कई बार गोलीबारी की इन घटनाओं से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सामान्य जीवन तथा खेतीबाड़ी के कार्य प्रभावित होते हैं। तथापि, ऐसी घटनाएं सामान्यतः स्थानीय और अस्थाई होती हैं।

[हिन्दी]

वेदकालीन गणित पर शोधकार्य

3401. श्री देवी बक्स सिंह :

श्री राधा मोहन सिंह :

डा॰ रमेश चन्द तोमर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्वविद्यालयों में "वेदकालीन गणित" पर शोध कार्य शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार ने शोधकार्य के लिए कितना अनुदान उपलब्ध कराया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

मोतियाबिंद नियंत्रण हेतु विश्व बैंक से सहायता

3402. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री के॰ प्रधानी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोतियाबिंद नियंत्रण हेतु आठवीं योजनावधि के दौरान कुल कितनी राशि की विश्व बैंक सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इस सहायता का एक बड़ा भाग इस प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया गया है जिस प्रयोजनार्थ इसे दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा विश्व बैंक सहायता से पूर्ण उपयोग के लिए सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) किन-किन राज्यों में उक्त परियोजना कार्यान्वित की गई है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना उड़ीसा में भी कार्यान्वित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) 1994 से 2001 की अवधि में विश्व बैंक की सहायता से 554.35 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से मोतियाबिंद दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विश्व बैंक प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता प्रदान करता है और इस परियोजना में कुल लागत की लगभग 89 प्रतिशत लागत की विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मोतियाबिंद दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना 7 राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) जी, हां।

(च) विश्व बैंक सहायता प्राप्त मोतियाबिंद दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना अप्रैल, 1994 से उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही है और विमुक्त की गई धनराशि और उड़ीसा में किए गए मोतियाबिंद आपरेशनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई धनराशि (लाख रुपये में)	किए गए मोतियाबिंद के आपरेशनों की संख्या
1994-95	91.58	40536
1995-96	236.76	45835
1995-97	54.25	39980 (जनवरी, 97 तक)

[हिन्दी]

बिहार में बाल विकास योजनाएं

3403. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिसेफ तथा केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में बाल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) बिहार में विशेषकर सहरसा, मधेपुरा तथा सुपौल जिले के किन-किन स्थानों पर बाल विकास योजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस•आर• बोम्मई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

भारत और बंगलादेश के बीच परिवहन सुविधाएं

3404. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री बादल चौधरी :
श्री बाजू बन रियान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश रोडवेज के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों और शेष भारत के बीच परिवहन सुविधाओं के सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और शेष भारत के बीच बंगलादेश से होकर सड़क यातायात सहित यातायात लिंक प्रदान करने के लिए पारगमन सुविधाओं संबंधी प्रश्न बंगलादेश की सरकार के साथ कई बार उठाया गया है। यह विषय दोनों सरकारों के बीच विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

3405. डा• ए•के• पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश में कितने गांवों में सर्वेक्षण किया गया;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात के कितने गांवों में सर्वेक्षण कराया गया है तथा पाई गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस•आर• बोम्मई) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान दो हजार तीन सौ तिरेसठ गांवों का सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) विवरण-I में राज्यवार ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) गुजरात में सर्वेक्षण किए गए गांवों की संख्या चौव्वन है। इस स्थलों पर पायी गयी वस्तुओं के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्यवार

सर्वेक्षण किए गए गांवों की संख्या के ब्यौरे

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	सर्वेक्षण किए गए गांवों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	32
2.	बिहार	415
3.	गोवा	3
4.	गुजरात	54
5.	हरियाणा	197
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और कश्मीर	10
8.	कर्नाटक	352
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	133
11.	महाराष्ट्र	59
12.	उड़ीसा	67
13.	राजस्थान	6
14.	तमिलनाडु	108
15.	उत्तर प्रदेश	715
16.	पं॰ बंगाल	209
	कुल	2363

विवरण-II

गुजरात में सर्वेक्षण किए गए गांवों के ब्यौरे

क्र॰सं॰	सर्वेक्षण किए गए गांवों के नाम	इन स्थलों में पाए गए मदों के ब्यौरे
1	2	3
1.	भातसन	मध्यकाल की दुर्गा शिव-पार्वती की मूर्तियां
2.	हनुमानपुरा	जैन तीर्थांकर की मूर्ति
3.	लोरवाड़ा	मध्यकाल की गणेश, दुर्गा, शिव की मूर्तियां
4.	मालगद	लघुनवपाषाण
5.	रासाना	मध्यकाल की विष्णु, शिव भैरव की मूर्तियां।
6.	समादी	मध्यकाल के शिव-मंदिर के अवशेष
7.	वेलावल	मध्यकाल के गणेश और ब्रह्मा की मूर्तियां
8.	वेडावल	मध्यकाल स्थल
9.	फतेहगढ़	मध्यकाल की गणेश, शिव, दुर्गा अप्सरा की मूर्तियां
10.	जमुना पदार	मध्यकाल के निवास योग्य स्थान
11.	रानेर	मध्यकाल के गणेश, विष्णु, शिव की मूर्तियां
12.	ऐदा	मध्यकाल का स्थान
13.	अकरो मोती	मध्यकाल के स्थान जिसमें लाल मिट्टी के बर्तन, काले रंग से पुते हुए लाल बर्तन, टीसी॰ वस्तुएं और पत्थर की वस्तुएं।
14.	चोले	मध्यकाल के मिट्टी के बर्तन
15.	होथी	मध्यकाल के बर्तन जिसमें लाल बर्तन प्रमुख हैं।
16.	मकादा	मध्यकाल की छतरी और देवताओं के शिलालेख (हीरो स्टोन्स)
17.	मोतीबेग	मध्यकाल की छतरी और देवताओं के शिलालेख (हीरो स्टोन्स)
18.	पदारवाडी	पूर्व मध्यकाल के स्थान जिसमें बर्तन है।
19.	घुमरी	मध्यकाल के पुते हुए लाल बर्तन, टी॰सी॰ वस्तुएं।
20.	बड़ासार	उत्तरोत्तर मध्यकाल की 13 छत्तरी और ध्वंस मंदिर
21.	भीताली	लघुनवपाषाण
22.	गुनेर	उत्तरोत्तर मध्यकाल
23.	जारा	उत्तरोत्तर मध्यकाल के हीरो पत्थर
24.	कोरा	नवपाषाण, तांबे के सिक्के और मध्यकाल के बर्तन
25.	लाखापुर	15-16 शताब्दी का शिव मंदिर
26.	नारा	मध्यकाल के पांच हीरो पत्थर उत्तरोत्तर मध्यकाल का किला, द्वारपालक की दो मूर्तियां, भैरव की मूर्ति, महिसासुर मर्दिनो किले के द्वार पर दो हाथी
27.	उमरासन	लघुनवपाषाण की फैक्टरी का स्थान

1	2	3
28.	लुदबेय	उत्तरोत्तर मध्यकाल का स्थान
29.	मुरू	लघुनवपाषाण, उत्तरोत्तर हड़प्पा काल के बर्तन, मंदिरों के अवशेष और उत्तरोत्तर मध्यकाल के तीन हीरो के पत्थर।
30.	वाल्का	उत्तरोत्तर मध्यकाल के बर्तन
31.	उमाता	11वीं–12वीं शताब्दी ईसवी के अवशेष, जैन मंदिर
32.	तेजगढ़	उत्तरोत्तर मध्यकाल के शेलकृत चित्रकारी।
33.	दोहाद	12वीं शताब्दी ईसवीं के शिव मंदिर के अवशेष
34.	देवदरवार	15वीं शताब्दी ईसवीं के मंदिर के अवशेष और मूर्तियां
35.	ताना	उत्तर मध्यकाल का इस्लामिक अभिलेख, 19वीं शताब्दी ई॰ के पहले की लकड़ी की नक्काशी
36.	गढ़ा	15वीं शताब्दी ई॰ की मूर्तियां
37.	खोदला	देवताओं के शिलालेख
38.	आदागम	13वीं शताब्दी ई॰ के मंदिर अवशेष
39.	कनकपुर	देवताओं के शिलालेख
40.	गणेशपुर	मध्यकालीन ठीकरे
41.	शिवराजपुर	मध्यकालीन निवास स्थल
42.	कुंवादा	मध्यकालीन मंदिर अवशेष
43.	इन्द्रपुरी	वही
44.	शेहरा	उत्तर मध्यकालीन निवास स्थल
45.	झेर	लघुपाषाण
46.	पंचमुही	वही
47.	देवदी	वही
48.	हैप	मध्यकाल
49.	तुरखेरा	लघुपाषाण
50.	अंतास	वही
51.	कोदादा	वही
52.	कामराज	प्रागैतिहासिक निवास स्थल
53.	भुटोकियान.	उत्तर मध्यकालीन निवास स्थल
54.	कानमेर	हड़प्पीय तथा उत्तर हड़प्पीय स्थल।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी किया जाना

3406. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री एन॰एन॰ कृष्णादास :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री एस॰ अजय कुमार :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालयों से उनके पासपोर्ट्स समय पर नहीं मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिसम्बर, 1996 के अंत तक प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में पृथक रूप से कितने-कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं;

(घ) क्या लंबित आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का लंबित आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए देश में कुछ और पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) पासपोर्टों को जारी करने में आमतौर पर होने वाली देरी संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से प्रतिकूल अथवा अधूरी रिपोर्ट प्राप्त होने, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों विशेषकर डाक से प्राप्त होने वाले आवेदनों में कमियां होने तथा अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवेदकों से किए गए अनुरोधों का उत्तर न मिलने के कारण होती है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करके कम्प्यूटरीकरण सहित कार्यालय सुविधाओं का उन्नयन करके देरी को कम करने के उद्देश्य से पद्धतियों और क्रियाविधियों की समीक्षा करके, पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही करके पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों के कामकाज को कारगर और सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ङ) और (च) नए पासपोर्ट कार्यालय खोलना वर्तमान पासपोर्ट कार्यालयों की अवस्थिति, विदेश मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की किसी क्षेत्र विशेष में पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के संदर्भ में की गयी सिफारिश के अनुसार कि नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए कम से कम 50,000 पासपोर्ट आवेदन प्रति वर्ष होने चाहिए, पर निर्भर

करता है। इस समय, विशाखापट्टनम, गाजियाबाद, पुणे और थाणे के अलावा कोई और नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र॰सं॰	कार्यालय	31.12.1996 के स्थिति के अनुसार कुल लम्बित मामले
1.	अहमदाबाद	16049
2.	बंगलोर	6600
3.	बरेली	5497
4.	भोपाल	3185
5.	भुवनेश्वर	3725
6.	बम्बई	13217
7.	कलकत्ता	11578
8.	चंडीगढ़	10923
9.	कोचीन	7914
10.	दिल्ली	19455
11.	गोआ	713
12.	गुवाहटी	3128
13.	हैदराबाद	30156
14.	जयपुर	8600
15.	जालंधर	11069
16.	कोजीकोड	22368
17.	लखनऊ	24311
18.	चेन्नई	1.8233
19.	नागपुर	1457
20.	पटना	9245
21.	त्रिची	22769
22.	त्रिवेन्द्रम	11590
23.	जम्मू	13131
		274913

नेत्र विशेषज्ञों की कमी

3407. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व में पांच में से एक नेत्र रोगी भारत में बसता है तथा नेत्र विशेषज्ञों के अनुसार इन मामलों में से 4/5 से अधिक नेत्र रोगियों में अंधेपन को टाला जा सकता है;

(ख) क्या देश में नेत्र विशेषज्ञों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) देश में लगभग 8000 नेत्र विशेषज्ञ हैं जो देश में नेत्र परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नए पत्तन

3408. **श्री के॰ कंडासामी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में देश में नए पत्तन खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो स्थितिवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में नए पत्तन खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारें सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम के तहत अथवा निजी क्षेत्र के जरिए नए पत्तन खोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जल विद्युत परियोजना हेतु जेनेरेटिंग सेट

3409. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु जेनेरेटिंग सेटों और उपकरणों की खरीद/आयात अथवा निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) उक्त परियोजना की स्थापना के कार्य को कब तक पूरा किया जाना था तथा इसमें कितना विलंब हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) वर्ष 1986 में 2.85 बिलियन येन की पहली किश्त की अदायगी के बाद कुछ पर्यावरणीय पहलुओं के कारण ऋण की अगली किश्त न देने के ओवरसीज़ इकनामिक कोआपरेशन फण्ड (ओ ई सी एफ) जापान के एकपक्षीय निर्णय के कारण सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत घर के लिए टर्बो जनरेटिंग सेट्स की खरीदारी में बाधा उत्पन्न हुई। आरंभ में इन उपस्करों की सुपुर्दगी दिसम्बर, 1990 से जून, 1994

के बीच तथा इसके संस्थापन अगस्त, 1995 तक किया जाना था। तथापि, इस गतिरोध को दूर करने के लिए राज्य में तथा इस मंत्रालय में सभी संबंधितों के साथ विभिन्न स्तरों पर बहुत सी बैठकें आयोजित की गई थीं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की दिनांक 13 नवम्बर, 1996 को एक बैठक आयोजित की गई थी। तदनुसार, परियोजना के लिए टर्बो जनरेटिंग सेट्स के सप्लायर्स के साथ बातचीत करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा पहले ही एक समझौता दल का गठन कर लिया गया है।

आलोक पैलेस, मैसूर का बतौर अजायबघर प्रयोग

3410. **श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मैसूर के समीप आलोक पैलेस को इस समय विजुअल आर्टस चमराजेन्द्र अकादेमी द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आलोक पैलेस में अजायबघर स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार पैलेस को अजायबघर को सौंपने की इच्छुक है; और

(ङ) यदि हां, तो आलोक पैलेस में किस तरह का अजायबघर स्थापित किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) कर्नाटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, चमराजेन्द्र दृश्य कला अकादेमी, जो कि कर्नाटक सरकार की एक कला संस्था है, मैसूर के समीप स्थित आलोक भवन को अपने अधिकार में रखे हुए है।

(ख) कर्नाटक सरकार इस संस्था को संचालित करती है तथा कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान इस संस्था को 20 लाख रुपये और 6.81 लाख रुपये की वित्तीय सहायता क्रमशः योजनागत और योजनेतर के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि, अलोक भवन जिला मैसूर, तालुक मैसूर, गांव येलवाला में एस॰वाई॰ सं॰ 265 पर आरक्षी वन क्षेत्र के भीतर स्थित है, इसलिए कर्नाटक सरकार के वन विभाग ने रिट याचिका (सिविल) 202/95 के तहत उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए वहां पर वन-इतर कार्यकलापों पर आपत्ति की है तथा उक्त भवन अपने कार्यकलापों के लिए वन विभाग को हस्तान्तरित करने के लिए आग्रह किया है।

(ङ) इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में नेहरू युवक केन्द्र

3411. **श्री बी॰एल॰ शंकर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा अब तक कर्नाटक में नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा शुरू की गयी तथा पूरी की गयी विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों की केन्द्रवार योजनाएं, परियोजनाएं तथा प्रस्ताव क्या है;

(ग) नेहरू युवक केन्द्र के कार्यक्रमों को चलाने के लिए उनके आय के स्रोत्र क्या हैं; और

(घ) ऐसे केन्द्रों की किस आधार पर सहायता प्रदान की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर॰) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय

3412. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय को पेश आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार को श्रीलंका के सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा सामना की जा रही यातनाओं की जानकारी नहीं है। तथापि सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका के कुछ हिस्सों में जारी संघर्ष ने उस देश के लोगों, विशेषकर श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए गंभीर कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।

(ग) सरकार की नीति सुसंगत और सर्वविदित है। भारत सदा से इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रहा है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा

3413. **श्री काशीराम राणा** :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अफगानिस्तान सहित अन्य देशों में बसे भारतीय मूल के परिवारों पर सैनिकों/असैनिकों द्वारा आक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों के घरों को लूटकर उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया है तथा उनमें से कितने व्यक्ति भारत वापस आ गये हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के जानमाल की सुरक्षा अफगानिस्तान सहित अन्य देशों में सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) अफगानिस्तान सहित इन देशों में गड़बड़ी शुरू होने के पश्चात् भारतीय मूल के कितने व्यक्ति भारत वापस आये हैं तथा इन्हें अब तक कितनी सहायता तथा अन्य सुविधाएं मुहैया करायी गई है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) लूटपाट और आक्रमण की घटनाओं को मोटे तौर पर दो श्रेणी में रखा जा सकता है पहला, जहां कानून और शान्ति की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई हो और ऐसे गृह युद्ध की परिस्थितियां बन गई हो जिनमें अन्य विदेशी राष्ट्रिकों के साथ-साथ भारतीय मूल के लोग और वास्तव में स्थानीय जनता भी पीड़ित होती है। दूसरी स्थिति वहां उत्पन्न होती है जहां किन्हीं कारण वश भारतीय समुदाय को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया जाता है। जहां तक पहले वर्ष में प्रभावित हो रहे भारतीय मूल के लोगों का संबंध है, सरकार उनके निष्कासन में उन्हें सहायता देने के लिए हर संभव उपाय करती है और उसके बाद उनकी ओर से मुआवजे का भुगतान लेने के प्रयास करती है। अफगानिस्तान पहली श्रेणी में आता है। इसी तरह की अशान्तिपूर्ण घटनाएं 1995-96 में लाईबेरिया और सियरालिओन में भी हुई थी किन्तु वहां लूटपाट अथवा तंग करने की विशिष्ट घटनाएं नहीं हुई थी। लाईबेरिया से भारतीय मूल के लगभग 250 व्यक्तियों को सियरालिओन (मानद कोंसल), आविदजान, डकर और अंकरा स्थित अपने मिशनों की सहायता से सुरक्षित निर्वासित किया गया था। जहां तक दूसरे श्रेणी का संबंध है, सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए न्याय पाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मामले को कड़ाई से उठाती रही है। जाम्बिया, कीनिया और उनांडा में हुई घटनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। देशवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अफगानिस्तान

हमने समाचारपत्रों में छपी खबरें देखी हैं जिनमें यह कहा गया है कि विगत में अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोगों को तंग किया जा रहा है परन्तु हमें अन्य स्रोतों से इस संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे इसकी पुष्टि होती है। हमारे अभिलेखों के अनुसार भारतीय मूल के ऐसे अफगानियों की संख्या जो पिछले 3 वर्ष भारत आए हैं इस प्रकार है :—

1994	-	1937
1995	-	515
1996	-	853

जाम्बिया

लीविंग स्टोन के दक्षिणी जाम्बिया शहर में भारतीय मूल के लोग अक्तूबर, नवम्बर, 1995 में ऐसी व्यापक लूटपाट और हिंसा की घटनाओं के शिकार हुए थे जो "धार्मिक हत्याओं" और जातीय रंग के आरोपों से भड़की लगती है। भारत सरकार ने जाम्बिया की सरकार से अपनी चिंता व्यक्त की थी और उससे भारतीय समुदाय के लिए उपयुक्त उपाय करने को कहा था। लुसाका में भारतीय हाई कमिशनर ने भी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ उनके कल्याण के बारे में सम्पर्क बनाए रखा था। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इन घटनाओं के फलस्वरूप किसी भारतीय को देश छोड़ने के लिए कहा गया हो अथवा जो अपनी मर्जी से भारत लौट आया हो।

कीनिया

बताया गया है कि विपक्षी दल के अध्यक्ष श्री केनित मातीबा ने अप्रैल-मई, 1996 में एशियाईयों को कीनिया से बाहर निकालने की मांग की थी। तथ्य यह है कि कीनिया की सरकार ने विरोधी पक्ष के आरोपों के विरूद्ध एशियाई समुदाय की रक्षा की थी। इन घटनाओं के ऐसे कोई स्पष्ट संकेत अथवा ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो इस विवाद के फलस्वरूप हुई हो और न ही भारतीय समुदाय के सदस्यों के बारे में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध है जो इन विवादों के फलस्वरूप भारत लौटे हों।

उगान्डा

उगान्डा के आप्रवासन प्राधिकारियों ने ऐसे लोगों के विरूद्ध जो कार्य परमिटों और सुसंगत दस्तावेजों के बिना काम कर रहे थे, एक आडम्बरपूर्ण अभियान के अंग के रूप में भारतीय मूल के समुदाय के विभिन्न सदस्यों के परिसरों पर छापा मारा था। भारतीय मूल के 70 लोग बन्दी बनाए गए थे जिनमें से 53 को उसी दिन छोड़ दिया था और 10 लोगों की एक हफ्ते बाद जमानत हुई थी और शेष को कुछ दिनों बाद जमानत पर छोड़ा गया था। कम्पाला में हमारे हाई कमीश्नर के उगान्डा की सरकार के साथ इस मामले को उठाया था और जिन भारतीयों को बंदी बनाया गया था उन्हें बेकार में परेशान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर चिंता व्यक्त की थी। किसी ऐसे भारतीय को जिसे उगान्डा छोड़ने के लिए कहा गया हो अथवा उनमें से इस घटना के परिणामस्वरूप भारत लौटे किसी भारतीय के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विकासशील देशों में रह रहे भारतीय मूल के अनेक लोगों के पास अमरीका, यू॰के॰ कनाडा आदि देशों के पासपोर्ट हैं और वे निर्वासन और अन्य सहायता के लिए संबंधित सरकारों से सम्पर्क करते हैं। तथापि, सरकार भारतीय मूल के लोगों को सभी अपेक्षित सहायता देने के लिए जागरूक और तत्पर रहती है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में नौवहन गतिविधियां

3414. **श्री सुरेन्द्र यादव :**

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी में पानी के स्तर में कमी आने के कारण पश्चिम बंगाल में स्थित पत्तन पर नौवहन गतिविधियां बंद किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो 1995-96 के दौरान और 1996-97 में इस पत्तन से कितने पोतों पर माल लादा और उतारा गया;

(ग) गंगा के जल स्तर में निरन्तर कमी आने और पोतों पर माल की चढ़ाई-उतराई के कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पत्तन के विकास हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी• वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) 1995-96 और 1996-97 (अप्रैल, 96 से फरवरी, 97) के दौरान ऐसे जलयानों की संख्या जिन पर माल लादा/उतारा गया इस प्रकार है :—

	1995-96	1996-97 (अप्रैल 96 से फरवरी, 97)
कलकत्ता	836	852
हल्दिया गोदी	805	804

(ग) वर्ष के मानसून और गैर-मानसून अवधि के दौरान प्रवाह का असमान विभाजन, भंडारण विकास में बाधाएं और ग्रीष्मकाल के दौरान भंडारण सुविधा के बगैर सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए जल के डाइवर्जन से प्रवाह में कमी आती है।

(घ) कलकत्ता पत्तन न्यास ने अनेक कैपिटल नदी नियामक और निकर्षण स्कीमें तैयार की हैं जिन्हें नौवीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

पत्तनों पर माल की लदाई/उतराई

3415. **प्रो• प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत प्रमुख पत्तनों का ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन पत्तनों से माल की लदाई/उतराई में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान इन पत्तनों में कितने माल का आयात और निर्यात हुआ;

(घ) क्या उक्त पत्तनों पर गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में माल की उतराई और लदाई में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी• वेंकटरामन) : (क) देश में 11 महापत्तन कार्यरत हैं। इन महापत्तनों के नाम तथा उनके स्थान नीचे दर्शाए गए हैं :—

कलकत्ता/हल्दिया	-	पश्चिम बंगाल
पारादीप	-	उड़ीसा
विशाखापत्तनम	-	आंध्र प्रदेश
मद्रास	-	तमिलनाडु
टूटीकोरिन	-	तमिलनाडु
कोचीन	-	केरल
नव मंगलौर	-	कर्नाटक
मुरगांव	-	गोवा
जवाहर लाल नेहरू	-	महाराष्ट्र
बम्बई	-	महाराष्ट्र
कांडला	-	गुजरात

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में इन 11 महापत्तनों पर माल की लदाई/उतराई में बढ़ोत्तरी हुई है। इन महापत्तनों के माध्यम से वित्त वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में निर्यातित और आयातित कार्गो की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	महापत्तनों पर कार्गो यातायात		
	आयात*	निर्यात*	(मिलियन टन) कुल
1993-94	100.49	78.77	179.26
1994-95	113.92	83.34	197.26
1995-96	126.63	88.70	215.33

* आयात और निर्यात आंकड़ों में तटीय यातायात भी शामिल है।

(घ) जी नहीं। चालू वित्त वर्ष के प्रथम दस महीनों के दौरान इन 11 महापत्तनों पर कुल 185.00 मिलियन टन यातायात हैंडल किया गया जबकि गत वित्त वर्ष के प्रथम दस महीनों में इन महापत्तनों पर कुल 175.81 मिलियन टन यातायात हैंडल किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

त्रिपुरा विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाएं

3416. श्री बादल चौधरी :
श्री बाजू बन रियान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) शिक्षा विभाग को त्रिपुरा विश्वविद्यालय से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विभागों के लिए भवन निर्माण, विश्वविद्यालय परिसर के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा शैक्षणिक पाठ्यचर्या के विस्तार के लिए 20.52 करोड़ रु॰ की एक मुश्त विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की है। शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। विश्वविद्यालयों को विकास सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। तदनुसार, त्रिपुरा विश्वविद्यालय का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचारार्थ भेज दिया गया है।

गुट निरपेक्ष आंदोलन

3417. श्री संतोष मोहन देव :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने तथा एक "सही विश्व व्यवस्था" हेतु गुट-निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत और पुनर्जीवित करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार विदेश नीति में परिवर्तन करने और गुट निरपेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) गुट-निरपेक्षता, जिसका अर्थ विचार की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वायत्तता से है, हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा है और अभी भी है। भारत इस आंदोलन की भूमिका में वृद्धि करने के लिए अन्य सभी "नाम" देशों के सहयोग से रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कृतसंकल्प है। भारत नई दिल्ली में 7 से 8 अप्रैल, 1997 तक गुट-निरपेक्ष आंदोलन के देशों के बारहवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो साथ-साथ आंदोलन को और भी मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर प्रकाश डालेगा।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुआवजा दिया जाना

3418. श्री हरिन पाठक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनाइटेड नेशन्स कम्पेन्सेशन कमीशन" (यू एन सी सी) ने "बी" श्रेणी के अन्तर्गत भारतीयों के दावों के निपटारे के संबंध में मुआवजे के लिए धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है तथा इसे कितने दावों के लिए दिया जा रहा है;

(ग) क्या किन्हीं अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत कोई अन्य भारतीय दावे यू एन सी सी में लम्बित हैं; और

(घ) यदि हां, तो यू एन कम्पेन्सेशन कमीशन द्वारा भारतीयों और भारतीय कम्पनियों के दावों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) श्रेणी "ख" के 183 दावों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग ने क्षतिपूर्ति के लिए 7 लाख अमरीकी डालर दिए हैं।

(ग) अलग-अलग व्यक्तियों, निगमित निकायों और भारत सरकार द्वारा दायर किए गए अन्य दावे "क" "ग" "घ" "ङ" और "च" श्रेणियों में आते हैं। हालांकि श्रेणी "क" और श्रेणी "ग" में कुछ भारतीय दावों का संयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग ने पहले ही अनुमोदन कर दिया है किन्तु उनके संबंध में अभी तक कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र पूतिपूर्ति आयोग ने श्रेणी "घ" "ङ" और "च" में आने वाले किसी भारतीय दावे का अभी तक अनुमोदन नहीं किया है।

(घ) इन दावों को निपटाने में भारत सरकार की भूमिका एक "मददगार" की रहती है। जब संयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग के गठन की घोषणा की थी, तब भारत सरकार ने प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक रूप से तत्संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसमें संबंधित लोगों को सयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तथा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख तक अपने दावे प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। इस तरह से प्राप्त आवेदन पत्र जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग, जेनेवा को भेजे गए थे।

इन दावों पर विचार और उनकी ग्राह्यता तथा प्रतिपूर्ति की राशि, जिसके लिए दावेदार पात्र हैं, का निर्णय संयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग

ही करेगा। भारत ससरकार सयुंक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है। सरकार ने 4 राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से निधियों के तुरन्त संवितरण के लिए समुचित व्यवस्था की है।

[हिन्दी]

बिहार में कोणार सिंचाई परियोजना

3419. **श्री महावीर लाल विश्वकर्मा :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बोकारो जिला में स्थित कोणार सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर काम कब शुरू हुआ था;

(ग) इस परियोजना की आरंभिक अनुमानित लागत कितनी थी और इसकी वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए मुहैया कराई गई धनराशि के स्रोत क्या हैं और अब तक इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि प्राप्त की गई/जारी की गई है; और

(ङ) इस परियोजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) कोनार सिंचाई परियोजना वर्ष 1979 से निर्माणाधीन है।

(ग) वर्ष 1971 में 11.43 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक अनुमानित लागत की तुलना में वर्ष 1988 में परियोजना की अनुमानित लागत 187.67 करोड़ रुपये थी।

(घ) और (ङ) अब तक कोई सिंचाई क्षमता सृजित किए बिना मार्च, 1994 तक 77.90 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। परियोजना को पूरा करना राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई कम करना

3420. **श्री विश्वेश्वर भगत :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 30 मीटर से घटकर 25 मीटर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में मलेरिया के मामले

3421. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरा बिहार मलेरिया की चपेट में था और इस बीमारी से लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में मलेरिया, काला-जार, पोलिया और दस्त ने पिछले वर्ष महामारी का रूप ले लिया था और इससे 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी;

(ग) क्या बिहार सरकार द्वारा इन बीमारियों के उपचार हेतु पर्याप्त प्रबंध किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सम्पूर्ण केन्द्रीय निधि वापस लौटा दी गई थी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के प्राधिकारियों से उपलब्ध आकडों के अनुसार बिहार में 1996 में मेलरिया से 86 और कालाजार से 666 मौतें हुई थी। पीलिया और अतिसार रोगों के सम्बन्ध में भी किसी महामारी की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को निगरानी तंत्र मजबूत करने, छिड़काव कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करने और रिक्त पदों को भरने की सलाह दी थी। राज्य सरकार ने 1996 के दौरान छिड़काव कार्य करने और मलेरिया और कालाजार के रोगियों को रसायचिकित्सा उपचार प्रदान किए जाने की सूचना दी थी।

(ङ) जी नहीं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त सामग्री के रूप में (कीटनाशी, लार्वानासी और औषधियां) प्रदान की जाती है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों के दौरान डी डी टी का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है।

[अनुवाद]

भिंटांगी सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)

3422. **श्री मुरलीधर जेना :** क्या जल संसाधन मंत्री दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3502 के दिए गए उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से भिंटांगी सिंचाई परियोजना की उपेक्षा की गई है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को पुनः शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) उड़ीसा में भीमटांगी सिंचाई परियोजना नामक कोई वृहद, मझौली अथवा लघु सिंचाई परियोजना नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मध्याह्न भोजन योजना

3423. श्री दत्ता मेघे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महाराष्ट्र के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत घटिया किस्म का/बासी भोजन दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को उल्टियां और पेचिश हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान अब तक ऐसी कितनी घटनाएं हुई; और

(ग) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता है, के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार पहली से पांचवी कक्षाओं के पात्र बच्चों को खाद्यान्न (चावल) वितरित कर रही है। लाभग्राही बच्चों को पका हुआ अथवा संसाधित भोजन नहीं दिया जाता। अतएव इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को घटिया किस्म का अथवा बासी भोजन के वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में संस्कृत स्कूल और कालेज

3424. श्री अमर पाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने संस्कृत स्कूल और कालेज हैं;

(ख) ऐसे स्कूलों और कालेजों की संख्या कितनी है जिन्हें बोर्डों/विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त है और पिछले पांच वर्षों से परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं; और

(ग) सरकार ने देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सरकार संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए उत्तर प्रदेश तथा देश के शेष राज्यों में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, दो सम विश्वविद्यालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय योजनागत स्कीम के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे रही है।

राज्यों में पूर्ण साक्षरता अभियान और साक्षरता पश्चात् अभियान संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति

3425. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू करने वाले तथा पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद साक्षरता पश्चात् अभियान कार्यक्रम आरम्भ करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूर्ण साक्षरता अभियान और साक्षरता पश्चात् अभियान की राज्यवार अद्यतन स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) अभी तक संपूर्ण देश के 423 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान तथा 183 जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान शुरू किए गए हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान उत्तर-साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जिलों की संख्या	संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत शामिल किए गए जिले	उत्तर साक्षरता के अभियानों के अंतर्गत शामिल किए गए जिले
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	23	23	22
अरुणाचल प्रदेश	13	-	-
असम	23	20	6
बिहार	55	32	6
गोवा	2	2	-
गुजरात	19	19	18
हरियाणा	17	15	2
हिमाचल प्रदेश	12	12	11
जम्मू और कश्मीर	14	5	-
कर्नाटक	20	20	16
केरल	14	14	14
मध्य प्रदेश	45	45	12

1	2	3	4
महाराष्ट्र	31	31	13
मणिपुर	8	1	-
मेघालय	7	6	-
मिजोरम	3	-	-
नागालैंड	7	6	-
उड़ीसा	31	19	10
पंजाब	17	11	2
राजस्थान	31	31	7
सिक्किम	4	-	-
तमिलनाडु	29	23	18
त्रिपुरा	4	3	1
उत्तर प्रदेश	68	66	8
पश्चिम बंगाल	18	17	12
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	-	-
चंडीगढ़	1	1	1
दादर और नगर हवेली	1	1	-
दमन एवं दीव	2	1	-
दिल्ली	1	1	-
लक्षद्वीप	1	-	-
पांडिचेरी	4	4	4
कुल :	527	423	183

[हिन्दी]

भारत-पाक संबंध

3426. **श्री इलियास आजमी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार दोनों देशों के नागरिकों के बीच सद्भावना तथा बन्धुत्व उत्पन्न करने और स्थिति में और सुधार लाने के लिए संसद सदस्यों, पत्रकारों तथा गणमान्य व्यक्तियों के शिष्ट-मंडल को पाकिस्तान भेजने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार भारत और पाकिस्तान के विद्वानों, विधायकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बीच कार्यकलाप में वृद्धि की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। द्विपक्षीय यात्राओं के जरिए ऐसा कार्यकलाप दोनों देशों के बीच विश्वास और मित्रता के संबंध बनाने में योगदान देगा।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

3427. **श्री शिवराज सिंह :**

श्रीमती शीला गौतम :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित कर दी गई हैं और कार्य कर रही हैं;

(ख) ऐसे दूतावासों की संख्या कितनी है जिनमें हिन्दी अधिकारी, अनुवादक और आशुलिपिक कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) ऐसे दूतावासों की संख्या कितनी है जिनमें हिन्दी अधिकारी, अथवा कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दूतावासों में हिन्दी अधिकारी की रिक्ति होने पर भी हिन्दी अधिकारियों का पद काफी समय तक खाली रहा;

(च) क्या यह सच है कि आपका मंत्रालय राजभाषा अधिनियम और वार्षिक हिन्दी कार्यक्रमों की उपेक्षा करता है, जबकि हमारे दूतावास राजभाषा की उपेक्षा करते हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) विदेश मंत्रालय के अधीन इस समय कार्यरत कुल 156 मिशनों/केन्द्रों और अन्य कार्यालयों में से विदेश स्थित 85 भारतीय मिशनों/केन्द्रों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं और ये समितियां अपना निर्धारित कार्य कर रही हैं।

पोर्ट आफ स्पेन और पोर्ट लुई में द्वितीय सचिव (हिन्दी) का एक-एक पद है। फिलहाल, काठमांडू, लंदन और पारामारिबो में अताशे (हिन्दी) के पदों पर अधिकारी कार्य कर रहे हैं। 25 भारतीय मिशनों को हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाएं प्रदान की गई हैं।

कुछ मिशनों में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए हिन्दी अधिकारियों के पदनामित पदों की व्यवस्था की गई है। अन्य स्थानों पर स्थानीय आवश्यकता और विस्तार के अनुसार हिन्दी के संवर्द्धन के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। कुछ देशों में द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत समय-समय पर हिन्दी अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। कुछ मिशन अपने कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों के सदस्यों की योग्यता का समुचित उपयोग करते हुए हिन्दी कक्षाएं भी आयोजित करते हैं।

जहां तक हिन्दी अधिकारियों के पदों पर नियुक्तियों का सम्बन्ध है जैसे ही कोई पद खाली होता है उसे भरने की तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

भारत सरकार के अन्य कार्यालयों की तरह ही विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशन और केन्द्र भी सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हर संभव प्रयास करते हैं। यथापेक्षित नामित हिन्दी अधिकारियों/अध्यापकों के अलावा भारतीय विदेश सेवा का सम्पूर्ण संवर्ग और विदेश मंत्रालय के अन्य संवर्गों के अधिकांश लोगों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव स्रोतों का पता लगाया जाता है। राजभाषा अधिनियम अथवा राजभाषा की किसी भी रूप में अवहेलना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को सहायता

3428. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्याह्न भोजन योजना के लिए सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश को कितना आबंटन किया गया और उसका कितना उपयोग किया गया;

(ग) क्या भ्रष्टाचार, मिलावट, व्यावहारिक कठिनाईयों के बारे में शिकायतें मिली है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस योजना की उपयोगिता और व्यावहार्यता के पुनः आकलन का कोई प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, को खाद्यान्न आपूर्ति करने वाले भारतीय खाद्य निगम की निधियां प्रदान की जाती हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को आबंटित किए गए खाद्यान्न तथा इस राज्य द्वारा उठाए गए खाद्यान्न के ब्यौरे निम्नवत हैं :—

वर्ष	आबंटन	उठाए गए खाद्यान्न
1995-96	81,239	78,996
1996-97	1,78,317	1,05,374

(ग) और (घ) इस विभाग को अब तक इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मध्याह्न भोजन उपलब्ध न कराए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। बच्चों को गरमागरम पका पकाया भोजन प्रदान करने के मार्ग में आने वाली वित्तीय तथा व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 में इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए 156 ब्लॉकों के पात्र बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों में विदेशी एजेंसियों को शामिल किया जाना

3429. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों में विदेशी एजेंसियां/स्वैच्छिक संगठन भाग ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में कार्यरत ऐसी एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा इसके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गयी है;

(ग) इन एजेंसियों द्वारा क्या दिशानिर्देशन निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश के विशेषकर इसके पिछड़े क्षेत्रों (सुदूर क्षेत्रों) में इनकी भूमिका से संतुष्ट हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विभिन्न विदेशी अभिकरणों से नकद और सामग्री के रूप में सहायता प्राप्त की जाती है।

मध्य प्रदेश भर में अप्रैल, 1990 से 43-00 करोड़ रुपये की कुल लागत से विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षेत्र परियोजना (भा॰ज॰परि॰VI) कार्यान्वित की जा रही है। राज्य के कुछ अन्य राज्यों के साथ पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए डेनिडा से भी धन प्राप्त किया और शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से धन दिया जा रहा है।

रक्षा उपस्करों का निर्यात

3430. **श्री नीतीश भारद्वाज :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा उपस्करों का निर्यात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा उपार्जित प्रत्यक्ष रक्षा निर्यात (मानित निर्यात को छोड़कर) का मूल्य इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये में)
1993-94	124.33
1994-95	76.25
1995-96	96.00

प्रौढ़ शिक्षा

3431. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार 1997-98 के दौरान आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, कोई राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं। योजनाओं/अभियानों के लिए स्वीकृत निधियां, विभिनन संगठनों, जिला साक्षरता समितियों तथा राज्यों को प्रदान की जाती हैं। निधियों को इन योजनाओं/साक्षरता अभियानों को संचालित करने वाली शर्तों और अनुबंधों के अनुसरण में प्रयुक्त किया जाना अपेक्षित है। पिछले दो वर्षों के दौरान खर्च की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

विवरण

प्रौढ़ शिक्षा के लिए खर्च की गई राशि

(रु॰ लाखों में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1994-95	1995-96
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1370.68	884.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.56	25.63
3.	असम	1159.04	361.09
4.	बिहार	1628.87	1977.84
5.	गोवा	11.59	5.95
6.	गुजरात	884.50	262.98
7.	हरियाणा	243.01	175.31
8.	हिमाचल प्रदेश	109.5	26.43
9.	जम्मू और कश्मीर	190.40	132.70
10.	कर्नाटक	1041.84	319.58
11.	केरल	57.32	7.00
12.	मध्य प्रदेश	2821.52	977.67
13.	महाराष्ट्र	1024.55	1153.63
14.	मणिपुर	72.67	17.62
15.	मेघालय	29.08	127.74
16.	मिजोरम	16.42	2.29
17.	नागालैंड	39.73	47.81
18.	उड़ीसा	606.36	801.36
19.	पंजाब	277.61	370.34
20.	राजस्थान	1745.00	1681.76
21.	सिक्किम	11.22	-
22.	तमिलनाडु	1594.58	1212.48
23.	त्रिपुरा	6.77	0.10
24.	उत्तर प्रदेश	2505.58	889.01
25.	पश्चिम बंगाल	1583.69	308.40
26.	चंडीगढ़	25.62	20.12
27.	दिल्ली	120.77	322.58
28.	पांडिचेरी	-	-
29.	दमन और दीव	0.56	0.56
30.	अंडमान और निकोबार	12.15	8.12
31.	दादरा और नगर हवेली	0.83	-
32.	लक्षद्वीप	7.41	1.62
33.	अखिल भारतीय स्तर के संगठन	537.77	-
34.	केन्द्रीय सरकार स्तरीय	843.41	-
	जोड़	20951.26	12121.93

कर्नाटक के राष्ट्रीय राजमार्गों को निजी क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जाना

3432. श्री अनन्त कुमार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कर्नाटक के राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पुलों संबंधी कोई कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वे कौन-कौन सी पार्टियां हैं जिन्हें उपर्युक्त कार्य सौंपा गया है एवं उनकी शर्तें क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काला अजार

3433. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक विभिन्न राज्यों में काला अजार से संबंधित कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) क्या सरकार का विचार काला अजार से पीड़ित मरीजों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने हेतु उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) कालाजार के रोगियों के बारे में राज्यवार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा कालाजार के उपचार के लिए इंजेक्शन सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट (एस एस जी) और पेंटामिडीन आइसेथियोनेट की अधिप्राप्ति की जाती है। सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट से प्राथमिक स्थिति में उपचार प्रदान किया जाता है और जिन रोगियों पर इस उपचार का प्रभाव नहीं होता है उन्हें पेंटामिडीन आइसेथियोनेट का उपचार प्रदान किया जाता है। कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार कालाजार के स्थानिकमारी वाले राज्यों को औषधियां और कीटनाशक दवाइयां प्रदान करती है। राज्य सरकारे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन लागत वहन करती हैं। कालाजार नियंत्रण के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

- रोगाणु नियंत्रण के द्वारा संचरण रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में अवशिष्ट कीटनाशकों का छिड़काव।
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से रोग का आरम्भिक स्थिति में पता लगाना और पूर्ण उपचार प्रदान करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य	1994		1995		1996	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1.	बिहार	24391	379	21045	259	24665	666
2.	दिल्ली	55*	1*	13*	0	-	-
3.	उत्तर प्रदेश	57	1	15	-	-	-
4.	पश्चिम बंगाल	1149	3	1552	18	1520	11

टिप्पणी : 1.* = बिहार से आया रोगी 2.- = शून्य

शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3434. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु जुलाई, 1996 के दौरान दिल्ली में कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन में कौन-कौन से सुझाव दिए गए; और

(घ) उन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां। "स्कूल कारगरता और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कक्ष प्रक्रिया" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा नई दिल्ली में 24 से 26 जुलाई, 1996 के बीच जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय विद्वानों ने अपने शोध परिणामों का आदान-प्रदान किया तथा वे शिक्षक व्यवहार, पाठ्यचर्या और अन्य संबद्ध मुद्दों सहित शिक्षण कक्ष की प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने लेख प्रस्तुत किए।

(ग) महत्वपूर्ण सुझावों में शामिल हैं - शिक्षकों की अधिकार संपन्नता का महत्व और खासतौर पर लाभवंचित समूहों की

आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं की पहचान के लिए कार्य अनुसंधान करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रोत्साहन देना, स्कूलों, समुदाय और शैक्षिक आयोजनाकर्ताओं के बीच अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) का सुदृढ़ीकरण, शिक्षकों, नीति निर्माताओं/प्रशासकों और शोधकर्ताओं के बीच सहक्रिया, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी।

(घ) शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं सहित सभी सहभागियों को सुझावों का उपयोग करने के लिए सुग्राही बनाया गया है। सेमिनार के दौरान जो-जो विचार और सिफारिशें प्रस्तुत किए गए उन्हें विस्तृत परिचालन के लिए प्रलेखित किया गया है ताकि शैक्षिक शोधकर्ता, पढ़ाने वाले शिक्षक, कार्यक्रम प्रबन्धक और नीति निर्माता आदि विभिन्न समस्याओं का समुचित समाधान निकालने के लिए कार्यबिंदु और उपर्युक्त हस्तक्षेप तैयार कर सकें।

[हिन्दी]

चिकित्सा सुविधाएं

3435. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री जी॰एम॰ कुंदूरकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1996 के समाचार पत्र "जनसत्ता" में "दाखिला नहीं मिलने से गंभीर मरीज खुले में रातें काटने को मजबूर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ही भांति डा॰ राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों में भी अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरण और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में ऐसे अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं/अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक रोगी वसीम अहमद आई॰आर॰सी॰एच॰ सं॰ 41006 का प्रथमतः 26-6-96 को एक होडकिन रोग के लिए निदान किया गया था। इस रोगी को रसायचिकित्सा दी गई। दिसम्बर, 1996 में इस रोगी को दोबारा से यह रोग हो गया लेकिन पलंग की अनुपलब्धता के कारण रोगी को 8-1-97 को ही दाखिल किया जा सका। वह रोग के पुनः हो जाने और इसकी जटिलताओं के कारण उसी शाम को मर गया।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को ऐसे किसी रोगी, जिसकी हालत नाजुक हो, को दाखिल करने से मना न करने और इस बात का ध्यान रखने कि उस रोगी को गंभीर हालत में किसी दूसरे अस्पताल में भेजने से पहले वहां प्रबंध कर दिए गए हैं, का निदेश दिया गया है। धर्मशालाओं इत्यादि की सुविधाएं मौजूद हैं और उपलब्ध संसाधनों के भीतर सुधार किए गए हैं।

(घ) और (ङ) बेहतर रोगी परिचर्या के लिए आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। सी॰टी॰ स्केन, अल्ट्रासाउंड जैसे कृत्रिम उपकरण को खरीदने और आपातकालीन विभागों तथा गहन परिचर्या एकक के सुदृढ़ीकरण सहित केन्द्र सरकार के अस्पतालों में समय-समय पर नई सुविधाएं प्रदान की जाती है।

(च) सरकार के पास ऐसे कोई रिकार्ड नहीं हैं।

आयोडीन युक्त नमक

3436. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए अनुसंधान पर अध्ययन से यह पता चला है कि पालिथीन की थैली धूप में रखने से नमक में आयोडीन के अंश कम हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्य वृद्धि तथा विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 100-150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है।

(घ) सरकार राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता जन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :—

क. नमक का सर्वव्यापक आयोडीकरण।

ख. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आयोडीन अल्पता जन्य विकास नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।

ग. प्रचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा।

घ. आयोडीन अल्पता जन्य विकार मानीटरिंग प्रयोगशाला स्थापित करना, और

ङ आयोडीकृत नमक की गुणवत्ता की मानीटरिंग। केरल, गोवा, और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी तथा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के आंशिक भाग को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-आयोडीकृत खाद्य नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

राजस्थान में उप-मार्ग

3437. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए उप-मार्गों और उनकी अवस्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान राज्य में और उप-मार्गों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां बनाए जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8, 11, 12, 14 और 15 पर पहले बनाए गए 12 बाइपासों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8, 11 और 12 पर 5 बाइपासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

तिरूवनंतपुरम से अवैध उत्प्रवास

3438. **श्री के॰ परसुरामन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में तिरूवनंतपुरम के अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि से अवैध उत्प्रवास संबंधी कुछ मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के अवैध उत्प्रवास को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विदेशी पूंजी निवेश

3439. **श्री एन॰ डेनिस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार हेतु विदेशी निवेश की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) वित्तीय रूप से कार्यक्षम और बैंक द्वारा स्वीकार्य मौजूदा दो क्षेत्र वाले लगभग 2000 कि॰मी॰ राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाने के कार्य का देशी और विदेशी दोनों प्रकार के निजी निवेश के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है।

[हिन्दी]

स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यी परियोजना

3440. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यी सिंचाई परियोजना का कार्य रोक देने से दक्षिण बिहार के आदिवासी जिले प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य रोकने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त परियोजना का कार्य पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार की सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को दिसम्बर, 1992 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी परन्तु उसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग को सहमति प्राप्त करनी होगी। चूंकि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है, इसलिए योजना आयोग ने इस परियोजना को निवेश स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

3441. **डा॰ बल्लभ भाई कठीरिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सबसे बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग किस वर्ष बनाया गया था; और

(ख) वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कितनी लम्बाई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) बेचर से राधनपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 14 को सन् 1989 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल किया गया था।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

रा॰रा॰सं॰	नाम	लम्बाई कि॰मी॰
8	दिल्ली-अहमदाबाद बम्बई सड़क	498
8 क	अहमदाबाद-कांडला पत्तन सड़क	378
8 ख	पोरबन्दर-राजकोट-बामन बोरे सड़क	206
8 ग	चिलोदा-सरखेज सड़क	46
14	बेचर-आबू रोड-पालनपुर-राधनपुर सड़क	140
15	पठानकोट-बीकानेर-राधनपुर-समखियाली सड़क	270
ए-1	एक्सप्रैस मार्ग (निर्माणाधीन)	93
	कुल योग	1631

कांडला पत्तन न्यास क्षेत्र

3442. **श्री चन्दूभाई देशमुख :**
श्री एन॰जे॰ राठवा :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक कांडला पत्तन न्यास क्षेत्र की भूमि को गुजरात राज्य सरकार को सौंपे जाने के संबंध में गुजरात सरकार के राजस्व विभाग से कुछ प्रस्ताव प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान आज तक प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से वर्ष-वार कितने प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं/विचाराधीन हैं/सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकार किया जायेगा और इस संबंध में इनकी नवीनतम स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में गुजरात सरकार के राजस्व विभाग से कांडला पत्तन न्यास क्षेत्र की भूमि को राज्य सरकार को सौंपने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिला विकास निगम

3443. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और मध्य प्रदेश में महिला विकास निगमों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें ये निगम स्थापित किए गए हैं; और

(ग) इन निगमों द्वारा अब तक किए गए कार्यों का निगम-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार राज्य महिला विकास निगम तथा मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम क्रमशः पूरे बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत हैं।

(ग) बिहार राज्य महिला विकास निगम द्वारा अब तक किए गए कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

(1) निगम ने अब तक 444 महिलाओं को 5,06,836/- रुपए की सीमान्त राशि सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, देवघर में हथकरघा साड़ी तथा बैगों के लिए एक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र खोला गया तथा बांसजोड़ा में टस्सर बुनाई तथा चरखी केन्द्र चलाया जा रहा है।

(2) प्रत्येक वर्ष 'अन्तर-राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर 'महिला समृद्धि उत्सव' मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं तथा महिला समूहों द्वारा तैयार वस्तुओं की बिक्री की जाती है और प्रदर्शनी, दैनिक कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा निःशुल्क चिकित्सकीय जांच शिविर भी लगाए जाते हैं।

मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम ने अब तक निम्नलिखित कार्य किए हैं :—

(1) 'ग्राम्य' स्कीम चलाई, जिसके अन्तर्गत छोटा-मोटा काम-धंधा करने की इच्छुक महिलाओं को निगम द्वारा 500/- रुपए का ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। निगम ने अब तक 53,000 से भी अधिक महिला लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया है।

(2) 'फोटो कापियर मशीन' स्कीम लागू करना, जिसके अन्तर्गत बैंक से ऋण लेकर फोटो कापियर मशीन लगाने वाली महिलाओं को 10 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जाती है जो अधिकतम 10000/- रु॰ होती है।

(3) 'सामर्थ्य' स्कीम लागू करना, जिसके अन्तर्गत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को मान्यता प्राप्त सस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाने का व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है।

(4) 'टंकण प्रशिक्षण' स्कीम लागू करना, जिसके अन्तर्गत राज्य के जिला मुख्यालयों और अन्य बड़े कस्बों में महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(5) 'नोराड स्कीमें' लागू करना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण जैसे कार्य निगम को सौंपे गए हैं।

(6) राष्ट्रीय महिला कोष के लिए नोडल अभिकरण।

(7) स्टेप परियोजना का कार्यान्वयन अभिकरण।

(8) राज्य के छः जिलों (हौशंगाबाद, देवास, सिहोर, बेतूल, टीकमगढ़, छतरपुर) में केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण महिला विकास और शक्ति सम्पन्नता कार्यक्रम जिसका निधीयन विश्व बैंक-अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा किया जाता है, का कार्यान्वयन अभिकरण।

(9) ड्वाकरा दलों द्वारा तैयार चीजों की मेलों में बिक्री की व्यवस्था।

(10) आयोत्पादन गतिविधियों के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण का आयोजन।

[अनुवाद]

प्रतीक चिन्ह

3444. श्री पी॰एस॰ गढ़वी :

डा॰ ए॰के॰ पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सेवाओं के लिए परिवार नियोजन प्रतीक चिन्ह जैसे चिन्ह आबंटित किए गए हैं;

(ख) क्या पूरे देश में सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों के लिए ऐसा कोई चिन्ह नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूरे देश में सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों के लिए चार्टर मार्क के रूप में विशेष "लोगों" को मानकीकृत करने के लिए कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) परिवार कल्याण सेवाओं के लिए प्रतीक चिह्न प्रतिलोमित तिकोन है। पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए भी एक प्रतीक चिह्न आरम्भ किया गया है।

(ख) सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोई विशिष्ट प्रतीक चिह्न नहीं है। तथापि, किसी अस्पताल की पहचान के लिए "रेड-क्रास" का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।

(ग) से (ङ) अस्पताली सेवाओं में सुधार लाने के लिए चार्टर तैयार होने और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। अस्पतालों के लिए अलग से कोई प्रतीक चिह्न के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

रोगों से बच्चों की मौत

3445. श्री ललित उरांव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षय रोग, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस और खसरे जैसे रोगों से प्रतिवर्ष कितने बच्चों की मौत होती है;

(ख) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इन रोगों से मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है;

(ग) सरकार द्वारा अनेक टीकाकरण कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के बावजूद बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में सफल नहीं होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक योजना तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित करने की योजना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो के अनुसार वर्ष 1996 में क्षयरोग, पोलियो, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस (नवजात टेटनस) और खसरे से हुई मौतों की अन्तिम कुल संख्या क्रमशः 4834, 27, 61, 13, 823 और 180 थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुसार 0-4 वर्ष के बच्चों में मृत्यु दर 1984 में प्रति हजार पर 41.2 से घट कर 1993 में 23.7 हो गई है।

(घ) से (च) बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 1992 से शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चलाया गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में बाल मृत्यु को रोकने के कार्य जारी रखे जाएंगे।

पी॰जी॰आई॰ हास्पिटल के व्याख्याता की पदोन्नति

3446. श्री हरपाल सिंह साथी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी॰जी॰आई॰ चण्डीगढ़ के कुछ व्याख्याताओं को 1993 से वेतनवृद्धि नहीं दी गई है;

(ख) क्या कुछ व्याख्याताओं को पदोन्नति नहीं दी गई है यद्यपि वे पिछले दो साल से पदोन्नति के पात्र हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रवक्ताओं को पदोन्नति देने और उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ में चिकित्सीय, गैर-चिकित्सीय संकाय संवर्ग में प्राध्यापक का पद विद्यमान नहीं है। तथापि बी एस सी/एम एस सी (नर्सिंग)/(चिकित्सीय प्रोद्योगिकी) के छात्रों के शिक्षण के लिए नर्सिंग और चिकित्सीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में प्राध्यापकों के पद विद्यमान हैं। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में कार्य कर रहे किसी भी प्राध्यापक की कोई वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई है। चूंकि इस संवर्ग में कोई अन्य उच्चतर पद नहीं है, इसलिए पिछले 2 वर्षों में मात्र प्राध्यापकों को प्रोन्नत करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में पुल

3447. श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर नए पुलों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पुलों के निर्माण के लिए 6 प्रस्ताव जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

नेताजी की अस्थियां

3448. श्री के॰ प्रधानी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां टोकियो से वापस लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : इस मामले में अभी तक कोई अंतिम राय कायम नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर पुल

3449. श्री अंचल दास : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक और बालासौर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर ब्राह्मणी एवं खारस्त्रोता नदी पर बने नदी पुलों की वहन क्षमता और मियाद क्या है और इस संबंध में इन दो पुलों की अलग-अलग औसत क्या है; और

(ख) उक्त नदियों पर अतिरिक्त पुलों का निर्माण करने और उन्हें सुदृढ़ एवं चौड़ा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) नदी पर बने एक स्थायी पुल की सामान्य डिजाइन आयु 50 वर्ष है। इन पुलों द्वारा औसतन 26931 पी सी यू यातायात हैंडल किया जाता है।

(ख) इन पुलों को मजबूत बनाने और चौड़ा करने अथवा इस खंड में नदियों पर अतिरिक्त पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में मदरसे

3450. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में 'जमायत-ए-इस्लामी' द्वारा चलाए जा रहे मदरसों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये मदरसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दमन और दीव के लिए जल

3451. श्री गोपाल टंडेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) की सीमा पर मधुबन बांध बनाया गया था जिसे गुजरात राज्य सरकार द्वारा इसलिए पूरा किया गया कि दमन गंगा के जल का गुजरात और दादरा और नगर हवेली तथा दमन संघ राज्य क्षेत्र पीने और सिंचाई के लिए जल का आपस में बंटवारा कर सकें; और

(ख) गुजरात राज्य सरकार और दमन प्रशासन द्वारा दमन संघ राज्य क्षेत्र को सिंचाई के लिए वांछित जल प्रदान करने के-लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि सिंचाई जल की कमी के कारण दमन के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। मधुबन बांध वर्ष 1989 में पूरा किया गया था। नहर प्रणाली पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। जून, 1996 तक 41,433 हैक्टेयर, 7114 हैक्टेयर और 3102 हैक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता में से गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली और दमन में क्रमशः 24708 हैक्टेयर, 5844 हैक्टेयर और 1571 हैक्टेयर क्षमता सृजित की गई है।

शेष कार्य पूरा करने में मुख्य बाधाएं ये हैं :- भूमि अधिग्रहण समस्या और विशेषकर दमन संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा नहर भूमि में अनाधिकृत कब्जा करना।

प्रबन्ध संस्थानों का विकास

3452. श्री राजेन्द्र सिंह राणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लोकाचार और मूल्य प्रणाली (इंडियन इथोस एंड वेल्यू सिस्टामस) के दिशा निर्देश के अन्तर्गत राज्यवार कितने प्रबंध संस्था कार्यरत हैं; और

(ख) सरकार द्वारा अब तक इन संस्थाओं के समगर विकास में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्ययोजना में भारतीय अनुभवों और मूल्यपरक प्रणाली के प्रति उन्मुख प्रबंध शिक्षा पर उचित बल दिया गया है। कुछ संस्थान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तथापि, राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारतीय प्रबन्ध संस्थान के 1981 और 1992 के पुनरीक्षणों को विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया गया था और सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश में प्रबन्धन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(1) एक अखिल भारतीय प्रबंधन अध्ययन बोर्ड की स्थापना।

(2) संस्थानों के अनुमोदन के लिए मानदण्डों और मानकों का विकास।

(3) अनुमोदनों की शर्तों के अनुपालन/पूरा करने हेतु संस्थानों का आवधिक अनुवीक्षण।

(4) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रतियोगी वातावरण को प्रोत्साहित करना।

जहाजरानी उद्योग को वित्तीय प्रोत्साहन

3453. श्री नामदेव दिवाथे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बढ़ती हुई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा में जहाज रानी उद्योग में सकारात्मक वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु इसे दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए एक पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू तथा आगामी तीन वर्षों के दौरान जहाजरानी क्षेत्र में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निवेश का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार, नौवहन उद्योग को कोई वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध नहीं कराती है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा गठित नौवहन संबंधी कार्यदल ने भारतीय नौवहन निगम, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की नौवहन कंपनी है, के 5611/- करोड़ रु॰ के निवेश सहित 15,000/- करोड़ रु॰ (लगभग) के निवेश से नौवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 97-98 से 2001-2002 के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में 3.7 मिलियन जी आर टी के अभिग्रहण की सिफारिश की है। आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97) में 7 मिलियन जी आर टी प्राप्त करने का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताएं

3454. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने अनेक बार उड़ीसा राज्य सरकार को मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बारे में संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा लोक लेखा समिति द्वारा किए गए दोषारोपण संबंधी कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मिड-डे मील योजना को सही ढंग से कार्यान्वित करने वाले और भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त राज्य के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा "मीनेको टाईप" के नमकीन बिस्कुटों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी परन्तु खरीददारी मोनेको टाईप के बिस्कुट की न करके किसी अन्य प्रकार के बिस्कुट की गई; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में चिकित्सा महाविद्यालय

3455. **श्री बाजू बन रियान :**
श्री बादल चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा सरकार से राज्य में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत चिकित्सा कालेज स्थापित करने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

इन्दौर-उज्जैन सड़क

3456. **श्री भेरूलाल मीणा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर-उज्जैन-रतलाम-बांसवाड़ा-दुर्गापुर-अहमदाबाद सड़क मार्ग को नई राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकारों को मान्यता

3457. **श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा पत्रकारों को अलग से मान्यता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान तीनों सशस्त्र सेनाओं की प्रेस "कवरेज" हेतु किन-किन पत्रकारों को अनुमति दी गई है; और

(घ) प्रेस "कवरेज" हेतु पत्रकारों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी गई मान्यताओं को दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के जल सम्पर्क निदेशालय द्वारा वैध माना जाता है। रक्षा मंत्रालय, संवाददाताओं/पत्रकारों को अलग से कोई मान्यता प्रदान नहीं करता है। जल संपर्क निदेशालय के शाखा कार्यालय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई मान्यता पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। सामान्यतः रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रमों को "कवरेज" करने के लिए मीडिया से जड़े सभी संगठनों को खुला निमंत्रण दिया जाता है बशर्ते कि परिवहन, आवास और स्थान की विवशता न हो। चुंकि नई दिल्ली में मुख्यालय के अतिरिक्त रक्षा जन संपर्क कार्यालय के 24 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसलिए प्रेस पार्टियों के लिए पत्रकारों की कोई केन्द्रीयकृत सूची नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

बांध का निर्माण

3458. **श्री शांतिलाल पुरषोत्तमदास पटेल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात सरकार ने हाल ही में जूनागढ़ जिले में "कन्सट्रक्ट योर चैक डैम स्कीम" आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना की सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान किए जाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) किसान, गैर-सरकारी संगठन तथा दाता अपने कार्यक्रम के समान ही इस स्कीम में भाग ले सकते हैं। कोई भी किसान अथवा गांव गुजरात सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के परामर्श से चैक बांध के लिए स्थान का चुनाव कर सकता है। हिताधिकारी जल संसाधन विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पंजीकृत किसी गैर सरकारी संगठन के पास अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत जमा करेगा। गैर सरकारी संगठन द्वारा इस 10 प्रतिशत अंशदान का उपयोग करते हुए निर्माण शुरू किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन द्वारा इस 10 प्रतिशत राशि के व्यय करने के बाद, गुजरात सरकार शेष 90 प्रतिशत राशि कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किश्तों में देगी। पूर्ण चैक बांध का रखरखाव गैर सरकारी संगठन और किसानों द्वारा किया जायेगा और इसका प्रयोग हिताधिकारी किसानों द्वारा किया जायेगा। गुजरात सरकार गैर सरकारी संगठन को रखरखाव के लिए अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत आबंटित करेगी। इस स्कीम के तहत 15 लाख रुपये तक की लागत के चैक बांधों पर विचार किया जा सकता है। कोई भी गैर सरकारी संगठन अथवा दाता जो अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत अथवा अधिक का अंशदान चन्दे के रूप में करता है, वह इस चैक बांध के लिए अपना नाम दे सकता है।

(ग) प्रत्येक चैक बांध के आसपास की लगभग 10 हेक्टेयर भूमि को लाभ हो सकता है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सफदरजंग अस्पताल में आपातकालीन सेवा

3459. **श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आपातकालीन विभाग में भर्ती करने से मना कर दिया जाता है और उन्हें एम्बुलेंस से सफदरजंग अस्पताल के आपातकालीन विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सफदरजंग अस्पताल को भेजे गए ऐसे गंभीर मामलों की संख्या क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(घ) क्या सफदरजंग अस्पताल के आपातकालीन विभाग में गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के समय पर इलाज उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञ तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की सुविधा मौजूद है;

(ङ) क्या सी॰टी॰ स्कैन, अल्ट्रा साउंड जैसे महत्वपूर्ण उपस्कर आपात कालीन विभाग में खराब रहते हैं तथा मरीजों को गंभीर हालत में निजी संस्थानों में परीक्षण हेतु जाने की सलाह दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को कैजुएल्टी में जाए ले जाने वाले दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की कैजुएल्टी में पुनरूज्जीवित किया जाता है और बिस्तर उपलब्ध न होने के मामले में सफदरजंग अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में भेज दिया जाता है।

(ख) संस्थान, सफदरजंग अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में भेजे गए रोगियों के संबंध में चिकित्सा परामर्श रिकार्ड की प्रतियां अपने पास रखता है। लेकिन सांख्यिकीय प्रयोजन के लिए इन आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता। संस्थान में बिस्तर उपलब्ध न होने के कारण संस्थान से हर रोज औसतन 8-16 रोगियों को सफदरजंग अस्पताल अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों में भेजा जाता है।

(ग) संस्थान से अन्य अस्पतालों में ले जाने के दौरान होने वाली मौतों की सूचना नहीं दी जाती और इसलिए रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले विरल ही होते हैं क्योंकि गंभीर रूप से बीमार/गंभीर रोगियों को किसी दूसरे अस्पताल में तब तक नहीं भेजा जाता जब तक उनकी स्थिति स्थिर नहीं हो जाती।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) जी, नहीं। कभी-कभार जब उपकरण अस्थायी तौर पर काम नहीं कर रहा होता है, रोगियों को अन्य अस्पतालों में भेजा जाता है।

[हिन्दी]

म्यांमार जाने के लिए सड़क मार्ग

3460. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग से म्यांमार की यात्रा करने के लिए वीजा सुविधा देने के संबंध में म्यांमार सरकार से बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) म्यांमार में भारतीय मूल के लोगों के साथ भारतीयों के घनिष्ठ संबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) म्यांमार में सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति देने का प्रश्न उस देश के प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया था। म्यांमार की सरकार ने यह सूचित कर दिया है कि वर्तमान समय में स्थल मार्ग संचलन व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रणाली का निजीकरण

3461. **कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा प्रणाली का निजीकरण करके निजी उद्यमियों को विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय और अन्य तकनीकी संस्थान खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है और ऐसी नीति के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस विसंगति को दूर करने के लिए देश के किसी भी भाग में विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और चिकित्सा कालेज खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को उड़ीसा से एक नया विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज/मेडीकल कालेज खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) निजीकरण से अभिप्राय सरकारी से निजी पक्षों के अंतर्गत वर्तमान संस्थानों या प्रतिष्ठानों के संबंध में पूर्णतः या अंशातः नियंत्रण के स्थानान्तरण से है। सरकार निजीकरण को बढ़ावा देना नहीं चाहती है। देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के कार्य में या तो विशिष्ट या सामान्य विधान की आवश्यकता है। निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 1995 नामक एक विधेयक राज्य सभा में विचारार्थ लंबित है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की थी कि वित्तीय संसाधनों की कमियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने पर रोक लगानी चाहिए।

नवोदय विद्यालय का कार्यकरण

3462. **श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण के पुनर्गठन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) नवादय विद्यालयों की कार्य व्यवस्था के बारे में कुछ शिकायतें समय-समय पर प्राप्त हुई हैं, ये मुख्यतः मूलभूत सुविधाओं जैसे अस्थाई स्थान पर बिजली, पानी, खेल का मैदान और आवासों की कमी तथा भोजन की गुणवत्ता के बारे में है। ऐसी सभी शिकायतों की जांच की जाती है और उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) समिति ने स्थाई स्थानों पर निर्माण कार्य के गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अस्थाई स्थानों पर कार्यरत विद्यालयों के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, आवास की व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। आवास व्यवस्था पर खर्च के लिए आवंटन प्रति बालक बढ़ाया गया है। भोजन की गुणवत्ता को सुधारने और अन्य कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी तथा गहन अनुवीक्षण किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाटिक सोसाइटी की अनुसंधान परियोजना

3463. **श्री चित्त बसु : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ने भारत-रूस संबंधी अनुसंधान परियोजना पर कार्य करने के लिए एक दल मास्को भेजा है;

(ख) क्या इन्स्टीट्यूट ऑफ ओरयन्टल स्टडीज मास्को ने इस अनुसंधान परियोजना पर एशियाटिक सोसाइटी के सहयोग से कार्य किया है;

(ग) क्या एशियाटिक सोसाइटी के लोग मास्को में अपना काम पूरा करके लौट आए हैं;

(घ) क्या एशियाटिक सोसाइटी ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालय

3464. श्री राम सजीवन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सीतापुर जिले में विनायक मिशन चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने दोनों महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सिफारिश की है; और

(ग) यदि नहीं, तो पात्रता की सभी शर्तें पूरा किए जाने के बावजूद सिफारिश करने में विलंब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर जिले में एक मेडिकल तथा एक दंत चिकित्सा कालेज स्थापित करने के लिए तिरूमुरूगा किरूपनंदा वीरयार तवतिरू सुंदरा स्वामीगत चिकित्सा शिक्षा और पूर्त न्यास को अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी किया है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने मेडिकल कालेज स्थापित करने के आशय वाला एक पत्र जारी करने की सिफारिश की है, परन्तु यह भी उल्लेश किया कि स्टाफ की नियुक्ति और अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं में कमियां हैं। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को सिफारिशों के आधार पर दंत चिकित्सा कालेज की स्थापना करने हेतु इस आशय का पत्र निर्गत किया गया है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर भी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

बेंजीन हेक्सा क्लोराईड पर प्रतिबंध

3465. श्री दिनशा पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेंजीन हेक्सा क्लोराईड कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इसका विकल्प ढूंढ लिया है;

(ग) बेंजीन हेक्सा क्लोराईड और चुने गए विकल्प के लक्षित जनसंख्या क्षेत्र में छिड़काव करने में तुलनात्मक लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) वैकल्पिक कीटनाशक के प्रयोग से मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम पर कुल अतिरिक्त लागत परिव्यय क्या है; और

(ङ) क्या बेंजीन हेक्सा क्लोराईड के प्रयोग को जारी रखने में होने वाला जोखिम अतिरिक्त लागत की तुलना में औचित्यपूर्ण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) बेंजीन हेक्सा क्लोराइड (बी॰एच॰सी) से पर्यावर्णिक प्रदूषण की अधिक संभावना होती है जिसके कारण इसके कीटनाशक के रूप में उपयोग करने पर 31 मार्च, 1997 के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में, जहां मच्छरों में बी॰एच॰सी॰ तथा डी॰डी॰टी॰ के प्रति प्रतिरोध शक्ति आ गई है, वैकल्पिक कीटनाशक मुख्यतया मलाथियान 25 प्रतिशत डब्ल्यु॰ पी॰ है। तथापि, आमतौर पर कीटनाशकों पर निर्भरता को सुरक्षित जैव-पर्यावर्णिक तरीकों तथा शिक्षा, उदाहरण और जहां कहीं आवश्यक हो, निवारक उपायों के माध्यम से मच्छरों के अंडे देने के स्थानों को नष्ट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने जैसे उपायों से बदलना है।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावर्णिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा प्रस्तुत की गई पर्यावर्णिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष मलाथियान से घरों में कीटनाशक छिड़काव करने से 1996 के प्रचलित मूल्यों पर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 36.12 रुपये की लागत आती है जबकि बी॰एच॰सी॰ के मामले में यह लागत 8.97 है।

(घ) और (ङ) बी॰एच॰सी॰ एक विकेन्द्रीकृत मद है जो मुख्यतया राज्यों द्वारा प्राप्त की जाती है। कीटनाशकों के छिड़काव का उपयोग कम करने के लिए क्षेत्रों का गहन स्तरण किया जा रहा है। लार्वाभक्षी मच्छलियों तथा औषध युक्त बेट-नेटों का इस्तेमाल जैसे सुरक्षित तरीकों की आजमाइश की जा रही है ताकि रसायनिक लार्वानाशकों पर निर्भरता कम की जा सके। प्रति स्थापना लागत क्या होगी यह अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह विभिन्न वैकल्पिक कार्यनीतियों जो कि अभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में से है, की प्रभावकारिता पर निर्भर होगी। बी॰एच॰सी॰ के उपयोग के संभावित खतरे को देखते हुए, वैकल्पिक उपायों पर किया गया खर्च न्यायसंगत है।

टी-72 अजय टैंक

3466. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी-72 (अजय) टैंक परियोजना हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या इन टैंकों हेतु आवश्यकता से अधिक कच्चा माल खरीदा गया है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी मशीनों/कच्चा माल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिससे राजकोष को भारी घाटा हो रहा है;

(घ) क्या मशीनों और कच्चे माल गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुरूप नहीं थे;

(ङ) यदि हां, तो क्रयादेश देते समय गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा की गयी है;

(च) यदि हां, तो मशीनों के उपयोग नहीं होने से उनकी चोरी आदि हो जाने के कारण अनुमानित हानि क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार कुप्रबंध के कारण राजकोष को भारी पैमाने पर हुए घाटे का पर्दाफाश करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) आबंटन 412.25 करोड़ रुपए का है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) और (ज) जी, नहीं। उपर्युक्त (ख) से (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भूमिगत जल स्तर

3467. **श्री लक्ष्मण सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए कोई योजना पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कब तक मंजूर होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने छः जिलों में भू जल पुनः पूरण के सम्बन्ध में 3257.39 लाख रु॰ की अनुमानित लागत पर अपने द्वारा बनाई गई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से खांडवा जिले में बोलाना परकोलेशन टैंक की योजना भी प्राप्त हुई है।

(ख) राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि प्रायोगिक आधार पर भू जल पुनः पूरण में राज्यों को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना बनाई है। यह योजना अभी परामर्श स्तर पर है। योजना के अनुमोदित हो जाने के बाद राज्य सरकार की कुछ परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर विचार किया जा सकता है।

कृत्रिम तारामंडल

3468. **श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने कृत्रिम तारामण्डल हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दक्षिणी बिहार के गिरडीह, कोडरमा तथा हजारीबाग जिलों में कृत्रिम तारामण्डल बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग के स्वायत्त, वैज्ञानिक संगठन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने देश में मध्यम-आकार के दो कृत्रिम तारामंडल-एक कालीकट में और दूसरा नागपुर में स्थापित किए हैं, जो उन स्थानों के विज्ञान केन्द्रों से सम्बद्ध हैं। इन दो कृत्रिम तारामंडलों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् ने खगोल विज्ञान संबंधी शिक्षा के लिए घरेलू लघु पोर्टेबल कृत्रिम तारामंडलों का भी विकास किया है और उन्हें देश के विभिन्न भागों में वितरित किया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों और निजी संगठनों द्वारा भी देश के विभिन्न स्थानों पर कृत्रिम तारामंडल स्थापित किये जाते हैं, जिनका ब्यौरा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख) बिहार के इन जिलों में कृत्रिम तारामंडल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

छवारा पुल से कोल्लाम बाईपास के लिए धनराशि

3469. **श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से छवारा पुल के लिए निर्धारित 2 करोड़ रु॰ की राशि का कोल्लाम बाईपास, फेज-दो के निर्माण हेतु उपयोग करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इसके लिए स्वीकृति प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त परियोजनाओं के कार्य कब से शुरू होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय अभाव के कारण कोल्लाम बाइपास फेज-II के निर्माण का कार्य वार्षिक योजना 1996-97 में शामिल नहीं किया जा सका।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में नरसापुर पत्तन

3470. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में नरसापुर पत्तन का चावल/धान के पत्तन के रूप में विकास करने का विचार है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा चावल संबंधी पत्तन के इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता के संबंध में कृषि मंत्रालय के साथ चर्चा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितना पूंजी परिव्यय निहित है तथा मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले में नरसापुर में चावल/अनाज पत्तन विकसित नहीं कर रही है।

(ख) नरसापुर में चावल पत्तन की व्यवहार्यता पर कृषि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग महाविद्यालय/विश्वविद्यालय

3471. श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में नया इंजीनियरिंग महाविद्यालय/केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) कोई नया इंजीनियरी कालेज/केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से न तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

ब्रिगेड को वापस बुलाना

3472. श्री ए॰सी॰ जोस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थलसेना ने "नाइन्थ इंडिपेंडेंट ब्रिगेड" को चीन सीमा के बारहोटी क्षेत्र से वापस बुलाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰बी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) सेना यूनिटों के संचलन का निर्णय संक्रियात्मक आवश्कताओं के आधार पर लिया जाता है। इससे संक्रियात्मक तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

रक्षा आवंटन में वृद्धि

3473. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा रक्षा के लिए अत्यधिक राशि के आवंटन किए जाने के कारण भारतीय वायु सेना ने इसका मुकाबला करने हेतु और अधिक धन के आवंटन का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰बी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा सुरक्षा परिवेश और सम्भावित खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने चल रहे आधुनिकीकरण संबंधी बजट आबंटित किए जाने के वास्ते अनुरोध किया है।

सरकार ने भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट आबंटन में वृद्धि की है। वर्ष 1996-97 के संशोधित प्राक्कलन में की गई 7551.57 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले वर्ष 1997-98 के बजट प्राक्कलन में 8786.15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। यह 16.35 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

मुगल सड़क परियोजना

3474. श्री मंगत राम शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य में मुगल सड़क परियोजना के कार्य को अपनी एजेंसियों द्वारा ही करवाने के लिए आग्रह कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बी॰आर॰डी॰बी॰ के पास उपलब्ध विशेषज्ञता तथा बेहतर बुनियादी सुविधाओं के दृष्टिगत मुगल सड़क परियोजना संबंधी कार्य को बी॰आर॰डी॰बी॰ को अंतरित करने के संबंध में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को मनाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या मुगल सड़क परियोजना जम्मू-कश्मीर के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज का एक भाग है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना के कार्य को करवाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि यह राज्य-परियोजना है, अतः केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को बी आर डी बी की विशेषज्ञता का उपयोग करने पर विचार करने की सलाह दी है।

(ग) जी हां।

(घ) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का अंतरण

3475. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने व्यावसायिक छात्रों के लिए प्रशिक्षुता-प्रशिक्षण, वर्तमान में जिसे प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड को सौंपा गया है, के अन्तरण का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम संबंधी पैनल

3476. श्री संदीपान थोरात : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन निगम अधिनियम की समीक्षा करने संबंधी गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो की गई टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है;

(ग) मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से विशेषकर बड़े शहरों में प्रदूषण स्तर में हो रही चिंताजनक वृद्धि पर की गई समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :-

(i) राज्य सड़क परिवहन निगमों के निदेशक बोर्ड का अधिक विस्तारपूर्वक गठन किया जाना चाहिए और इसमें व्यवसाइयों तथा यात्रियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) निगम व्यावसायिक सिद्धांतों पर इस प्रकार कार्य करेगा कि निवेशित पूंजी पर 3 प्रतिशत की न्यूनतम लाभ दर सुनिश्चित की जा सके।

(iii) निगम को उसके कार्यचालन में अधिक स्वायत्तता देना।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम में जब कभी संशोधन किया जाएगा तो वह देश के सभी राज्य सड़क परिवहन निगमों पर समान रूप से लागू होगा।

(ग) और (घ) यद्यपि ऐसी कोई समीक्षा नहीं की जाती परन्तु प्रदूषण स्तर में खतरनाक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चार महानगरों नामतः दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में पंजीकरण कराने के लिए दिनांक 1.4.95 से पेट्रोल चालित सभी चौपहिया वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगवाना अनिवार्य है। सीसा रहित पेट्रोल की उपलब्धता के अध्यधीन अन्य बड़े शहरों में भी इस विनियम को भी लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, वाहनों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए दिनांक 1.4.96 से धुआं उत्सर्जन के अधिक कठोर मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं। दिनांक 1.4.96 के पश्चात् निर्मित प्रत्येक वाहन के लिए सड़कों पर चलने हेतु धुंआ उत्सर्जन के इन मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों, उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों के पेट्रोल चालित चौपहिया वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) द्वारा चालित वाहनों में बदल दिया गया है अथवा उनमें कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा दिए हैं।

विद्रोह के प्रतिरोध हेतु कार्य में सेना की तैनाती

3477. श्री छीतुभाई गामीत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कश्मीर में फैले विद्रोह को दबाने के लिए तैनात सेना के जवानों ने "शांति अवधि के दौरान हुये युद्धों" में अपनी जानें गंवाई थीं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, कश्मीर क्षेत्र में "शांति अवधि के दौरान हुये युद्धों" में कितने सैनिक हताहत हुये: और

(ग) उक्त क्षेत्र में उनकी देखभाल करने वाले कितने चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सीय कर्मचारी हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) यह सत्य है कि कश्मीर घाटी में प्रति-विद्रोही संक्रियाओं में कई सेना कार्मिक मारे गए हैं।

(ख) वर्ष 1994 से 1996 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान कश्मीर घाटी में इस प्रकार की संक्रियताओं में 1795 सैनिक जख्मी हुए थे।

(ग) जम्मू तथा कश्मीर में प्रति-विद्रोही संक्रियताओं में तैनात सेना कार्मिकों की देख-भाल 4616 डॉक्टर तथा अन्य चिकित्सा स्टाफ कर रहा है।

केरल में ग्रामीण विश्वविद्यालय

3478. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ग्रामीण विश्वविद्यालय आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पांचवें राष्ट्रीय खेलकूद का आयोजन

3479. **श्री उधव बर्मन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवां राष्ट्रीय खेलकूद इम्फाल में आयोजित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोजन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निर्मित स्टेडियम का एक भाग गिर चुका है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना की कोई जांच कराई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने पांचवें राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल संबंधी बुनियादी सुविधाएं सृजित करने हेतु 17.10 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सम्पूर्ण कार्य मणिपुर सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसने बताया है कि मणिपुर सरकार द्वारा 21.11.96 को एक विभागीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। समिति की सिफारिश के अनुसार ढांचे के डिजाइन और भार परीक्षण की पुनः जांच पड़ताल की गई थी। इसके अलावा, कार्यान्वयन के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के तकनीकी विनिर्देशों की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक तकनीकी जांच समिति का गठन कर दिया गया है।

मस्तिष्क मलेरिया

3480. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने "सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लांट", लखनऊ के साथ मिलकर महाराष्ट्र और राजस्थान के अधिकांश भागों में फैले विनाशकारी मस्तिष्क मलेरिया के उपचार हेतु एक प्रभावी औषधि को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस औषधि तथा इसकी प्रभावकारिता संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उसके व्यवसायिक उत्पादन के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने "सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड एरोमेटिक प्लांट" लखनऊ के साथ मिलकर प्लांट अर्टेमिसिया एनुआ (चीनी वीड) से एक नई मलेरियारोधी औषधि "अरटीतर" का विकास किया है। यह औषधि पी फाल्सीपेरम मलेरिया, औषधि प्रतिरोध शक्ति मलेरिया के रोगियों तथा गंभीर एवं जटिल मलेरिया के मामलों में कारगर है।

(ग) औषधि महानियंत्रक (भारत) ने मस्तिष्क मलेरिया सहित भयंकर मलेरिया तथा क्लोरोक्वीन प्रतिरोध शक्ति वाले मलेरिया की दूसरी अवस्था में ही इस्तेमाल के लिए केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा उसके अरटीतर इंजेक्शन के विनिर्माण तथा विपणन का अनुमोदन जनवरी, 1997 के दौरान किया।

यह केवल अस्पतालों/संस्थाओं/नर्सिंग होमों को आपूर्ति करने के लिए है तथा इस प्रभावी औषधि का अन्धाधुन्ध सेवन रोकने के लिए इसे खुदरा माध्यमों से बेचे जाने, भंडारित करने तथा वितरित किए जाने की मनाही है।

उड़ीसा में व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गैर-सरकारी संगठन

3481. **श्री के॰पी॰ सिंह देव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए गैर सरकारी एजेन्सियों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी गैर-सरकारी एजेन्सियां उड़ीसा में व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन एजेन्सियों द्वारा किन-किन विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है तथा गत पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान उड़ीसा में 48 स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान दिए गए हैं।

(ग) इनसे संबंधित ब्यौरों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

एजेंसी का नाम		कार्यान्वित किया गया कार्यक्रम	स्वैच्छिक एजेंसियों को दिया गया अनुदान (रु॰)
1		2	3
1991–92			
1.	जगराता श्रमिक संगठन	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	37,500
2.	जटिया युवा संघ	3 जन शिक्षण निलयम	10,405
3.	खाली कोटे मर्दराज सांस्कृतिक परिषद	15 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	17,000
4.	डेंगाबोराय महिला समिति	60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	18,125
		60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र (जारी)	46,672
5.	वाई॰ए॰आर॰आर॰ (जिला अंगल)	संपूर्ण साक्षरता अभियान	3,35000
6.	सर्वोदय सेवा समिति	60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	68,300
7.	ग्राम मंगल पाठागार	15 जन शिक्षण निलयम	41,583
8.	रामजी युवक संघ	60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	66,830
9.	युवा कृषक संघ	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	29,369
10.	मूल लाइट क्लब	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र (जारी)	25,427
11.	निशाद्रि (जिला धेनकानाल)	30 उत्तर साक्षरता तथा एफ॰यू॰	6,579
12.	श्रीराम युवक संघ	3 जन शिक्षण निलयम	31,500
		30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	36,350
13.	विद्युत क्लब	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	32,070
14.	निस्कैप (जिला धेनकानाल)	200 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	2,05,966
15.	गणपति युवक संघ	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	8,439
16.	लोक दृष्टि	15 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	17,000
17.	ग्रामीण पुनगर्ठन मित्र संघ	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	37,500
18.	बालासोर जिला नारी संघ	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	37,475
19.	आर्थिक व सामाजिक हित आयोग	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	36,350
20.	द्वारसनि श्रमिक संघ	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	37,500
1992–93			
1.	कटक जिला महिला विकास समिति	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	21,885
2.	सांस्कृतिक विकास तथा सांस्कृतिक संबंध परिषद	60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	47,476
3.	नेताजी युवक संघ, गोयल भाटी, बोलंगीर	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	35,582
4.	जगन्नाथ युवक संघ कंधकेल गांव	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	30,054
5.	ग्राम सेवा मंडल	30 उत्तर साक्षरता तथा एफ॰यू॰	4,386
		30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	17,675
6.	नेताजी युवक संघ ऋषिदा, कालाहांडी	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	35,484
7.	अरविन्द क्लब	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	22,803

1		2	3
1993–94			
1.	अंत्योदय चेतना मंडल	संपूर्ण साक्षरता अभियान	5,00,000
2.	नेताजी युवक संघ, बालिपोखरी बालोसोर	5 ज॰शि॰नि॰	23,875
		2 ज॰शि॰नि॰	6,835
3.	दि डिवाइन लाइफ सोसाइटी	60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	9,060
4.	पाराद्वीप साक्षरता समिति	संपूर्ण साक्षरता अभियान	1,47,551
5.	विश्वास (जिला नौपाड़ा)	संपूर्ण साक्षरता अभियान	2,80,615
6.	भारत सेवा परिषद	संपूर्ण साक्षरता अभियाम	1,94,742
7.	विद्युत क्लब	संपूर्ण साक्षरता अभियान	1,81,798
8.	ग्राम उन्नयन समिति	संपूर्ण साक्षरता अभियान	2,14,217
9.	जयन्ती पाठागार	संपूर्ण साक्षरता अभियान	1,54,269
10.	वाई॰ए॰आर॰आर॰ (जिला अंगुल)	संपूर्ण साक्षरता अभियान	50,843
11.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	संपूर्ण साक्षरता अभियान	3,03,009
12.	बापूजी युवा परिषद	संपूर्ण साक्षरता अभियान	2,67,715
13.	श्री श्री बालकपिलेश्वर युवा संघ और पाठागार	संपूर्ण साक्षरता अभियान	1,79,430
14.	स्व-रोजगार ग्रामीण विकास संस्थान	संपूर्ण साक्षरता अभियान	1,45,406
15.	एन॰आई॰आई॰आर॰डी॰ (जिला जाजपुर)	संपूर्ण साक्षरता अभियान	1,71,551
16.	जय भारती साथी समाज	संपूर्ण साक्षरता अभियान	9,96,902
17.	वर्षा (जिला भद्रक)	संपूर्ण साक्षरता अभियान	1,16,030
18.	भारतीय जन कल्याण केन्द्र	संपूर्ण साक्षरता अभियान	4,63,824
1994–95			
1.	श्रीराम युवक संघ	30 जनशिक्षण निलयम	9,429
2.	युवा तथा समाज विकास केन्द्र	उड़ीसा में संपूर्ण साक्षरता अभियानों का मूल्यांक	1,04,000
3.	रामजी युवक संघ	6 जनशिक्षण निलयम	3,169
4.	कस्तूरीबाई महिला समिति	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	22,800
5.	जयन्ती पाठागार	संपूर्ण साक्षरता अभियान	1,23,415
6.	जन विकास केन्द्र	संपूर्ण साक्षरता अभियान	7,11,215
7.	उड़ीसा राज्य भारत स्काउट तथा गाइड	संपूर्ण साक्षरता अभियान	5,00,000
8.	पाराद्वीप साक्षरता समिति	संपूर्ण साक्षरता अभियान	1,18,041
1995–96			
1.	जातीय चेतना विकास	संपूर्ण साक्षरता अभियान	8,99,340
2.	जय भारतीय साथी समाज	संपूर्ण साक्षरता अभियान	4,98,450
3.	नीरद (जिला जाजपुर)	संपूर्ण साक्षरता अभियान	85,775

भारतीय प्रबंधन संस्थान, इन्दौर का कार्यकरण

3482. **श्री सुशील चन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर के कार्यकरण का वर्तमान चरण क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अभी तक कितने विद्यार्थी दाखिल हुए हैं;

(ग) इस संस्थान पर कुल निवेश अर्थात आवर्ती, अनावर्ती कितना है;

(घ) प्रबंधन संस्थान में राज्य सरकार की भूमिका क्या है; और

(ङ) उक्त संस्थान में विद्यार्थियों के दाखिला लिए जाने संबंधी क्षमता कितनी है और विद्यार्थियों और शिक्षण से जुड़े कर्मचारियों के चयन संबंधी मानदण्ड और तरीके क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सरकार ने 8वीं और 9वीं योजना अवधि के दौरान आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए, कुल लागत 43.10 करोड़ रुपए से इन्दौर में एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और उसे कार्यशील बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला शैक्षिक सत्र 60 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ जुलाई, 1997 से आरम्भ हो रहा है और छात्रों को प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा, 1996 के माध्यम से दिया जा रहा है। संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण शासी बोर्ड में निहित है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

[हिन्दी]

नर्मदा पर अपर परियोजना

3483. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के मण्डला जिले के जनजातीय तहसील दिन्दोती के रोना टोला गांव के नजदीक एक अपर परियोजना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है तथा इसको पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार ने अपर नर्मदा परियोजना की परियोजना-रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए 9/96 में केन्द्रीय जल आयोग को भेज दी थी। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के मांडला जिले के रिना टोला गांव के निकट अधिकतम 30.64 मी॰ ऊंचे और कुल 2.12 कि॰मी॰ लम्बे कम्पोजिट बांध के निर्माण की परिकल्पना है। चरम सिंचाई क्षमता 18,610 हेक्टेयर है।

(ग) परियोजना-रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना पर निर्माण वर्ष 1996-97 में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और इसे छः वर्ष में पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र नदी के जल का दूसरी ओर मोड़ना

3484. **डा॰ प्रवीण चंद्र शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों पहले सरकार का प्रस्ताव असम में बाढ़ की विभीषिका को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के जल को देश के मुख्य भूभाग की ओर मोड़ने और इस प्रकार अन्य राज्यों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने का था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें भारत में जोगीघोपा पर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बराज बनाने और असम, बंगला देश और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाले बराज से एक सम्पर्क नहर को निकालते हुए फरक्का बराज के गंगा अपस्ट्रीम में डालने की परिकल्पना है। प्रस्ताव की व्यवहार्यता रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

3485. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में 1996 में तूफान और वर्षा से सभी मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो राज्य को इससे कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या क्षतिग्रसत सड़कों की मरम्मत की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार

है, का संबंध है, रा॰रा॰-5 और रा॰रा॰-18 के खंड अक्तूबर और नवम्बर, 1996 के चक्रवातीय तूफानों के कारण क्षतिग्रस्त हुए।

(ख) चक्रवात से प्रभावित भागों सहित राज्य में समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की मरम्मत, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रु॰ के प्राक्कलन स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) जहां तक मरम्मत का संबंध है, आवश्यक मरम्मत की गई है और राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा गया है।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को अभी तक 4 करोड़ रु॰ की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद (उ॰प्र॰) में यमुना पर उपरिपुल

3486. डा॰ अमृत लाल भारती : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में यमुना नदी पर पुल निर्माणा हेतु कोई राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी, हां। संस्वीकृत राशि 100.36 करोड़ रु॰ है।

(ग) और (घ) साध्यता संबंधी पूरक अध्ययन कर लिया गया है। विस्तृत डिजाइन और निविदा प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् पुल का निर्माण कार्य सितम्बर, 1998 से शुरू करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

नर्मदा परियोजना हेतु विशेष अनुदान

3487. श्री राम नाईक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नर्मदा परियोजना के लिए गुजरात सरकार को 90 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने किस कारणवश विशेष अनुदान मंजूर करने का निर्णय लिया;

(ग) क्या गुजरात सरकार को सरदार सरोवर नहर का निर्माण कार्य तथा माही तक वितरण व्यवस्था संबंधी कार्य को पूरा करने हेतु तीन वर्षों का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो नहर तथा वितरण व्यवस्था संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने नर्मदा परियोजना के लिए गुजरात को 90 करोड़ रुपए का कोई विशेष अनुदान नहीं दिया है। तथापि, परियोजना को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से वर्ष 1996-97 के दौरान भारत सरकार ने त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए 95 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता अनुमोदित की है।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, नर्मदा मुख्य नहर के 0 से 264 किमी॰ की लंबाई तक कार्य हो रहा है। विभिन्न ब्लाकों में सहायक नदियों से सम्बद्ध कार्य भी हो रहा है।

दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

3488. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 1997 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में "कैश स्ट्रैप्ड एम सी डी फार प्राइवेट रोल इन प्राइमरी स्कूल्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां। पर्याप्त निधियों के अभाव को देखते हुए निगमित घरानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि द्वारा दिल्ली नगर निगम (एम॰सी॰डी॰) के अधीन कार्यरत कुछ प्राथमिक स्कूलों को अपनाने/प्रायोजित करने संबंधी सुझाव उक्त समाचार में दिया गया है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा

3489. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्री सत्यदेव सिंह :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका वीजा जारी करने संबंधी व्यवस्था पर आपस में सहयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने दस वर्ष और पच्चीस वर्ष के लिए वैध पासपोर्ट जारी करना आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अमरीका ने भारतीय पर्यटकों के लिए 10 वर्ष का वीजा देने का प्रस्ताव किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 9 सितम्बर, 1996 को सरकार ने एक बार में 20 वर्षों के लिए पासपोर्ट जारी करने संबंधी एक नयी नीति की घोषणा की। तथापि, 10 वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट के प्रति सतत रुझान और मांग को देखते हुए इस नीति को संशोधित कर दिया गया था और आवेदकों को इस आशय का एक विकल्प दिया गया है कि या तो वे 300 रुपये के मौजूदा शुल्क की अदायगी पर 10 वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट के लिऐ आवेदन करें या फिर 600 रुपये के शुल्क की अदायगी पर 20 वर्षीय वैधता पासपोर्ट के लिए।

(ङ) और (च) जी, हां। युनाइटेड स्टेट्स ने पारस्परिकता के आधार पर व्यवसाय तथा पर्यटन के वीजा की अधिकतम वैधता अवधि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। 18 वर्ष से कम आयु वाले आवेदकों को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए वीजा जारी किया जाएगा। दोनों पक्षों का यह विवेकाधिकार होगा कि वे अधिकतम वैधता अवधि से कम अवधि का वीजा जारी करें।

(छ) अमरीका के इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

3490. **श्री मुखतार अनीस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए योजना पर आठवीं योजना में कितनी योजना परिव्यय निर्धारित की गयी है;

(ख) योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और लाभभोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) धनराशि का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस योजना को नौंवी योजना में भी जारी रखा जाएगा;

(ङ) क्या इस योजना के प्रचार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) मदरसा शिक्षा के आठवीं योजना में 1.00 करोड़ रु॰ का आबंटन है। 12 मार्च, 1997 तक जारी किए गए कुल 1.72 करोड़ रु॰ के अनुदान के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) योजना आयोग ने अभी तक नौंवी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ङ) और (च) जी, हां। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना तथा पुस्तिका की प्रतियां स्कोल शिक्षा/उच्च शिक्षा के निदेशक, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राज्य शिक्षा सचिवों, राष्ट्रीय उर्दू संवर्धन परिषदों आदि के सदस्यों को इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भेज दी गयी थी।

(राशि रु॰ में)

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	वर्ष							
		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
		जारी की गई राशि	मदरसों की संख्या	जारी की गई राशि	मदरसों की संख्या	जारी की गई राशि	मदरसों की संख्या	जारी की गई राशि	मदरसों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उत्तर प्रदेश	3,04,000/-रु॰	10	11,69,600/-रु॰	40	34,88,000/-रु॰	120	9,42,400/-रु॰	31
2.	मध्य प्रदेश	-	-	5,77,600/-रु॰	19	11,09,600/-रु॰	39		
3.	हरियाणा	-	-	1,52,000/-रु॰	5	1,32,000/-रु॰	5		
4.	कर्नाटक	-	-	-	-	2,73,600/-रु॰	9		
5.	केरल	-	-	-	-	12,76,800/-रु॰	42		
6.	त्रिपुरा	-	-	-	-	7,29,600/-रु॰	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	24,32,000/-रु॰	80		
8.	असम	–	–	–	–	19,45,600/-रु॰	64		
9.	तमिलनाडु	–	–	–	–	30,400/-रु॰	1		
10.	सिक्किम	–	–	–	–	30,400/-रु॰	1		
11.	राजस्थान	–	–	–	–	4,07,000/-रु॰	बुक बैंक की स्थापना के लिए		
12.	दिल्ली								
13.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–	1,52,000/-रु॰	5	10,94,400/-रु॰	36
14.	बिहार	–	–	–	–	–	–	9,42,400/-रु॰	31
15.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	30,400/-रु॰	1
	कुल	3,04,000/-रु॰	10	18,99,200/-रु॰	64	1,20,07,000/-रु॰	390	30,09,600/-रु॰	99

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों में मिलावट

3491. श्री जयसिंह चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बाजारों में खाद्य पदार्थों, विशेषकर खाद्य तेल में मिलावट संबंधी मामलों को सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बाजारों में बेचे गए मिलावटी विषाक्त खाद्य पदार्थों और शीतल पेयों (साफ्ट ड्रिंकों) की जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में उक्त मिलावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) 1996 के दौरान खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा अहमदाबाद तथा चेन्नई (मद्रास) शहरों में खाद्य तेलों के एकत्र किए गए आठ (8) नमूनों में से तीन (3) नमूने मानक स्तरों के अनुरूप नहीं पाए गए। तथापि, खाद्य तेलों के उक्त नमूनों में कोई विषाक्त वस्तु होने की रिपोर्ट नहीं मिली। ठण्डे पेय के नमूनों में विषाक्त वस्तु पाए जाने का कोई मामला भी इस मंत्रालय को सूचित नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) गुजरात तथा तमिलनाडु संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे कानून के अनुसार मामले में उचित कार्यवाही करें।

(च) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बने नियमों के उपबंधों के अंतर्गत खाद्य तेलों तथा ठण्डे पेयों सहित आम उपयोग वाले खाद्य पदार्थों के मानक निर्धारित किए गए हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे बाजार में बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखें।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड के कुंए

3492. श्रीमती कमल रानी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 में कौन-कौन से स्थानों पर केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कुंए खोदने का कार्य किया गया है;

(ख) वर्ष 1997-98 में उत्तर प्रदेश में विशेषकर घाटमपुर में कुंए खोदने के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कुंए खोदने के लिए चयन करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) कुंए खोदने के कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा वर्ष 1996-97 में 31.12.1996 तक खोदे गए कुंओं के स्थानों की जिलावार संख्या संलग्न-विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1997-98 में उत्तर प्रदेश में उत्तर काशी, बिजनौर, पौढ़ी, नैनीताल, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बदायूँ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, फतेहपुर, इटावा, इलाहाबाद, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा जिलों में 57 स्थानों पर कुँए खोदे जाने की योजना है। वर्ष 1997-98 में कानपुर देहात के घातमपुर क्षेत्र में कोई वेधनछिद्र खोदने का प्रस्ताव नहीं है। पिछले वर्षों में केन्द्रीय भू जल बोर्ड ने जिला कानपुर देहात में 9 वेधनछिद्र खोदे थे।

(ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वेधनछिद्र खोदने के लिए स्थल का चुनाव करने के मानदण्ड में भूजल की मात्रा और गुणवत्ता सहित इसकी उपलब्धता का पता लगाने की आवश्यकता शामिल है।

(घ) वेधनछिद्र खोदना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न भागों में इसके सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक आधार पर किया जाता है। वर्ष 1997-98 में खुदाई का कार्यक्रम अप्रैल, 1997 में शुरू किया जाएगा।

विवरण

राज्य		खोदे गए कुंए
1		2
आन्ध्र प्रदेश		
1.	चित्तूर	16
2.	कड़प्पा	9
3.	गुंटूर	1
4.	खम्मूग	2
5.	नलगोंडा	27
6.	प्रकाशम	5
7.	रंगारेड्डी	22
		82
अरुणाचल प्रदेश		
1.	लोहित	2
असम		
1.	जोरहट	3
2.	कामरूप	1
3.	सोनितपुर	6
		10
बिहार		
1.	छप्परा	3
2.	देवघर	3
3.	गोड्डा	4
4.	जमुई	2
5.	मधुबनी	2
		14
गुजरात		
1.	अहमदाबाद	5
2.	बनासकांठा	6
3.	मेहसाणा	14
4.	राजकोट	9
5.	सूरत	1
6.	एस॰ नगर	4
7.	वलसाद	8
		47
हरियाणा		
1.	फरीदाबाद	8
हिमाचल प्रदेश		
1.	कांगड़ा	1
जम्मू व कश्मीर		
1.	जम्मू	5
2.	उधमपुर	1
		6
कर्नाटक		
1.	बीजापुर	4
2.	बेलगाम	1
3.	बीदर	5
4.	धारवाड़	1
5.	गुलबर्गा	7
6.	कोलार	8
7.	हस्सन	4
		30
केरल		
1.	अलेप्पी	10
2.	केलीकट	6

1		2
3.	कोलिकोड़	2
		18
मध्य प्रदेश		
1.	बस्तर	6
2.	दुर्ग	12
3.	जबलपुर	6
4.	खंडवा	3
5.	रायपुर	10
6.	सरगूजा	6
7.	सिद्धी	3
8.	शाहडोल	3
9.	उज्जैन	3
		52
महाराष्ट्र		
1.	अमरावती	23
2.	नांदेड	24
3.	राजगढ़	4
		51
मेघालय		
1.	ई॰के॰ हिल	6
उड़ीसा		
1.	भद्रक	5
2.	बोलानगीर	5
3.	देवगढ़	2
4.	कलहन्दी	8
5.	सम्बलपुर	7
		27
पंजाब		
1.	फरीदकोट	2
2.	फतेहगढ़	1
3.	होशियारपुर	1
4.	पाटियाला	4
		8

1		2
राजस्थान		
1.	बाड़मेर	4
2.	भरतपुर	5
3.	चित्तौड़गढ़	2
4.	चुरू	5
5.	जयपुर	5
6.	जोधपुर	1
7.	झुन-झुनु	1
8.	सवाई-माधोपुर	3
		26
उत्तर प्रदेश		
1.	इलाहाबाद	2
2.	आगरा	1
3.	बुलन्दशहर	1
4.	महाराजगंज	1
5.	मऊ	1
6.	मिर्जापुर	7
7.	नैनीताल	2
		15
तमिलनाडु		
1.	डिंडिगल	7
2.	मदुरै	6
3.	पी॰एम॰आर॰	2
4.	रामनाड़	1
5.	एन॰ए॰ए॰	2
6.	टी॰वी॰एम॰एस॰	5
7.	साउथ आरकाट	2
		25
पश्चिम बंगाल		
1.	बीरभुम	3
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	दिल्ली	14
2.	पांडिचेरी	6
		20

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यकारी बोर्ड की बैठक

3493. श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यकारी बोर्ड की दिनांक 27 जनवरी, 1997 को हुई बैठकों में पदोन्नति कोटा बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासीबोर्ड ने 27 जनवरी, 1997 को आयोजित अपनी 62वीं बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राथमिक शिक्षक से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक से स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए पदोन्नति हेतु उन्हें पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए, उनका पदोन्नति कोटा 33-1/3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

नदी घाटी परियोजनाएं

3494. श्री विजय पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी घाटी परियोजनाओं की निरंतरता को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने नदियों की तलहटियों में गाद जमाव को रोकने तथा आवश्यकता के आधार पर उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या तरीके अपनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस संदर्भ में निजी उद्यमियों की सहायता लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) नदी घाटी परियोजनाओं के स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। इसमें परियोजनाओं का सही प्रचालन तथा रख-रखाव, विस्तार, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार के माध्यम से जलाशयों के गाद को नियंत्रित करने तथा बांध सुरक्षा उपायों पर जोर देना शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) नदी तलों तथा भण्डारण जलाशयों के गाद को नियंत्रित करने की दृष्टि से ज़ल ग्रहण क्षेत्र का सुधार संबंधी कार्य आरंभ कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने सिंचाई तथा बहुद्देश्यीय परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवहार्यता तथा संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसने 22 दिसम्बर, 1995 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने निष्कर्ष दिया है कि सभी सिंचाई (सतही तथा भूजल) तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव है परंतु चुनिन्दा परियोजनाओं के लिए इसे पायलट आधार पर शामिल करना वांछनीय होगा। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही भेजी जा चुकी है।

अरब सागर में घुसपैठ

3495. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान अरब सागर की भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार ने पाकिस्तान की अधिसूचना से संबंधित खबरें देखी हैं, जिसमें पाकिस्तान के प्रादेशिक जल क्षेत्र, समीपस्थ क्षेत्र ईईजेड तथा अरब सागर में कान्टीनेंटल शेल्फ के माप के लिए "बेसलाइन" निर्धारित की गई है।

भारत ने पाकिस्तान को अवगत करा दिया है कि पाकिस्तान द्वारा अब तक अधिसूचित "बेसलाइनों" में उचित संशोधन चाहने के लिए सरकार के पास अधिकार सुरक्षित है क्योंकि वे भारत के सम्प्रभुता सम्पन्न क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से अधिसूचना में उल्लिखित समन्वय बिन्दु (के) 23 33.90 उत्तर....68 07. 80 पूर्व को रद्द करते हुए अस्वीकार किया है क्योंकि यह भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का अतिक्रमण करता है जो भारत के सम्प्रभुता सम्पन्न क्षेत्राधिकार के भीतर है।

पेट्रोल की बिक्री में घपला

3496. श्री सनत मेहता :

श्री चुन चुन प्रसाद यादव :

श्री सनत कुमार यादव :

प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

श्री छीतुभाई गामीत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1997 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फार चीपर पेट्रोल कॉन्टेक्ट गवर्नमैंट आर्म्ड फोर्सेज

ड्राइवर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सशस्त्र बलों के भ्रष्ट चालकों के रैकेट द्वारा केवल सरकारी उपयोग के लिए दिए गए पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को बेचे जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा शिकायतकर्ताओं के नाम के साथ-साथ यह भी बताया जाए कि पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा की हेराफेरी हुई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यह कार्यवाही किस अधिनियम व नियमों के अधीन की गई है; और

(च) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है अथवा अपनाये जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (च) सरकार को समाचार-पत्र में प्रकाशित उक्त सूचना की जानकारी है।

इस संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में सेना मुख्यालय की परिवहन कम्पनी ने जुलाई, 1995 में एक ड्राइवर (एम टी) को पकड़ा था। उस ड्राइवर को विधिवत आरोप-पत्र देकर सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत दंडित किया गया था।

सशस्त्र सेनाओं में एक सुव्यवस्थित तंत्र है जिसमें पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों सहित किसी भी सरकारी सामान की चोरी को रोकने के लिए विस्तृत/कूड़े/निवारणात्मक उपाय निर्धारित किए गए हैं और उन्हें कड़ाई से लागू किया जा रहा है। जैसाकि आरोप लगाया गया है जांच पड़ताल करने पर सशस्त्र सेनाओं में इस तरह के किसी गिरोह का पता नहीं चला है। तथापि, सेना मुख्यालय को दोबारा हिदायत दी गई है कि वह इस बारे में कड़ी सतर्कता बरते।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीवन रक्षक औषधियों की कमी

3497. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक रेजीडेंट डाक्टर की मृत्यु के परिणामस्वरूप हुई जांच ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि संस्थान के आपात विभाग में उपकरणों तथा जीवन रक्षक औषधियों की कमी है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं तथा क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, नहीं। जिन परिस्थितियों में रोगी की मौत हुई उनका पता लगाने के लिए की गई जांच पड़ताल से यह निष्कर्ष निकला कि मौत अस्पताल आने से पूर्व रक्त संचार के रूकने से हुए कार्डियक एरिथिमिया के कारण हुई थी। बाद में संस्थान ने कैजुअल्टी में उपकरणों की पर्याप्तता और संबद्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने हेतु दो समितियां गठित की। कैजुअल्टी में सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु अपेक्षित उपाय तत्काल शुरू कर दिए गए थे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की नहरों में जल की कम मात्रा

3498. श्री पंकज चौधरी :

श्री अमर पाल सिंह :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की नहरों में कम मात्रा में जल जारी किए जाने के कारण हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो गई तथा वे भुखमरी के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों के लिए नहरों में पर्याप्त मात्रा में जल जारी किया जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जल की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, समय-समय पर नहरों के जरिए जल की भिन्न-भिन्न मात्रा जारी की जाती है। नहरों के प्रचालन के संबंध में केन्द्र में सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

जाली पासपोर्ट

3499. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरखी दादरी, हरियाणा में हाल ही में हुई दुर्घटना में मारे गए कुछ लोगों के नाम और पासपोर्टों के जाली होने के कारण उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक पासपोर्ट धारकों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) नकली पासपोर्टों की मदद से उन्हें विदेश भेजने वाले ट्रेवल एजेन्टों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) हरियाणा में चरखी दादरी के निकट सऊदी और कजाक एयर लाइन्स के विमानों की आकाश में हुई टक्कर में जो व्यक्ति मर गए थे, उनकी पहचान करने में आई परेशानियों का प्रमुख कारण उनके पार्थिव शरीरों का बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो जाना था। तथापि कुछ यात्रियों द्वारा पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी किए जाने के पश्चात् पासपोर्ट में हेरफेर करके यात्रा करने की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) जिन व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है उनकी आप्रवासन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची संबंधित पासपोर्ट अधिकारियों के पास तत्काल भिजवा दी गई ताकि उनके पासपोर्ट विवरणों की जांच की जा सके। पासपोर्ट अधिकारियों को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्राधिकारी जांच कर रहे हैं, और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों से, यदि आवश्यक हुआ, धोखाधड़ी करने वाले ट्रेवल एजेंटों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

3500. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री येल्लैया नन्दी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 9 सितम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में तीन प्रमुख समस्याओं के बाधक होने का उल्लेख है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रेस रिपोर्ट की जांच की है जिसमें विश्व बैंक द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भारत के खराब प्रदर्शन के संबंध में टिप्पणी की गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्व बैंक रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचारों की पूरी तरह जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) 9 सितम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्ताम टाइम्स" में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं छपी है। तथापि, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट "भारतीय परिवार कल्याण कार्यक्रम :—प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य प्रणाली की ओर" में परिवार कल्याण कार्यक्रम का पुनरभिविन्यास कर इसे प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के रूप में चलाने की सिफारिश की है जो व्यक्ति विशेष की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है और अच्छे स्तर की सेवाएं उपलब्ध करती हैं। रिपोर्ट में आवश्यक सेवाओं के एक पैकेज को सिफारिश की गई है जिसमें सेवाओं की लोगों तक बेहतर पहुंच तथा बेहतर स्तर की सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया गया है।

भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की एक प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य प्रणाली में पुनरभिविन्यास करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बातों में शामिल हैं-सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना, विकेन्द्रीकृत भागीदारी नियोजन, युवा दम्पतियों में जन्म में अन्तराल रखने वाले तरीकों को बढ़ावा देना, कार्यक्रम में पिछड़ रहे जिलों पर अधिक ध्यान देना, समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने संबंधी उपचार प्रबंध को सुदृढ़ बनाना।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के पासपोर्ट

3501. श्री राजकेशर सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सरकारी कार्य से विदेश जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी पासपोर्ट जारी किए जाने संबंधी दिशानिर्देश 1 जून, 1995 से समाप्त कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे पुनरूज्जीवित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। मई, 1995 में एक नीतिगत-निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्य करने वाले अधिकारी अब सरकारी पासपोर्ट के हकदार नहीं होंगे।

(ख) यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वाणिज्यिक संगठनों के समान समझा जाए क्योंकि ये मुख्यतः वाणिज्यिक गतिविधियां हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के अधिकारियों को सरकारी पासपोर्ट प्राप्त करने की सुविधाएं पुनः दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं

3502. **चौधरी रामचन्द्र बैंदा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के मेवात नगर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने मेवात क्षेत्र के लिए एक सिंचाई योजना की भी मंजूरी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेताजी का जन्म स्थान

3503. **डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कटक में जानकीनाथ भवन जहां नेताजी का जन्म हुआ था तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गिद्दापन, जहां नेताजी ने तीसरे दशक के उत्तरार्द्ध में अपना घर बनाया था, को पूरी तरह से उपेक्षित किए जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) उनके जन्म शती वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विरासत के इन चिह्नों और स्वतंत्रता सेनानी की सम्पत्ति के संरक्षण के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी ने इसे अध्ययन केन्द्र एवं संग्रहालय में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) नेताजी की जन्म शताब्दी संबंधी समारोहों के लिए गठित राष्ट्रीय समिति ने पहले ही कटक में नेताजी के पैतृक निवास में अधिमानतः संग्रहालय के रूप में एक उपयुक्त स्मारक स्थापित करने का निर्णय ले लिया है। इसी प्रकार से, आजाद हिंद फौज का एक स्मारक मोएरंग में विकसित किया जायेगा। पहले से विद्यमान स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और स्वतंत्रता सेनानी स्मारक (लाल किला, सलीमगढ़, किला परिसर, दिल्ली) को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

तथापि, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गिद्दापाहन स्थित निवास के परिरक्षण के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इस संबंध में पश्चिम बंगाल की सरकार से सूचना मांगी गई है।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में गैर-अध्यापन कर्मचारी

3504. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
श्री वी॰वी॰ राघवन :
श्री पी॰आर॰ दासमुंशी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय कालेज एवं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय कालेज और विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में गैर-शैक्षिणिक स्टाफ को शामिल करने के लिए आयोग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के गैर-शैक्षिक स्टाफ के वेतन-मान और सेवा शर्तें संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ऐसे कार्मिकों के समान वेतनमान निर्धारण से गंभीर अनियमितताएं तथा कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी क्योंकि ऐसे कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा समुदाय राज्य सरकारों के अन्य विभागों के कर्मचारियों के कर्तव्यों और दायित्वों के समान ही कार्य करते हैं। इसी प्रकार लम्बे समय से "पद से पद" और "वेतन-मान से वेतनमान" में अन्य विभागों में ऐसे कर्मचारियों और विभिन्न अन्य श्रेणियों के मध्य विसंगतियां हैं।

इस संतुलन में बाधा डालने से राज्यों के विभिन्न कर्मचारियों में गंभीर समस्याएं तथा असंतोष उत्पन्न हो जायेगा। इस दृष्टि से सरकार राज्य सरकारों के अधीन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के गैर-शैक्षिक स्टाफ के समान वेतनमानों के निर्धारण करने के पक्ष में नहीं है।

भारत-चीन संबंध

3505. **श्री पी॰सी॰ थामस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी नेता, श्री देंग जियाओ पिंग की मृत्यु के बाद संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ संबंधों को मजबूत बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भारत और चीन के बीच सीमा मामले निपटा दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) हाल के वर्षों में भारत-चीन संबंधों में निरन्तर सुधार हुआ है और इनमें परिपक्वता और सुदृढ़ता आई है। उच्च स्तरीय बातचीत की गतिशीलता को बनाए रखा गया है और दोनों देशों के बीच विविध क्षेत्रों में कार्यात्मक सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश 21वीं शताब्दी में रचनात्मक और सहयोगपूर्ण संबंधों की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने का काम किया है। 1996 में द्विपक्षीय व्यापार 1.4 अमरीकी बिलियन डालर तक पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच लगभग 50 संयुक्त उद्यम हैं।

(ख) और (ग) भारत और चीन सीमा संबंधी प्रश्न के निष्पक्ष यथोचित और परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के लिए काम करने के प्रति वचनबद्ध हैं। दोनों देश भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल और भारत-चीन विशेषज्ञ दल की रूपरेखा के अन्तर्गत सीमा प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं। सितम्बर, 1993 में सम्पन्न सीमा शांति तथा अमन अनुरक्षण करार और नवम्बर, 1996 में विश्वासोत्पादक उपायों से सम्बद्ध करार, सीमा क्षेत्रों में शांति और अमन बनाए रखने में योगदान देंगे।

[हिन्दी]

जहाजों को गिरवी रखना

3506. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी कंपनियों द्वारा विदेशी स्रोतों से धन जुटाने हेतु अपने जहाजों को गिरवी रखे जाने की अनुमति दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय जहाजरानी कंपनियों को किन शर्तों पर धन जुटाने की अनुमति दी जाएगी; और

(घ) इससे कितना ऋण प्राप्त किए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में भारतीय जहाजरानी निगम की क्या भूमिका होगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) से (घ) सरकार के पास इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 47 से 54, भारत और विदेश से वित्त जुटाने के लिए भारतीय पोतों के गिरवी रखे जाने की अनुमति देती हैं। विदेश से ऋण लेने से संबंधित शर्तों के बारे में ऋणदाताओं और ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के मध्य समझौता वार्ता की जाती है जो विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ई सी बी) संबंधी मार्ग निर्देशों के अध्यधीन है। नौवं योजना के लिए, नौवहन संबंधी कार्यदल के अनुमानों के अनुसार प्रतिवर्ष 500-700 मिलियन अमरीकी डालर तक विदेशी वाणिज्यिक ऋण की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

भूमिगत जल का उपयोग

3507. **डा॰ कृपासिंधु भोई** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि के विकास हेतु भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने नौवीं योजना के लिए क्या अनुमान लगाया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सरकार ने आठवीं योजना के दौरान सिंचाई के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भूजल संसाधनों की उपयोगिता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भूजल संसाधनों की अनुमानित उपयोगिता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) योजना आयोग द्वारा लघु सिंचाई के बारे में स्थापित कार्य बल ने नौवीं योजना के दौरान भूजल से 10.00 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई संभाव्यता के सृजन की सिफारिश की है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्यों का नाम	आठवीं योजना के दौरान भूजल की उपयोगिता (हजार हेक्टेयर में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	89
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	16
4.	बिहार	771
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	54
7.	हरियाणा	48
8.	हिमाचल प्रदेश	–
9.	जम्मू व कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	75
11.	केरल	35
12.	मध्य प्रदेश	48
13.	महाराष्ट्र	76
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	–
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	17
19.	पंजाब	129
20.	राजस्थान	96
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	70
23.	त्रिपुरा	6
24.	उत्तर प्रदेश	3983
25.	पश्चिम बंगाल	227
26.	संघ राज्य क्षेत्र	2
	कुल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों	5745

खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की मृत्यु

3508. **प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान खाड़ी देशों में मरने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा उनके शवों को भारत भेजने में औसतन कितना समय लगा है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार शवों को निःशुल्क लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 1996 के दौरान खाड़ी देशों में जिन भारतीयों की मृत्यु हुई उनकी संख्या निम्नानुसार है :—

बहरीन	–	123
ईराक	–	3
कुवैत	–	161
ओमान	–	255
कतर	–	88
सऊदी अरब	–	1461
यू ए ई	–	785
यमन	–	1

(ख) मृत भारतीयों के पार्थिव शरीर भारत लाने में दो सप्ताह से चार माह तक का औसत समय लगता है, यह अवधि मृत्यु की घटना पर आधारित होती है। प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था में कम से कम दो सप्ताह का समय लगता है और अप्राकृतिक मृत्यु की अवस्था में चूंकि पुलिस रिपोर्ट अपेक्षित है, दो सप्ताह से ज्यादा समय लगता है। मृत्यु के जिन मामलों में छल कपट का संदेह होता है, जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय की डाक्टरी जांच रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट हमारे मिशन को उपलब्ध नहीं कराई जाती है, पार्थिव शरीर को नहीं भेजा जाता है। उक्त रिपोर्ट उपलब्ध होने में चार महीने तक का समय लग जाता है।

(ग) जैसे ही किसी भारतीय राष्ट्रिक की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो हमारे मिशन सूचना देने वालों तथा नजदीकी रिश्तेदारों से तत्काल सम्पर्क स्थापित करते हैं, ताकि मृत्यु प्रमाण–पत्र, डाक्टरी रिपोर्ट साक्ष्यांकन के लिए पुलिस रिपोर्ट तथा पार्थिव शरीर प्रेषण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करवाया जा सके। जब भी आवश्यक होता है, हमारे मिशन विदेशी सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उक्त मामले उठाते हैं।

(घ) और (ङ) इस समय खाड़ी के देशों से पार्थिव शरीर निःशुल्क लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य देख-भाल

3509. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को गुर्दा खराब होने, दिल का दौरा पड़ने, कैंसर, तपेदिक आदि जैसी बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की है तथा इसका मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात में स्वास्थ्य देखभाल/दवाईयों पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय होता है;

(ग) क्या विद्यमान सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, इसलिए राज्य लोगों की निवारक, संवर्धक और रोगहारक स्वास्थ्य जरूरतों को अपने संसाधनों में से पूरा करने हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तथापि, राज्यों को केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय प्रयोजित योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए दी जाती है। गुजरात में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और 1995-96 के दौरान उनके आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) औषधों की खरीद और आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों में से की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात में वर्ष 1993-94 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर किया गया सरकारी व्यय 62.00 रुपये है।

(ग) और (घ) राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए योजना आवंटनों में वृद्धि कर दी गई है। बाह्य अभिकरणों से सहायता भी ली गई है जो एक सतत प्रक्रिया है जब हर वर्ष नई परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

विवरण

कार्यक्रम का नाम	आबंटित रकम (लाख रु॰ में)
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	848.19
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	140.18
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	39.80
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	193.75
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	131.26
राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	50.00
राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	5536.01

[अनुवाद]

कर्नाटक में नहरों का विस्तार करना

3510. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नहरों के आधुनिकीकरण/विस्तार करने से संबंधित एक मास्टर प्लान केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस कार्य की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है; और

(ङ) इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नौवीं योजना में जलयानों का विकास

3511. श्री नवल किशोर राय :

श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास की संभावनाओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ जलमार्गों के विकास के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे जलमार्गों का नाम क्या है तथा उनके विकास की योजना का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : जी हां।

(ख) मौजूदा सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की वार्षिक यातायात क्षमता लगभग 10 मिलियन टन है। नौचालन बांधों, रात्रि नौचालन सुविधाओं जैसी सुविधाओं में सुधार के बाद इसकी क्षमता 40 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। इस प्रयोजनार्थ लगभग 200 करोड़ रु॰ की लागत की परिकल्पना की गई है। कार्गो सम्भाव्यता अध्ययन में सन् 2000 तक लगभग 13.6 मिलियन टन

और सन् 2005 तक 16 मिलियन टन कार्गो की साध्यता दर्शाई गई है।

मौजूदा सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग-2 की वार्षिक यातायात क्षमता लगभग 30 मिलियन टन है। सुविधाओं में सुधार के बाद यह क्षमता बढ़कर लगभग 100 मिलियन टन हो जाएगी। विकास लागत लगभग 110 करोड़ रु॰ परिकल्पित की गई है। सन् 2000 तक 3.2 मिलियन टन और सन् 2005 तक 4.4 मिलियन टन कार्गो की संभावना है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-3 की वार्षिक क्षमता लगभग 8 मिलियन टन है और सुविधाओं में सुधार के बाद वार्षिक यातायात क्षमता बढ़कर 64 मिलियन टन हो जाएगी। विकास लागत 130 करोड़ रु॰ परिकल्पित की गई है। सन् 2000 के लिए 3.4 मिलियन टन और सन् 2005 के लिए 4.2 मिलियन कार्गो का अनुमान लगाया गया है।

सभी जलमार्गों की क्षमता का संपूर्ण उपयोग अंतर्देशीय जलयानों की पर्याप्त संख्या पर भी निर्भर करेगा।

(ग) जी हां।

(घ) नौवीं योजना-प्रस्तावों में इन सभी तीनों घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों में अतिरिक्त अवसंरचना और नौचालन सुविधाओं का सृजन शामिल है। तीन और राष्ट्रीय जलमार्गों, नामतः गोदावरी, गोवा नदियां, और सुन्दरवन में अंतर-राष्ट्रीय स्टीमर रूट की घोषणा और विकास को भी शामिल कर लिया गया है। नर्मदा, ताप्ती, पूर्वी तटीय नहर, डी वी सी नहर, बराक नहर, काकीनाडा-मद्रास नहर इत्यादि नए जलमार्गों पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता संबंधी अध्ययन भी इसी योजनावधि में प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

छावनियों में अतिक्रमण

3512. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कमान के अंतर्गत विभिन्न छावनियों में ओल्ड ग्रांट लीज परिसरों में बंगलों और खुले क्षेत्रों पर जमीन हड़पने और अनधिकृत कब्जा करने वालों ने अवैध कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कुछ बंगले सरकार ने अधिग्रहित किये थे और इसके बावजूद भी नए भवनों का अनधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा और उपरोक्त के लिए जिम्मेदार संबंधित कार्यकारी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) मध्य कमान की कुछ छावनियों में ओल्ड ग्रांट बंगलों में गैर-कानूनी अधिभोग और अप्राधिकृत निर्माण के मामलों का पता चला है।

(ख) कुछ ओल्ड ग्रांट बंगलों को सरकार ने पुनः अपने अधिकार में ले लिया है परंतु पुनः अधिकार में लिए गए इन ओल्ड ग्रांट बंगलों पर कोई नया अप्राधिकृत निर्माण हुआ है।

(ग) और (घ) छावनी प्राधिकारियों द्वारा यथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए कोई अभियान या छावनी कार्यपालक अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई है।

पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय मछुआरे

3513. **श्री काशीराम राणा :**
श्री विजय पटेल :
श्री बी॰के॰ गढ़वी :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :
श्री राजेन्द्र सिंह राणा :
श्री माधव राव सिंधिया :
डा॰ ए॰के॰ पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान द्वारा कितने मछुआरे पकड़े गये;

(ख) आज की तारीख तक कितने भारतीय मछुआरे पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान सरकार द्वारा मछली पकड़ने वाले कितने भारतीय जहाजों को पकड़ा गया;

(घ) पाकिस्तान द्वारा आज की तारीख तक छोड़े गये भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाले जहाजों की संख्या कितनी है;

(ङ) पाकिस्तान की जेलों में काफी लंबे समय से फंसे हुए शेष भारतीय मछुआरों को छुड़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(च) इन मछुआरों को छुड़ाने में लगभग कितना समय लगेगा;

(छ) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई समझौता किया है ताकि दोनों देशों के बीच मछली पकड़ने वाले जहाज बेवजह न घूम सकें; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1994 से पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा 230 भारतीय मछुआरों और 37 नौकाओं को पकड़ा और निरूद्ध किया गया

है। तथापि, पाकिस्तान ने अब तक केवल 190 मछुआरों और 31 नौकाओं के अपनी हिरासत में होने की बात स्वीकार की है।

(घ) हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप, मई 1994 और जनवरी, 1995 के बीच पाकिस्तान द्वारा 110 मछुआरों और 18 नौकाओं को रिहा किया गया है। तथापि, ये मछुआरे और नौकाएं मार्च, 1994 के पूर्व पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा जब्त किए गए।

(ङ) और (च) सरकार इस समय पाकिस्तान की हिरासत के अन्तर्गत भारतीय मछुआरों के सभी मामलों को प्रभावी रूप से उठा रही है।

18 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री के साथ हमारे विदेश मंत्री की बैठक के दौरान, एक दूसरे की हिरासत के अन्तर्गत मछुआरों की रिहाई/वापसी के मसले पर चर्चा हुई और यह फैसला किया गया कि दोनों पक्षों द्वारा आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जाए और इस मसले का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र बैठक करेंगे। संगत आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

(छ) पाकिस्तानी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा भारतीय मछुआरों के पकड़े जाने की वारदातें हमारी समुद्री सीमा के निकट गुजरात तट के पार होती है। एक दूसरे के प्रदेश में दोनों देशों की नोकाओं के अनजाने में मार्ग भटक जाने को रोकने के लिए संबंधित भारतीय प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रादेशिक जल क्षेत्र में गुजरात तट के पार नियमित और निर्बाध चौकसी रखी जा रही है।

(ज) 1987 में दोनों देशों ने वचन लिया था कि दोनों देशों के संबंधित प्राधिकारी अपने-अपने देशों के मछुआरों को यह जानकारी देने के लिए सभी उपाय करेंगे कि वे एक दूसरे के समुद्री क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी पर रहे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चेचक और खसरे के कारण मौतें

3514. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में चेचक तथा खसरे के कारण कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) क्या चेचक और खसरे के वायरस को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई नई टीकाकरण योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) वर्ष 1996 (जून, 96 तक) की उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में खसरा के कारण 65 मौतें सूचित की गई थी। तथापि छोटी माता के कारण हुई मौतों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) खसरा के टीके को परिवार कल्याण विभाग के प्रतिरक्षण कार्यक्रम में पहले ही शामिल किया गया है। छोटी माता के प्रतिरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

3515. श्री डी॰पी॰ यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय संस्थान स्थापित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में ये कहां-कहां स्थापित किये गये हैं; और

(घ) उक्त संस्थानों द्वारा अब तक किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम फरवरी, 1988 में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा चुनिंदा स्कूलों में + 2 स्तर पर शुरू की गई है।

(ख) "पण्डित सुन्दर लाल केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान" नामक केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में 1993 में भोपाल में स्थापित किया गया था।

(ग) और (घ) योजना में कार्यक्रम को अनुसंधान और सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यों में या तो ऐसी संस्थानों की स्थापना की या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की परिकल्पना की गई है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई अलग संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली में भूमिगत जलस्तर

3516. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्लीवासी अपनी जल संबंधी जरूरत को मुख्य रूप से भूमिगत जल से पूरा करते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि दिल्ली में भूमिगत जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है;

(ग) दिल्ली में भूमिगत जल को "वापको" (डब्ल्यू॰ए॰पी॰सी॰ओ॰) या अन्य एजेंसी की मदद से प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमिगत जल का स्तर ऊपर लाने के लिए दिल्ली सरकार को कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिल्ली के निवासियों को जल की आवश्यकता का कुछ भाग भूजल संसाधनों से पूरा किया जाता है।

(ख) पिछले 15 से 20 वर्षों में दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भूजल के स्तर में 4 से 8 मीटर की गिरावट पाई गई है।

(ग) दिल्ली में भूजल के विकास के लिए वैपकोस (भारत) लि॰ के परामर्श से कोई कदम नहीं उठाया गया है अथवा कोई कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) जल संसाधन मंत्रालय ने भूजल के पुनःपूरण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कोई निधि आबंटित नहीं की है। तथापि, केन्द्रीय भू जल बोर्ड ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भू जल संसाधनों का विकास और वृद्धि" शीर्षक की एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट की एक प्रति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध करवाई गई है। केन्द्रीय भू जल बोर्ड कर्नाटक, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ में भू जल के पुनः पूरण के अध्ययनों पर एक केन्द्र प्रायोजित योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, दिल्ली में पुनः पूरण अध्ययन किये जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत पुनः पूरण संरचनाओं के निर्माण के लिए इन संस्थानों को क्रमशः 36.37 लाख और 96,200/- रुपये की राशि अभी तक स्वीकृत की गई है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययनों ने भूजल में सुधार होने का संकेत दिया है।

पोलावरम परियोजना, आन्ध्र प्रदेश

3517. डा॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है; और

(ख) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने इस परियोजना के निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं किया है।

पोलियोग्रस्त व्यक्ति

3518. श्री मंगत राम शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पोलियो ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के ध्यान में पोलियो के टीके के कोई दुष्प्रभाव का कोई मामला लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1981-82 में किए गए एक सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार बच्चों पर 1.7 और शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार बच्चों पर 1.6 की घटना की दर का पता चला है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पोलियों की वार्षिक घटना दर प्रति 1000 बच्चे 0 से 4 वर्ष
(नमूना सर्वेक्षण 1981-1982 पर आधारित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति हजार बच्चों पर घटना की दर	
	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.7	1.4
गुजरात	2.5	2.2
हरियाणा, पंजाब	3.1	1.7
चंडीगढ़	-	-
कर्नाटक, गोआ	1.2	1.2
मध्य प्रदेश (भोपाल एवं जबलपुर डिवीजन)	1.9	1.7
महाराष्ट्र	1.4	1.3
उड़ीसा	0.8	0.7

1	2	3
राजस्थान (जयपुर डिवीजन)	3.1	2.5
तमिलनाडु और पांडिचेरी	1.9	2.1
उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद डिवीजन)	2.3	1.6
पश्चिम बंगाल	0.8	1.0
दिल्ली	–	1.6
अखिल भारत	1.7	1.7

परीक्षा प्रणाली में सुधार

3519. **श्री मंगल राम प्रेमी :**

श्री भक्त चरण दास :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के संबंध में की गई समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समितियों द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन समितियों की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या विश्वविद्यालयों, विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में अभी सुधार किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों, विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता

3520. **श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के प्रत्येक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान सहायता स्वरूप कितनी धनराशि दी जाती है;

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय से कितने महाविद्यालय सम्बद्ध हैं;

(ग) इन महाविद्यालयों में से कितने महाविद्यालय विश्वविद्यालय ग्रामीण कालेजों के रूप में श्रेणीबद्ध किये गये हैं;

(घ) इन ग्रामीण महाविद्यालयों में से प्रत्येक में छात्रों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या ग्रामीण महाविद्यालयों को नौवीं योजना के दौरान पुस्तकालयों की स्थापना, शिक्षण संबंधी सामग्रियों की खरीद तथा भवनों के निर्माण हेतु सहायता भेजना संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो क्या कर्नाटक के विश्वविद्यालयों को विश्वविालय अनुदान आयोग से ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों की आवश्यकता हेतु विशेष अनुदान दिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है; और

(छ) यदि हां, तो कर्नाटक के विभिन्न विश्वविद्यालयों को वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक अनुदान, सहायता इत्यादि स्वरूप कितनी धनराशि जारी की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार कल्याण परियोजनाएं

3521. **डा॰ बलिराम :**

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था :

श्री केशव महन्त :

श्री एन॰एन॰ कृष्णदास :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में लागू की जा रही परिवार कल्याण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर लागू की जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को कारगर ढंग से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान की उपलब्धियां क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

ये राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर में कार्यान्वित की गई विभिन्न स्कीमों के अतिरिक्त हैं।

इन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, माताओं और बच्चों की मृत्युदर, रुग्णतादर तथा जन्मदरों में कमी करना है। राज्य सरकारें इन

परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती हैं और भारत सरकार कार्यान्वयन में होने वाली प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है।

(ग) उपर्युक्त 4 राज्यों में विश्व बैंक/यू॰एस॰एड॰ सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में हैं।

विवरण-I

असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में कार्यान्वयन के अन्तर्गत परियोजनाओं का विवरण

नाम	अभिकरण/परियोजना का नाम	कुल लागत	अवधि	कवर किए गए जिले
असम	विश्व बैंक/आई॰पी॰पी-IX	101.22	16.6.94 से 15.6.2001	समस्त राज्य
आन्ध्र प्रदेश	विश्व बैंक/आई॰पी॰पी॰-VI	75.66	6.4.90 से 31.3.97	-तैदव-
	विश्व बैंक/आई॰पी॰पी॰-VIII	35.15	6.8.93 से 5.8.98	हैदराबाद
उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक/आई॰पी॰पी॰-VI	93.37	6.4.90 से 31.3.97	समस्त राज्य
	यू॰एस॰एड/आई॰एफ॰पी॰एस॰ परियोजना	810.00	30.9.92 से 30.9.2002	-तदैव-
केरल		शून्य	-	

विवरण-II

विश्व बैंक/यू॰एस॰एड॰ सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों का विवरण

विश्व बैंक	मद	उपलब्धियां
1	2	3
राज्य		
असम	I. निर्माण	
	उप केन्द्र	80
	स्टाफ आवास	30
	मौजूदा राज्य औषधालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा देना :	5
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों का प्राथमिक रेफरल यूनिट के रूप में दर्जा बढ़ाना	3
	II. प्रशिक्षण	
	चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्यकर्ता	1532
	I. निर्माण	
आन्ध्र प्रदेश (आई॰पी॰पी॰-VI)	उप केन्द्र	599
	प्रशिक्षण संस्थान	26
	II. प्रशिक्षण	
हैदराबाद (आई॰पी॰पी॰-VIII)	I. निर्माण	
	शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का डी टाइप के स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में नवीकरण करना	5
	डी टाईप के नए स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	3
	प्रसूति केन्द्रों का उन्नयन (30 पलंग)	2 पर काम चल रहा है।
	II. प्रशिक्षण	
	चिकित्सा और परा-चिकित्सा स्टाफ	2198
	गैर स्वास्थ्य कार्यकर्ता	977
उत्तर प्रदेश	I. निर्माण	
	उप केन्द्र	750
	प्रशिक्षण संस्थान	66
	II. प्रशिक्षण	167958
यू॰एस॰एड॰ उत्तर प्रदेश	राज्य परिवार नियोजन सेवा परियोजना नवीकरण अभिकरण जो आई॰एफ॰पी॰एफ॰ परियोजना का कार्यान्वयन अभिकरण है, यू॰एस॰एड॰	

1	2	3

सहायता प्राप्त आई॰एफ॰पी॰एस॰ परियोजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 64 परियोजनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 33 परियोजनाओं का वित्तपोषण का रहा है। इन परियोजनाओं के लिए राज्य नवीकरण परिवार नियोजन सेवा परियोजना अभिकरण द्वारा 31 जनवरी, 1997 तक के अनुमोदन आबंटन इस प्रकार है :—

सार्वजनिक क्षेत्र	2130.25 लाख रु॰
अनुमोदित परियोजनाएं	1832.02 लाख रु॰
आबंटन	
निजी क्षेत्र	
अनुमोदित परियोजनाएं	2923.89 लाख रु॰
आबंटन	814.95 लाख रु॰

भारत-ईरान संयुक्त आयोग

3522. **श्री बी॰एल॰ शंकर :**
डा॰ कृपासिन्धु भोई :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1997 में तेहरान में आयोजित भारत-ईरान संयुक्त आयोग के नौवें सत्र की बैठक का ब्यौरा क्या है;

(ख) तेहरान में हमारे विदेश मंत्री के दौरे के दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी;

(ग) क्या इस दौरे के दौरान भारत में गैस-भण्डारों का परिवहन करने के लिए पाइप लाइन बिछाने के विषय पर भी चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो गैस पाइप लाइन के मार्ग संबंधी ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) भारत-ईरान संयुक्त आयोग का नौवां सत्र 21 और 22 फरवरी, 1997 को तेहरान में सम्पन्न हुआ था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व हमारे विदेश मंत्री और ईरानी पक्ष का नेतृत्व ईरान के विदेश मंत्री डा॰ अली अकबर विलायती ने किया था। जिन महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना की स्थापना, भारत के लिए *प्राकृतिक गैस लाए जाने की पाइपलाइन परियोजना, व्यापार करार, दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार और विदेशी निवेश के संवर्धन और संरक्षण से सम्बद्ध करार, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के* क्षेत्रों में सहयोग शामिल थे।

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजनाबद्ध पाइपलाइन की व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सभी दलों की सहमति प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ही संभावित मार्ग का ब्यौरा उपलब्ध होगा।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

ग्रंथालयों का संवर्द्धन

3523. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रंथालयों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान संस्कृति विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है, जो देश में सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने तथा इसका समर्थन करने के लिए कई स्कीमें संचालित करता है। प्रतिष्ठान के पास छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थ पुस्तकालयों के संवर्धन के लिए निम्नांकित स्कीमें हैं :—

1. पुस्तकों और अन्य पठन व दृश्य सामग्रियों के पर्याप्त भंडार के निर्माण हेतु सहायता।
2. ग्रामीण पुस्तक संग्रह केन्द्रों और चल पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए सहायता।
3. जिला स्तर तक के सार्वजनिक पुस्तकालयों के स्थान में वृद्धि करने के लिए सहायता।
4. केन्द्रीय राज्य पुस्तकालयों और जिला पुस्तकालयों को शैक्षिक प्रयोजनार्थ टी॰वी॰-मय-वी॰सी॰आर॰ सेटों का अधिग्रहण करने के लिए सहायता।
5. सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं उपलब्ध करा रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

6. बाल पुस्तकालयों अथवा सामान्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के बाल अनुभाग के लिए सहायता।

7. जवाहर बाल भवनों, नेहरू युवक केन्द्रों आदि जैसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों को सहायता।

[हिन्दी]

भूतपूर्व संसद सदस्यों को नर्सिंग होम सुविधा

3524. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों को सरकारी अस्पताओं में नर्सिंग होम सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन भी दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल और जी॰बी॰ पन्त अस्पताल में नर्सिंग होम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उक्त अस्पतालों में कमरों की उपलब्धता को देखते हुए संसद सदस्यों को ये सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं।

भारतीय विधायकों के संघ ने 20 अगस्त, 1996 को एक ज्ञापन दिया था तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उनके साथ एक बैठक की गई थी। भूतपूर्व सांसदों को उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं के बारे में उन्हें बताया गया था।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कुछ अस्पतालों को मान्यता दी है जहां भूतपूर्व सांसदों सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी लाभार्थी अपने पसंद के अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

जलमार्गों का निजीकरण

3525. **श्री सुरेन्द्र यादव :**
प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री सुब्रता मुखर्जी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए जलमार्गों के निर्माण तथा पुराने जलमार्गों के विकास का कार्य अंतिम रूप से देश के निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

3526. **प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1996 के दौरान देश में कई सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितनी परियोजनाएं सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय सहायता से बनाई जा रही हैं;

(ग) इनमें से कितनी परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी जारी है तथा इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी होगी; और

(घ) उन परियोजनाओं के पूरा होने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिसम्बर, 1996 को देश में 162 वृहद, 256 मझौली और 107 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं।

(ख) उनमें से ग्यारह परियोजनाएं सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) सामान्यतः एक वृहद सिंचाई परियोजना के पूरा होने में 10 से 15 वर्ष और एक मझौली परियोजना को पूरा करने में 5 वर्ष का समय लगने की सम्भावना होती है। इस आधार पर 107 वृहद, 206 मझौली और 61 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं निर्धारत कार्यक्रम से पीछे चल रही है। सबसे अधिक विलम्ब पहली योजना में शुरू की गई दो वृहद परियोनाओं के मामले में हुआ। सबसे कम विलम्ब सातवीं योजना में शुरू की गई वृहद परियाजनाओं के मामले में हुआ।

(घ) नौवीं योजना के लिए वृहद और मध्यम परियोजनाओं सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि आठवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 9 वृहद, 20 मध्यम और 12 ई आर एम परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी गई। इसके अलावा, आठवीं योजना के अन्त तक 29 और वृहद, 80 मध्यम तथा 33 ई आर एम परियोजनाओं के पूरा हो जाने की सम्भावना है और शेष परियोजनाओं को आगे ले जाये जाने की सम्भावना है।

गुजरात में सड़क परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

3527. **श्री हरिन पाठक : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने विदेशी सहायता से सड़क परियोजनाओं के विकासार्थ महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की कोई सूची केन्द्र सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने कुल लगभग 1500 कि॰मी॰ लम्बी राज्यीय सड़कों की विभिन्न श्रेणियों में सुधार किए जाने के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं। भारत सरकार ने गुजरात राज्य सहित विभिन्न राज्यों में सड़क परियोजनाओं की तैयारी के लिए 51.50 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

खरीद में अनियमितताएं

3528. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गयी विभिन्न खरीददारियों में गंभीर अनियमितताएं पायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप सरकार की हुई हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) लेखा परीक्षा दल ने परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपेक्षित मदों की खरीद करने से संबंधित फाइलों का निरीक्षण किया था। लेखा परीक्षा द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई हैं।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण विभाग कार्यों को स्पष्ट करने और लेखा परीक्षा द्वारा की गई आपत्तियों पर टिप्पणियां देने के संबंध में कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आबंटन

3529. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनाओं में मलेरिया के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) वर्ष 1995–96 के दौरान बजट में इस कार्यक्रम के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया था और इसमें से दिसम्बर, 1996 तक कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत व्यय संबंधी प्रमुख शीर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या देश में मलेरिया फिर से फैल रहा है; और

(च) यदि हां, तो क्या इस बीमारी से निपटने के लिए इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 8वीं योजना के दौरान निर्धारित कुल परिव्यय 445.25 करोड़ रुपये है।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
1993–94	110.54
1194–95	110.00
1995–96	128.00

(ग) 1995–96 के लिए अनुमोदित बजटीय परिव्यय 128.00 करोड़ रुपये था। बजट अनुमान 1996–97 में 145.00 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले 97.86 करोड़ रुपये दिसम्बर, 1996 तक व्यय किए गए।

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए व्यय के प्रमुख घटक कीटनाशियों, लार्वानाशियों तथा मलेरिया रोधी औषधों की खरीद रही है।

(ङ) और (च) देश में मलेरिया की घटनाएं नियंत्रित होकर करीब 2 से 3 मिलियन वार्षिक हो गई है। फिर भी देश के कुछेक भागों से मलेरिया के स्थानीय प्रकोप सूचित किए जा रहे हैं। मौजूदा नियंत्रण कार्यनीतियों के अलावा रोग का प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने हेतु सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों पर और अधिक जोर दिया जा रहा है ताकि मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों को जन आंदोलन बनाने के लिए समुदाय का समर्थन और सहभागिता प्राप्त हो सके। 7 पूर्वोत्तर राज्यों में मलेरिया रोधी कार्यकलापों को तेज करने के लिए उन्हें 100 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सरकार देश के मलेरिया स्थानिकमारी और आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक सहायता से एक विस्तृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के लिए बातचीत कर रही है।

प्राइवेट नर्सिंग होम में गरीब रोगियों का उपचार

3530. **श्री पवन दीवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट नर्सिंग होम में गरीब रोगियों के उपचार की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रावधानों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और कागजों में जाली प्रविष्टियां की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) कुछ राज्यों ने भूमि तथा अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध की हैं तथा उसके बदले निर्धन लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करना निर्धारित किया है। इसी तरह कुछ अस्पतालों तथा नैदानिक केन्द्रों, जो निर्धन लोगों को निःशुल्क अंतरंग/बाह्य उपचार उपलब्ध करते हैं; को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात की निगरानी रखें कि ये शर्तें प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों द्वारा पूरी की जा रही हैं। अनुभव यह रहा है कि निःशुल्क कार्य संबंधी अपेक्षा अनेक मामलों में आंशिक रूप से ही पूरी की जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र का कार्यकरण

3531. **श्री मुरलीधर जेना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कोई संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी बैठकें करने संबंधी दिशानिर्देश सहित सेवा की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इसकी बैठक बार-बार आयोजित की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष और अब तक आयोजित इसकी बैठक की तारीख और कार्यवाही सारांश क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां। यह केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी नियमित कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण और कार्य की गुणवत्ता और स्तर में सुधार से संबंधित कार्य करता है।

परिषद् की आम बैठकें उतनी होती हैं जितनी जरूरी हो परन्तु छः माह में कम से कम एक बार अवश्य होती है। अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

(ग) और (घ) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की पिछली बैठक 2-9-94 को हुई थी जिसने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचारार्थ निम्नलिखित निर्णय लिये :—

1. शिक्षकों के पदोन्नति कोटे में वृद्धि;
2. शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;
3. शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों का उच्चतर ड्यूटी भत्ता के भुगतान पर विचार करने के लिए उप-समिति गठित करना;
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने से संबंधित मामलों को विचार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंतरिक कार्य अध्ययन एकक के सम्मुख रखना।

खेल संबंधी विधान

3532. **श्री राम सागर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेल फेडरेशनों तथा एसोसिएशनों की कार्यप्रणाली को "पारदर्शी, व्यावसायिक तथा जवाबदेह" बनाने के लिए केन्द्रीय विधान बनाने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम कब तक बना दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकार द्वारा खेल फेडरेशनों/एसोसिएशनों को जारी की गई राशि का दुरूपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों में खेल फेडरेशनों तथा एसोसिएशनों द्वारा उपयोग में लाए गए धन की लेखा परीक्षा कराई जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर॰) : (क) और (ख) "खेल" विषय को राज्य सूची से भारत के संविधान की समवर्ती सूची में अंतरित करने संबंधी प्रस्ताव पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों, राष्ट्रीय खेल संघों एवं अन्य सम्बद्ध संगठनों के विचार मांगे गए हैं। इस समय देश में खेलकूद के विकास के लिए केन्द्रीय विधान लागू करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रत्येक मंजूरी का अलग-अलग रिकार्ड रख कर राष्ट्रीय खेल संघों को जारी किए गए अनुदानों पर निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रीय खेल संघों से उपयोग प्रमाणपत्र तथा लेखों के लेखा परीक्षित विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाते हैं तथा तब तक आगे कोई राशि जारी नहीं की जाती है जब तक कि ये ब्यौरे भेज नहीं दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना

3533. **श्री दत्ता मेघे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 और 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र को आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या महाराष्ट्र में "आप्रेशन ब्लैक बोर्ड" योजना को लागू करने में करोड़ों रुपये का दुरूपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत, 5,559.72 लाख रु॰ और 6,725.40 लाख रु॰ क्रमशः 1995-96 और 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र को दिए गए थे।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दुरूपयोग का कोई मामला अब तक सूचित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

संक्रामक रोग/महामारियां

3534. **श्री कचरू भाऊ राउत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में फैले संक्रामक रोग/महामारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य में इन रोगों से बचाव हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में जिन रोगों के प्रकोप के होने की सूचना मिली है वे मुख्य रूप से निम्नलिखित राज्य में हुए हैं :—

जापानी एन्सेफलाइटिस	केरल, हरियाणा और पंजाब
खसरा	उत्तर प्रदेश
डेंगू	हरियाणा और दिल्ली
मलेरिया	उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली
हैजा	दिल्ली, उड़ीसा और हरियाणा
प्लेग	महाराष्ट्र और गुजरात

(ख) महामारियों के पुनः घटित होने को रोकने के लिए सरकार रोग निगरानी पद्धति को सुदृढ़ करने और विशिष्ट रोग को कवर करने वाले कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उपाय कर रही है। शुरू में चेतावनी देने की पद्धति स्थापित करने के लिए सरकार ने राज्यों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे मलेरिया और डेंगू जैसी महामारियों के नियंत्रण के लिए पहले ही से कार्रवाई करने हेतु कार्यकलापों की एक समय सारणी तैयार करें।

[अनुवाद]

समान शिक्षा पद्धति

3535. **श्री नीतीश भारद्वाज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कालेजों में केन्द्रीय विद्यालयों के अनुरूप एक समान शिक्षा पद्धति आरंभ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे आरंभ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई॰एस॰आई॰ की गतिविधियां

3536. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1997 के "दैनिक जागरण" में "आई॰एस॰आई॰ ने चुनिंदा नेताओं की हत्या की साजिश रची" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान सरकार को अपना विरोध-पत्र भेज दिया है; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध किये जाने वाले आतंकवाद के समर्थन एवं प्रोत्साहन के मसले को पाकिस्तान के साथ सतत रूप से उठाया है। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान द्वारा सीमा-पार के आतंकवाद को समर्थन जारी है। सरकार भारत के विरूद्ध पाकिस्तानी एजेंसियों की भूमिका का प्रतिकार करने के लिए सभी कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश भूमि सीमा

3537. श्री अमर राय प्रधान :
डा॰ एम॰ जगन्नाथ :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या विदेश मंत्री दिनांक 9 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2344 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सीमा करार संबंधी तीन मुद्दों के कार्यान्वयन के लिए नियमित बैठकें की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्यदल की नई दिल्ली में तीसरी बैठक के दौरान हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत-बंगलादेश भूमि सीमा के सीमांकन कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) भू-सीमा करार से संबद्ध अनसुलझे मसलों पर विचार-विमर्श तथा क्रियान्वित करने के लिए दोनों देशों के भू-अभिलेख तथा सर्वेक्षण प्राधिकारियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। 1994 में सात बैठकें, 1995 में दस बैठकें, 1996 में बारह बैठकें आयोजित की गई। 18 से 31 जनवरी, 1997 तक नई दिल्ली में आयोजित भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्य दल की तीसरी बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने भू-सीमा सीमांकन कार्य के शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। दोनों पक्ष इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सर्वेक्षण दलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए। संयुक्त कार्यदल की बैठक के दौरान जिन अन्य मसलों पर चर्चा हुई उनमें सुरक्षा से संबद्ध मसले, सीमा पार आवागमन, चकमा शरणार्थियों की स्वदेश वापसी, बीजा व्यवस्था, सीमा पार अपराध इत्यादि मसले शामिल हैं। फरवरी, 1996 में भारत और बंगलादेश के गृह सचिवों के बीच चर्चाओं के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा सीमांकन के लिए सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता को दोहराया। भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में भू-सीमा सीमांकन पर चर्चा पूरी हो गई है तथा क्षेत्र कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, तथा इस समय दोनों पक्षों द्वारा बकाया भू-भाग का सीमांकन कार्य चल रहा है। त्रिपुरा, असम और मेघालय क्षेत्रों में गुमशुदा स्तम्भों का पुनः अवस्थापन तथा क्षतिग्रस्त स्तम्भों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी क्षेत्रों के सीमा प्रदेश मानचित्रों की छपाई करने और उसे अन्तिम रूप दिए जाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर ली गई है।

[हिन्दी]

मंदबुद्धि लोग

3538. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंदबुद्धि लोगों के लिए कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) प्रस्तावित "मानसिक मन्दता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1995" में मानसिक मन्दता से ग्रस्त व्यक्तियों की परिचर्या और पुनर्वास का प्रबन्ध करने, ऐसी परिचर्या प्रदान करने में लगे संगठनों को सहायक सामग्री और सहायता प्रदान करने और इस प्रयोजन हेतु वसीयत की गई संपत्तियों का प्रबन्ध करने का उल्लेख है।

[अनुवाद]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

3539. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी॰पी॰ई॰पी॰) के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान राज्यों द्वारा की गई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना अवधि के दौरान जिला-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा जिला वार और वर्ष वार कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी॰पी॰ई॰पी॰) के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर पर्यवेक्षण मिशनों के दौरों, कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली (एम॰आई॰एस॰) आवधिक रिपोर्टों, राज्य परियोजना अधिकारियों के साथ बैठकों, आदि के जरिए की जाती है।

(ख) डी॰पी॰ई॰पी॰ 5-7 वर्षों की परियोजना है। कार्यक्रम का चरण-I नवंबर 1994 में सात राज्यों नामतः असम, हरियाणा,

कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 42 जिलों में शुरू किया गया था। चरण-II के तहत 1996-97 में चार और राज्यों नामतः उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के 17 जिलों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। डी॰पी॰ई॰पी॰-I के 7 राज्यों की प्रमुख उपलब्धियां विवरण-I में दी गई है।

(ग) विवरण-II में स्थिति का उल्लेख है।

विवरण-I

(दिसंबर, 1996 तक डीपीईपी के तहत प्रमुख उपलब्धियां)

राज्यों के नाम	असम	केरल	हरियाणा	कर्नाटक	महाराष्ट्र	तमिलनाडु	मध्य प्रदेश
नए प्रथामिक स्कूल भवन निर्मित/प्रगति पर	-	-	12	258	327	-	2741
मौजूदा स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण संपन्न/प्रगति पर	213	-	-	-	-	-	-
मरम्मत किए गये/मरमम्त का काम चल रहे स्कूलों की संख्या	23	-	312	120	-	-	1117
अतिरिक्त शिक्षण कक्ष निर्मित/प्रगति पर	36	481	591	16	675	510	2288
निर्मित किए गए/किए जा रहे बीआरसी/सीआरसी की संख्या	218	187	257	96	-	67	198
स्थापित किए गये/स्थापित किए जा रहे प्रारंभिक शिक्षु शिक्षा	49	-	-	-	-	-	-
नियुक्त किए गए नए शिक्षकों की संख्या	-	-	-	914	1899	-	3243
प्रशिक्षित किए गये शिक्षकों/विशेषज्ञों/अन्य पदाधिकारियों की संख्या	42875	18158	13687	54773	48819	16623	239334
नई पाठ्पुस्तकों का विकास	असमी में कक्षा II की पाठ्य पुस्तकें तथा बोडो में कक्षा I की पाठ्य पुस्तकें शुरू की गई	समेकित पुस्तकें कक्षा I और II भाषा ईबीएस, गणित कक्षा III और IV के लिए विकसित की गई	कक्षा I की गणित और भाषा की पुस्तकें तैयार की गई	कक्षा I, II और III शुरू की गई	कक्षा I और II की पाठ्य पुस्तकें तैयार	कक्षा I और II शुरू किए गए तथा कक्षा III तैयार	कक्षा I और II की पाठ्य पुस्तकें शुरू की गई

विवरण-II

(डीपीईपी-I राज्यों द्वारा वार्षिक कार्य योजना और बजट से किया गया व्यय)

(रुपये लाखों में)

क्र॰सं॰	राज्य/डीपीईपी की तहत शामिल किए गए जिलों के नाम	1994-95	1995-96	1996-97 (दिसंबर, 1996 तक)	योग
1	2	3	4	5	6
1	असम-राज्य स्तर पर	**47.90**	**165.34**	**72.68**	**285.92**
	1. धुबरी	30.55	434.89	44.31	509.75
	2. दारंग	24.43	497.80	80.07	602.30

1	2	3	4	5	6
	3. कार्बी आंगलोंग	2.68	–	–	2.68
	4. मारीगांव	30.36	335.88	19.22	385.46
	योग असम	**135.92**	**1433.51**	**216.28**	**1785.71**
2	हरियाणा–राज्य स्तर पर	**26.41**	**78.86**	**52.29**	**157.56**
	1. कैथल	95.78	126.09	144.89	366.76
	2. जिंद	138.14	126.62	68.44	333.20
	3. हिसार	151.07	402.92	143.07	697.06
	4. सिरसा	99.29	163.23	111.53	374.05
	योग हरियाणा	**510.7**	**897.73**	**520.21**	**1928.64**
3	कर्नाटक–राज्य स्तर पर	**57.76**	**93.18**	**47.75**	**198.69**
	1. बेलगांव	202.67	281.47	215.04	699.18
	2. कोलार	190.69	197.52	198.68	586.89
	3. मंडया	200.83	152.36	153.20	506.39
	4. रायचूर	145.48	123.26	158.36	427.10
	योग कर्नाटक	**797.44**	**847.79**	**773.03**	**2418.26**
4	करेल–राज्य स्तर पर	**7.47**	**69.16**	**89.53**	**166.16**
	1. कासरगौड़	11.49	243.34	164.84	419.67
	2. मल्लापुरम	11.29	605.77	452.19	1069.25
	3. वायंड	8.70	117.26	89.86	215.82
	योग केरल	**38.95**	**1035.53**	**796.43**	**1870.91**
5	महाराष्ट्र–राज्य स्तर पर	**46.81**	**113.40**	**195.00**	**355.21**
	1. औरंगाबाद	54.30	234.87	539.22	828.39
	2. लाटूर	49.31	196.94	428.07	674.32
	3. नानडेड	70.80	359.75	652.76	1083.31
	4. ओस्मानाबाद	50.84	210.67	300.21	561.72
	5. परभनी	71.90	302.98	510.32	885.20
	योग महाराष्ट्र	**344.15**	**1418.61**	**2625.58**	**4388.34**
6	तमिलनाडु–राज्य स्तर पर	**80.69**	**53.78**	**9.60**	**144.07**
	1. धरमपुरी	180.32	181.30	3.37	364.99
	2. दक्षिण आर्कोट	296.70	269.08	6.20	571.98
	3. टी॰ सबुवरयार	152.30	212.90	3.56	368.76
	योग तमिलनाडु	**710**	**717.06**	**22.72**	**1449.78**
7	मध्यप्रदेश–राज्य स्तर पर	**144.45**	**227.93**	**233.64**	**606.02**
	1. सिधी	70.98	196.15	192.55	459.68
	2. रायगढ़	145.33	347.35	229.22	721.90
	3. सरुगजा	194.63	255.22	267.93	717.78
	4. गुना	73.34	303.03	134.53	510.90

1	2	3	4	5	6
5.	पन्ना	42.61	184.44	120.77	347.82
6.	टीकमगढ़	43.89	204.68	81.88	330.45
7.	शहडोल	105.43	393.07	227.15	725.65
8.	धाड़	80.47	345.52	204.67	630.66
9.	छतरपुर	69.73	249.14	195.71	514.58
10.	सिहोर	59.41	249.02	89.57	398.00
11.	रायसेन	58.03	229.31	170.02	457.36
12.	राजगढ़	63.55	288.76	151.20	503.51
13.	रीवा	66.87	332.98	186.10	585.95
14.	विलासपुर	206.15	400.24	343.88	950.27
15.	सतना	70.50	244.66	150.16	465.32
16.	राजनन्द गांव	87.30	368.02	137.75	593.07
17.	मंदसौर	83.89	364.04	215.62	663.55
18.	रतलाम	73.34	271.52	228.92	573.78
19.	वेतुल	71.31	222.02	183.99	477.32
	योग मध्य प्रदेश	1811.21	5677.10	3745.28	11233.6

भारतीय खेल प्राधिकरण में अनियमितताएं

3540. श्री भक्त चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "भारतीयम" के आयोजन के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण में अनुचित भर्ती की गई और वित्तीय गड़बड़ियां की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर॰) : (क) और (ख) नेहरू जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिल्ली में 14 नवंबर, 1989 को राष्ट्रीय भारतीयम आयोजित करने का निर्णय लिया था। एक "विशेष आयोजन समिति – भारतीयम, 89" गठित की गई थी। भारतीयम, 89 आयोजित करने के लिए विशेष आयोजन समिति (एस॰ओ॰सी) द्वारा कोई भी नियमित भर्ती नहीं की गई थी। तथापि, समारोह से संबंधित सभी लेखों को अलग–अलग रखा गया था। लेखा परीक्षा के दौरान, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी॰ एण्ड ए॰जी॰) ने कुछ टिप्पणियां की थीं जिनका विशेष आयोजन समिति द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर पहले की उत्तर दे दिया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मांगे गए और स्पष्टीकरणों पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सी॰टी॰ई॰) ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी तथा अल्पान्तरीय गुम्बदों तथा शौचालयों के निर्माण में ढांचागत खामियों के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं।

(ङ) विशेष आयोजन समिति, भारतीयम, 89 की 18 मार्च, 1994 को हुई छठी बैठक में मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया गया था। समिति का विचार था कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सभी निर्णय कार्यक्रम के सर्वोच्च हित में लिए जाएं तथा किसी व्यक्ति विशेष या समूह का उत्तरदायित्व तय नहीं किया जा सकता।

कानपुर में गंगा

3541. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी ने हाल ही में कानपुर उत्तर प्रदेश में अपना रास्ता बदल लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रानीखेत छावनी में स्टेडियम के लिए भूमि

3542. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में रानी खेत छावनी में खेल स्टेडियम्म में निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग को तीस वर्ष के पट्टे पर भूमि के अंतरण के बारे में 1996 में एक संकल्प स्वीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना मुख्यालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) रानीखेत स्थित छावनी बोर्ड, ने 28.4.1995 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि अपने प्रबंधन के अधीन ग्राउंड जो राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्राउंड के नाम से जाना जाता है तथा जिसका जी एल आर सर्वे संख्या 3/6 है एवं जिसकी माप 4.497 एकड़ है, में एक मिनी स्टेडियम बनाने जाने के लिए इसे खेल निदेशालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया जाए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि उक्त भूमि रक्षा प्रयोजनों के वास्ते अपेक्षित है।

स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली का विकास

3543. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक अलग आयुर्वेद निदेशालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का एक अलग विभाग स्थापित किया है। इस विभाग के अधीन आयुर्वेद और सिद्ध निदेशालय स्थापित किया जाना है, जिसका प्रशासकीय अध्यक्ष एक निदेशक होगा। निदेशालय में विभिन्न पदों को भरने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष अस्पतालों की स्थापना

3544. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में विशेष अस्पताल स्थापित करने का है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष अस्पताल स्थापित किए जाने की वास्तव में आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की राजधानियों में ऐसे अस्पताल स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपने यहां अस्पताल स्थापित करें।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

3545. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संस्थान की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) आयुर्वेद का एक ही राष्ट्रीय संस्थान है जो जयपुर, राजस्थान में है।

(ख) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध है। राजस्थान विश्वविद्यालय संस्थान को वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अनन्तिम संवर्धन प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय के निरीक्षक ने संस्थान में आधारभूत ढांचे संबंधी कुछ कमियां बताई हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् जो शिक्षा के न्यूनतम धारक निर्धारित करती है, के निरीक्षण दल ने यह देखने के लिए संस्थान का दौरा किया कि उपलब्ध की गई सुविधाएं मानदंडों के अनुरूप हैं या नहीं। भारतीय चिकित्या केन्द्रीय परिषद् की निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ

मामलों में मानदंड पूरे न होने के बारे में मुख्य कमियां इस प्रकार हैं :-

(I) रिक्त पदों को न भरा जाना।

(II) कुछ उपकरण उपलब्ध न होना।

(III) छात्रावास संबंधी सुविधाएं कम होना।

(IV) जड़ी-बूटी उद्यान की स्थापना।

(ग) एक जड़ी-बूटी उद्यान स्थापित किया गया है। छात्रावास संबंधी सुविधाएं अब उपलब्ध कर दी गई हैं। उपकरणों की खरीद तथा रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अहीर रेजिमेंट

3546. श्री राम कृपाल यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अहीर रेजिमेंट" कभी अस्तित्व में थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस रेजिमेंट को पुनः स्थापित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कोसी के लिए बहुउद्देशीय परियोजना

3547. श्री महावीर लाल विश्वकर्मा :

श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोसी नदी से मिथिलांचल क्षेत्र हेतु कोई बहुद्देशीय परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो इसे पूरा किए जाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा तथा इस पर अनुमानित कितनी राशि खर्च की जाने वाली है;

(घ) क्या सरकार को इसके पूरा न होने वाली संभावित हानि की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) कोसी उच्च बांध परियोजना नेपाल क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव है और इसलिए इस परियोजना में नेपाल का सहयोग आवश्यक है। इस परियोजना पर विचार-विमर्श करने के लिए जनवरी, 1997 में हुई भारत-नेपाल तकनीकी स्तर की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त रूप से विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जाएं।

(ग) जांच के बाद विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि परियोजना पूरी होने में कितना समय तथा कितनी अनुमानित लागत लगेगी।

(घ) और (ङ) परियोजना के पूरा होने से बिहार के तराई क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई, विद्युत और बाढ़-नियंत्रण लाभ प्राप्त होंगे।

[अनुवाद]

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय का बंद होना

3548. श्री तारीक अनवर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय में हिंसा के कारणों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की जांच के क्या निष्कर्ष हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए कुछ छात्रों के नामांकन के अमान्यकरण के परिणामस्वरूप (उनके विगत कदाचार के कारण उनको अयोग्य पाए जाने पर) छात्रों और सुरक्षा स्टाफ तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया था। यह झगड़ा बड़े पैमाने पर आशांति में बदल गया जिसमें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर तथा इसके बाहर आगजनी और जीवन की क्षति शामिल है। कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की सलाह पर विश्वविद्यालय को 21-2-1997 से अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को दो/अधिक बार खोलना

3549. श्री भगवान शंकर रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को दो/अधिक बार खोलने का है ताकि लाभार्थियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित समय सारणी कब तक लागू होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस संबंध में सिफारिशें दी हैं और उनकी जांच की जा रही है।

नदी घाटी परियोजनाएं

3550. **श्री के॰ प्रधानी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही नदी घाटी परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इसमें अब तक राज्य-वार और परियोजना-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की समीक्षा हेतु केन्द्र निगरानी कक्ष की स्थापना करने का है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) विभिन्न राज्यों में चल रही वृहद और मझौली परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग में पहले ही एक मानीटरिंग संगठन है जो अधिकांश चल रही अनुमोदित वृहद परियोजनाओं और चुनिंदा मध्यम परियोजनाओं की मानीटरिंग करता है। इसके अलावा, योजना आयोग में वार्षिक योजना विचार विमर्श के दौरान परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा जाती है।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास अथवा परियोजना के किसी क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है। तथापि, सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के लिए, केन्द्र सरकार ने वर्ष 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला विवरण।

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	वृहद			मध्यम		
		परियोजनाओं की संख्या	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टैयर में)	परियोजनाओं की संख्या	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टैयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	9140.31	1947.47	29	500.88	147.53
2.	असम	5	429.90	166.48	6	74.18	47.75
3.	बिहार	16	4202.63	1211.29	23	537.24	105.28
4.	गोवा	1	347.72	46.06	1	40.00	11.20
5.	गुजरात	9	11308.79	2121.13	30	716.99	161.93
6.	हरियाणा	4	944.41	322.00	-	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	1	143.32	26.54	2	11.37	4.87
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	144.15	67.88	11	112.02	40.16
9.	कर्नाटक	13	7277.21	1684.67	18	506.85	98.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	केरल	12	1442.14	569.45	22	545.10	126.79
11.	मध्य प्रदेश	19	7834.17	2312.50	34	839.40	239.60
12.	महाराष्ट्र	39	11554.79	2105.44	53	849.43	262.70
13.	मणिपुर	2	324.64	44.67	2	66.58	11.05
14.	मेघालय	–	–	–	1	17.18	16.81
15.	उड़ीसा	7	4813.19	1094.69	13	606.28	110.32
16.	पंजाब	–	743.54	–	1	2.00	उपलब्ध नहीं
17.	राजस्थान	8	4560.82	1808.57	7	202.59	51.09
18.	त्रिपुरा	–	–	–	3	105.59	25.52
19.	उत्तर प्रदेश	18	6027.71	4923.86	3	55.37	6.68
20.	पश्चिम बंगाल	3	1695.41	1580.56	21	94.44	48.91
21.	तमिलनाडु	–	–	–	5	81.89	13.93
	कुल :	172	72934.85	22033.26	276	5963.38	1532.12

सौराष्ट्र में जल संसाधनों के लिए सर्वेक्षण

3551. श्री राजेन्द्र सिंह राणा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संसाधनों के लिए गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र का विश्लेषणात्मक मौगिक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्टों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सौराष्ट्र के विभिन्न जिलों का जल स्तर क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जल प्रबंधन तथा जल उपयोग के क्षेत्र में दीर्घगामी परिणाम प्राप्ति हेतु परम्परागत तरीके लागू करने की योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने सौराष्ट्र क्षेत्र सहित पूरे राज्य का क्रमबद्ध जल विज्ञानीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। सौराष्ट्र क्षेत्र के 6 जिलों अर्थात् अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, राजकोट तथा सुरेन्द्रनगर में 34,861 वर्ग कि॰मी॰ के क्षेत्र में जल विज्ञानीय सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन भी कर लिया गया है।

(ग) केन्द्रीय भूजल बोर्ड सौराष्ट्र के 6 जिलों में 289 प्रेक्षण कुओं के भूजल स्तरों की स्थिति की मानीटरी करता है। सौराष्ट्र क्षेत्र में भूजल का स्तर भूमि-सतह से 2 से कम मीटर से लेकर लगभग 45 मीटर तक नीचे है। सौराष्ट्र में भूमि सतह के नीचे भूजल स्तर के माप का जिलावार विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	मीटरों में भूजल स्तर
अमरेली	4.08 से 37.50
भावनगर	3.14 से 38.15
जामनगर	3.66 से 23.81
जूनागढ़	2.89 से 39.72
राजकोट	3.10 से 39.72
सूरत	1.95 से 23.00

(घ) जी, हां।

(ङ) चेक बांधों के निर्माण, वाटरशेड विकास, लघु सतही सिंचाई स्कीमें, सिंचाई की कुशल पद्धति तथा भूमि में लवणता रोकने संबंधी जैसे उपायों की आयोजना सरकार द्वारा तैयार की जाती है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

3552. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाले मार्ग के रूप में परिवर्तित करने के लिए आठवीं योजना में

किए गए प्रावधान के अंतर्गत 227 करोड़ रु॰ की राशि जारी करने के संबंध में केरल राज्य सरकार के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 227.00 करोड़ रु॰ के कुल प्रावधान में से 166.50 करोड़ रु॰ की लागत के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनमें अलवई और शेरथलाय के बीच रा॰रा॰-47 पर चार लेन बनाने के लिए 93.47 करोड़ रु॰ शामिल हैं।

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

3553. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य वार कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य वार कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य वार कितने व्यक्तियों का लाभ मिला है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने समय-समय पर इन केन्द्रों के कार्य की समीक्षा करने के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजना के तहत केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के नाम से जाना जाता है) की अप्रैल 1991 से संशोधित किया गया है क्योंकि समीक्षाओं से संकेत मिला था कि इसका काफी असर नहीं हो रहा है तथा यह लागत-प्रभावी नहीं है। अब संपूर्ण साक्षरता प्रभावी हैं, (टी॰एल॰सी॰) जो क्षेत्र "विशिष्ट, समयबद्ध, स्वयंसेवक आधारित तथा लागत प्रभावी हैं, के जरिए अब प्रौढ़ साक्षरता प्रदान की जा रही है। तथापि दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों, जहां ये अभियान नहीं चलाए जा सकते, के लिए एक संशोधित ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजना लागू की गई है। यह संशोधित योजना जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा राजस्थान के सीमांत जिलों में लागू किए जाने के लिए अनुमोदित की गई है। परन्तु राजस्थान के सीमांत जिलों में भी केन्द्र आधारित ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजना योजना के बजाए अभियान प्रणाली के संपूर्ण साक्षरता अभियान को लागू करने का विकल्प चुना है। गत दो वर्षों के लिए योजना के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं तथा जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं की मानिटरिंग तथा पर्यवेक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। उन्हें खास तौर पर कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट भेजनी होती है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की मानिटरिंग कर रहा है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य	परियोजनाओं की संख्या *	कवरेज	जारी किया गया अनुदान (रु॰ लाख में) 1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
1.	अरूणाचल प्रदेश	7	1,73,322	42.49	
2.	असम	15	48,700	50.00	-
3.	जम्मू और कश्मीर	7	23,275	154.85	-
4.	मणिपुर	10	1,40,000	41.65	-
5.	मेघालय	2	27,954	9.00	4.14
6.	महाराष्ट्र @@			100.00	4.45
7.	मिजोरम	2	4,921	8.00	-
8.	नागालैंड	7	64,200	19.13	19.07

1	2	3	4	5	6
9.	राजस्थान **	86	10,27,000	150.00	–
10.	तमिलनाडु @@			143.63	
11.	सिक्किम	4	5,168	11.22	–

* प्रत्येक परियोजना एक वर्ष की अवधि की है। प्रत्येक परियोजना के तहत 100 केन्द्रों की अनुमति होती है तथा प्रत्येक केन्द्र 15-35 आयु वर्ग के 25 से 30 निरक्षरों को नामांकित कर सकते हैं।

** ये परियोजनाएं लागू नहीं की जा रही हैं तथा अनुदान को 1996-97 के लिए प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण में समायोजित किया जाता है।

@@ पहले के वर्षों के व्यय की प्रतिपूर्ति।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सैन्य अकादमी हेतु चयन मानदण्ड

3554. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सैन्य अकादमी में प्रवेश हेतु चयन मानदण्डों को घटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस निर्णय से सेना की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

3555. श्री मोहन रावले :

श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि बदलती हुई रक्षा आवश्यकताओं के मद्देनजर और हमारे देश को वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने हेतु देश की रक्षा तैयारी में सुधार करने के लिए सशस्त्र बलों का तीव्र गति से आधुनिकीकरण करना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) सरकार हमारी सशस्त्र सेनाओं को शक्तिशाली तथा आधुनिक बनाने में सतत रूप से लगी हुई है। आधुनिकीकरण का यह कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, रक्षा तैयारी का अपेक्षित स्तर बनाए रखने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और दीर्घकालिक संभावित खतरों पर आधारित है। आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

एड्स के लिए रेफरल केन्द्र

3556. श्री अनंत कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1996 तक देश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने रेफरल केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) दिसम्बर, 1996 तक कितने क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) देश में एच॰आई॰वी॰ से प्रभावित व्यक्तियों तथा एड्स के लिए आधुनिक सुविधायुक्त मेडीकल कालेजों के नाम क्या हैं, और ये कहां-कहां स्थित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अब तक देश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन एच आई वी संदर्भ केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक सुची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 154 जोनल रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) एक सूची विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

एच॰आई॰वी॰ संदर्भ केन्द्रों की सूची

1. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
3. भारतीय इम्युनोहेमेटोलाजी संस्थान, बम्बई
4. राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता
5. स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, कलकत्ता
6. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास
7. राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे
8. क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल
9. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लौर

विवरण-II

देश में जोनल रक्त जांच केन्द्र

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में

1.	आंध्र प्रदेश	1. रक्त बैंक, गांधी अस्पताल, हैदराबाद
		2. रक्त बैंक, एम॰जे॰ कैंसर अस्पताल, हैदराबाद
		3. रक्त बैंक, निजाम्स आई एम एस, हैदराबाद
		4. रक्त बैंक, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैवेंटीव मेडिसिन, हैदराबाद
		5. रक्त बैंक, सरकारी हेडक्वार्टर अस्पताल, विजयवाड़ा
		6. रक्त बैंक, सरकारी हेडक्वार्टर अस्पताल, करीम नगर
		7. रक्त बैंक, सरकारी हेडक्वार्टर अस्पताल, कुड्डापाह
		8. रक्त बैंक, सरकारी हेडक्वार्टर अस्पताल, कम्माम
		9. रक्त बैंक, सरकारी हेडक्वार्टर अस्पताल, चित्तौड़
		10. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, तिरूपति
		11. रक्त बैंक, गुंटूर मेडिकल कालेज, गुंटूर
		12. रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, कुर्नूल
2.	अरुणाचल प्रदेश	13. रक्त बैंक, सरकारी अस्तपाल, ईटानगर
3.	असम	14. रक्त बैंक, गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी
		15. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़
		16. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, सिल्चर
4.	बिहार	17. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, गया
		18. रक्त बैंक, पटना मेडिकल कालेज, पटना
		19. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, धनबाद
		20. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, जमशेदपुर
		21. रक्त बैंक, जमशेदपुर
		22. रक्त बैंक, राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची
		23. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, भागलपुर
		24. रक्त बैंक, श्री कृष्ण मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर
		25. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, दरभंगा
5.	गोवा	26. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, पणजी
		27. रक्त बैंक, सिविल अस्पताल, पणजी
6.	गुजरात	28. रक्त बैंक, सूरत मेडिकल कालेज, सूरत
		29. रक्त बैंक, सरकारी मेडिकल कालेज, बड़ोदरा
		30. रक्त बैंक, बी॰जे॰ मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
		31. रक्त बैंक, एम॰पी॰ शाह अस्ताल, जामनगर
		32. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, जूनागढ़
		33. रक्त बैंक, सिविल अस्पताल, अमरेली

7.	हरियाणा	34. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, रोहतक
		35. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, हिसार
		36. रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, फरीदाबाद
		37. रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, कमाल
8.	हिमाचल प्रदेश	38. रक्त बैंक, इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला
		39. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, धर्मशाला
9.	जम्मू व कश्मीर	40. रक्त बैंक, सरकारी अस्पाल, श्रीनगर
		41. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, जम्मू
10.	कर्नाटक	42. रक्त बैंक, के॰सी॰ जनरल अस्पताल, बैंगलोर
		43. रक्त बैंक, एच॰एस॰आई॰एस॰ अस्पताल, बैंगलोर
		44. रक्त बैंक, के॰एम॰इंस्टी॰ ऑफ आंकोलॉजी, बैंगलौर
		45. रक्त बैंक, के॰एम॰सी॰ अस्पताल, हुबली
		46. रक्त बैंक, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल
		47. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, बेल्लारी
		48. रक्त बैंक, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलूर
		49. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, गुलबर्गा
		50. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, बेलगाम
11.	केरल	51. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज अस्पताल, कालीकट
		52. रक्त बैंक, सरकारी अस्पताल, एर्नाकुलम
		53. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम
		54. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, त्रिचूर
		55. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, कुन्नूर
12.	मध्य प्रदेश	56. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, भोपाल
		57. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, उज्जैन
		58. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, ग्वालियर
		59. रक्त बैंक, डी॰एच॰ सागर
		60. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, इन्दौर
		61. रक्त बैंक, रीवा मेडिकल कालेज, रीवा
		62. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बिलासपुर
		63. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, जबलपुर
		64. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, छिंदवाड़ा
		65. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, रायपुर
13.	महाराष्ट्र	66. रक्त बैंक, के ई एम अस्पताल, बंबई
		67. रक्त बैंक, एल॰टी॰एम॰जी॰ अस्पताल, बंबई
		68. रक्त बैंक, ई॰वाई॰एल॰ नायर अस्पताल, बंबई
		69. रक्त बैंक, हाफकाईन इंस्टीट्यूट, बंबई
		70. रक्त बैंक, टाटा मेमोरियल अस्पताल, बंबई
		71. रक्त बैंक, रेडक्रास, बंबई
		72. रक्त बैंक, कूपर अस्पताल, बंबई
		73. रक्त बैंक, राजावाड़ी अस्पताल, बंबई
		74. रक्त बैंक, जे॰जे॰ अस्पताल, बंबई
		75. रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, शोलापुर
		76. रक्त बैंक, सरकारी अस्पताल, उल्हासनगर
		77. रक्त बैंक, ससून अस्पताल, पुणे
		78. रक्त बैंक, सरकारी मेडिकल कालेज, मिराज
		79. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, चन्द्र पुर

		80. रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, कोल्हापुर
		81. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, नागपुर
14	मणिपुर	82. रक्त बैंक, जे॰एन॰ अस्पताल, इम्फाल
15.	मेघालय	83. रक्त बैंक, पाश्चूर अस्पताल, शिलांग
16.	मिजोरम	84. रक्त बैंक, सरकारी अस्पताल, आईजोल
17.	नागालैंड	85. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, दीमापुर
		86. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, मुकचोंग
		87. रक्त बैंक, सरकारी अस्पताल, कोहिमा
18.	उड़ीसा	88. रक्त बैंक, एम॰के॰जी॰जी॰ अस्पताल, बुरिया
		89. रक्त बैंक, वी॰एस॰एस॰ मेडिकल कालेज, बुरहामपुर
		90. रक्त बैंक, एस॰सी॰बी॰ मेडिकल कालेज, कटक
19.	पंजाब	91. रक्त बैंक, श्री गुरू तेग बहादुर अस्पताल, अमृतसर
		92. रक्त बैंक, राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला
		93. रक्त बैंक, सिविल अस्पताल, लुधियाना
20.	राजस्थान	94. रक्त बैंक, एस॰एम॰एस॰ मेडिकल कालेज, जयपुर
		95. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, अजमेर
		96. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, बीकानेर
		97. रक्त बैंक, एस॰एन॰ मेडिकल कालेज, जोधपुर
		98. रक्त बैंक, जनरल मेडिकल कालेज, उदयपुर
		99. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, कोटा
21.	सिक्किम	100. रक्त बैंक, एस॰टी॰एन॰एम॰ अस्पताल, गंगटोक
22.	तमिलनाडु	101. रक्त बैंक, मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास
		102. रक्त बैंक, स्टेनले मेडिकल कालेज, मद्रास
		103. रक्त बैंक, किलपॉक मेडिकल कालेज, मद्रास
		104. रक्त बैंक, राजयकी रोयापेट्टा अस्पताल, मद्रास
		105. रक्त बैंक, अपोलो अस्पताल, मद्रास
		106. रक्त बैंक, मदुरई मेडिकल कालेज, मद्रास
		107. रक्त बैंक, एस॰जी॰ अस्पताल, मद्रास
		108. रक्त बैंक, सेन्ट्रल, एगमोर, मद्रास
		109. रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, कोयम्बटूर
		110. रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, सलेम
		111. रक्त बैंक, राजकीय अस्पताल, तिरूचिरापल्ली
		112. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, तिरूनेल्वली
23.	त्रिपुरा	113. रक्त बैंक, जी॰बी॰ अस्पताल, अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	114. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, गोरखपुर
		115. रक्त बैंक, जी॰सी॰वी॰ मेडिकल कालेज, कानपुर
		116. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, इलाहाबाद
		117. रक्त बैंक, के॰एल॰ शर्मा अस्पताल, मेरठ
		118. रक्त बैंक, के॰जी॰ मेडिकल कालेज, लखनऊ
		119. रक्त बैंक, एस॰जी॰पी॰जी॰आई॰, लखनऊ

		120. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, आगरा
		121. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, देहरादून
		122. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, नैनीताल
		123. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, शांहजहांपुर
		124. रक्त बैंक, एम॰एल॰आर॰ मेडिकल कालेज, झांसी
25.	पश्चिमी बंगाल	125. केंद्रीय रक्त बैंक, कलकत्ता
		126. रक्त बैंक, सी॰एन॰एम॰सी॰एच॰, कलकत्ता
		127. रक्त बैंक, एन॰आर॰एस॰ एम॰सी॰एच॰, कलकत्ता
		128. रक्त बैंक, आर॰जी॰के॰ए॰ आर॰एम॰सी॰एच॰, कलकत्ता
		129. रक्त बैंक, एस॰एस॰के॰एम॰, कलकत्ता
		130. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, पश्चिमी दिनाजपुर
		131. रक्त बैंक, उत्तरी सेनघई मेडिकल कालेज, दार्जिलिंग
		132. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, जलपाईगुड़ी
		133. रक्त बैंक, राज्य अस्पताल, वर्धवान
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	134. रक्त बैंक, जी॰बी॰ पंत अस्पताल, पोर्टब्लेयर
27.	चंडीगढ़	
28.	दादरा और नगर हवेली	
29.	दमण व दीव	
30.	दिल्ली	135. रक्त बैंक, जी॰टी॰बी॰ अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली
		136. रक्त बैंक, हिन्दुराव अस्पताल, नई दिल्ली
		137. रक्त बैंक, एल एन जे पी/एम ए एम सी अस्पताल, नई दिल्ली
31.	लक्षद्वीप	
32.	पांडिचेरी	

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन

138. रक्त बैंक, आर एम आर सी, भुवनेश्वर
139. रक्त बैंक, इंस्टीट्यूट आफ पैथोलाजी, नई दिल्ली

सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज के महानिदेशक के अधीन

140. रक्त बैंक, कमांड अस्पताल, बंगलौर
141. रक्त बैंक, कमांड पैथोलाजी लैब, ईस्टर्न कमांड, कलकत्ता
142. रक्त बैंक, सशस्त्र सेना कमांड अस्पताल, दिल्ली कैंट
143. रक्त बैंक, कमांड पैथोलाजी, लैब सेन्ट्रल कमांड, लखनऊ
144. रक्त बैंक, सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पुणे
145. रक्त बैंक, कमांड अस्पताल, उत्तरी कमांड, उधमपुर

केन्द्रीय संस्थाओं में

146. रक्त बैंक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली
147. रक्त बैंक, रक्ताधान सेवा, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
148. रक्त बैंक, जिपमेर पांडिचेरी
149. रक्त बैंक, आर एम एल अस्पताल, दिल्ली

स्वायत्तशासी संस्थाओं में (आई सी एम आर को छोड़कर)

150. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी
151. रक्त बैंक, ए आई आई एम एस, नई दिल्ली
152. रक्त बैंक, इंडियन रैड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली
153. रक्त बैंक, पी जी आई, चंडीगढ़

प्राइवेट संस्थाओं में

154. रक्त बैंक, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर

विवरण-III

एड्स रोगियों के उपचार के लिए दर्जा बढ़ाई गई सुविधाओं वाले केन्द्रों के नाम और वे कहां पर स्थिति है।

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
2. कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता।
3. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास।
4. राजकीय मेडिकल कालेज, तिरूवंनतपुरम।
5. उसमानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद।
6. एस॰सी॰बी॰ मेडिकल कालेज, कटक।
7. राजकीय मेडिकल कालेज, गुवाहाटी।
8. एस॰एम॰एस॰ मेडिकल कालेज, जयपुर।
9. शेर-ए कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर।
10. पी॰जी॰आई॰, चंडीगढ़।
11. क्षेत्रीय मेडिकल संस्थान, इम्फाल।
12. के॰जी॰ मेडिकल कालेज, लखनऊ।
13. ग्रांट मेडिकल कालेज, और जे॰जे॰ ग्रुप आफ होस्पीटलस, मुम्बई।

ब्लड बैंक

3557. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने के एक वर्ष के बाद भी अपने-अपने रक्त बैंकों की खामियों के दूर नहीं कर पायी हैं और ऐसे 596 रक्त बैंक बंद होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विफल होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार जरूरतमंद लोगों को निर्बाध रूप से रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) यह सही नहीं है कि 596 रक्त बैंक बन्द होने वाले हैं। ऐसे रक्त बैंकों की सूचित की गई विभिन्न कमियों को ठीक करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसलिए केन्द्र सरकार ने लाइसेंस प्रदान करने हेतु समय को बढ़ाने हेतु यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लगाया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय सीमा को 17 फरवरी, 1997 से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। समय सीमा को बढ़ाने की मांग उच्चतम न्यायालय के एक दिशा निर्देश कि देश में केवल लाइसेंसशुदा रक्त बैंक ही चलाए जाने चाहिएं, का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु की गई थी। समय सीमा को बढ़ाने से जरूरतमंद लोगों के लिए रक्त की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और अधिक रक्त बैंक अपने आप को लाइसेंसशुदा बना सकें।

ऐतिहासिक अवशेष

3558. श्री बाजू बन रियान :
श्री बादल चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिपुरा राज्य में पिल्लाक और बोक्सानगर में पुरातात्विक खुदाई कराने पर विचार कर रही है जहां अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष पाये जाने की अत्यधिक सम्भावनायें हैं;

(ख) क्य इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1984-85 में इन स्थलों में अन्वेषण और उत्खनन कार्य का आयोजन किया था और महत्वपूर्ण पुरातत्वीय अवशेषों को प्राप्त किया था। आगामी उत्खनन कार्य का आयोजन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अजमेर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग

3559. श्री भेरु लाल मीणा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अजमेर-न्यावर-उदयपुर-रत्नपुर-अहमदाबाद मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 को चौड़ा करके उस पर चार लेनों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक आरंभ करने और पूरा किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव साध्यता के स्तर पर है और इसलिए अभी ब्यौरे देना संभव नहीं है।

तीर्थयात्रा के लिए राजसहायता

3560. श्री विजय गोयल :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हज यात्रियों को वर्षवार कुल कितनी राजसहायता प्रदान की गई उसका प्रति व्यक्ति ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष (1977) के लिए राजसहायता की राशि बढ़ा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि बढ़ाई गई तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए भी कोई राजसहायता दी जा रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या अन्य हिन्दु तीर्थ स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को राजसहायता प्रदान की जाती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) हज यात्रियों को सीधे तौर पर कोई सहायता नहीं दी जाती। सरकार हज यात्रा किराया तय करती है जो सामान्यतया वास्तविक व्यय के आधार पर परिकल्पित किराए की अपेक्षा कम होता है और हज परिवहन की व्यवस्था पर सबसिडी के इस अन्तर को सरकार वहन करती है और एयर चार्टर को इसका सीधा भुगतान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार सऊदी अरब के लिए प्रशासनिक और चिकित्सा से जुड़े लोग (डाक्टर और अर्द्ध-चिकित्सा कार्य से संबद्ध लोग) तैनात करती है और दवाईयों तथा एम्बुलैंस-शिविर औषधालय आदि जैसी परिचर चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराती हैं, ताकि हज-यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सरकार ने पिछले 3 वर्ष के दौरान हज के लिए सऊदी अरब गए यात्रियों की यात्रा के लिए नीचे दिए अनुसार सबसिडी दी है :

वर्ष	यात्रियों की संख्या	किया गया व्यय (रुपयों में)	प्रतिव्यक्ति व्यय (रुपयों में)
1994	25,685	24.69 करोड़	9612.00
1995	30,503	17.95 करोड़	5884.00
1996	50,346	42.02 करोड़	8346.00

(ख) वर्ष 1997 के लिए हज यात्रियों के लिए वायु यात्रा पर सहायता की राशि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) 1996 में सरकार ने 5000 रुपए प्रति यात्री की दर से यात्रियों द्वारा कुमांऊ मण्डल विकास निगम को देय राशि देने का निर्णय किया था। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा कुल प्रभारित लागत 8,250/- रुपए थी। इस प्रकार सरकार ने भोजन, आवास और यातायात प्रबन्धों पर कुमांऊ मण्डल विकास निगम को प्रति यात्री पर, 3250/-रुपए की राज सहायता प्रदान की थी। सरकार हज यात्रियों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है जिसमें चिकित्सा सहायता, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस के माध्यम से सुरक्षा और मार्गरक्षा भारतीय क्षेत्र तथा चीनी क्षेत्र में भी दिल्ली तथा अन्य स्थानों के बीच रास्तों में संचार सम्पर्क और हज यात्रियों के प्रत्येक जत्थे के साथ सरकारी लागत पर एक सम्पर्क अधिकारी सुविधाएं शामिल हैं।

(च) और (छ) भारत से पाकिस्तान में सिख/सहजधारी और हिन्दू जत्थों के मामले में सरकार सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करती है, प्रत्येक जत्थे की यात्रा के लिए पाकिस्तान सरकार से अनुमोदन प्राप्त करती है, विभिन्न राज्य सरकारों/मंत्रालयों/अधिमानों के साथ समन्वय स्थापित करती है और वीजा के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन को यात्रा पर जाने वालों की सूची भेजती है, यात्रियों के आने और जाने की यात्राओं के लिए विशेष रेल सेवाओं के लिए रेल मंत्रालय के साथ व्यवस्था करती है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जत्थों को अनुमति बहुत कम समय में दी जाती है और जत्थों के प्रस्थान से एक या दो दिन पहले ही यात्रियों के पासपोर्टों पर वीजा स्टाम्प लगाये जाते हैं, विशेष मामले के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा दिलाने में तत्परता बरती जाती है, इस्लामाबाद में भारत के हाई कमीशन से एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करती है ताकि तीर्थयात्रियों को, जब भी वे किसी प्रकार की सहायता के लिए सम्पर्क करें, सहायता दी जा सके।

विज्ञान केन्द्र

3561. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में कोसी क्षेत्र के सहरसा में विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्बई) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, देश भर में बृहत्त, मध्यम और लघु विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

करने में संलग्न है। अब तक स्थापित किये गये 26 विज्ञान केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह निःशुल्क भूमि प्रदान करे और विकास लागत का 50 प्रतिशत वहन करे।

परिषद के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, न ही राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

विवरण

1. बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
2. केन्द्रीय शोध एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
3. जिला विज्ञान केन्द्र, पुरूलिया (पश्चिम बंगाल)
4. विज्ञान केन्द्र, बर्द्धमान (पश्चिम बंगाल)
5. विज्ञान नगर (केवल सम्मेलन केन्द्र), (पश्चिम बंगाल)
6. विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर (कर्नाटक)
7. जिला विज्ञान केन्द्र, गुलबर्गा (कर्नाटक)
8. नेहरू विज्ञान केन्द्र, मुम्बई (महाराष्ट्र)
9. रमण विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, नागपुर (महाराष्ट्र)
10. राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, दिल्ली (दिल्ली)
11. श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना (बिहार)
12. क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
13. क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
14. विज्ञान केन्द्र, धेनकनाल (उड़ीसा)
15. कपिलास विज्ञान पार्क, कपिलास (उड़ीसा)
16. क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
17. जिला विज्ञान केन्द्र, धरमपुर (गुजरात)
18. जिला विज्ञान केन्द्र, तिरूनेलवेली (तमिलनाडु)
19. क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, गुवाहाटी (असम)
20. क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भोपाल (मध्य प्रदेश)
21. विज्ञान कार्यकलाप केन्द्र, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
22. क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र और तारामंडल, कालीकट (केरल)
23. विज्ञान कार्यकलाप केन्द्र, सिरसा (हरियाणा)
24. पैनोरेमा संग्रहालय, कुरूक्षेत्र (जो पूरा होने जा रहा है) (हरियाणा)
25. उत्तरी बंगाल विज्ञान केन्द्र, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) (अभी उद्घाटन होना है)
26. विज्ञान केन्द्र, दीघा (पश्चिम बंगाल) (अभी उद्घाटन होना है)

[अनुवाद]

सुन्दरगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना

3562. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिला प्रशासन द्वारा भूमि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ राशि कब तक आवंटित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

परसुराम सड़क योजना

3563. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई परसुराम सड़क योजना थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार रांची, जमशेदपुर, रायपुर, बिलासपुर, मांडला रोड से जबलपुर को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) से (ग) इस स्कीम के अंतर्गत बम्बई, नागपुर-राउरकेला और धनबाद को सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव था।

तथापि, निधियों के अभाव के कारण, इस स्कीम को प्रारंभ नहीं किया जा सका।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय मनोविज्ञान संस्थान

3564. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रांची के केन्द्रीय मनोविज्ञान संस्थान में आधुनिक उपकरणों तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संस्थान में भ्रष्टाचार के कई मामले पकड़े गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(च) उक्त संस्थान में प्रत्येक मरीज को प्रतिदिन कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री दी जाती है; और

(छ) वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं चूंकि यह अपर्याप्त है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान केन्द्रीय सरकार का संस्थान है और इसमें अनिवार्य उपस्कर तथा सुविधाएं हैं। फिर भी 9वीं योजना अवधि के दौरान सुविधाओं का स्तर बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) संस्थान में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और प्रारंभिक जांच से पता चला था कि वित्तीय नियमावली तथा विनियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया भंडार तथा उपस्करों की खरीद के मामलों में नहीं अपनाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने लेखा परीक्षा निदेशक नई दिल्ली द्वारा की जाने वाली विशेष लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया है। विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(च) और (छ) संस्थान में रोगियों को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है। संस्थान की आहार समिति की बैठक रोगियों को प्रदत्त भोजन की मात्रा तथा गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूपेण होती है तथा इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के लिए आहार

	भोजन की मदें	शाकाहारी	मांसाहारी
नाश्ता	1. ब्रेड	100 ग्राम	100 ग्राम
	2. मक्खन/जाम	10/20 ग्राम	10/20 ग्राम
	3. मौसमी फल	एक	एक
	4. चाय	200 मिलि	200 मिलि
	5. अंडे	-	एक
	6. दूध	500 मिलि	-

तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के रोगियों के लिए आहार

	भोजन की मदें	शाकाहारी	मांसाहारी
	1	2	3
1. नाश्ता	ब्रेड	100 ग्रा॰	100 ग्रा॰
	मक्खन/जाम	10/20 ग्रा॰	10/20 ग्रा॰
	दूध	233मि॰ली॰	233 मि॰ली॰
	चाय	200 मि॰ली॰	200 मि॰ली॰
2. दोपहर का भोजन	चावल	175 ग्रा॰	175 ग्रा॰
	दाल	55 ग्रा॰	55 ग्रा॰
	हरी सब्जियां	146 ग्रा॰	146 ग्रा॰
	आलू	146 ग्रा॰	146 ग्रा॰
	मांस	-	175 ग्रा॰ (सप्ताह में एक बार)
	मछली	-	87 ग्रा॰ (सप्ताह में एक बार)
	अंडा	-	1 (सप्ताह में एक बार)
	दही	100 ग्रा॰ (सप्ताह में 3 दिन)	-
	पापड़	1 (सप्ताह में 5 दिन)	-
	सब्जी भुजिया	सप्ताह में 3 दिन	-
3. शाम की चाय	स्नैक्स (बन फ्रूटी)	50 ग्रा॰	50 ग्रा॰
	चाय	200 मि॰लि॰	200 मि॰लि॰

	1	2	3
	केला (पीला/हरा)	2/1 (सप्ताह में 3 दिन)	2/1 (सप्ताह में 3 दिन)
4. रात का भोजन	चावल/आटा	175 ग्रा॰	175 ग्रा॰
	हरी सब्जी	146 ग्रा॰	146 ग्रा॰
	आलू	146 ग्रा॰	146 ग्रा॰
	दाल	55 ग्रा॰	55 ग्रा॰
	सरसों का तेल	15 ग्रा॰ रोज	15 ग्रा॰ रोज
	मसाला	9 ग्रा॰ रोज	9 ग्रा॰ रोज

हस्ता॰/
(प्रो॰ एस॰एस॰ राजू)
निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक
केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान
कांके, रांची–834006

कमजोर रोगियों के लिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार

1.	चावल/आटा	234 ग्राम प्रतिदिन
2.	मांस/चिकन/मछली	175/146 ग्राम प्रतिदिन
3.	अंडा	2 प्रतिदिन
4.	दाल	87 ग्राम प्रतिदिन
5.	फल	2, रोज
6.	सब्जी	350 ग्राम प्रतिदिन
7.	आलू	175 ग्राम प्रतिदिन
8.	ब्रैड	100 ग्राम
9.	दूध	500 ग्राम
10.	चाय	2 कप
11.	स्नैक	50 ग्राम
12.	दही	100 ग्राम रोज

दुग्धाहार

1.	ब्रैड	300 ग्राम प्रतिदिन
2.	दूध	1.8 लीटर प्रतिदिन
3.	चीनी	100 ग्राम प्रतिदिन
4.	साग	87 ग्राम प्रतिदिन
5.	अंडा	2 प्रतिदिन
6.	मक्खन/जैम	30/60 ग्राम प्रतिदिन
7.	केला	रोज 2
8.	चाय	2 कप रोज

हस्ता॰/
(प्रो॰ एस॰एस॰ राजू, एम॰डी॰)
निदेशक एवं चिकित्सा अधीक्षक
केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान
कांके, रांची–834006

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों का वाणिज्यीकरण

3565. श्री तारीक अनवर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों का वाणिज्यीकरण कर दिया गया है और अब जनता को सरकारी अस्पतालों में प्राप्त प्रत्येक सुविधा के लिए भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसा कदम उठाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के शुल्क को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण के बारे में 26 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2867 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : लोकसभा लिखित प्रश्न संख्या 2867 दिनांक 26 अगस्त, 1996 का मूल उत्तर निम्नवत् थे—

प्रश्न

(क) क्या बिहार ने राज्य में सड़क परियोजनाओं हेतु मार्च, 1996 में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त उत्तर को निम्नवत् पढ़ा जाये

(क) राज्य सरकार से कुछ अधूरे प्रस्ताव मिले थे तथा उन्हें पूरे विवरण भेजने के लिए कहे गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1997-98 के लिए विदेश मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : मैं वर्ष 1997-98 के लिए विदेश मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1658/97]

[हिन्दी]

ब्रह्मपुत्र परिषद, गुवाहटी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1)(एक) ब्रह्मपुत्र परिषद्, गुवाहटी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र परिषद्, गुवाहटी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1659/97]

(3) (एक) बेतवा नदी परिषद्, झांसी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी परिषद्, झांसी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1660/97]

(5) जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1661/97]

रक्षा मंत्रालय का वर्ष 1997-98 के लिए अनुदानों की मांगों का विवरण और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1997-98 के लिए रक्षा सेवा अनुमानों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1662/97]

(2) रक्षा मंत्रालय के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1663/97]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1664/97]

[अनुवाद]

खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : श्री एस॰आर॰ बोम्मई की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1665/97]

(2) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1666/97]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 537(अ) जो 22 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन-न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अभिदायी वहिरंग तथा अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा) विनियम, 1996 को स्वीकृति दी गई थी।

(दो) सा॰का॰नि॰ 572(अ) जो 17 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन-न्यास (विभाग प्रमुखों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1996 को स्वीकृति दी गई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1667/97]

(2) (एक) राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1668/97]

(4) कंपनी अधिनियम की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1669/97]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : सभापति, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1670/97]

(3) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1671/97]

(5) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1672/97]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, केरल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाले कारणों का विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, केरल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, केरल के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1673/97]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 13 मार्च, 1997 को सभा में प्रस्तुत अपने दूसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने लिखी अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए :—

1.	श्री लुईस इस्लेरी	20.11.96 से 20.12.96 तक
2.	श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर	20.11.96 से 6.12.96 तक
3.	श्री एस॰ रामचन्द्र रेड्डी	20.11.96 से 11.12.96 तक
4.	श्री सी॰ नारायण स्वामी	20.11.96 से 5.12.96 तक
5.	डा॰ अमृत लाल भारती	29.11.96 से 15.12.96 तक
6.	श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार	1.12.96 से 20.12.96 तक
7.	श्री मुहम्मद शहाबुद्दीन	26.8.96 से 13.9.96 तक और 20.11.96 से 20.12.96 तक
8.	श्री शिबु सोरेन	26.8.96 से 13.9.96 तक और 20.11.96 से 20.12.96 तक
9.	श्री भीम प्रसाद दाहाल	25.2.97 से 21.3.97 तक
10.	श्री पी॰वी॰ नरसिम्हा राव	20.2.97 से 21.3.97 तक तथा 21.4.97 से 9.5.97 तक
11.	श्री जी॰एम॰ कुंदूरकर	20.2.97 से 6.3.97 तक

12.	श्री शिवाजी विठ्ठल राव काम्बले	20.11.96 से 20.12.96 तक और 20.2.97 से 6.3.97 तक
13.	श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे	20.2.97 से 10.3.97 तक

क्या सभा समिति द्वारा सिफारिश की गई अनुमति को स्वीकृति प्रदान करती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तद्नुसार सूचित कर दिया जाएगा।

अपराह्न 12.04 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई-दक्षिण) : महोदय, मैं औद्योगिक स्थिति के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : सभापति जी, बिहार में एक ट्रेन डकैती हो गई है, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बैठ जाइये। बारी-बारी से मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, बिहार में एक ट्रेन डकैती हो गई है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ के॰पी॰ रामालिंगम (तिरुचेंगोड़े) : महोदय, मैं इस पवित्र सदन में एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा गोदाम तमिलनाडु के तिरुपत्तुर में स्थित है। कल उस डिपो में आग लगने की एक भीषण दुर्घटना में 100 करोड़ रुपये के चंदन की लकड़ी की क्षति हुई है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा 1992 से चंदन की लकड़ी के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। चंदन की लकड़ी और इसके चिप्पड़ के निर्यात पर लगे प्रतिबंध के कारण व्यापारियों द्वारा इसकी खरीद नहीं की गयी है और इसके फलस्वरूप डिपो में इसका भारी स्टाक जमा हो गया है।

तिरुपत्तुर डिपो के अलावा सलेम डिपो, साथियामंगलम डिपो तथा तमिलनाडु के अन्य डिपो में भी 600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चंदन की लकड़ी का स्टाक जमा है। चंदन की लकड़ी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अनेक पत्र लिखे हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे अत्यधिक विलंब के कारण तमिलनाडु सरकार को वहां डिपो में भारी स्टाक जमा हो जाने से काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। अतः केन्द्रीय सरकार को चंदन की लकड़ी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटा लेना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि तमिलनाडु के पेरियार जिले में जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, किसी अज्ञात रोग से हजारों हेक्टेयर में लगे नारियल के पेड़ प्रभावित हुए हैं।

इसके कारण लाखों एकड़ में लगे नारियल के पेड़ को क्षति पहुंची है। पौलाची से होकर यह रोग केरल में भी फैल जाएगा। अतः इस रोग का अवश्य पता लगाया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों का एक विशेषज्ञ दल वहां भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा वहां के किसानों को सहायता राशि भी प्रदान की जानी चाहिए। मेरी यह मांग है कि सरकार द्वारा लगभग 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि दी जानी चाहिए।

महोदय, यह एक अति अविलंबनीय महत्व का विषय है। सरकार को इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, मैंने बिहार के संबंध में विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया हुआ है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस बारे में यहां कुछ नहीं है। आप बैठ जाइए। दूसरे सदस्यों का समय मत लीजिए। हाण्डिक साहब बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां पर कोई नोटिस नहीं पहुंचा है। आप बैठ जाइए। स्पीकर साहब के पास होगा। वे उसको देख रहे होंगे। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी भी वही बात है। आप तो पैनल पर हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : ट्रेन में जो डकैती हुई है, उसमें जो लोग मारे गए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, तब आपको सुन लेंगे। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप बैठ जाइए, खड़े रहने से क्या फायदा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, असम में 1991 में स्थापित 'टाकलाल एक्सपेरिमेंटल स्टेशन' में, जो कि एक चाय अनुसंधान संस्थान है और पूरे विश्व में अपने आप में अनूठा है, सारा काम-काज कुप्रबंधन के विरोध में गत तीन महीनों से चली आ रही हड़ताल के कारण ठप पड़ा है और अब यह संस्थान बंद होने के कगार पर है। विश्व में ऐसे कुछेक ही संस्थान विद्यमान हैं।

महोदय, इस संस्थान की अवनति की शुरूआत 1989 में ही हो गयी थी, जब इसे सी॰एस॰आई॰आर॰ के प्रबंधन से हटा कर 'टी रिसर्च एशोसिएशन' के अधीन हस्तान्तरित कर दिया गया था, जो 'टी बोर्ड' द्वारा स्थापित तथा वित्तपोषित एक सहकारी संस्था है और जिससे इसे अपने कुल बजट का 50 प्रतिशत धन राशि प्राप्त होता है। धनराशि की कमी के अलावा खराब प्रबंधन तथा लक्ष्य एवं दिशा विहीनता ने यहां के कर्मचारियों तथा वैज्ञानिकों को कुंठित कर दिया है।

इस विषय पर मेरे एक प्रश्न के लिखित उत्तर में माननीय वाणिज्य मंत्री ने इसे 'टी रिसर्च एशोसिएशन' के ऊपर यह कहते हुए छोड़ दिया कि यह निजी क्षेत्र से संबंधित विवाद है। सरकार इस तरह से अपने दायित्वों से मुकर नहीं सकती। वर्ष 1989 तक यह सी॰एस॰आई॰आर॰ के अधीन थी, इस विश्व प्रसिद्ध संस्थान को अपने उद्देश्यों से भटकने देने और वहां अनुसंधान तथा चाय विकास के अर्थों के, जिससे सरकार को काफी विदेशी मुद्रा मिलती है, रुक जाने को सरकार मूक दर्शक बनकर देखती नहीं रह सकती।

माननीय अध्यक्ष के फरवरी माह के पिछले दौरे के दौरान वहां के सभी कर्मचारी और वैज्ञानिक उनसे मिले थे और संस्थान की समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया था। इसलिए वाणिज्य मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि वे मंत्रालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजें ताकि वह वहां के प्रबंधन तथा कर्मचारियों और वैज्ञानिकों से मिल कर समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकाले। केवल सरकार के हस्तक्षेप से ही 'टाकलाल एक्सपेरिमेंटल स्टेशन' की समस्या का हल निकल सकता है। संस्थान के बंद हो जाने से राष्ट्र को भारी हानि उठानी पड़ेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी को उनसे इस बारे में तत्काल हस्तक्षेप करने हेतु पहले ही एक ज्ञापन दे रखा है। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस बारे में आवश्यक कदम उठाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब यहां बिहार का विषय शनिवार को आया था, तो यह कहा गया था कि सोमवार को आपको बोलने के लिए कहेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में कह रहे हैं। उस पर अभी विचार हो रहा है। इसलिए आप कृपया करके बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : चौबे जी भी उसी बात को कह रहे हैं।

श्री राम नाईक : विशेषाधिकार की बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापित महोदय : आप बैठ जाइए। राधा मोहन जी को सुन लीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : डाक्युमेंट डिसप्ले करने की जरूरत नहीं है। डाक्युमेंट डिसप्ले करना कोई रूल में है। आप पैनल में हैं, आप कृपा करके स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उमा भारती जी, आप भी बैठ जाइए। आपको फ्लोर नहीं दिया है। आपकी जब बारी आए, तो बोलिएगा। नोटिस दिया कीजिए। बारी-बारी अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय और भारत सरकार का ध्यान उत्तर बिहार के बड़े भू-भाग की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चम्पारण के इलाके के गरीब लोगों की जिन्दगी आजादी से लेकर आज तक बागमती नदी की बाढ़ की विनाश लीला में फंसी रही है। जहां आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। इस इलाके के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और चम्पारन, इन चार जिलों की लगभग 50 लाख की आबादी को, 15 प्रखण्ड के लोगों को एवं 2000 गांव के लोगों को आवागमन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आज तक शिवहर का जिला मुख्यालय और पकड़ीदयाल का अनुमंडल, मुख्यालय रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। बिहार के अंद मोतीहारी, पकड़ीदयाल, शिवहर और सीतामढ़ी को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। बैरगनीय सीमा स्थल है। मुजफ्फरपुर से शिवहर होते हुए बैरगनीय को जोड़ना और इस प्रकार से बैरगनीय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतीहारी के बीच जो घनी आबादी है, उसके अंदर रेल मार्ग की आवश्यकता है जिसके कारण 2000 गांवों एवं कस्बों को रेल मार्ग की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।

मान्यवर, चम्पारन (मोतीहारी) से संबंधित समस्तीपुर रेल मंडल के अंदर, जो चम्पारन के अंदर रेलवे के परिचालन में असुविधा है उसको ठीक किया जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय और मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा कि चम्पारन के अंदर एक नये रेल मंडल की स्थापना की जाए।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : सभापति जी, पिछली सरकार ने गैस और पैट्रोल पम्प की एजेन्सियों की बहुत बड़ी खैरात दी थी। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया तो उच्चतम न्यायालय ने गैस और पैट्रोल पम्प की एजेन्सियों की खैरात पर आपत्ति की, इसे रद्द कर दिया। इतना ही नहीं एक पूर्व मंत्री को 50 लाख रुपया जुर्माना करने का अभूतपूर्व निर्णय उच्चतम न्यायालय ने लिया। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त मोर्चा की सरकार ने यह पहला निर्णय लिया कि हम भी अपने मंत्रियों का जो स्वैच्छिक कोटा है वह रद्द कर देते हैं और कोई स्वैच्छिक कोटा अब गैस या पैट्रोल पम्प के लिए नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, जो संसद सदस्यों का स्वैच्छिक कोटा था वह भी समाप्त करते समय यही तर्क दिया गया। अब समाचार पत्रों में ये खबरें छपी हैं कि कानून मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय मंत्र परिषद को एक नोट गया है, जिसमें पूर्व सरकार ने जो गैस पम्प, गैस एजेन्सी और पैट्रोल पम्प दिए थे, वे फिर से नियमित करने का इरादा कानून मंत्रालय ने बताया है और उन्होंने केन्द्रीय मंत्री परिषद से प्रार्थना की है... *(व्यवधान)*

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : केन्द्रीय मंत्री परिषद में इस बात का विरोध हुआ है कि कांग्रेस सरकार में जो गलत परम्परा पैट्रोल पम्प बांटने की हुई थी वह परम्परा नहीं चलेगी।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.13 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री प्रमोद महाजन : आपके उत्तर के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्व सरकार ने जो स्वैच्छिक कोटा से खैरात दी और खास कर राजनेता और प्रशासकीय अधिकारी, उनके पुत्र, पुत्रवधु, भाई-बहन, मां-बेटा, मां-बाप, सब को जो खैरात दी इसको नियमित करने का इरादा कानून मंत्रालय का है। यदि यह नियमित हो जाए तो स्वाभाविक रूप से उच्चतम न्यायालय का अपमान होगा, जनभावना का अपमान होगा।

महोदय, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, यहां बहुत से मंत्री बैठे हैं उनमें से कोई भी इस संबंध में वक्तव्य दे कि इस प्रकार का सरकार का कोई इरादा नहीं है, जिससे उच्चतम न्यायालय का अपमान हो और उन्होंने जो निर्णय लिया है उसको नियमित करने का प्रयास हो।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा दिए गए नोटिस से मैं पूर्णतः अवगत हूं श्री रेड्डी।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, मुझे इसी विषय पर यह कहना है कि इकॉनोमिक्स टाइम्स में छपा है कि केन्द्र सरकार की मंत्रिपरिषद में इस बात को लेकर विरोध हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है पिछली सरकार...*(व्यवधान)* इसका विरोध किया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आप क्या मीटिंग में मौजूद थे। ...*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप मंत्री नहीं हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मैं आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री नीतीश कुमार

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जी की बातों को छोड़कर अन्य किसी की बातें कार्यवाही वृत्तान्त में में शामिल नहीं की जायेंगी।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार ने मेरा सहयोग किया है और अब मुझे उनका सहयोग करना है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैं उठाने जा रहा हूं उसमें बिहार में नागरिक परेशान हो रहे हैं। इसलिए पूरे बिहार के नागरिकों को आपका संरक्षण चाहिए। इसमें आपके संरक्षण और मदद की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी का एक कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकारी मशीनरी का का दुरूपयोग करते हुए एक-एक बस को सीज किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* तमाम व्यापारियों से जबरन चंदे की वसूली की जा रही है और एक-एक आदमी के यहां दस-दस आदमियों का जत्था चंदा मांगने जा रहा है। वहां पैट्रोल-पम्प बंद हैं। ...*(व्यवधान)* गाड़ियां बंद हैं। पटना हाइकोर्ट के रांची खंड

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नीतीश कुमार]

ने...(व्यवधान) सरकार को आदेश दिया है कि किसी से भी जबरन बस सीज नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, राज्य का मामला यहां उठाना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, अब और नहीं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सरकारी लोग, पुलिस के लोग जबरिया वसूली कर रहे हैं। बसों से रोज यात्रा करने वाले लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारी लोग डर के कारण अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है। आप इस प्रकार के प्रश्न कैसे उठा सकते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : डर के कारण लोग अपनी जान बचा रहे हैं, पब्लिक आर्डर भंग हो चुका है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि...*(व्यवधान)* इस प्रकार के आयोजन में देश के प्रधान मंत्री के जाने की बात आई है।...*(व्यवधान)* गैर कानूनी ढंग से ये जो हरकतें की जा रही हैं हमें उस पर आपका संरक्षण चाहिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) **:** जो लोग संसद में हंगामा खड़ा करते थे वे लोग आज यहां नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने सिर्फ आचार्य जी को बोलने के लिए कहा है।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष जी, चंदे की जबरन वसूली की जा रही है, बसें सड़कों पर नहीं चल रही हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके नोटिस को देखा है।

श्री रूडी तथा श्रीमती रीता वर्मा ने नोटिस दिया है। मैं अभी उसका अध्ययन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके विशेषाधिकार हनन संबंधी सूचना से मैं अवगत हूं। इस बारे में मैं निर्णय लूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : पूर्व सरकारों द्वारा पैट्रोल पम्पों तथा रसोई गैस डीलरशिप के आवंटन को नियमित किए जाने तथा इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैंने इस विषय को शुरू किया है, पहले इसे पूरा हो जाने दें। इसके बाद आप अन्य मुद्दा उठाएं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रुडी (छपरा) **:** यह बिहार का मामला है ...*(व्यवधान)* भारत के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप राज्य सरकारों की बातें नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा कहा गया है कि सरकार इस सत्र के दौरान एक विधेयक पेश करेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है। कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जा रही है।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मुद्दे पर नोटिस दिया है। मुझे बोलने का वक्त दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : साथियों मैंने आपके नोटिस का अध्ययन किया है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि इससे अच्छी तरह अवगत होते हुए कि यह संसद के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। अतः नोटिस देने के बावजूद भी आपने इस पर चर्चा करने के लिए बल नहीं दिया। इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनिए ...*(व्यवधान)* मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां रक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। वह एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। वह सरकार के बहुत मजबूत स्तम्भ हैं। इनकी पार्टी के महामंत्री जो कि इस सदन के एक सदस्य हैं, आज उनकी जान वहां खतरे में है। वह रेल को बंद करने के लिए इसलिए निकले हैं कि उनके कस्बे की सारी बसों को जबर्दस्ती वहां से पटना ले जाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जबर्दस्ती नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जान को खतरा हो गया। वह इस सदन के सदस्य हैं। पार्टी के अध्यक्ष रक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। आप मेहरबानी करके इस मामले को केन्द्र और राज्य का सवाल करके मत देखिए। मैंने प्रधान मंत्री जी को तीन दिन पहले पत्र लिखा कि आप मेहरबानी करिए। जिनके खिलाफ सी॰बी॰आई॰ की जांच चल रही है, हाई कोर्ट की देखरेख में जिनके ऊपर निगरानी चल रही है, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच होगी, जिनके खिलाफ सी॰बी॰आई॰ अधिकारी चार्जशीट लेकर बैठे हैं, उनके बारे में प्रधान मंत्री वहां कल मंच पर खड़े होकर कहेंगे कि यह महा रैला है, यह महान नेता हैं। ऐसे में क्या देश में संविधान बना रहेगा। आप इसे सूबे का मामला करके मत देखिए। क्या ऐसे में देश में प्रजातंत्र बना रहेगा? प्रजातंत्र किधर जाएगा?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इतना ही पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, हम लोग किस दशा में जा रहे हैं? हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी के लोगों को वहां पर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : आपने उन्हें अनुमति नहीं दी है। यह उचित नहीं है। आपने उन्हें अनुमति नहीं दी है। यह मामला सुलट गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के लोगों को सड़कों पर धमकाया जा रहा है। हम उनको कहां संरक्षण देंगे? सरकारी पार्टी उनको धमका रही है। वे कहां जाएं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं ...*(व्यवधान)* हम किस से संरक्षण मांगें?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से मुद्दे नहीं उठा सकते। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। सब कुछ रूका पड़ा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। स्पीकर की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमने सरकार को मंत्रियों से लिए विशेष कोटा की व्यवस्था करने हेतु उठाए गए साहसिक कदम के लिए बधाई दे दी है। सरकार ने यह व्यवस्था खत्म कर दी है। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने पहले यह निर्णय लिया कि कोई भी विशेष कोटा नहीं होगा।

मैं संसद सदस्यों के लिए विशेष कोटे और विशेष रियायतों की व्यवस्था समाप्त करने के लिए भी आपको बधाई देता हूं। परन्तु समाचारपत्रों में एक दुखद समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसके बारे में मैं सरकार से स्पष्टीकरण देने का आग्रह करता हूं। इस सदन के कुछ सदस्यों के नाम भी उसमें प्रकाशित हुए हैं। इन सदस्यों का संबंध

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बसुदेव आचार्य]

पेट्रोल पम्पों के आबंटन अथवा एल•पी•जी• डीजरशिप देने से है ...(व्यवधान) विशेष कोटों के द्वारा स्वीकृत की डीलरशिप को नियन्त्रित करने का प्रयास किया गया है-जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन है। यदि इन आबंटनों को नियमित कर दिया गया तो वह अन्यायपूर्ण होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे। मैं यह भी चाहता हूं कि इन आबंटनों को नियमित नहीं किया जाना चाहिए?...*(व्यवधान)*

श्री पी•आर• दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, सबसे पहले सेवामुक्त हुए न्यायाधीशों की जांच होनी चाहिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सर्वप्रथम सभी सेवामुक्त हुए न्यायाधीशों की जांच-पड़ताल होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* तेल चयन बोर्ड के प्रमुखों ने आबंटन में पक्षपात किया है। सबसे पहले उन्हीं की जांच की जानी चाहिए... *(व्यवधान)* कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित अधिकांश सेवामुक्त हुए न्यायाधीशों की जांच की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे भी यही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मेरे विचार से आपने अपना मुद्दा रख दिया है।

(व्यवधान)

श्री पी•सी• थामस (मुवतुपुजा) : महोदय, हम सरकार से कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। सम्पूर्ण सदन इसके बारे में चिन्तित है।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, इस मुद्दे के विषय में सदन की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई निर्णय अवश्य लेना चाहिए। यह दलगत भावनाओं से हटकर पूरे सदन की भावना है। सरकार को स्थिति की निगरानी करनी चाहिए और यह वक्तव्य जारी करना चाहिए कि सरकार इन आबंटनों को नियमित नहीं करेगी। सरकार को वक्तव्य अवश्य देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार को आप डायरेक्शन दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इस संबंध में कोई दो राय नहीं है। यदि मैं यह कहूं कि इस संबंध में सभी एकमत हैं तो ठीक होगा। परन्तु इसके साथ-साथ सामान्य सरकारी कर्मचारी जिनके पास वर्षों से सरकारी आवास थे, उन्हें अनिवार्य रूप से वे आवास खाली करने के लिए कहा गया है।

श्री प्रमोद महाजन : वह एक अलग मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मानता हूं, परन्तु उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं। मैं नहीं जानता कि इन्हें नियमित किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि यदि उन्हें नियमित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय उसे सदन की अवमानना मान सकता है। परन्तु कुछ तो किया ही जाना है। बीस हजार सरकारी कर्मचारी कष्ट झेल रहे हैं, उनके बच्चों का शैक्षिक भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनका क्या होगा? उनके पास और कहीं जाने का स्थान नहीं है। वे हमसे भेंट कर रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि वे प्रत्येक राजनैतिक दल के नेताओं से मिल रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : यह एक अलग विषय है।

अध्यक्ष महोदय : यह वही विषय है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उनमें से बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी हैं जो अत्यधिक कठिनाई में हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने सदन की चिन्ता को नोट किया है।

(व्यवधान)

डा• देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : विशेषतः उन्हें आवास खाली करने के लिए कहने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट खामोश है। इसका मतलब है सरकार रैग्युलराईज करने का इरादा रखती है। पूर्व की सरकार ने जो पेट्रोल पम्पस् और गैस एजेन्सियां दी थीं, उनको रैग्युलराईज करना चाहती है। वह इस बात के खिलाफ नहीं बोल रही है और इसकी खामोशी से लगता है कि वह इस बात को स्वीकार कर रही है।

श्री राजेश पायलट : इनकी 13 दिन की सरकार को भी इन्वाल्व कर दीजिए।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : यही नहीं, इसमें एम•पीज के नाम भी आए हैं, यह सरकार ओब्लाईज करने के लिए पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसीज दे रही हैं, इनके नाम उजागर किए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप किसी मंत्री से ऐसे प्रश्न पर प्रतिक्रिया की आशा नहीं कर सकते।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : क्या इस समाचार की पुष्टि हुई है कि सरकार उसे नियमित करने वाली है। जब तक वे इसका खण्डन नहीं करते, हम यही समझेंगे कि समाचार सही हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब सरकार कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, 450 लोगों की लिस्ट है, 80 पेट्रोल पम्प सील किए गए हैं...*(व्यवधान)*...उसमें अनेक एम॰पीज के नाम हैं, उनके नाम उजागर करो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना मुद्दा रख दिया है। अब आपको मंत्री जी की बात सुननी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मुझे रिकार्ड सीधे प्रस्तुत करने की अनुमति दें। सरकार देखेगी कि क्या सभी राजनीतिक दल इस संबंध में सहमत अथवा एकमत हैं, क्योंकि आवासों के आबंटन के संबंध में एक और मुद्दा है। वह भी मंत्री के कोटे में से आबंटित किया गया था। सरकार सभी राजनीतिक दलों से विचार करना चाहती है। यदि इस संबंध में एकमत होगा तो हम उसी को मानेंगे। अन्यथा सरकार की इसमें कोई रुचि नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हो। हम और कुछ नहीं चाहते।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस पर निर्णय लिया जा सकता है।...*(व्यवधान)* जहां तक गैस एजेन्सियों और पेट्रोल पंप्स का सवाल है, बड़ी-बड़ी राशि लेकर वे दिए गए हैं और वह खैरात में इनको बांटी गई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन हो।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि एक मानवीय मुद्दा जो मैंने उठाया है, उसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम जानते हैं कि मकान कैसे दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)* उनका क्या होगा जिन्हें मकान देने से मना कर दिया गया है?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने किसी विशेष 'क' या 'ख' या 'ग' या 'घ' के बारे में नहीं कहा है। मैंने कहा है कि अनेक सामान्य सरकारी कर्मचारियों को कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह भी आवंटन से संबंधित मामला है। मैंने इस मुद्दे को एल॰पी॰जी॰ डीलरशिप अथवा पेट्रोल पम्प डीलरशिप से नहीं जोड़ा है। ये अलग-अलग मुद्दे हैं। मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति उनका समर्थन कर रहा है। इसलिए यह मत कहिए कि मैंने इसे उसके साथ जोड़ा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि आपने इन्हें आपस में जोड़ा है...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, आपने अपना मुद्दा रख दिया है। अब आप हमें दूसरे सदस्यों की बात सुनने दें।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : कुछ बेरोजगार व्यक्ति थे जिन्हें एल॰पी॰जी॰ डीलरशिप दी गई थी। उनके मामले पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं जानती हूं कि कुछ बेरोजगार लोगों को यह डीलरशिप दी गई थी। इस पर विचार किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, इन दोनों मामलों में हमारा एक निश्चित दृष्टिकोण है। उन 20,000 सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री को लिखा है कि उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके, तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह हमारे दल या दृष्टिकोण हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है।

एल॰पी॰जी॰ और पेट्रोल पम्प मामले के संबंध में, हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। चर्चा के उपरान्त यदि उस पर सदस्यों का एकमत होता है तो हम अपना स्टैंड लेंगे। जो कुछ श्री राजेश पायलट ने कहा है वह हमारा नवीनतम दृष्टिकोण है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मुद्दा समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : मैं समझता हूं कि यह केवल धर्मनिरपेक्ष सर्वसम्मति नहीं होगी...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु आपको 'बायकाट' नहीं करना चाहिए... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने "सब कुछ" कह दिया है।

श्री श्रीकान्त जेना : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह पुष्टि कर दी है कि उन्होंने "सब कुछ" कह दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : पी॰ए॰सी॰ में मैं इस विषय में चेयरमैन था। हमने रिपोर्ट दी है। हमने उन सभी चीजों का खण्डन किया है जो इस प्रकार की गई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती कृष्णा बोस अपना भाषण दें।

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा बोस : मैं माननीय सदस्यों से शांत होने का आग्रह करती हूं। मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहती हूं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इतने सारे नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें बजट पर चर्चा पूरी करनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल वही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा जो श्रीमती कृष्णा बोस कह रही हैं। शेष सदस्यों की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, मैं सदन का ध्यान कलकत्ता पत्तन क्षेत्र में रहने वाले पत्तन मजदूरों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगी। मैंने हाल ही में कलकत्ता बन्दरगाह के हाइड रोड क्षेत्र में मजदूरों के क्वार्टरों का दौरा किया, वहां पर मजदूर परिवार अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। वह स्थान इतना गंदा है कि मनुष्यों के रहने के लायक नहीं है। इन सबसे अधिक पत्तन अधिकारियों ने अचानक ही उस क्षेत्र का विद्युत संपर्क बन्द करना शुरू कर दिया, जिससे क्वार्टरों में अन्धकार छा गया। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पत्तन अधिकारियों ने अस्थायी रूप से विद्युत संपर्क बन्द करने की प्रक्रिया बन्द कर दी। परन्तु जिन क्षेत्रों का विद्युत संपर्क पहले बन्द कर दिया गया था, उनके विद्युत कनेक्शन पुनः जोड़े नहीं गए... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रुडी, मैंने कहा है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा बोस : प्रमुख पत्तनों के उत्थान के लिए भारी मात्रा में धन आबंटित किया जाता है। क्या सरकार उसका कुछ हिस्सा उन मजदूरों की नागरिक सुख-सुविधाओं पर खर्च करेगी जो पत्तन की गतिविधियां जारी रखने में सहायता करते हैं। यदि हम उन्हें अन्धकार और गन्दगी में छोड़ देते हैं तो हम उनसे कार्यकुशलता की आशा कैसे कर सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप महिलाओं को बुला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : महिलाओं को मैं नहीं बुला रहा हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती एम॰ पार्वती (ओंगोले) : मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि चूंकि उच्चतम न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित करने की समय सीमा समाप्त होने वाली है, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से प्रभावित होने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। ऐसा अनुमान है कि इन फार्मों से लगभग 3000 करोड़ रु॰ की विदेशी मुद्रा हमारे राष्ट्रीय कोष में आती है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने कृषि के संबंध में भारत सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय को विरोधात्मक रिपोर्ट दी है। मैं चाहती हूं कि सरकार रिपोर्ट की तथ्यात्मक जांच करे... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में छोटा इश्यु नहीं होता है, इसमें बड़ा इश्यु होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती एम॰ पार्वती : इसके अतिरिक्त, कृषकों द्वारा अधिकांश निवेश ऋणों के माध्यम से किया जाता है। 'नाबार्ड' और अन्य वाणिज्यिक बैंकों ने करोड़ों रुपए का ऋण दिया है और उसका पुनर्भुगतान एक प्रश्न बन जाएगा जिससे बैंक और अन्य जिन्होंने ऋण दिया है, दुविधा में फंस जाएंगे।

लगभग 50 लाख लोगों का भविष्य, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस क्षेत्र में कार्यरत है, दांव पर लगा है और इस सदन के सदस्य इस संबंध में अपनी चिन्ता जताते हुए सरकार का विचार जानना चाहते हैं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे जो बोलने का अवसर दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रुडी : अध्यक्ष महोदय, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने के मामले में विशेषकर कुछ सांसदों के बारे में हमने चर्चा की है। इसके बारे में देश भर में तबाही की स्थिति है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रुडी, मैंने कहा है कि मुझे आपका और प्रो॰ रीता वर्मा का नोटिस प्राप्त हो गया और मैं उन पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रुडी : महोदय, यह एक दस्तावेज है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे मालुम है।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रुडी : महोदय, यह अत्यन्त चिन्ता का मामला है क्योंकि ऐसे आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिए जाने के कारण आज देश कई समस्याओं का सामना कर रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया आप बैठ जाइये। अब आप इसे नहीं उठा सकते। मैंने आपका हिन्दी में मूल नोट नहीं पढ़ा। मुझे उसका अंग्रेजी अनुवाद ही पढ़ना पड़ा। हो सकता है आपको अधिक जानकारी हो। परन्तु मेरी समझ के अनुसार जिन दो व्यक्तियों का नाम लिया गया, उनके बारे में यह उल्लेख नहीं किया गया कि वे संसद सदस्य हैं। एक व्यक्ति का उल्लेख विधान सभा सदस्य के रूप में और दूसरे व्यक्ति के पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह मामला उठाने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सत्यापन की जांच कर रहा हूं। यह मेरे विचाराधीन है। इस तथ्य से कि मैंने इसका उल्लेख किया है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैंने इस पर ध्यान दिया है। आप और क्या चाहते हैं? कृपया आप अब मुझे अन्तिम निर्णय लेने के लिए मत कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं और अनुमति नहीं दे सकता। हमें बजट भी पारित करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नामियार, कृपया आप मेरे कक्ष में आइए। मैं आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा। आप पहले मुझे इसे समझने दीजिए, फिर मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा कर सकते हैं।

अपराह्न 12.40 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) बिहार में मोहाने जलाशय परियोजना का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य बिहार का गया जिला अत्यन्त पिछड़ा जिला है। यहां गरीबी, बेरोजगारी तथा विकास की गति अत्यधिक धीमी होने के कारण यह क्षेत्र पूरी तरह उग्रवाद की चपेट में आ गया है। इस क्षेत्र के विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में मोहनपुर, बाराचट्टी प्रखंड में मुहाने जलाशय परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस योजना की अनुमानित राशि उस समय तक एक अरब उन्तीस करोड़ रुपए की थी। इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना तक पूरी हो जाना था। इस योजना के पूर्ण होने पर गया तथा सीमावर्ती जिलों के बाराचट्टी, मोहनपुर, शेरघाटी, बोधगया, पन्दौसी, मानपुर, बेला, टीकरी, फतेहपुर, वजीरगंज, अतरी एवं खिजर सराय आदि प्रखंडों की लगभग 85,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा 30 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर गया तथा सीमावर्ती जिलों के बारह प्रखंडों के पचास लाख से अधिक कृषक लाभांवित होते हैं।

अपराह्न 12.41 बजे

[श्री पी॰एम॰ सईद *पीठासीन हुए]*

मोहाने जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया जा सका है। मैं सदन के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री से आग्रह करता हूं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अविलंब इस परियोजना के निर्माण कार्य को शुरू करवाया जाए ताकि क्षेत्र के पचास लाख से अधिक कृषक लाभान्वित हो सकें तथा वर्तमान में जो बिजली की कमी के कारण उद्योग धंधे नहीं पनप पा रहे हैं, बिजली की कमी दूर होने पर वहां उद्योग धंधे पनप सकें, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को रोजगार मिल सके।

(दो) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस का आवंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री एन॰ डेनिस (नगरकोइल) : महोदय, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में जनसाधारण को एल॰पी॰जी॰ कनेक्शनों की भारी कमी के कारण काफी समय से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां की लगभग सभी गैस एजेन्सियों में प्रतीक्षा-सूची अत्यधिक लम्बी है। कुछ एजेन्सियों में तो रजिस्ट्रेशन कराए जाने के 7 वर्ष बाद तक भी गैस कनेक्शन नहीं मिले हैं। इस जिले को शत-प्रतिशत साक्षरता वाला जिला घोषित किया गया है। अधिकांश परिवारों में पुरुष तथा महिला दोनों ही काम करते हैं। लम्बी प्रतीक्षा सूची के कारण इन लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं, कन्याकुमारी जिला अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य में स्थित है। तटीय, जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के अन्य लोगों से गैस कनेक्शन के आवंटन में विशेष ध्यान देकर संरक्षित करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कन्याकुमारी जिले की गैस एजेन्सियों को पर्याप्त संख्या में एल॰पी॰जी॰ कनेक्शन उपलब्ध कराए ताकि मौजूदा प्रतीक्षा सूची को समाप्त किया जा सके।

(तीन) कलकत्ता से तेजपुर के बीच उड़ानों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : महोदय, असम के सोनितपुर जिले के मुख्यालय तेजपुर का भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। तेजपुर के बीचों-बीच स्थित अग्निगढ़ पहाड़ी राजा बाणासुर की खूबसूरत कन्या ऊषा का सुरक्षित निवास स्थान था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऊषा चित्रलेखा द्वारा बनाए गए द्वारकाधीश कृष्ण के पुत्र अनिरूद्ध के तस्वीर से प्रेम करने लगी। ऊषा की सहेली चित्रलेखा ने अनिरूद्ध को कृष्ण के पुष्पक रथ में द्वारका से तेजपुर पहुंचाने का प्रबंध किया। अनिरूद्ध ऊषा के उत्कट प्रेम से उसी समय अभिभूत हो गया और दोनों लोक प्रचलित वैवाहिक-सूत्र में बन्ध गए। फिर दोनों उसी पुष्पक विमान से तेजपुर से द्वारका लौट गए और तत्पश्चात आजीवन सुख से रहे।

यह अत्यन्त खेद का विषय है कि 21वीं सदी में प्रवेश के कगार पर भी इस गौरवशाली पौराणिक पृष्ठभूमि के बावजूद तेजपुर के लिए नियमित विमान सेवा नहीं है।

एन॰ई॰पी॰सी॰ द्वारा कलकत्ता से गुवाहाटी और तेजपुर की उड़ानें बंद किए जाने के पश्चात् इस समय इंडियन एयरलाइन्स की कलकत्ता से तेजपुर और इम्फाल से कलकत्ता के लिए सप्ताह में केवल दो उड़ानें हैं। अकेले इंडियन एयरलाइन्स की या आई॰ए॰सी॰ और अन्य निजी क्षेत्र के एयरलाइनों की एक साथ मिलाकर कलकत्ता से तेजपुर की उड़ानों की संख्या बढ़ाकर एक सप्ताह में कम से कम पांच बार करना अत्यन्त आवश्यक है।

सोनितपुर जिले और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 100 चाय बागानों के अलावा सेना की चार कोरों के मुख्यालय और छावनियां, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन स्क्वाड्रनों के बेस, सीमा सड़क संगठन के जोनल मुख्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा एम॰ई॰एस॰ और असम राइफल्स तेजपुर में या उसके आस-पास स्थित हैं। उड़ानों की ज्यादा बारम्बारता से सवारी यातायात में पर्याप्त वृद्धि होगी, जिसका एक हिस्सा अभी गुवाहाटी की ओर चला जाता है।

इसलिए मैं नागरिक विमानन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि तेजपुर से कलकत्ता के लिए, यदि दैनिक नहीं तो सप्ताह में कम से कम 5 उड़ानों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठायें तथा भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयरपोर्ट काम्प्लेक्स में एक अलग सिविल एन्क्लेव का निर्माण कराएं, जिससे सवारी यातायात की व्यवस्था सरलता से की जा सके।

[हिन्दी]

(चार) शेखपुरा, बिहार में स्थापित कम शक्ति के ट्रांसमीटर को किसी सरकारी भवन में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगुसराय) : सभापति महोदय, बिहार के शेखपुरा में एक एल॰पी॰टी॰ की स्थापना की गई है। जिस मकान में एल॰पी॰टी॰ की स्थापना की गई है वह एक निजी मकान है और असुरक्षित है। जिलाधिकारी, शेखपुरा ने इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी मकान में एल॰पी॰टी॰ स्थापित करने के लिए एक पत्र निदेशक, दूरदर्शन, पटना को लिखा है। मैंने भी निजी मकान से सरकारी मकान में एल॰पी॰टी॰ स्थापित करने के लिए कई पत्र लिखें हैं, परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शेखपुरा के एक निजी मकान में स्थापित एल॰पी॰टी॰ को स्थानांतरित कर सरकारी मकान में स्थापित किया जाए।

(पांच) मध्य प्रदेश में इन्दौर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : सभापति महोदय, इंदौर मध्य प्रदेश की कला एवं औद्योगिक नगरी है। इंदौर तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के कलाकार हुए हैं। कई सांस्कृतिक संगठन भारतीय कलाओं को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। मालवा की संस्कृति अपनी विशेषताओं को लेकर पुराने जमाने से प्रसिद्ध है। राजनैतिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में इंदौर का अपना विशिष्ट स्थान है। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इंदौर दूरदर्शन स्टूडियो की इमारत

करीब-करीब बन गई है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि सम्पूर्ण मध्य भारत क्षेत्र को जो कि सभी दृष्टि से मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, शेष भारत से जोड़ने की दृष्टि से इंदौर में शीघ्र ही सभी आवश्यक उपकरण लगाकर इंदौर केन्द्र से ही दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हो तथा इंदौर में मैट्रो चैनल भी आरंभ किया जाए। इससे सम्पूर्ण मध्य भारत तथा इससे जुड़ा हुआ गुजरात व महाराष्ट्र का इलाका भी इंदौर से कवर हो सकेगा।

(छ:) बिहार में पृथक वनांचल राज्य की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, बिहार के अन्तर्गत वनांचल (झारखंड) को अलग राज्य की मांग 1938 से की जा रही है। इस वनांचल क्षेत्र में 18 जिले हैं, 81 विधान सभा एवं 14 लोक सभा की सीटें हैं। अलग राज्य नहीं होने के कारण विकास कार्य अवरूद्ध है, जबकि इस क्षेत्र में खनिज एवं वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में है। भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज एवं रहन-सहन बाकी बिहार के क्षेत्र से अलग हैं। मुगल एवं अंग्रेजी राज्य में भी यह क्षेत्र अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में अस्तित्व में था। इसी कारण रांची में राज्यपाल निवास बनाया गया था।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एक अलग वनांचल राज्य की स्थापना शीघ्र की जाए।

[अनुवाद]

(सात) बैंकों में, विशेषकर पश्चिमी उड़ीसा में, पर्याप्त करेंसी की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : पिछले कई महीनों से भारतीय रिजर्व बैंक की भुवनेश्वर शाखा द्वारा उड़ीसा और विशेषकर पश्चिमी उड़ीसा में स्थित बैंकों की शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में करेंसी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक, करेंसी चेस्ट शाखाओं की 25 प्रतिशत मांग को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। फलस्वरूप कई बैंक शाखाएं ग्राहकों और सरकार की नकद की मांगों को समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसा समझा जाता है कि अन्य राज्यों में स्थिति इतनी खराब नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सिर्फ अपनी परेशानी को टालने हेतु एक चेस्ट से दूसरे चेस्ट में रुपये भेजने का आदेश जारी कर दिया, हालांकि उसे यह भली-भांति पता था कि पूर्तिकर्त्ता शाखाओं के पास उसके आदेशों के पालन हेतु पर्याप्त नगदी नहीं है। मांगी गई करेंसी और आपूर्ति की गई करेंसी की मात्रा में भारी अन्तर है। अस्थायी तौर पर ही कुछ हद तक समस्याओं से निबटने के लिए बैंक की शाखाएं एक जगह से दूसरी जगह तक छोटी मात्रा में करेंसी नोट ले जाने के लिए काफी धनराशि खर्च कर रही हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक इस पर खर्च की जा रही राशि का भुगतान भी नहीं कर रही है, इसके अतिरिक्त, इसके परिवहन में बड़ा खतरा है।

इस समय सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक को अगले एक महीने (अर्थात मार्च, 1997 तक) के लिए एक हजार करोड़ रुपये के करेंसी नोट की आवश्यकता है। इसके लिए उसने भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक मांग पत्र भी दे दिया है। लेकिन यह समझा जाता है कि मार्च, 1997 से पूर्व इतनी बड़ी राशि की आपूर्ति करने का भारतीय रिजर्व बैंक का कोई इरादा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप जनता को अकारण परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सरकारी भुगतान, श्रमिकों का वेतन भुगतान रूक जाएगा, तथा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं ठप्प हो जाएंगी तथा ऋण का वितरण भी प्रभावित होगा।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करे।...*(व्यवधान)**

(आठ) कर्नाटक में हुबली-धारवाड़ बाई-पास का निर्माण आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवानंद एच॰ कौजलगी (बेलगाम) : महोदय, भारत सरकार ने कर्नाटक में हुबली-धारवाड़ सड़क बाईपास के निर्माण के लिए 'बिल्ड ऑन लीज ट्रांसपोर्ट' के अन्तर्गत निविदाएं मंगाई हैं।

यद्यपि ये निविदाएं काफी समय पहले मंगाई गई, लेकिन इनमें से कोई भी निविदा अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। इसके कारण सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इन निविदाओं को स्वीकृत करे ताकि हुबली-धारवाड़ बाईपास मार्ग पर तेजी से काम हो सके।

अपराह्न 12.53 बजे

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प,

और

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 12 और 13 पर एक साथ विचार करेगी। इसके लिए एक घंटे का समय नियत किया गया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय वन मंत्री जी एक अपील लाये हैं जिसका नाम नेशनल

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

इन्वायरमैंट ऐपेलैट अथारिटी है। मेरा निवेदन इतना ही है कि एक ऐपेजेक्ट अथारिटी बनाने के नाते भी, अभी पीछे जो सत्र गया है और वर्तमान में जो आया है उसमें सवा महीने से ज्यादा का समय नहीं गुजरा है। महामहिम राष्ट्रपति जी को बार-बार कष्ट देकर आर्डिनेंस निकाले जा रहे हैं। गत सत्र में एक भी आर्डिनेंस नहीं निकाला गया और अब जब निकाला है तो आपने बाढ़ लगा दी है। एक साथ 13 आर्डिनेंस आपने निकाल दिये हैं।

माननीय मंत्री जी नये-नये मंत्री बने हैं। वे मेरे मित्र भी हैं। उनसे मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार से बार-बार आर्डिनेंस निकालने की प्रवृत्ति इस सरकार को कम से कम छोड़ देनी चाहिए। इस प्रवृत्ति को कांग्रेस पार्टी निभाती तो अच्छा होता क्योंकि उनकी तो मजबूरी है। वे करते-करते आदतन हो गये हैं लेकिन जो आदमी सदैव विपक्ष में रहा हो, जो आर्डिनेंस का विराध करता हो। फर्क इतना है कि आज हमसे कुछ लोग उधर जाकर बैठ गये हैं। थोड़े दिन बाद फिर आकर इधर ही बैठेंगे। कांग्रेस का तो हमने जिंदगी भर विरोध करना ही है। कल को हम वहां बैठ जायेंगे तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध करने लगेंगे।

माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि आपको बार-बार आर्डिनेंस नहीं निकालना चाहिए। यह मेरा आपसे एक निवेदन है।

प्रदूषण एक प्रकार का नहीं होता। प्रदूषण जल का भी होता है, आवाज़ का भी होता है और वायु से भी प्रदूषण होता है। प्रदूषण होना ठीक नहीं है। प्रदूषण को कौन रोकेगा और कौन आदमी अपील में जाएगा, उसके नाते यहां पर ऐपेलेट अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। इस ऐपेलेट अथॉरिटी में तीन व्यक्ति होंगे जिन्हें प्रैजीडैंट अप्वाइंट करेंगे। उसके बाद जो व्यक्ति कहना नहीं मानेगा, उसे सात साल की सज़ा और फाइन देना होगा जो एक लाख रुपये तक हो सकता है या दोनों सजाएं हो सकती हैं। जरा विचार कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति इसे नही मानेगा तो उसे सात साल की सज़ा और जुर्माना होगा और वह भी एक लाख रुपये तक का हो गया है। मामूली सी बात के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। मंत्री जी, जुर्माने की रकम 1-2 हजार नहीं है, एक लाख रुपये है। इसलिए इसे कम कीजिए। प्रदूषण रोकना निश्चि रूप से आवश्यक है। आप देखते हैं कि जिस गाड़ी में अच्छा हार्न लगा होता है, उसके पीछे 'हार्न प्लीज' लिखा भी होता है। आप भी इंगलैंड, अमरीका गए होंगे। वहां पर यह प्रथा है कि यदि कोई व्यक्ति हार्न बजाता है तो उसे सज़ा हो जाती है और उस पर पैनल्टी लगती है। मैं समझता हूं कि भारत में हार्न बजाकर बताने की उल्टी प्रथा है। बड़े-बड़े अस्पतालों, स्कूलों के पास स्पीड ब्रेकर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गाड़ियां धीरे चलें और ज्यादा आवाज़ न करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में लोग हार्न का दुरूपयोग न करें, इस संबंध में विचार करना आवश्यक है।

इसमें आपने सज़ा का जो प्रावधान किया है, मैं उसका विरोधी हूं। जिस मंशा से आर्डिनेंस निकालने की परम्परा डाली है, मैं उसका भी विरोधी हूं। जयपुर शहर के आसपास वन विभाग की आड़ में, वन तो है ही नहीं, एक पौधा भी नहीं है, 350 खानें हैं और वहां से लोग अपने मकान बनाने के लिए पत्थर लिया करते थे। यदि किसी व्यक्ति को ईंट का मकान भी बनाना हो तब भी वह नींव में पत्थर भरेगा, उसके बाद ईंट की चुनाई होगी। जयपुर में 350 खाने हैं जिनके बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय ने आर्डिनेंस निकाला है। यदि आप जयपुर नहीं गए हैं तो मेरे साथ चलें। मैं आपको वहां ले चलूंगा। वहां पर झालाना की डुंगरी नामक स्थान है। वहां पर राज्यपाल महोदय ने वन विभाग की आड़ में पत्थर निकालना बंद करवा दिया है। लेकिन जयपुर शहर में 350 खानें हैं जिनका वन विभाग से दूर-दूर तक संबंध नहीं है। उन सारी खानों को बंद करके जयपुर शहर में मकान बनाने की जो ऐक्टीविटी चल रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया जिससे सड़क बनाने में जो रोड़े काम में आते थे, वे भी मिलने बंद हो गए। इसके कारण जयपुर शहर में लाखों मजदूर, जिनका संबंध अनुसूचित जाति से है, बेरोज़गार हो गए और आज सड़कों पर मारे-मारे घूम रहे हैं। कभी मेरे पास आते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पता नहीं उनको कैसे-कैसे वकील करने पड़ रहे हैं। वे सारे परेशान हैं। लगभग 1500 से भी ज्यादा हाफ बॉडी की गाड़ियां, जिनमें पत्थरों को भरकर जो मज़दूर ढोया करते थे, वे बेकार हो गए और हाफ बॉडी ट्रक वाले मजदूर भी बेकार हो गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने ट्राईब्यूनल बनाया है, जैसी आप आज्ञा करें, यदि लंच करना आवश्यक हो, तो मैं बाद में बोल लूंगा।

भोजन करना आवश्यक है तो मैं तो भोजन के बाद बोल लूंगा। मैं भी दो रोटी खा आऊंगा।

सभापति महोदय : आपको कितना समय लगेगा?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे तो अभी समय लगेगा, मैंने अभी तो शुरूआत ही की है। अभी मैं तो भूमिका ही जमा रहा हूं। इसलिए आप लंच के बाद समय देना चाहें तो लंच के बाद दे दें, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बड़ी कृपा है, बाकी समय तो मुझे देना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको मालूम है कि इस विषय में एक घंटा एलाट किया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह तो एक कहने की बात होती है, मुझे तो आपको समय देना पड़ेगा, वह तो आप देंगे। एक घंटे में कैसे काम चलेगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह हमने तो निश्चित नहीं किया, जोशी जी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जिसने भी निश्चित किया है। वे आजकल इसलिए निश्चित कर लेते हैं कि बड़ा कोई मामूली सा बिल

है, अभी पास कर लो। जेना जी परसों कह रहे थे कि इसमें कौन सी बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : *अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।*

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.09 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.09 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री नीतीश कुमार** *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके संबंध में 1972 में समिति बनी थी। फिर 1980 में सशक्त करने के लिए समिति बनी और 1985 में पर्यावरण और वन विभाग से संबंधित काम सौंप दिया गया। केन्द्रीय बोर्ड बनने के बाद इसमें जल और वायु प्रदूषण शामिल किए गए। मेरा निवेदन यह है कि इसमें ध्वनि को भी शामिल किया जाए। ध्वनि को जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है, अगर नहीं जोड़ा गया है, तो जोड़ा जाए। इस समय 23 राज्यों ने इस कानून को मान लिया है आज और माननीय मंत्री जी यह बिल लाए हैं। इस बिल में उन्होंने कहा है कि तीन सदस्य होंगे, तीन से ज्यादा नहीं होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, और चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन महामहिम राष्ट्रपति जी बनायेंगे। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। तीन वर्ष के पहले यदि कोई सदस्य इस्तीफा देना चाहे या जज साहब ठीक प्रकार से काम नहीं करें, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करेंगे। तीन व्यक्तियों में से जो भी हटना चाहेगा, वह तीन महीने का नोटिस देगा और उसके बाद यदि आरोप सिद्ध हो गया, तो हटाया जाएगा, नहीं तो काम करते रहेंगे। इसमें यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि अगर आर्डर हो जाए, तो तीस दिन के भीतर वह व्यक्ति अपील कर सकेगा। लेकिन इस संबंध में सिविल प्रोसीजर कोड लागू नहीं होगा। इसके प्रावधान इसमें लागू नहीं होंगे। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, सजा का प्रावधान सात साल या एक लाख रुपया जुर्माना, या दोनों हैं, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसको कम करने का प्रयास करेंगे।

महोदय, इसमें व्यवस्था की गई है कि आर्डिनेंस निकल जाने के बाद रूल्स बनायेंगे। इसको निकले हुए डेढ़-दो महीने हो गए हैं, लेकिन रूल्स का पता नहीं है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन रूल्स की प्रतिलिपि सदन में रख दें, जिससे पता लग सके कि अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और कितने लोगों को सजा दी गई है। यह भी पता लग सके कि सात साल की सजा कितने लोगों को मिल गई है और एक लाख रुपए का जुर्माना कितने लोगों को किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं, आर्डिनेंस निकल गया, आर्डिनेंस का असर क्या हुआ है? मेरी दृष्टि में आर्डिनेंस निकालने का कहीं कोई औचित्य नहीं था, जब औचित्य नहीं था, तो बिल आना चाहिए था, आर्डिनेंस नहीं आना चाहिए था। जो रूल्स बनाए गए हैं, वे कृपया मंत्री जी सदन के पटल पर रख दीजिए।

यहां पर 350 खानों का जिक्र किया गया है। जयपुर में मकराना नामक एक स्थल है, जहां से पत्थर निकलता है। ये छोटी-मोटी खानें हैं, जहां से पत्थर निकलता है। इन पत्थरों से जयपुर शहर में ही नहीं, बल्कि दूसरे स्थानों पर ले जाकर मकान बनते हैं। इस स्थान पर एक भी पेड़ नहीं है। यह मान कर कि जंगल होगा, इसलिए इन 350 खानों को बन्द कर दिया गया है और हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ट्रक पर काम करने वाले लोग भी बेकार हो गए हैं। ये लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। जीवन-मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। ये लोग पत्थर ढोने का ही काम करते थे, पत्थर निकालने का ही काम करते थे। इन लोगों का जीवन बेकार हो गया है। इस बिल के एक्ट बनने के बाद कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेगा। मेरा निवेदन करना है कि ये सारी खानें वन विभाग में नहीं आती हैं, इसलिए इन सारी खानों को रिवाइव करें और सजा के प्रावधान को हटायें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। मुझे आशा है, आप निश्चित रूप से विचार करेंगे।

महोदय, कई अन्य फैसले भी हुए हैं। जैसे ताज महल के पास खानें नहीं होंगी, नहीं तो ताज महल बिगड़ जाएगा। इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है? इसी प्रकार दिल्ली में भी 168 कारखाने प्रदूषण के

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

नाम पर 30 नवम्बर, 1996 के बाद बन्द करने का फैसला हुआ है। इसमें सिल्क का भी कारखाना है। इन कारखानों में बिरला टैक्सटाइल मिल भी थी, जो मैं समझता हूं कि अभी तक चल रही है, बन्द नहीं हुई है। इसी प्रकार श्री जेपी जिन्दल, जो दिल्ली फैक्ट्री फैडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि कारखानें वर्षों से चले आ रहे हैं, यदि ये बन्द कर दिए जायेंगे, तो मजदूरों के सामने जीवन-यापन की समस्या पैदा हो जाएगी। उनको कम्पैंसेशन देना पड़ेगा, एक साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी और शिफ्टिंग में पैसा देना पड़ेगा।

उस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है, यह मंत्री जी बताएंगे। पाली राजस्थान का एक हिस्सा है वहां पर छपाई के कारखाने चलते हैं। उनका भी गंदा पानी वहां पर बहता रहता है, वहां पर क्या व्यवस्था की है? आजकल दिल्ली में भी एक आर्डर निकला है कि पैट्रोल उसको मिलेगा जिसने प्रदूषण चैक कराया होगा। इसलिए दिल्ली में लोग चैकिंग के लिए जा रहे हैं। आपने जो दिल्ली में प्रदूषण वाला नियम बनाया है इस संबंध में क्या प्रगति हुई है? मैं जब एक बार मथुरा में गया था तो वहां मैंने देखा वहां लोग मल-मूत्र का पानी बहाते हैं। गंगा में मल-मूत्र का पानी बहाते हैं। गटर का पानी मथुरा में, गंगा में बहता है। मैं समझता हूं कि यमुना में बह रहा है, उस संबंध में भी आप कोई विचार करें। बाकी यह जो प्रदूषण वाला मामला है, यह बहुत ऊंचा मामला है। हम चुनाव में लड़ लेते हैं और जगह भी बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन प्रदूषण देश में रूके इस संबंध में आपने जो चिन्ता की है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। अब यह ट्रिब्यूनल कितना काम कर सकेगा, इसमें मुझे शक है। इसलिए इस संबंध में आप विचार करें।

महोदय, गावों में भी प्रदूषण होता है। गांवों में चूल्हों से प्रदूषण होता है। उसके लिए गोबर गैस प्लांट की बात लोग लाए थे। इसको हम एक योजना बना करके, सारे लोग मिलकर और पार्टी से ऊपर उठ कर इस बारे में सोचें, क्योंकि यह किसी पार्टी का मामला नहीं है। इसमें बी॰जे॰पी॰, कांग्रेस या जनता दल का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए इस संबंध में हम सब मिल कर कार्यवाही करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। अब मुझे यहां पर यह कहना है कि एक कानून अबेटमेंट ऑबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन का बना था। यह भी 26 फरवरी, 1992 को बनाया गया, उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई? इस संबंध में भी आप निश्चित रूप से बताएं।

महोदय, अंत में मुझे यही कहना है कि गंगा प्राधिकरण भी बना है, खनन परियोजनाओं के बारे में भी आप लाए हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1996 में बनी, जिसके तहत देश की कुल भूमि के एक-तिहाई भाग में पेड़ लगेंगे, यह बात भी कही गई है। लेकिन देश में अभी तक केवल 19.44 प्रतिशत भूमि पर ही पेड़ लगे हैं। इसलिए वनवासियों का इसमें पूरा सहयोग चाहिए और स्वस्थ जीवन के लिए प्रदूषण कानून बहुत जरूरी है। अगर हर आदमी यह विचार कर ले कि मुझे एक या दो पेड़ जरूर अपने मकान पर लगाने हैं और उन सब पेड़ों की देखभाल अपने बच्चों की तरह से करनी है, अगर इस प्रकार से प्रोत्साहन दें तो हम इस प्रदूषण वाले मामले में ठीक प्रकार से कार्यवाही कर सकेंगे।

महोदय, मैं एक बार फिर से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो अध्यादेश निकाला है, रूल्स बनाए हैं लेकिन वह आपके रूल्स टेबर पर रखने में असमर्थ हैं। अभी तक आपने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? अभी तक आपने कितनों को सजा दी, कितनों को एक लाख रुपया जुर्माना किया। अगर ये सारी बातें आप बताऐंगे तो ठीक है, वरना मैं इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं, इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना था। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 30 जनवरी, 1997 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "ऐसे क्षेत्रों के निर्बन्धन की बाबत, जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कोई उद्योग, संक्रियताएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जायेंगे, अपील की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, विधेयक को प्रस्तुत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का आशय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के विरूद्ध की गई अपीलों के प्रभावी और तत्काल निपटान के लिए कोई तन्त्र खोजने की शीघ्र अनुभव की गई आवश्यकता को पूरा करने के लिए है जिससे कि विकास संबंधी परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान की जा सके।

माननीय सदस्यगण यह जानते हैं कि पर्यावरण का परिरक्षण और संरक्षण हमारी संस्कृति और परम्पराओं का एक स्तम्भ रहा है। हमारा संविधान उन संविधानों में से एक है, जिन्होंने सबसे पहले पर्यावरण के महत्व को स्वीकार किया था। संविधान के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण और सुधार प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य है।

हमारा मार्गदर्शन करने वाला मूल सिद्धान्त "सतत् विकास" है। इसका अभिप्राय भविष्य के विकल्पों को बिना बाधा पहुंचाए या भावी पीढ़ियों द्वारा उनकी आवश्कताओं को पूरा करने की सामर्थ्य से समझौता किए बना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक और आर्थिक बेहतरी करना है। यह सिद्धान्त हमारे पर्यावरण के अल्पकालिक उपयोग और दीर्घकालिक उत्पादकता को बनाए रखने और उसका संवर्द्धन करने के बीच संतुलित संबंध बनाए रखता है।

अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण "एहतियाती सिद्धान्तों" के द्वारा निर्देशित हों। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत, पर्यावरणीय अपकर्ष का अनुमान लगाना होगा, ताकि बचाव संबंधी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जा सकें। पर्यावरणीय मंजूरी इस पहलू पर ध्यान देती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा सन् 1994 के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के अनुसार इस प्रकार की मंजूरी दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं प्रदूषण-नियंत्रण और सुरक्षा मापदंडों का पालन करती हैं और इनका कोई प्रतिकूल पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दुष्प्रभाव नहीं है, एक विशेषज्ञ समिति परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है। इस मूल्यांकन के अन्तर्गत अन्य चीजों के साथ-साथ, पशुधन, वन्यप्राणियों, कृषि और वन पर भी इसके प्रभावों का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूल्यांकन समिति के सभापति के पद पर गैर-सरकारी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और समिति से संबंधित विधाओं के विशेषज्ञ तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

साथ ही साथ, पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी निर्णयों के विरूद्ध अपीलों से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मुक्त किसी स्वतंत्र तंत्र की जरूरत महसूस की गई। यह अपीलीय प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण मामलों संबंधी विभिन्न जन-हित विवादों के संदर्भ में प्रतिपादित सिद्धान्तों को प्रभावकारी बनाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा ज्यादा उत्तरदायित्व होगा। माननीय सदस्यों ने इस संबंध में बहुधा अपनी चिन्ता जताई है। यही नहीं, जन शिकायतों के त्वरित निवारण से परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इसी पृष्ठभूमि में, विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति देने के विरूद्ध अपीलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के गठन का अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक इस समय सभा के समक्ष विचार करने और पारित करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

अब मैं, अपील प्राधिकरण के गठन के आशय से रखे गए विधेयक के मुख्य पहलुओं पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगा। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन से अनधिक अन्य सदस्य होंगे।

कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा।

कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के सचिव का पद या भारत सरकार के सचिव के वेतनमान के बराबर वेतनमान में केन्द्र या राज्य सरकार में कोई अन्य पद धारण कर चुका हो, और जिसे पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रशासनिक, विधिक, प्रबन्धकीय या तकनीकी पहलुओं में विशेषज्ञता का अनुभव हो।

कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब उसके पास उच्च कोटि का वृत्तिक ज्ञान और संरक्षण, पर्यावरणीय प्रबन्धन, विधि, योजना और विकास संबंधी संगत विशेषज्ञता क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव हो।

माननीय सदस्यों ने यह पाया होगा कि इस प्राधिकरण का गठन इस प्रकार का है कि यह अपील प्रक्रिया के लिए आवश्यक विधिक और न्यायिक ज्ञान से परिपूर्ण है तथा इसमें तकनीकी और प्रबंधकीय पर्यावरणीय मामलों से संबंधित विशेषज्ञता का भी समन्वय है।

सभापति, उप-सभापति और अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, लेकिन वे अगले तीन वर्षों के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। सभापति सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। उप-सभापति और अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद पर नहीं बने रहेंगे।

माननीय सदस्य उन व्यक्तियों के बारे में भी जानना चाहेंगे जिन्हें अपील प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा। ये व्यक्ति हैं :-

(एक) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके पर्यावरणीय अनापत्ति के प्रदान किए जाने से प्रभावित होने की संभावना हो;

(दो) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके स्वामित्व या नियंत्रण में ऐसी परियोजना है जिसके बाबत में पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन पेश किया गया है;

(तीन) व्यक्तियों का कोई ऐसा संगम चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसके ऐसे आदेश द्वारा प्रभावित होने की संभावना है और जो पर्यावरण के क्षेत्र में कृत्य कर रहा है;

(चार) केन्द्रीय सरकार, जहां पर्यावरणीय अनापत्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और राज्य सरकार, जहां पर्यावरणीय अनापत्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है; और

(पांच) संबंधित स्थानीय प्राधिकारी

[प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़]

हम इस बात के प्रति सजग हैं कि बहुत से लोग, जो शिकायतों के निराकरण के लिए प्राधिकरण से अपील करेंगे, समाज के सापेक्षतया वंचित वर्ग से होंगे। अपीलों के भी तवरित निपटान की आवश्यकता है और इसलिए प्रक्रिया को सरल बनाना आवश्यक है। इसलिए विधेयक में हमारा जोर इस बात पर है कि यह प्राधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा। प्राधिकरण को अपनी प्रक्रिया स्वयं नियमित करने का अधिकार होगा तथा इसमें वह सारी शक्तियां निहित होंगी जो सिविल न्यायालय में निहित हैं। प्राधिकरण जांच के लिए स्थान और समय निर्धारित करेगा।

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत् विकास तथा संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शुरूआत है। यह सामाजिक कानून पर्यावरण से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन में नागरिकों को अधिक शक्ति प्रदान करेगा। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि सतत् विकास का अनिवार्य उद्देश्य हमारे नागरिकों की भलाई के लिए उन्हें और अवसर देना है। यह विधेयक इस दिशा में एक कदम है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

> "कि यह सभा 30 जनवरी, 1997 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

> "ऐसे क्षेत्रों के निर्बन्धन की बाबत जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जायेंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे, अपील की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री राम नाईक अपना भाषण देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक, 1996 के संबंध में जो आर्डिनेंस सरकार ने जारी किया है उस आर्डिनेंस का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस सरकार ने इस अवसर पर 13 आर्डिनेंस जारी करके कमाल कर दिया है। यह सरकार 13 पार्टियों की है इसीलिए शायद 13 आर्डिनेंस जारी किए गए हैं। महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर इस विधेयक को जारी करके सरकार ने एक दृष्टि से संविधान की अवहेलना की है। इसलिए इस आर्डिनेंस का मैं विरोध करना चाहता हूं। यह विधेयक जो है इसकी भूमिका का मै समर्थन करना चाहता हूं लेकिन इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं और उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने एक अमेंडमेंट दी है। कुल मिलाकर विधेयक की जो कल्पना है उससे मेरी सहमति है। इस बिल में पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक बोझ 51 लाख 55 हजार का है वह अगर दो-घाद करोड़ भी आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस अथॉरिटी से निर्णय लेने के लिए देश के लोगों को अगर हर समय दिल्ली आना पड़े तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए कई जगहों पर रिजनल अथॉरिटी करना मेरी राय है। इसलिए आर्थिक खर्चे पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट-1986 बने 11 साल हो गये हैं। अब देखना यह है कि इसने पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर पर्यावरण का कितना प्रोटेक्शन किया है और विकास के कामों में कितनी बाधा डाली - यह एक विचारणीय प्रश्न है। जैसे कई जगहों पर बड़े-बड़े बांध बन गए लेकिन चैनल बनाने के लिए अनापत्ति-प्रमाणपत्र नहीं मिला है, बांध बन गया है लेकिन खेतों में पानी नहीं जा रहा है। इसलिए यह विधेयक एक ऐसा विधेयक बन गया है जिससे गतिरोध बन रहा है। मैं चाहता हूं कि इन 11 सालों में इस विधेयक के जो भी अच्छे-बुरे परिणाम निकले हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। इसलिए एक रिव्यू कमेटी बनायी जाए जो यह देखे कि इन 11 सालों में इसके जो भी अनुभव आए हैं उनमें कितना काम ठीक हुआ है और कितना गलत हुआ है और इसमें कौन-कौन से परिवर्तन होने चाहिए। इसलिए रिव्यू कमेटी की मेरी सबसे पहली मांग है। अध्यादेश के जो कारण बताए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम-कोर्ट के कुछ जो जजमेंट आए उनके तहत यह लाया गया है। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त 1996 को पहला जो जजमैंट आया, उसमें कहा गया कि 900 टैनरीज के कारण तमिलनाडु में प्रदूषण हो रहा है। मेरे पास वह जजमैंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि एक महीने के अन्दर इस प्रकार की एथीलेट एथॉरिटी बनानी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का सरकार को डायरैक्टिव है। 30 जनवरी, 1997 तक मतलब पांच महीने उसे लगे जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे एक महीने में करो। यह सरकार एक महीने में करने वाला काम पांच महीने में करती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमैंट में एक बात और कही कि हर प्रदेश के लिए एक हरा खंडपीठ (ग्रीन बैंच) की बनानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रदेशों की हाई कोर्ट में इस प्रकार की ग्रीन बैंच बनायी गई हैं और उसने कैसे काम शुरू किया है। यह भी मंत्री महोदय अपने उत्तर में बताएं। मंत्री महोदय ने इसकी कुछ भी जानकारी नहीं दी है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

दूसरा मेरा कहना यह है कि यह अध्यादेश 30 जनवरी को निकाला गया। अध्यादेश निकाले डेढ़ महीने हो गए। क्या आपने वह अथॉरिटी बनायी? उसका अध्यक्ष, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है। फिर अध्यादेश निकालने का क्या मतलब है और इसकी क्या जरूरत थी? डेढ़ महीने में यदि आपने इसमें से कोई काम नहीं किया तो आप तेरह अध्यादेशों को इसलिए निकाल रहे हैं कि यदि यह अध्यादेश नहीं निकाला तो यह बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यदि वह स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है वह उसे देखेगी। इसलिए वह दूसरे रास्ते से अध्यादेश निकालती है। ऐसे में उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा नहीं जा सकता और सरकार जो चाहेगी वैसा करेगी। इसलिए मैं अध्यादेश निकालने की इस पद्धति का विरोध करता हूं। डेढ़ महीने में एथॉरिटी बनाने की दृष्टि से सरकार ने क्या काम किया, उसका उल्लेख, उसकी जानकारी सरकार को यहां देनी चाहिए।

सभापति महोदय, इस कानून का बड़ा दुरूपयोग हो रहा है। मैं एक उदाहरण अपने क्षेत्र का देना चाहता हूं। चिन्तामन वानगा जो कि दहानू आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आए हैं, उनके ताल्लुका को इस एक्ट के अन्दर इकॉलोजिकल फ्रेजाइल, संवेदनशील पर्यावरण इस प्रकार से सरकार ने घोषित कर दिया। सारे महाराष्ट्र में एक ही तहसील को जहां पर आज 86 परसैंट ग्रीन कवर है और फॉरेस्ट हैं, उसके कारण सारे उद्योगों पर पाबंदी लगायी गई है। इसके कारण बाकी क्षेत्रों में उद्योग बढ़ रहे हैं। उसने केवल दहाणू ताल्लुका में पाबंदी नहीं लगायी है, दहाणू ताल्लुका के बाहर के 25 किलोमीटर क्षेत्र में यह पाबंदी लगायी। तारापुर अणु ऊर्जा प्रकल्प मेरे मतदान क्षेत्र में आता है। वहां कोई काम आगे नहीं हो सकता है। वहां एम॰आई॰डी॰सी॰ की इंडस्ट्रियल कॉलोनी बनी है। वहां रिपेयर का काम नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातों पर विचार करने का अवसर आया है। पायलट जी यहां नहीं हैं। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था। जब चन्द्रशेखर जी की सरकार थी और उन्होंने जिस दिन इस्तीफा दिया, उस दिन श्रीमती मेनका गांधी जो कि पर्यावरण मंत्री थी, उन्होंने दहाणू ताल्लुका में इंडस्ट्रीज पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन निकाल दिया। सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं था कि वह उस पर पाबंदी लगाए। हम पांच साल से रो रहे हैं। इसके कारण वहां नक्सलवादियों की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं क्योंकि वहां लोगों को काम नहीं मिल रहा। इस भूमिका में मैंने एक प्रश्न इस अधिवेशन में पूछा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में एक जजमैंट दिया। उसने कहा कि दहाणू ताल्लुका के लिए इस प्रकार की कमेटी बनायी जाए। यह प्रश्न 11 मार्च के उत्तर में अभी-अभी आया है। मैं उत्तर के केवल दो वाक्य पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे जिलें में दहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित संरचना के अनुसार किया गया है।

[हिन्दी]

सभी नाम बताए हैं। मैंने पूछा कि काम कितना हो गया, तो उत्तर है:

[अनुवाद]

> प्राधिकरण के सदस्य-सचिव ने बताया है कि अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

[हिन्दी]

अब यह कार्यवाही चल रही है जिससे वहां के लोगों को काम-धंधा नहीं मिल रहा है। इन सब के लिये अपीलॉट अथारिटी में समय नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि दस साल का काम हुआ है या नहीं, उसे रिव्यू करने की आवश्यकता है। श्री राजेश पायलट ने अपने समय में कहा था कि यह गलत पाबंदी लगाई है, मैं उसे उठा रहा हूं और नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा है लेकिन इतने में सरकार बदल गई और नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुआ। अब फिर नये मंत्री कैप्टन निशाद आ गये तो उनको बात बताई तो उन्होंने भी कहा कि देखता हूं। अब वे मंत्री भी बदल गये। इसलिये मेरा कहना है कि ऐसी जगह, जहां पर कोई आवश्यकता नहीं, वहां यदि ऐसी पाबंदी लगाई गई है तो निकालना चाहिये और वहां के लोगों के साथ बात भी करनी चाहिये। अब मैं आपको बताता हूं कि श्री चिन्तामन वानगा अकेले अपने एरिया के एम॰पी॰ हैं। जो इस काम के लिये कमेटी बनाई गई है, उसमें इनका कोई स्थान नहीं है। अब हमारे शरद यादव जनता दल के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ता श्री विलास विचारे एन॰जी॰ओ॰ के सदस्य के नाते समिति में लिए गए हैं। इससे लगता है कि वहां यह काम करना चाहिये कि जनप्रतिनिधि क्या कहता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नोटिफिकेशन कैंसिल करना चाहिये तो सरकार इसके बारे में क्या करना चाहती है, यह जानकारी मुझे चाहिये।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सैक्शन-11 में यह कहा गया है। मैं अमेंडमेंट का क्लाज़ पढ़ता हूं :

[अनुवाद]

> "उन क्षेत्रों में, जिनमें कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं और प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे, पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की

[श्री राम नाईक]

> तारीख से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा।"

[हिन्दी]

या कोई उद्योग वहां शुरू करने वाले हैं या कोई फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री शुरू करने वाले हैं, नो-आब्जैक्शान सर्टिफिकेट लेना है अथारिटी को यह आपत्ति है। केवल उद्योग शुरू होता है, मकान बनाने की समस्या हैं, इस एक्ट के अंतर्गत 500 मीटर के अंदर रेगुलेशन जोन्स बनाये गये हैं और 500 मीटर में हाई टाईड हैं, वहां मकान नहीं बन सकता है जिससे मछुआरों को मकान बनाने से मनाही हो रही है। सन् 1987 में मुम्बई में दो लाख नागरिकों के लिये विश्व बैंक और केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र हाऊसिंग डेवलेपमेंट अथारिटी द्वारा मकान बनाने का प्रोजेक्ट चालू किया है जहां पर लोग रहने के लिये आयेंगे। इसके तहत लोगों ने 4000 रुपये स्कवेयर मीटर के हिसाब से प्लाट खरीद लिया है। ऐसे तीन हजार लोगों ने आवेदन दिये हैं लेकिन नया नोटिफिकेशन निकलने के बाद कोई मकान नहीं बन सकता है। मध्यम वर्गीय लोग कहां जायेंगे? इस कारण से मैंने यह अमेंडमेंट दिया है :

[अनुवाद]

> "आवास, मछली पालन, अक्वाकल्चर से संबंधित या नागरिक सुख सुविधाओं के लिए उपलब्ध करवाने वालों सहित"

[हिन्दी]

अब उसके साथ-साथ फिशिंग के लिये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाये हैं जिसमें हाई टाईड से या लो टाईड के क्षेत्र को जोन-1 कहा जाता है। इसमें केन्द्रीय सरकार की भूमिका होगी। इसमें अक्वा कल्चर किया जा सकता है। इसको करने के लिये समुद्र का पानी रोका जाकर उसमें मछली संवर्द्धन का कार्यक्रम होता है। जो परम्परागत मछुआरे हैं, उनका कहना है कि इस प्रकार के अक्वा कल्चर के तहत नीचे की जमीन खारी हो जाती है। परिणाम यह होगा कि जो सब्जियां और चावल होता है, वह धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसलिये मेरा कहना है कि सी॰आर॰ जोन इस प्रकार नहीं करने देना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसने कह दिया कि ऐसे अक्वा कल्चर के सारे फार्म तोड़ दो और यदि 31 मार्च के पहले नहीं तोड़े गये तो आपत्ति की जायेगी, एक्शन लिया जायेगा। अब सवाल है कि सरकार ने अक्वा कल्चर को प्रोत्साहन क्यों दिया है। केन्द्र सरकार के विभाग ने वहां लोन के लिये प्रबंध किया है और नेशनलाईज्ड बैंक ने लोन दिया है और अक्वा कल्चर शुरू हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। इसके पूर्व परम्परागत मछुआरों ने, जो डीप सी फिशिंग करते हैं, आन्दोलन किया और वे लड़ाई जीत गये। इन सारे तथ्यों के आधार पर एक पी॰ मुरारि कमेटी बनाई गयी और सब ने साथ दिया कि मामला सरकार की भूमिका से जुड़ा हुआ है। अब थॉमस कोचेरी ने आज ही से वहां इस विरोध में आन्दोलन शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि अक्वा कल्चर अलाऊ मत करो। नेशनल फिशरमैन फोरम के अन्तर्गत एक करोड़ मछुआरे इक्ट्ठे हुये हैं। उन्होंने संगठित होकर कहा है कि अक्वा कल्चर बन्द करो। किन्तु, जिन्होंने अक्वा कल्चर शुरू कर दिया है जिसे सुप्रीम कोर्टने अचानक बंद कर दिया है उसमें सुधार करें। अब परस्पर विरोधी कनफलिक्टिंग मांगें आ रही हैं। फिर जैसे सरकार ने डीप सी फिशिंग के समय किया था और एक कमेटी बनाई थी, उसी प्रकार यहां के एम॰पी॰ को इस कमेटी में अक्वा कल्चर के लिये जो समस्या पैदा हुई है, विचार करना चाहिये और एक योग्य पॉलिसी तय करनी चाहिये। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मछुआरों का एक संघर्ष खड़ा हो जायेगा और हम सब लोग मुसीबत में फंस जायेंगे। इस भूमिका में सी॰आर॰ जोन का काम चल रहा है, उसकी देखभाल होनी चाहिये, उस भूमिका में उसपर विचार होना चाहिये। जैसे पी॰ मुरारि कमेटी में लोक सभा और राज्य सभा के 17 सदस्य थे उसी प्रकार यहां भी एक कमेटी बनाकर समस्या का निदान करना चाहिये। मेरा विचार है कि 9 राज्यों की सीमायें समुद्र से लगती हैं तो वहां के सांसदों और मछुआरों के साथ ऐसी एक कमेटी बनाकर इस समस्या का निदान करने का प्रयत्न करना चाहिये।

मेरी तीसरी बात यह है कि मंत्री महोदय प्रो॰ सोज नये आये हैं। महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण के बारे में पहले मंत्री जी से चर्चा की गई है और एक पत्र मुझे 20 फरवरी को लिखा जिसमें उन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

> "प्रिय श्री नाईक,
>
> मुझे आपका दिनांक 4, फरवरी का वह पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके साथ आपने सी॰आर॰जेड॰ विनियमों के अन्तर्गत निर्माण की अनुमति के संबंध में सी॰आर॰जेड॰ प्रभावित महाडा प्लाट मालिकों की एसोसिएशन का एक अभ्यावेदन भेजा है। मैं मामले की जांच करा रहा हूं और शीघ्र ही आपको उत्तर दूंगा।"

[हिन्दी]

यह भी उसी प्रकार का पत्र है, जैसे और आते हैं। आप नये मंत्री कश्मीर से आये हैं जहां पर बहुत सारे पहाड़ और झीलें हैं लेकिन वहां पर समुद्र नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस टेढ़े सवाल को समझने के लिये मुम्बई महानगरी में आएं। हम लोगों के साथ चर्चा करें और प्रत्यक्ष रूप से देखें कि दहाणू या मुम्बई में किस प्रकार की परिस्थिति है और आगे इसके लिये कौन सा रास्ता निकालना है। इस प्रकार का फैसला करने के लिये मैं कोई टीका-टिप्पणी न करते हुये यही कहूंगा कि हमारे सांसद श्री सरपोतदार जी, सुरेश प्रभु

हमारे निमंत्रण को समर्थन देंगे। आप मुम्बई में आइए। ठीक प्रकार से इस विषय की जानकारी अगर आप लेते हैं तो मुझे लगता है कि इससे लाभ हो सकता है।

एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। वैसे तो भार्गव जी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मछली भी अंडे की तरह ही शाकाहारी है। पानी पीकर वह बनती है इसलिए वह वैजिटेरियन है। सब लोग मछली खाते हैं।...*(व्यवधान)* मछली खाने की बात पर मैं अपनी बात छोड़ने वाला नहीं हूं। इसके साथा जुड़ी हुई समस्या यह है कि समुद्र किनारों पर जितने छोटे-छोटे गांव हैं, उन गांवों में पीने का पानी ले जाना है, उन गांवों में बिजली ले जानी है। उन गांवों में श्मशान भूमि समुद्र किनारे होती है। वहां यदि एम॰पी॰ फंड से हम श्मशान भूमि बनाना चाहते हैं तो नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए एन॰ओ॰सी॰ नहीं मिलती है। आप मुम्बई शहर के चौपाटी पर आएं तो पता लगेगा कि वहां टोयलेट बनाने के लिए भी पर्यावरण मंत्रालय की परमीशन नहीं है। शहरों या देहातों में जो सिविक अमेनिटीज़ देने का सवाल है, वह सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उनमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए। वहां की महापालिका, वहां की सरकार, वहां की ग्राम पंचायतों को यदि इस बारे में आप योग्य अधिकार देते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी जवाब दें और साथ ही मुम्बई में आने की तारीख जितनी जल्दी बता सकें, बताएं। हम अपनी समस्याओं के साथ वहां इनका स्वागत करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : पर्यावरण पर कभी विचार-विमर्श नहीं होता है। यदि होता है तो जेना जी कहते हैं कि मंत्री का जवाब हो जाए!...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी श्रीबल्लभ पाणिग्रही जी बोलेंगे। रूडी जी, आप उनको सुनिये।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति जी, मैं कह रहा हूं कि पर्यावरण विषय हमेशा गिलोटीन हो जाता है। कभी-कभी कोई मुद्दा सदन में आता है तो संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि इस मामले को यहां खत्म किया जाए और मंत्री जी का जवाब करवाया जाए।

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : जब मेरी बारी आएगी तो मैं प्रत्येक सुझाव के उत्तर दूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : कुल एक घंटे की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : एक घंटा इसके लिए बहुत कम है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस पर उपयुक्त समय पर बात करेंगे। अभी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अभी पाणिग्रही जी के भाषण को सुनिये।

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़ के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : यहां बिल पर बहस हो रही है। हम समझ रहे थे कि आपने बिल पर बोलने के लिए नोटिस भेजा है।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, हमें इसके बारे में अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह नए पर्यावरण और वन मंत्री का पहला विधेयक है। इसलिए, इसके लिए भी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : मैंने यह कहने के लिए व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि यह 'मेडन बिल' नहीं बल्कि 'बेचलर बिल' है।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : क्या इसकी पुष्टि हुई है?

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, यह न तो 'मेडन बिल' हो सकता है और न ही 'बेचलर बिल', क्योंकि 'बिल' तो 'बिल' है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, निःसन्देह यह एक अच्छा विधेयक है, और मैं समझता हूं कि यह प्रत्याशित था।

सभापति महोदय : आप 'गुड बिल' कह रहे हैं या 'गुड विल' कह रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, विधेयक चिरप्रतीक्षित था और इसीलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु जिस तरीके से यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में मुझे कुछ कहना है। यदि इसे पहले संबद्ध स्थायी समिति को भेजा गया होता और वहां इस पर विस्तृत चर्चा की गई होती, तो बेहतर होता।

मैं नहीं जानता कि क्या पूर्व प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए प्रस्तुत किया गया विधेयक उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुरूप है। माननीय मंत्री, मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया है कि पूर्व प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए प्रस्तुत किया गया विधेयक उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुरूप है या सरकार ने इसे अपनी मर्जी से प्रस्तुत किया है।

मैं पिछले योग्य वक्ता श्री राम नाईक से सहमत हूं। मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अगस्त के अंतिम सप्ताह में - 28 तारीख के लगभग - एक निदेश जारी किया था कि

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

कम से कम उच्च न्यायालय के सेवामुक्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। वह एक अलग निर्णय है। उस संबंध में अधिकारी पहले ही नियुक्त कर दिया गया है। इसलिए इसके संबंध में गलतफहमी है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं नहीं जानता कि क्या यह कार्य किसी अन्य संदर्भ में किया गया था। अब हम यह विधेयक देख रहे हैं। न्यायाधिकरण के स्तर के एक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। मुझे मालूम नहीं कि क्या उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुरूप किसी प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, यदि माननीय मंत्री अपने उत्तर के दौरान इस स्थिति को स्पष्ट करें।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं ऐसा ही करूंगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अगस्त से लेकर अब तक कितने प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। इस सदन में हमें कम से कम एक प्राधिकरण का पता चला है, और वह अधिनियम के द्वारा ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : माननीय मंत्री जी, विषयों और कारणों संबंधी वक्तव्य में यह स्पष्ट कहा गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नित्तला, यह कोई तरीका नहीं है। आपको अवसर दिया जाएगा। अब आप उनको अपना भाषण पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : क्या सम्बद्ध मंत्री बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं? वह कहते हैं कि यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं है...*(व्यवधान)* वह इस बात का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैं मुद्दे का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : सब कुछ विधेयक में लिखा है। आप को बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री रमेश चेन्नित्तला : विषयों और कारणों संबंधी विवरण में यह कहा गया है :

> "पर्यावरणीय मुद्दों से संबद्ध लोक हित के मुकदमों में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही की घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में लोगों की शिकायतों का शीघ्र निपटान करने हेतु एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक समझा गया।"

तदनुरूप, अधिनियम निरस्त कर दिया गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? उच्चतम न्यायरलय के निदेश देने पर ही अधिनियम निरस्त किया गया था। यह बात सदन में स्पष्ट हो जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं समझता हूं कि इस विधेयक का कोई विरोध नहीं करेगा। इस विधेयक में, जैसे कि प्रतीत होता है, कुछ ऐसे अच्छे प्रावधान हैं जो स्वागत योग्य हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप अपनी सीट पर बैठ रहे हैं? मेरे विचार से अब आप अपना भाषण समाप्त करने ही वाले हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जी नहीं, मैं तो अभी अपना भाषण आरम्भ कर रहा हूं। महोदय, आप तो जानते हैं कि मैं कैसे आरम्भ करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसके लिए एक घंटे का समय निर्धारित हुआ था, वह समय अब लगभग पूरा हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस पर एक-एक घंटा समय बढ़ाते रहिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुन्शी (हावड़ा) : यह एक मामूली मुद्दा नहीं है। माननीय मंत्री इसे मामूली मुद्दा समझ सकते हैं। परन्तु इसका सम्बन्ध हजारों लोगों के जीवन से है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अभी एक घंटे का समय बढ़ाते हैं।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : सर, इस पर दो घंटे का समय बढ़ा दीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आप इसको पूरे दिन के लिए ले लीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा दिन ही आपके लिए है, कृपया आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। एक घंटे की मांग लोगों ने इसलिए की है कि सभी लोग इस पर बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं ही इस विधेयक के मूल के विषय में स्पष्ट नहीं है।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आप तो भ्रमित नहीं हैं। कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं भ्रमित नहीं हूं। मुझे इस पर आपत्ति है। वह ऐसा क्यों सोचें? यह अनुचित है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य की बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए। बहरहाल, मेरा विचार है कि आप तो भ्रमित नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं इस विषय में पूरी तरह स्पष्ट हूं। कृपया उद्देश्यों और कारणों का कथन देखिए। पिछली अगस्त में एक ऐसा दिशा-निदेश दिया गया था। माननीय मंत्री का कहना है कि वह किसी अन्य संदर्भ में था। ऐसा हो सकता है। शायद वह चेन्नई के पास चर्मशोधन शालाओं के संदर्भ में दिया गया था। परन्तु ऐसा निर्णय दिया गया था। पुनः 11 दिसम्बर को उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण से संबंधित एक अभूतपूर्व निर्ण दिया गया था। एक दिशा-निदेश में कहा गया है कि 15 जनवरी से एक महीने के भीतर प्राधिकरण स्थापित कर दिया जाना चाहिए। इसीलिए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि विधेयक का मूल क्या है। मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 दिसम्बर को दिए गए निर्णय में से कुछ अंश उद्धृत कर सकता हूं। वह दिशा-निदेश तटीय क्षेत्रों में झींगा मछली पालन से संबंधित है। उस निर्णय के द्वारा कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और जिलाधीशों को आदेश दिया गया था कि वे तटीय क्षेत्र में ऐसी सब चीजें समाप्त कर दें। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने के पीछे क्या परिस्थितियां रही हैं। मुझे अभी भी इस विषय में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

अब पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वीकृति के बारे में कुछ मामलों तथा कुछ क्षेत्रों में सम्बद्ध अधिकारी के किसी आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और एसोसिएशनों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अवसर दिया गया है। कुछ मामलों में कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, जो कि उनके अनुसार तर्कसंगत और स्वीकार करने योग्य नहीं हैं तथा उद्योग अथवा राज्य के हित में भी नहीं हैं। ऐसे मामलों में वे अपील प्राधिकारी के पास आ सकते हैं जो कि एक न्यायाभिकरण है तथा स्वतंत्र है। तीस दिन की समय सीमा के भीतर अपील की जा सकती है। यदि वे अपील प्राधिकारी इस बात से सहमत करा लेते हैं कि अपरिहार्य कारणों से वे निर्धारित समय सीमा में अपील नहीं कर सकें, तो 30 दिन का और समय दिया जाता है।

अब विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के संबंध में ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप इतनी देर से क्या कर रहे थे, आपने 10 मिनट ले लिए हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने सात मिनट का समय लिया है। उससे बात नहीं होती। कोई थॉट-प्रोसैस होता है, उसमें 5-7 मिनट लग जाता है।

सभापति महोदय : आपने 10 मिनट से ज्यादा टाइम तो ले लिया।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : ऐसे बात नहीं होती।

सभापति महोदय : आप जरा सदन का भी ख्याल कीजिए।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : विश्व पर्यावरण के क्षेत्र में भारत एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वर्ष 1972 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अभी 12-13 लोग और बोलना चाहते हैं, एक घंटे का समय इस बिल के लिए निश्चित हुआ है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अगर आप शुरू से ही ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय : लेकिन लम्बा भाषण देने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अगर ऐसे ही चलेगा तो कोई नहीं बोल पाएगा।

सभापति महोदय : आप अभी कितना समय और लेंगे, इतना बता दीजिए?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस तरह कोई नहीं बोल पाएगा।

सभापति महोदय : आप जरूर बोलिए लेकिन इतना बता दीजिए कि कितना समय चाहते हैं?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : ठीक है, आपके प्रति, चेयर के प्रति हमें रिगार्ड है, जो भी उस सीट को औक्यूपाई करे। कुछ थॉट-प्रोसैस होता है। ऐसा करने से लिंक टूट जाता है।

[अनुवाद]

यदि प्रत्येक वाक्य में व्यवधान हो तो कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। मैं पीठासीन व्यक्ति का पूरा आदर करता हूं। यदि वहां से निरन्तर कामेंट्री चलती रहेगी तो न्याय करना बहुत कठिन है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह निरन्तर चल रही कामेंट्री नहीं है। मैं इसे अपवाद के रूप में लेता हूं। यह बुरी बात है। यह निरन्तर चल रही कामेंट्री नहीं है। मैं तो केवल सदन की कार्यवाही को नियमित करने

का प्रयास कर रहा हूं। अन्य सदस्य भी वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि आपको कितना समय चाहिए। हमें दूसरे सदस्यों को भी अवसर देना है। इसीलिए मैं और कुछ नहीं केवल यही जानना चाहता था कि आप कितना समय लेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कृपया आप यहां से चले जाइए।

सभापति महोदय : कृपया बहस बन्द करें। आप केवल इतना ही बताइये कि आपको कितना समय चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : रियो में हुए पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें पर्यावरण संरक्षण के दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए—प्रदूषण को कैसे कम किया जाए और इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करने पर कि हमारी विकासात्मक प्रक्रिया प्रभावित न हो।

अपराह्न 3.00 बजे

यह विकास पारिस्थितिकी अनुकूल और पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। अतः हमें विकासात्मक पक्ष और पर्यावरणीय पक्ष के बीच एक सन्तुलन स्थापित करना है।

महोदय, यह सच है कि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो पर्यावरण की समस्या नहीं थी हम उस पक्ष के प्रति सचेत नहीं थे। तीव्र गति से विकास की हमारी आकांक्षा के फलस्वरूप अनेक विद्युत संयंत्र आदि शहर के बीचों-बीच स्थापित हो गए। इन पहलुओं से हर जगह शहरी जीवन के प्रदूषण में वृद्धि होती गई। आज हम देखते हैं कि दिल्ली में चल रही दिल्ली परिवहन निगम की बसों के कारण भारी प्रदूषण पैदा हो रहा है। हमें इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमारी राजधानी दिल्ली में यह समस्या कितनी गंभीर है। यह विश्व के अत्यधिक प्रदूषित शहरों में से एक है।

अपराह्न 3.01 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

किसी सदस्य ने तो यह भी कहा है कि प्रदूषण की दृष्टि से दिल्ली का स्थान पहले नम्बर पर है।

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही, आप 15 मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जी हां, महोदय।

दूसरी ओर, राज्यों में राज्य प्रदूषण बोर्ड आदि जैसे कुछ विनियमन अभिकरण हैं, परन्तु अधिकांश राज्यों में वे मृतप्राय हैं, वे बढ़ती हुई इस बुराई का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह सज्जित नहीं हैं तथा कुछ राज्यों में उनके पास वांछित प्रभावी अधिकार नहीं है।

अतः अब हमें यह विचार करना है कि क्या किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने एक निदेश दिया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 'ग्रीन-बेन्चेज' होनी चाहिए।

लेकिन इस प्राधिकरण के गठन के पश्चात् मुझे यह डर है कि सभी न्यायालयों के कार्यक्षेत्र को इस प्राधिकरण द्वारा हस्तगत कर लिया जाएगा।

महोदय उद्देश्यों और कारणों के कथन में हम देखते हैं कि इसका प्रयोजन अत्यधिक सीमित है। कौन सा प्राधिकरण निगरानी का काम करेगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ईब और ब्रह्मिणी सबसे अधिक प्रदूषित नदियां हैं। ये नदियां 14 सर्वाधिक प्रदूषित नदियों की सूची में सम्मिलित हैं। लेकिन कोई भी इनकी देखरेख नहीं कर रहा है। जब मैंने राज्य बोर्डों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि प्रदूषण उत्सर्जन मापदंडों से काफी कम है। यह उत्सर्जन मापदण्ड क्या है? इसका नियमन कौन करता है? इस पर किसका नियंत्रण है? बोर्ड के सभापति ने कहा कि उनके पास तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए ऐसी स्थिति है। भारी अस्तव्यस्तता छाई हुई है।

महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 दिसम्बर, 1996 को दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। तमिलनाडु के जानेमाने पर्यावरणविद श्री एस॰ जगन्नाथ ने एक याचिका दायर की थी। यह याचिका उच्चतम न्यायालय में 'एस जगन्नाथ बनाम संघ सरकार और अन्य' के नाम से विचाराधीन है।

महोदय, केन्द्र सरकार को कतिपय उपाय करने और किसी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कतिपय कदम उठाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया था लेकिन मैंने पाया कि अब तक कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मेरे विचार में इस मामले में भी न्यायालय की मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है।

मैं इस फैसले के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जो प्रगति हुई है और जो कार्यवाही की गई है, उसके बारे में जानना चाहता हूं। यह प्रदूषण उड़ीसा के समुद्रतटीय क्षेत्र में झींगा मछली उत्पादन को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। कोई शक्तिशाली गुट इसके पृष्ठभूमि में कार्य कर रहा है। ऐसा समझने के हमारे पास पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि आपने अपनी सभी बातें कह दी हैं। इसलिए अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जी हां, महोदय।

इसमें किसी शक्तिशाली गुट का हस्तक्षेप है। यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद इस दिशा में कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। अतएव, अब समय आ गया है जब भारत सरकार को स्वयं आगे आना चाहिए और उसे इस प्रकार का विधेयक लाकर या ऐसे प्राधिकरण का गठन करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। काफी कुछ करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले

ही कहा है कि इस मामले में सभी दलों के नेताओं से परामर्श किया जाना चाहिए।

मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि इस बाबत एक समिति भी बनाई गई है। उक्त समिति का दायरा विस्तृत किया जाना चाहिए। इसे अधिक प्रतिनिधित्व मूलक होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जालंधर में हुए बम विस्फोट के बारे में

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : 15.3.1997 को इस सदन में माननीय सदस्यों ने जालंधर शहर रेलवे स्टेशन के बाहर हुए बम विस्फोट के बारे में चिंता व्यक्त की थी, इस घटना में 7 व्यक्ति मारे गए थे और 13 व्यक्ति घायल हुए थे। पंजाब सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 14 मार्च, 1997 को लगभग 13.05 बजे जालंधर शहर रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्थल में एक बम विस्फोट हुआ। यह बम, उस समय फटा जब अमृतसर जाने वाली शाने पंजाब रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा ही था और फ्लाइंग मेल स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। बम विस्फोट ऐसी जगह हुआ जहां पर, रेलवे स्टेशन के सामने 7-8 साईकिल, रिक्शे और सीमा सुरक्षा बल की एक जिप्सी जीप खड़ी हुई थी। विस्फोट से बहुत अधिक ऊष्मा, दमघोंटू धुआं तथा दुर्गन्ध पैदा हुई। इस विस्फोट के कारण 6 व्यक्ति मारे गए और 13 घायल हुए। घायलों में से एक ने बाद में अस्पताल में घायलावस्था में ही दम तोड़ दिया।

पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे, घायलों को अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की और विस्फोट स्थल की घेराबंदी करवाई। उस क्षेत्र की तथा रेलवे स्टेशन की तलाशी भी ली गई। बाद में शाम को चंडीगढ़ और दिल्ली से विधिविज्ञान विशेषज्ञ, विस्फोट स्थल और लाशों का मुआइना करने के लिए जालंधर पहुंचे।

प्रारंभिक अन्वेषण से पता चला है कि विस्फोट किसी तुरत-फुरत तैयार की गई विस्फोटक युक्ति (आई॰ई॰डी॰) से हुआ था, यह विस्फोटक युक्ति, विस्फोट के शिकार हुए व्यक्तियों में से एक, कमलेश चौधरी नामक व्यक्ति द्वारा ले जाई जा रही थी, विस्फोट में उसकी टांग भी उड़ गई। विस्फोट स्थल से एकत्र सामग्री से पता चलता है कि देशी बम को संभवतः दो किलो वाले घी के टिन में रखा गया था और इसके ऊपर सूती अधोवस्त्र लपेटा हुआ था। यह टिन एक बैग में रखा था जिसे कमलेश चौधरी ने हाथ में पकड़ा हुआ था। इस देशी बम में बड़ी संख्या में रिपिटें और लोहे की कीलें भरी हुई थी, ये चीजें आम तौर पर उपलब्ध हैं। प्रक्षेपकों के रूप में इन्हीं रिपिटों के लगने से लोग हताहत हुए। प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थ संभवतः अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोरेट था जोकि हल्की श्रेणी का विस्फोटक होता है। तथापि, इसका निश्चित निर्धारण, घटनास्थल से मिली सामग्री के रासायनिक विश्लेषण द्वारा किया जा रहा है।

आई॰ई॰डी॰ में प्रयुक्त विस्फोटक और अन्य सामग्री, कार्य-पद्धति और जालन्धर में विस्फोट स्थल के चयन से इसमें उसी विघटनकारी गुट की संलिप्तता की सम्भावना का पता चलता है जिसने इससे पहले हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर विस्फोट किए थे या करने की कोशिश की थी। अभी तक किसी भी उग्रवादी गिरोह ने इस विस्फोट की जिम्मेवारी नहीं ली है।

राज्य में सुरक्षा गहन कर दी गयी है। जम्मू और कश्मीर से आने वाले यात्रियों और वाहनों की आकस्मिक जांच की जाती है। सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, सिनेमा घरों, रेस्टोरेन्टों और धार्मिक सभाओं के स्थानों को भी कवर किया जा रहा है।

दिल्ली या जम्मू और कश्मीर से आने वाली रेलगाड़ियों की भी अकस्मात जांच की जा रही है। पूरे राज्य में नाइट डोमीनेंस आपरेशन शुरू किए गए हैं और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारी रात को फील्ड में जाते हैं। जिन व्यक्तियों को खतरा है, उन्हें और राज्य में अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है। कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और नियंत्रण में है। सीमा पार से उग्रवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों तथा शस्त्रों और गोलाबारूद तस्करी को रोकने के लिए हमारे सुरक्षा बल सीमा पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं।

पंजाब में अभी हाल ही में सम्पन्न हुए सिख गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों और तदोपरान्त राज्य विधान सभा के चुनावों में अलगाववादी तत्वों का सफाया हो जाने से पंजाब में जनमत की मुख्य धारा से उन्हें अलग-थलग करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ बचे-खुचे उन अलगाववादी तत्वों तथा विदेशों में बैठे उनके आकाओं का मनोबल गिरा है तथा उनमें हताशा फैली है जो इस प्रकार के आसान लक्ष्यों का चयन कर अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहते हैं, तथा अभी हाल ही में हुए चुनावों से मजबूत हुई राज्य की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को बदनाम करना चाहते हैं।

मैं, एक बार फिर इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्य की सभी संबंधित सुरक्षा एजेन्सियों की उचित और समन्वित कार्रवाई द्वारा इस तरह के कायरतापूर्ण कार्य करने वालों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा तथा पंजाब के बहादुर लोगों द्वारा आतंकवाद और कट्टरपंथी अनिष्टकर ताकतों को परास्त कर स्थापित किए गए शांति और सद्भावना के माहौल को भंग नहीं करने दिया जाएगा।

सभापति महोदय : क्या सरकार ने मृतक कर्मचारियों के निकट संबंधियों को कोई वित्तीय सहायता देने पर विचार किया है?

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : क्या उन्होंने पंजाब सरकार को कुछ करने के लिए कहा? अथवा वे स्वयं ही कुछ करेंगे?

सभापति महोदय : मैं सरकार को सिफारिश करता हूं कि वह मृतक कर्मचारियों के निकट संबंधियों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करें।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : ठीक है, महोदय।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : यदि सरकार ने कुछ किया है तो वक्तव्य में उसका उल्लेख होना चाहिए था। माननीय मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि सरकार क्या करना चाहती है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : पंजाब सरकार ने दुर्घटना के शिकार प्रत्येक व्यक्ति तथा मृतक के निकट संबंधियों को 1 लाख रु॰ की राहत देने की घोषणा पहले ही कर दी है।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : केन्द्रीय सरकार भी दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों और मृतकों के निकट संबंधियों को कुछ धनराशि दे सकती है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : इन्होंने पहले ही हमें इसका आश्वासन दे दिया है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : वह तो उन्हें दोगुनी राशि दे सकते हैं।

अपराह्न 3.13 बजे

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश 1997 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सदन राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा करेगा। श्री के॰वी॰ सुरेन्द्र नाथ।

श्री के॰वी॰ सुरेन्द्रनाथ (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से दस मिनट की समय सीमा में—यदि संभव हो तो- अपनी बात कहने का आग्रह करता हूं।

श्री के॰वी॰ सुरेन्द्रनाथ : मैं यथा संभव संक्षिप्त बात करूंगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस महत्वपूर्ण विधान का स्वागत करता हूं। वास्तव में कुछ गलतियां हुई हैं। वर्ष 1974 में हमने एक संविधान संशोधन किया, जिसके अन्तर्गत सरकारों और भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य बन गया कि वे पर्यावरण को संरक्षित, परिरक्षित और बेहतर बनाएं। यह वर्ष 1974 की बात है। उस समय एक के बाद एक विधान बने और अन्ततः वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। उसमें उसी मुद्दे से संबंधित, जिससे वर्तमान विधान संबंधित है, कम से कम दो प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत सरकार, जब भी आवश्यकता पड़े, पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई प्राधिकारी आदि नियुक्त कर सकती है। धारा 5 के अन्तर्गत सरकार को इस बात के अधिकार हैं कि वह किसी से भी संबद्ध पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में आदेश जारी कर सकती है। यह व्यवस्था वर्ष 1986 में की गई थी।

पर्यावरण अपील प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप देने में हमें 12 वर्ष का समय लग गया। इस दौरान केरल की 'साइलेंट वैली' से संबंधित मुद्दे सहित अनेक मुद्दे खड़े होते रहे हैं जिनके संबंध में दस वर्ष के लम्बे संघर्ष के बाद हमारी जीत हुई। 'साइलेंट वैली' अब सुरक्षित है।

कुछ और मुद्दे भी थे। प्रभावित लोग न्याय लेने के लिए कहीं भी नहीं जा सकते थे। वे सिविल कोर्ट में जाकर केवल नकारात्मक आदेश प्राप्त करने की ही आकांक्षा कर सकते थे। अतः व्यथित लोगों के लिए अन्तिम आश्रय केवल न्यायालय ही थे, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी शामिल है। पर्यावरणीय समस्याओं से प्रभावित लोगों के लिऐ जो अन्तिम आश्रय था, वह प्रमुख आश्रय बन गया। वास्तव में कुछ ऐसा घटित हुआ है। बहुत से मामले आए। उनका कोई समाधान नहीं था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कुछ खामियां और कमियां थीं। उसमें प्रभावी अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी। अतः इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए उसका इस्तेमाल बड़ा कठिन था। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था परन्तु तमिलनाडु में वह पूर्णतः किसी अन्य संदर्भ में था। उसका इससे कोई संबंध नहीं है। बहरहाल, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। ये सभी समस्याएं केवल इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि सिविल न्यायालयों के पास इन मामलों को सुलझाने के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण और दिशा नहीं थी। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब हमारे पास एक न्यायिक प्राधिकरण होगा जो कि एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर अर्थात तीन महीने अथवा अधिकाधिक चार महीने के अन्दर, निर्णय ले लेगा। यह एक वरदान है। इस विधान में विलंब के कारण इसके द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अच्छे प्रभाव को नकारात्मक नहीं बनाना चाहिए।

संसार अब पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में चिन्तित है। लगभग सभी देशों ने कुछ वर्ष पूर्व विधान बना लिए हैं। कनाडा ने, जिसकी जनसंख्या केवल दो करोड़ है, दस वर्ष पूर्व इसका विधान तैयार कर लिया था। अन्य लगभग सभी देशों ने भी यह कार्य कर लिया है। मैं अफ्रीका और लातीनी अमरीका के बारे में नहीं जानता। हमने भारत में यह कार्य करने में दस वर्ष का विलम्ब किया है। परन्तु बिल्कुल न करने से बेहतर है, देर से ही कर लिया जाए। इस संबंध में मुझे यही कहना है।

अब पर्यावरणीय मुद्दों के साथ विकास के सन्तुलन का विकास है। सकारात्मक विकास के अन्तर्गत पर्यावरणीय समस्याओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यही चिरस्थायी विकास का एकमात्र रास्ता है। चिरस्थायी विकास के बिना हम मात्र अपने प्राकृतिक संसाधनों को गंवाएंगे, अपनी पारिस्थितिकी खराब करेंगे और वन तथा जीव-विविधता का नाश करेंगे। अतः दोनों को इकट्ठा और एकीकृत किया जाना चाहिए। विकास को पर्यावरण के साथ जोड़ना होगा। पर्यावरण-सह-विकास होना चाहिए? मैं उम्मीद करता हूं कि यह स्वतंत्र प्राधिकरण इस दृष्टिकोण पर जोर देगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि समय की कमी है। मैं उन सभी मुद्दों पर बहस नहीं करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक या दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। जैसाकि मैंने कहा है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मुझे कुछ सुझाव भी देने हैं।

सभापति महोदय : क्या अब आप अपना भाषण समाप्त करेंगे?

श्री के॰वी॰ सुरेन्द्रनाथ : महोदय, मैं सिर्फ एक या दो मिनट लूंगा। मैं सोचता हूं कि मुझे इतनी अनुमति मिलनी चाहिए। यह अपरिहार्य हो चुका है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण की नई नीति के कारण पर्यावरण और बृहत् हिमालय पर्वतश्रृंखला खतरे में हैं।

हमारे पर्यावरण, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हमारी नदियों और समुद्री तटों के संरक्षण के लिए कुछ पाबंदियां लगानी आवश्यक हैं। खराब पर्यावरण के कारण वस्तुतः लोगों के हितों का नुकसान हो रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यही है।

अब, मैं विधेयक की धाराओं पर आते हुए यह कहना चाहूंगा कि पर्यावरण पूरे भारत की समस्या है। प्रस्तावित प्राधिकरण दिल्ली से अपना काम करेगा। जैसाकि आप जानते ही हैं, भारत एक विशाल देश है और यह प्राधिकरण दिल्ली से कैसे इन समस्याओं पर काबू पाएगा। तटीय क्षेत्र की दो श्रेणियां हैं-पहली श्रेणी में 200 मीटर तक का समुद्री तट' जहां से समुद्री लहरें किनारे को छूती हैं और दूसरी श्रेणी 300 से 500 मीटर तक का क्षेत्र जहां से समुद्री लहरें किनारे को छूती हैं, सम्मिलित हैं। इस प्रकार हमारा तटीय क्षेत्र ही अन्य किसी देश के तटीय क्षेत्र से विस्तृत है। यह प्राधिकरण अपने सीमित संसाधनों और उपकरणों से कैसे इतने विस्तृत क्षेत्र की देखरेख कर पाएगा? मैं नहीं जानता कि वे कैसे इन समस्याओं से निपटेगा।

जब मैंने विस्तार से इसका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि प्राधिकरण को स्वंय अपना समय, स्थान, पद्धति, प्रक्रिया आदि का निर्धारण करना है। प्राधिकरण को स्वयं ही नियमों और विनियमों का निर्धारण करना है। इसके अतिरिक्त भी और कई बातें स्वयं प्राधिकरण पर छोड़ दी गई हैं। विधेयक के अनुसार प्राधिकरण में कुल पांच सदस्य होंगे।

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के॰वी॰ सुरेन्द्र नाथ : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे सिर्फ दो बातें और कहनी हैं।

सभापति महोदय : मेरा सुझाव है कि आप सिर्फ एक बात और कहें। आप इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण बात का चयन कर सकते हैं क्योंकि कई अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है। मैं समझता हूं कि उचित यही होगा कि आप अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दें।

श्री के॰वी॰ सुरेन्द्रनाथ : ठीक है।

सदस्यों की संख्या पांच तक ही सीमित रखी गई है। इसे बढ़ाकर कम से कम सात कर देना चाहिए। मैं इसके औचित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव है। दूसरी बात यह है कि अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु में पद त्याग कर देगा या अवकाश ग्रहण कर लेगा और ठीक इसी तरह से सदस्य भी 65 वर्ष की आयु होने पर पद त्याग कर देगा या अवकाश ग्रहण कर लेगा। इसके साथ ही, कार्यकाल की व्यवस्था की गई है अर्थात् उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जब उनके लिए आयु का एक मापदंड है तो कार्यकाल का अन्य मापदण्ड क्यों रखा गया है? मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि जब वे कार्यकाल को सीमित करना चाहते हैं तो फिर वे हमारी आयु सीमा पर क्यों जोर दे रहे हैं।

यहां 'व्यक्ति' से राज्य सरकार, पंचायत, नगरपालिका, व्यक्तियों का संगम आदि अभिप्रेत है। यह ठीक ही समझा गया कि कुछ विधिवेत्ता अत्यन्त अस्पष्ट विवाद खड़ा कर सकते हैं तो व्यक्तियों के संगम को भी ठीक ऐसी ही शिकायत हो सकती है। इसका निवारण करना होगा। मैं यही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, धन्यवाद।

अब प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास बोलेंगे। आपको दस मिनट का समय दिया जाता है।

प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुडी) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है, क्योंकि यह विधेयक बहुत ही अच्छा है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह आशा करता हूं कि यह विधेयक सच्चे रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण हमारे राष्ट्रीय जीवन का सबसे ज्यादा उपेक्षित क्षेत्र है। हमारे देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई नियम और विनियम हैं। ऐसा नहीं है कि अपराधियों को सजा देने के लिए

[प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास]

मानों कोई कानून ही नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद भी प्रदूषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति काफी खराब है। जैसाकि आप जानते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली विश्व का चौथा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। मेरा विचार है कि न सिर्फ केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, अपितु राज्य प्रदूषण बोर्ड भी प्रदूषित हो चुके हैं। सरकार को अपने सभी नियमों, विनियमों और कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की वर्तमान स्थिति के बारे में यह जानना चाहता हूं कि किन-किन को अभी हर्जाना मिलना बाकी है तथा उन लोगों के पुनर्वास और त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को क्या दण्ड दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या देश की अत्यन्त महत्वपूर्ण खान बैलाडीला न्यायालय के निदेशों पर बन्द कर दी गई है। यदि हां, तो मैं सरकार की सही मंशा के बारे में जानना चाहता हूं।

महोदय, यह कानून बना हुआ है कि कोई भी उद्योग उत्सर्जन उपचार संयंत्र के बिना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उत्सर्जन उपचार संयंत्र लगाए बिना ही उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप लोग कई बीमारियों के शिकंजे में आ गए हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक विद्युत संयंत्र हैं। वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस समस्या पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? यह एक चिन्ताजनक बात है कि हमारे देश में न्यायपालिका को प्रदूषण नियंत्रण सहित कितने ही विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की भूमिका निभानी पड़ रही है। उदाहरण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली में 168 उद्योगों के बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तमिलनाडु के पांच जिलों में स्थित नौ सौ चर्मशोधक-शालाओं में से प्रत्येक को लगभग 10,000 रु॰ तक का जुर्माना किया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में न्यायालय कई दूसरे कदम उठाने जा रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार से माननीय न्यायालय को सरकार की भूमिका निभाने की अनुमति दी गई है।

हमारे देश में बहुत सारी झीलें हैं। क्या इन सभी झीलों को राष्ट्रीय झीलों का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है? इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग की मिरिक झील को राष्ट्रीय झील का दर्जा देने का पहले ही प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए।

एक और बात यह है कि कोयला खनन क्षेत्रों में खुले मुहाने की खदानें हैं जिनका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अन्त में मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में अर्थात पर्यावरण के प्रदूषण स्तर के संबंध में पूरे देश में स्थिति चिन्ताजनक हैं। अब समय आ गया है कि सरकार को हमारे देश में प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने के अपनी जिम्मेदारी और सांविधिक उत्तरदायित्व को समझना चाहिए जिससे लोगों को इस प्रदूषण का, जो कि पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, शिकार होने से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मैंने भी नेशनल एपीलीट ऑथोरिटी आर्डिनेंस 1996-97 के निरनुमोदन के लिए प्रस्ताव दिया था। गिरधारी लाल भार्गव जी ने इसको मूव किया है। मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। मैं इसलिए समर्थन करना चाहता हूं कि आर्डिनेंस जारी करके अध्यादेश को प्रख्यापित करने की जो परिपाटी है, वह उचित परिपाटी नहीं है। इसका संविधान में प्रावधान इसलिए किया गया कि यदि ऐसी कोई आपात स्थिति आ जाए, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें पार्लियामेंट सैशन में न हो तो उस स्थिति में आर्डिनेंस जारी किया जाना चाहिए। अब उसमें आर्डिनेंस जारी करके एक वाक्य लिख दिया:

[अनुवाद]

> "जब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि व्याप्त परिस्थितियों के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक है..."

[हिन्दी]

अब कौन सी परिस्थिति उस समय थी जब आपने आर्डिनेंस जारी किया था? जारी करने के इतने दिन हो गए, उसको रिप्लेस करके बिल भी लाने का प्रस्ताव रख दिया। सदन में उस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन जो ऑथोरिटी आप बनाना चाहते थे, उसका निर्माण क्यों नहीं किया गया? उसका गठन क्यों नहीं किया गया? लेकिन आर्डिनेंस जारी कर दिया। यह बात मेरी समझ के परे है। जो संसद के अधिकार हैं, उसमें भी आप कटौती करना चाहते हैं। सरकार अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाना चाहती। जो उसके पास असाधारण अधिकार हैं, उनका ही इस्तेमाल करना चाहती है। जो सामान्य तौर पर कानून के मुताबिक काम करने का तरीका है, उससे कटना चाहती है। अब उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस बिल ला दिया। उसमें लिखा है :

[अनुवाद]

> "उच्चतम न्यायालय द्वारा जन हित के मुकदमे के कुछ मामलों में, जिनमें पर्यावरण संबंधी विवाद्यक अन्तर्वलित थे, हाल के निर्णयों को देखते हुए, तुरन्त उपाय करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि लोक शिकायतों को शीघ्रता से दूर करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए। तदानुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,

1986 के उपबंधों के अधीन विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारियों के विनिश्चयों के विरूद्ध अर्जियों, शिकायतों, अभ्यावेदनों और अपीलों पर कार्यवाही करने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करने का विचार था..."

[हिन्दी]

अब यह बात समझ से परे है। पाणिग्रही जी बोल रहे थे। कोई न कोई कंफ्यूजन जरूर है। पहले आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से इसका कुछ लेना-देना नहीं है। आप खड़े होकर भी कुछ कह रहे थे। इसमें आपने लिखा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने पी॰आई॰एल॰ के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसको ध्यान में रखकर आप इसको लाए हैं। जब उसको ध्यान में रखकर लाए हैं और आप महसूस करते थे कि उस दिशा में आपको कार्यवाही करना चाहिए थी। उस संबंध में भार्गव जी ने ठीक हा था कि आपको रुल्स फ्रेम करने चाहिए थे। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ एक आर्डिनेंस जारी कर दिया और छोड़ दिया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बिल ला रहे हैं, उसमें जो आपने लिखा है, उसमें दूसरा कंफ्यूजन हैं। क्या यह जो ऑथोरिटी होगी, वह सभी प्रकार के एनवॉयरनमेंटल मामलों को देखेगी? यॉ हाल के दिनों में जब किसी परियोजना की अनुमति हो जाएगी, उससे यदि कोई पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है और उससे कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या संस्था है, वह उससे प्रभावित होती है तथा वह यह महसूस करती है कि ऐसी क्लीयरेंस नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में क्या वह आपके पास शिकायत करने के लिए जा सकता है? या जहां कहीं भी पर्यावरण दूषित हो रहा है, क्या उन तमाम समस्याओं पर जिस तरह से लोग पी॰आई॰एल॰ लेकर कोर्ट के सामने जाते हैं, क्या उस ऑथोरिटी के सामने जा पाएंगे? इसको लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति है। इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। मेरी समझ से अगर इस प्रकार की ऑथोरिटी बनती है तो उसके व्यापक अधिकार होने चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र की चर्चा करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में भी शराब बनाने का कारखाना लगा हुआ है। मैं जब भी उस रास्ते से होकर गुजरता हूं, मुकामा, हतीदा के पास मैकडॉवल का बड़ा सा कारखाना लगा हुआ है, मैं जब भी वहां से होकर गुजरता हूं तो वहां के लोग ले जाकर दिखाते हैं कि गंगा नदी के जल की स्थिति को देख लीजिए। कभी-कभी तो लोग दावा करते हैं कि इसका पानी इतना कम है कि अगर माचिस जलाओ तो आग लग जाए। अब ऐसी स्थिति है। वहां एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अब भले ही गलत बोलकर वह आपको कह देता है कि यहां स्टेट पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। वहां के लोग परेशान हैं। दुर्गन्ध अलग है। गंगा नदी का संबंध लोगों के जीवन से होता है। पवित्रता की बात तो आप छोड़ दीजिए। गंगा का जो जल है, वह जल गंगोत्री से निकलता है। यहां माननीय जल संसाधन मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह भी उत्तर प्रदेश के हैं, उस गंगा के जल का एक बूंद भी बिहार को नहीं मिलता। मेरी समझ में बनारस को भी नहीं मिलता है जहां हिन्दू धर्म शास्त्रों के मुताबिक लोगों को मुक्ति मिलती है। लेकिन जो गंगोत्री से गंगा निकलती है, उसकी एक बूंद भी बनारस को नहीं मिलती है। बिहार की बात तो आप छोड़ दीजिए। रास्ते में से समूचे पानी को टैप करते चले जाते हैं और उनका जल अधिग्रहण क्षेत्र है, दूसरी जो नदिया गंगा में मिलती हैं, गंगा नदी के जल के नाम पर उनका जल मिलता है।

हमारे यहां की भी कई नदियां गंगा में मिलती हैं जैसे उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार है, उनका जल उसमें है। खैर, गंगा नदी का संबंध लोगों के जन-जीवन से जुड़ा हुआ होता है, हर व्यक्ति इस बात से पूरी तरह से भिज्ञ है। वैसी स्थिति में नदी के बगल में बना देना और बिना ट्रीटमेंट किए हुए कोई भी व्यक्ति अपना वेस्ट नदी में गिराना शुरू कर दे, इससे कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है? क्या ऐसी परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति इस ऑथोरिटी के सामने जा सकता है? या फिर केवल नई परियोजना को सैंक्शन किया जाएगा तभी उस स्थिति में इस ऑथोरिटी के पास जा सकेगा?

इसलिए इसको लेकर भी एक गलतफहमी है। हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि जब वह जवाब दें तो उन बिंदुओं पर भी सफाई दें और जो सुनवाई हो, उसमें कम से कम इसका समाधान होना चाहिए। अब इसके जरिए एक राष्ट्रीय स्तर पर इसको बनाने का प्रस्ताव है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे देश के मामलों को यह देखने लगेगी तो इसमें कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए ऑथोरिटी अच्छा कदम हो सकता है, बशर्ते इसको राज्य स्तर पर गठित किया जाए। राज्य स्तर पर स्टेट पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, लेकिन उनके पास दंत नहीं होते। वह एक दंत विहीन संस्था है। उसको कार्यवाही करने का अधिकार नहीं हैं इसलिए उस स्थिति में अगर आप ऑथोरिटी बनाने जा रहे हैं तो यह एक स्वागत योग्य कदम है, अगर इसको सम्पूर्ण अधिकार मिलें, इसको सारे मामले को देखने के अधिकार मिलें। आप कहते हैं कि कोर्ट पर से कुछ वजन घटेगा। लेकिन यह वजन तभी घटेगा जब सारे मामलों को देखने का इसको अधिकार होगा और राज्य स्तर पर भी इसका गठन किया जाएगा। पहले भी कोर्ट ने कहा था कि हर हाई कोर्ट के लैवल पर एक ग्रीन बेंच का गठन इस कार्य के लिए होना चाहिए। अगर उससे भी भार से मुक्त होना चाहते हैं तो राज्य स्तर पर इसका गठन कराना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। चूंकि सरकार इसे स्पष्ट नहीं करेगी और इसके बारे में कोई सफाई नहीं है कि आर्डिनेंस क्यों जारी हुआ? इसलिए आर्डिनेंस के निरनुमोदन का जो प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस ऑथोरिटी को ज्यादा अधिकार दिए जाएं। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी को बाईपास करना है और राम नाईक जी ने जो आरोप लगाया है, उस

[श्री नीतीश कुमार]

आरोप में बहुत दम है। आर्डिनेंस जारी करके जब कोई काम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो है, उसको आप बाईपास करना चाहते हैं। उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। उसमें इस बात को लेकर यदि उसकी स्क्रूटनी की होती, तरह-तरह के विचार आते तो इसको ज्यादा अधिकार देकर एक मुकम्मल कौम्प्रीहेंसिव बिल बनाया जा सकता था। एक बेहतर ढंग से अच्छा कानून बनाया जा सकता था तथा उसको और ज्यादा अधिकार मिल सकते थे। अफसरशाही अपने को सब चीज से अलग रखना चाहती है। वह नहीं चाहती कि पार्लियामेंट का कोई अधिकार बढ़े। हस संस्था चाहती है। एग्जीक्यूटिव का भी यही रोग है। इसलिए जब तक कोर्ट का चाबुक अफसरशाही के ऊपर नहीं पड़ता है तब तक कोई काम नहीं होता। इसलिए एक तरफ तो कोर्ट का चाबुक और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अधिकार में कटौती, इसलिए मैं निरनुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जो बिल लाए हैं, उसमें जो कमियां हैं, जो कंफ्यूजन है, उस पर सफाई दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : समय का पाबन्द रहने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का नहीं बल्कि उन प्रवृत्तियों और जिस ढंग से एक अध्यादेश को प्रख्यापित करके यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका विरोध करता हूं। मैं कारणों से इसका विरोध करता हूं। पहले पहलु का उल्लेख तो सभी सदस्यों द्वारा किया गया है अतः मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। मैं कुछ अन्य आधारों पर भी इसका विरोध करता हूं।

पर्यावरण के संबधं में अनेक कानून हैं। उन विधानों को संशोधित करने और उन सबको एक ही विधान के अन्तर्गत लाने तथा उसे पर्यावरण संबंधी एक व्यापक विधेयक मानने की अपेक्षा आप एक नया अधिनियम लाकर कर रहे हैं और उन प्रभावित लोगों को जो इस विधेयक में विद्यमान विभिन्न अच्छे उपबंधों का लाभ उठाना चाहते हैं, भ्रम में डाल रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कुछ मामलों में पर्यावरण के दुरूपयोग को रोकता है। यदि उस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो उस विधान के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने की अपेक्षा संसद में प्रस्तुत किए जा रहे इस नए विधान के उपबंध लागू करके समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इसकी अपेक्षा सरकार को समस्त विधानों को सुसंगठित करके एक व्यापक विधान लाना चाहिए था। यह कार्य नहीं किया गया है और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

एक और कारण है जिससे मुझे वास्तव में हैरानी होती है कि क्या सरकार वास्तव में वह प्रभावशाली और प्रशंसनीय उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है जिनका उल्लेख किया गया है और जिनके लिए अब संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि सरकार वास्तव में पर्यावरण की बुराइयों पर नियन्त्रण करना चाहती थी तो-जैसा कि मेरे योग्य मित्र श्री भार्गव ने कहा है—सरकार को सीधे तौर पर नियम लागू करने चाहिए थे। काफी समय बीत गया है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे मुझे यही आभास होता है कि यह कार्य सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति वचनबद्धता की अपेक्षा उच्चतम न्यायालय के दबाव के कारण किया गया है। मैं सीधे तौर पर वास्तविक मुद्दे की बात करता हूं क्योंकि मुझे समय सीमा का भी ध्यान रखना है।

अपील प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में नहीं बल्कि किसी टापू पर होना चाहिए और यह टापू केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या लक्ष्यद्वीप में हो तो अच्छा है। केवल तभी विधान निर्माता, कानून के प्रशासकों को इस प्रकार के विधानों से प्रभावित लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का पता चलेगा। श्री राम नाईक ने सी॰आर॰जेड॰ का उल्लेख किया। उन्होंने माननीय मंत्री को मुम्बई आने का निमंत्रण दिया है। मैं माननीय मंत्री से थोड़ा आगे जाकर महाराष्ट्र के समुद्र तट का दौरा करने का आग्रह करता हूं। पश्चिमी तट के लगभग 720 कि॰मी॰ के क्षेत्र का अधिकांश भाग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। 500 मीटर क्षेत्र में निर्माण पर पाबन्दी है। वहां पर कुछ शहर बसे हुए हैं। यदि आप 500 मी॰ से गणना करनी शुरू करें तो इसका दूसरा भाग खारे पानी में जाकर मिलता है। इसका मतलब है कि ये सभी शहर जो 100 वर्षों से वहां पर बसे हुए हैं उन्हें इसके परिणामस्वरूप अब पूर्ण रूप से विस्थापित करना पड़ेगा जब आप पर्यावरण संबंधी इस प्रकार के विधान बनाते हैं तो आप वहां पर व्याप्त वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए यदि इस नए अपील प्राधिकरण का आधार दिल्ली में ही रखा जाएगा, तो हमें इस प्रस्तावित प्राधिकरण के सदस्यों को इस बात से अवगत कराना पड़ेगा कि वास्तव में समुद्र का अर्थ क्या है, समुद्र का पानी कहां बहता है और इस नए विधान से प्रभावित होने वाले लोगों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : हमें बताया गया है कि समुद्र का पानी बहुत मीठा होता है।

श्री सुरेश प्रभु : जी हां, परन्तु उन लोगों के लिए नहीं जो समुद्र तट पर रहते हैं।

सभापति महोदय : आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक सीमा तो 500 मी॰ ऊंचाई की है। दूसरी सीमा क्या है जिसका आपने उल्लेख किया है?

श्री सुरेश प्रभु : सी॰आर॰जेड-I, सी॰आर॰जेड-II संकरी खाड़ियां हैं। कुछ अधिसूचनाएं-हैं। यदि आप संकरी खाड़ी से आरम्भ

करें तो 200 मी॰ के अन्दर संकरी खाड़ी क्षेत्र में कुछ निवास हो सकता है।

सभापति महोदय : तो पीछे की तरफ भी कुछ संकरी खाड़ी क्षेत्र हो सकता है।

श्री सुरेश प्रभु : जी महोदय। यह ऐसा मामला है जिससे हजारों लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इस प्रस्तावित विधान में एक प्रावधान है जो अध्यादेश का स्थान ले रहा है। यदि केन्द्र सरकार इसके बारे में चिन्तित है तो वह इसे देख सकती है। मैं माननीय मंत्री से तत्काल प्रशासनिक उपाय करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि इन लोगों के कष्टों का निवारण सुनिश्चित हो सके। दूसरी बात यह है कि वह स्वंय ही केन्द्र सरकार की तरफ से प्राधिकरण को पत्र भेजें।

सभापति महोदय : आपके पास और तीन मिनट हैं। आपको समय के बारे में सिर्फ सचेत किया गया है।

श्री सुरेश प्रभु : मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी को भी सचेत करें क्योंकि यह ऐसा मामला है जो लोगों को प्रभावित कर रहा है।

पूरे देश में पर्यावरणवादी कार्यकर्त्ता अब कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। मेरा विचार है कि कौन वास्तविक पर्यावरणविद् है, यह सुनिश्चित करने के लिए विधान बनाने की जरूरत है। इस समय हमारे देश में कोई भी व्यक्ति चाहे उसे पर्यावरण का ज्ञान हो या न हो, एक पर्यावरणविद् हो सकता है। मैं समझता हूं कि पर्यावरणविद् की परिभाषा का अभिप्राय यह लिया जाने लगा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे भले ही पर्यावरण के संबंध में कुछ भी ज्ञान न हो परन्तु जो स्वयं को पर्यावरणविद् कहता हो, पर्यावरणविद् है।

इस प्रक्रिया में, हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सही बात कही। खरी बात कही। बहुत अच्छी बात कही।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : इस विधेयक के प्रावधान अच्छे हैं और प्रशंसनीय हैं। विधेयक में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है लेकिन उन्हें सभापटल पर रखने का समय नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ उन संशोधनों को आपके समक्ष रखता हूं।

मैं समझता हूं कि, इस तंत्र के निर्णयों को समता और नैसर्गिक न्याय का जामा पहनाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश प्रस्तावित आयोग का अध्यक्ष होगा। लेकिन इस निकाय में अवकाश प्राप्त सचिव के सम्मिलित किए जाने की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसा है कि सरकार इस प्रस्तावित पर्यावरणीय निकाय के माध्यम से अवकाश प्राप्त सचिवों को काम पर लगाने का प्रयास कर रही है? मैं वास्तव में नहीं जानता हूं कि विधेयक में यह प्रावधान क्यों किया गया है। एक अवकाशप्राप्त सचिव भी इस निकाय का सदस्य होने का पात्र हो सकता है लेकिन इसके लिए एक सांविधिक प्रावधान के द्वारा इस निकाय में एक अवकाश प्राप्त सचिव को नियुक्त करना सरकार के लिए क्यों अनिवार्य है? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी विधेयक में ऐसा प्रावधान करने के निहितार्थों से हमें अवगत कराएं।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, प्रदूषण के कई रूप हैं- वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल-प्रदूषण, इत्यादि। मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं कि इसमें प्रदूषण के सभी रूपों को सम्मिलित किया जाए। लेकिन क्या विश्व में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो प्रदूषण के इन सभी पहलुओं पर समान अधिकार रखता हो? पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की विशिष्ट जानकारी देने के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं फिर भी भारत में ऐसा कोई बिरला व्यक्ति होगा जो पर्यावरण के सभी पहलुओं-वायु,ध्वनि या जल-साधिकार पर बात कर सके। अतएव, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित निकाय में पर्यावरण विज्ञान के सभी पहलुओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में सांविधिक प्रावधान किया जाना चाहिए। अन्यथा, हमें यह महसूस होता है कि जो विभिन्न निर्णय किए जाएंगे उनके विरूद्ध किसी न किसी रूप में न्यायिक अपील की जाएंगी तथा उनके उपयुक्त न होने के कारण उन्हें रद्द किया जाएगा क्योंकि इस विधेयक की शुरूआत में ही हम इसके लिए समुचित प्रावधान नहीं कर रहे हैं। ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। मैं उनका विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा।

सभापति महोदय : अच्छा होगा कि अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश प्रभु : मत्स्य पालन के संबंध में एस॰ जगन्नाथ बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार और जिलाधीशों को 31 मार्च तक इन ढांचों को गिराने का निदेश दिया था। चूंकि यह प्रस्तावित विधान लाया जा रहा है तो क्या अब सरकार पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है ताकि इसके लिये और अधिक समय मिले जिससे कि प्रस्तावित अपील प्राधिकरण पीड़ितों की बातें सुन सके और इस संबंध में निष्कर्ष निकाल सके? मैं मंत्री महोदय से इसके बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बिल सदन में लाया गया है, यह एक आधा-अधूरा प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्शन दे दी है और उस डायरैक्शन के हिसाब से सरकार मजबूरी में यह बिल ले आई, जबकि वास्तविकता यह है कि

[श्री भगवान शंकर रावत]

पर्यावरण का सुधार करने के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़ी इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, जो सरकार के पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह इच्छाशक्ति पैदा करे।

मेरे मित्र श्री सुरेश प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं अपने आप को उनकी बात की ताईद करने के लिए रोक नहीं सका। चन्द पर्यावरण जनहित याचिकाओं के माध्यम से इसको ड्राइंग-रूम-लग्जरी बना दिया गया है और कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अन्दर मुकदमे डाल देता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट उनको सुनती है और दूसरी तरफ सरकार को सुनती है। सरकार के लोग उसमें जैसा पर्यावरण विद चाहते हैं, उस हिसाब से मैनीपुलेशन हो जाता है। सरकार पैरवी नहीं करती है और पीड़ित पक्ष की कोई बात सुनने वाला वहां नहीं होता है। यही बात मध्य प्रदेश में सरोवर डैम की है, जिससे लोग परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह काम्प्रिहैंसिव अथारिटी बनती और बनें तथा साथ ही जो लैक्युनाज रह जाते हैं, जो अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं, वे किसके पास जाकर कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर भी हर व्यक्ति को अपनी पक्ष रखने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है। यदि शामिल करें, तो बहुत दुरूह प्रक्रिया है, इतनी खर्चीली है कि वह अपनी बात नहीं रख सकता है।

अब मैं इस सिलसिले में कुछ बातें बताना चाहूंगा। पर्यावरण के मामले में एक यमुना एक्शन प्लान बना, जिसे गंगा एकशन प्लान फेज II कहते हैं। इसको जापान से कर्जा लेकर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा और दिल्ली की सरकार मिल कर चला रही हैं। लेकिन उस गंगा एक्शन प्लान फेज II की क्या प्रोग्रेस हो रही है उसकी कोई ढंग से मोनिटरिंग नहीं हो रही है। इसकी शुरूआत बड़े हल्ले-गुल्ले के साथ हुई लेकिन उसका उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए चिल्लाता रहा कि गंगा एक्शन प्लान अधूरा है, इसको पूरा बनाएं लेकिन किसी नौकरशाह को चिन्ता नहीं थी, मंत्री जी को भी फिक्र नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को भेजा गया तो थोड़े दिन बाद उत्तर प्रदेश में राजनैतिक अस्थिरता आ गई और उस गरीब की बात नहीं सुनी गई। परिणाम यह हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है कि आगरा के अंदर नालों को टेप किया जाए, नाले पक्के बनाए जाएं। हमारे पिछले मंत्री धमकी दे कर आए थे कि वे किसी पर्यटक को नहीं आने देंगे क्योंकि आगरा में गंदगी रहती है लेकिन जब यह कहा गया कि नालों को पक्का बनवाइए, सीवर लाईन डलवाइए तो उन्होंने भी नहीं सुना। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी। उन्होंने डायरेक्शन दी कि वहां सीवर लाईन डाली जाए, नाले पक्के किये जाएं। नालों का, सीवर का पानी सही ढंग से टेप किया जाए। वहां जब सारी गंदगी का आलम देखा और उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार से जब कहा गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक छोटी से 36 करोड़ की योजना बनाकर रख दी और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे दिया कि लगभग इसी राशि से सब काम हो जाएगा। हम इतना टेंटटिव प्रोजैक्ट बना देते हैं जबकि उसमें कम से कम 136 करोड़ लगा। इस तरह से सरकार भी सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे देती है और उसकी कोई मोनिटरिंग प्रोसेस ऐसी नहीं है कि यह जो प्रदेश की या केन्द्र की सरकार ने फेक्ट्स रखे हैं वह सही रखे हैं या गलत रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट समझती है सही हो गया।

महोदय, बिजली के बारे में अनइंटरप्टिड सप्लाई देने की बात तो आज ताज संरक्षित क्षेत्र के लिए 176 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट बना, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया गया। यहां प्रश्न पूछा तो यह उत्तर दे दिया गया कि साहब, सीईए की डेफिनेशन है। जिसमें गांव के कोने से एक किलोमीटर दूर बिजली की लाईन निकल गई तो वहां विद्युतीकरण हो गया। मैं पूछता हूं कि क्या गांव से एक किलोमीटर दूर विद्युत की लाईन निकालने से गांवों में बिजली जल जाएगी, प्रदूषण रुक जाएगा? क्या वहां सिंचाई के ट्यूबवेल चलने लगेंगे, जेनरेटर रुक सकेंगे, लेकिन इसका जवाब देने वाला यहां कोई नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि यह जो ऑथोरिटी बनी वह इन विसंगतियों की समीक्षा करने की स्थिति में भी होनी चाहिए, जिससे कमियों को ठीक किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60-65 करोड़ की एक पूरक स्कीम बनाई लेकिन उसके अंदर भी इच्छाशक्ति नहीं है, वहां स्थिति बहुत खराब है और इसलिए उसके लिए उसको स्वीकृति नहीं दी जा रही है। अभी तक फाइनेंस की व्यवस्था नहीं की जा रही। 172 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आगरा में ताजमहल का खतरा बना हुआ है। गांव और मोहल्लों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है।

महोदय, अब मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहूंगा। वाहनों के प्रदूषण से बड़ा भारी खतरा है। जब रेल मंत्रालय से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हम महानगरीय और क्षेत्रीय, सरकुलर रेलवे की सेवा करने को तैयारं नहीं हैं। अगर यह ऑथोरिटी इस प्रकार की हो जो उन्हें मजबूर कर सके कि ताज को बचाना है, यह व्यवस्था कराइए। आज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर रेलवे ने मना कर दिया तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पर कोई अधिकार नहीं है वह उन पर दबाव डाल सके। ऐसे ही रिंग रोड बनाने की बात थी, वह भी नहीं बनाई जा रही है। जब कि तीन नेशनल हाईवे वहां से निकलते हैं और उसके कारण वहां से जो वाहन निकलते हैं वे बहुत पोल्यूशन पैदा करते हैं। आगरा में यमुना पर बैराज बनाने की बात एनवायरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कही गई है। मिनिस्ट्री की रेकमेंडेशन, पार्लियामेंट कमेटी रेकमेंडेशन तथा और भी बहुत सी रेकमेंडेशंस हैं, लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने यह आबजेक्शन लगा दिया कि हम इसमें अभी परमिशन नहीं देते हैं। अब हम सिंचाई विभाग के चक्कर लगाते हैं। यहां पर मिश्रा जी बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उसकी स्वीकृति अभी नहीं मिल रही है। पर्यावरण डिपार्टमेंट कहता है कि पोल्यूशन रोकने के लिए वहां बैराज बनाइए लेकिन दूसरे हाथ से आबजेक्शन लगा देते हैं और ऐसे फ्लीम्सी ग्राउंड पर आपत्ति लगाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा कि इस बात की मॉनिटरिंग करने के लिए आगरा के लोग अपनी फरियाद लेकर कहां जाएं।

सभापति महोदय : आपने बड़े ठोस पाइंट रखे हैं अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भगवान शंकर रावत : रोक लगाने की बात तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी प्राधिकरण कह देता है लेकिन उसके बाद जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है उसका स्वरूप कैसे सकारात्मक बनाया जा सके, कैसे वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सके, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अथॉरिटी बन रही है इसको ऑल पर्वेसिव, कम्प्रीहैंसिव और पावरफुल बनाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग वहां पर अपनी फरियाद कर सकें। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि यह अपीलेट कोर्ट लॉयर्स पैराडाइज नहीं है। उसमें कहा गया है कि उसमें वकील की जरूरत नहीं है। वकील ले जाओ तो भला नहीं तो अपनी बात खुद कह दो। लेकिन इसका अधिकार तो आप दीजिए जब यह कम्प्रीहैंसिव हो और शासन का भी इस बात का डायरेक्टिव हो कि शासन की यह नीति गलत है और इसका यह दुष्परिणाम होगा। इसलिए वह इसका रैक्टीफिकेशन करे, नहीं तो कोई काम पूरा नहीं होगा।

दूसरास, मैं यह कहना चाहूंगा कि लोग जनहित याधिकाओं में सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार से मैं उनको नहीं रोकता, लेकिन जनहित याचिकाओं में जो संकट आ रहा है वह यह है कि वहां एक तरफा मामले सुने जाते हैं और उनमें जनता का इन्वोल्वमेंट नहीं होता है। गरीब लोग उसमें अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, इसलिए जहां न्याय होना चाहिए वहां अन्याय हो जाता है क्योंकि वहां उनकी पहुंच नहीं होती है। अगर उनके साथ वहां न्याय किया जा सके और उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो यह ज्यादा अच्छा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आग्रह करता हूं कि यह प्रयास बड़ा अच्छा किया गया है लेकिन यह आधा-अधूरा प्रयास है। मैं आग्रह करता हूं कि एक पूरा कम्प्रीहैंसिव बिल, लैजिस्लेचर लाकर एक कम्प्रीहैंसिव अथॉरिटी बनायी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इस विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय नियत किया गया था। दो घंटे पूरे हो चुके हैं और आज अभी तीन से अधिक विधेयकों पर चर्चा पूरी की जानी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, इस पर सभी की राय लेनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रुडी (छपरा) : सभापति जी, यह पर्यावरण का मामला बड़ा महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक में ऐसी अनेक बातें हैं जिनके बारे में हम सदन को बताना चाहते हैं और अनेक माननीय सदस्यों ने इन बातों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त समय आवंटित करने की बात कही जानी चाहिए थी।

(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, अंततः इस पर सभा की सहमति लेनी पड़ेगी...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं इसीलिए इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अभी दस-पन्द्रह मिनट पहले मैंने संसदीय कार्य मंत्री से इसके बारे में बातचीत की थी। श्री संतोष मोहन देव यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन मैंने उनसे भी बातचीत की थी...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। चर्चा का उल्लेख करना उचित नहीं है। केवल सभा ही इसके बारे में निर्णय कर सकती है...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, वह नहीं चाहते कि मैं उनकी मदद करूं। मैं यह कह रहा हूं कि इस विधेयक पर एक घंटे चर्चा और होनी चाहिए और उसके बाद अगले विषय पर विचार-विमर्श होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री और श्री संतोष मोहन देव भी इसी विचार से सहमत थे।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने एक घंटे का समय निर्धारित किया था। लेकिन सभा पहले ही इस विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय और बढ़ा चुकी है। मैं नहीं समझता कि एक घंटा और बढ़ाना उचित होगा। लेकिन यदि सदन चाहे तो ऐसा किया जा सकता है। क्या संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, इसके लिए और एक घंटे की जरूरत है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

एक घंटा इस बिल के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तरफ से अलॉट हुआ था। एक घंटा पहले ही एक्सटेंट हो चुका है, दो घंटे हो चुके हैं।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्यों से इसे एक घंटा और बढ़ाने का अनुरोध करता हूं लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इस पर काफी समय दिया जा चुका है। इस पर सत्ता पक्ष का क्या विचार है?

अपराह्न 4.00 बजे

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस विषय पर और दो या तीन सदस्यों को और बोलना है और मंत्री के उत्तर में आधे घंटे का समय लगेगा। यदि हम यह चर्चा 4.45 म॰प॰ तक पूरी कर लें तब हम सामान्य बजट पर चर्चा आरंभ कर सकेंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण मेरी सूची में और छः सदस्य हैं। मैं उनसे 5-5 मिनट समय लेने का अनुरोध करता हूं और मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री 4.30 म॰प॰ पर अपना उत्तर दे सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ सहयोग करें। अभी, कुल छः सदस्य हैं और मैं उनसे सिर्फ 5-5 मिनट तक बोलने का अनुरोध करता हूं। इसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए ताकि सदन का समय बचाया जा सके।

मेरा विचार है कि माननीय मंत्री के उत्तर देने से पहले श्री गिरधारी लाल भार्गव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) **:** सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के बाद बोलूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने अपनी त्रुटि सुधार ली है। श्री गिरधारी लाल भार्गव माननीय मंत्री के उत्तर के बाद बोलेंगे। अब मैं आप सभी से सहयोग का अनुरोध करता हूं।

अगले वक्ता श्री पी॰आर॰ दासमुंशी होंगे। आप अत्यन्त ही वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आप पर पाबंदी नहीं लगा सकता। कृपया सिर्फ 5 मिनट ही बोलें।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, मुझे इस विधेयक और मेरी पार्टी को दिए गए समय, दोनों के प्रति न्याय करना होगा। मैं जानता हूं कि अभी तक सिर्फ एक वक्ता ही बोले हैं। मैं अत्यन्त संक्षेप में बोलूंगा पर मैं आपको यह वचन नहीं दूंगा कि मैं सिर्फ पांच मिनट तक ही बोलूंगा, यह चार मिनट भी हो सकता है या दस मिनट भी।

सभापति महोदय : यह चार मिनट या छः मिनट हो सकता है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : सबसे पहले, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण विधेयक के कुछ विचित्र प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अपराह्न 4.02 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

धारा 12 (1) में कहा गया है :

> "प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा.....।"...*(व्यवधान)* महोदय, माननीय मंत्री कहां हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री यहीं हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : वह दो मिनट के लिए बाहर गए हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप उन्हें बुलाइये।

सभापति महोदय : इसे बहुत सारे मिनिस्टर सुन रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री एच॰डी॰ देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार से यह स्पष्ट रूप ने स्वीकार किया है कि प्राधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के खंड 12 में किए गए उपबन्धों द्वारा आबद्ध नहीं होगा अपितु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा। सरकार सैद्धान्तिक रूप से यह मानती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता नैसर्गिक न्याय के लिए कोई अवसर नहीं देती है। यह एक खंड है। दूसरा खंड, जो 12 (2) है, में कहा गया है :

> "प्राधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं......।"

यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक खंड में आप यह कहते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी क्योंकि इससे नैसर्गिक

न्याय नहीं मिलेगा और दूसरे खंड में आप कहते हैं कि हम सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित तरीके से कार्य करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री खंड 12(1) और खण्ड 12 (2) के वास्तविक अन्तर को अवश्य पढ़ें। यह पहला मुद्दा है जिसकी ओर मैंने माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

दूसरे, खण्ड 3(2) में कहा गया है :

"प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा।"

इसे अवश्य ही 'नई दिल्ली' होना चाहिए न कि 'दिल्ली' क्योंकि जब भी आप एक विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं और इसे पेश करते हैं तो 'दिल्ली' का उल्लेख कभी भी प्रधान कार्यालय के रूप में नहीं हुआ है और इसे अवश्य ही 'नई दिल्ली' होना चाहिए जो कि राजधानी है। मैं जानता हूं कि सरकार की नामावली में 'नई दिल्ली' है न कि 'दिल्ली'। यदि यह दिल्ली है तो यह श्री साहिब सिंह वर्मा के कार्यक्षेत्र में होगा और यदि यह नई दिल्ली है तो यह संघ सरकार के कार्यक्षेत्र में आएगा। यह क्षेत्र संबंधी मौलिक त्रुटि है।

अब जो दूसरा मुद्दा है वह यह है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और नौकरशाहों को संरक्षण और नौकरी देने का यह बहुत ही नायाब तरीका है।

मैं इसका पूर्णरूपेण विरोध करता हूं। क्या संयुक्त मोर्चा सरकार की यही प्रतिबद्धता है? क्या आप इसी तरह से समस्या का निदान करने जा रहे हैं? दूसरी ओर, उन्हें विभाग के द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाएगी। वे कहेंगे कि हम स्वीकृति नहीं देंगे। लेकिन वे उद्योगों को स्वीकृति दे देंगे, भले ही वे रुपये दें या नहीं। मैं यहां पर किसी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तथाकथित पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। दूसरी ओर, वही व्यक्ति जो पहले उसका अधिकारी रह चुका है, जो पहले सचिव भी थे, कहेंगे कि मैंने उस समिति के सदस्य हेतु तुम्हारे नाम की सिफारिश की है। इसमें क्या उपबंध किया गया है? इसके उपबंध में कहा गया है : सेवानिवृत्त सचिव जिसने दो वर्षों तक सेवा की हो, या किसी ऐसे ही पद पर जिसका वेतनमान सचिव के वेतनमान से कम न हो और कुछ अनुभव या वृत्तिक ज्ञान हो।" क्या ये लोग श्रेष्ठतर हैं? इस विधेयक का प्रारूपण काफी चालाकी से किया गया है। वृत्तिक ज्ञान का अभिप्राय पर्यावरण और परिस्थितिकी में व्यावसायिक अर्हता है। जब आप कहते हैं, "व्यावहारिक अनुभव" तब वे निगम के सेवानिवृत्त आयुक्त को भी नियुक्त कर सकते हैं। बीते दिनों में नौकरशाह ऐसा कर चुके हैं। मंत्री जी, आप कृपया उनके हाथों का खिलौना मत बनिए। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। देश में विख्यात पारिस्थितिकीविद् हैं। हमारे देश में प्रख्यात नवयुवक इस विषय में वृत्तिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्र के साथ न्याय कीजिए। कृपया केवल उन्हीं लोगों का ध्यान मत रखिए जो साऊथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक या आपके विभाग में कार्यरत हैं, जो अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी पुनः मामले का निर्णय करेंगे। आप हमेशा केवल उन्हीं की नहीं सोचें। इस दृष्टिकोण से यह विधेयक संयुक्त मोर्चा की प्रतिबद्धता और उनके इस व्यवस्था के प्रति मूलभूत दृष्टिकोण के प्रतिकूल है।

पर्यावरण के नाम पर एक घोटला चल रहा है। श्री शरद यादव द्वारा पिछले दिन दिए गए वक्तव्य से मैं पूर्णतः सहमत हूं। कुछ शहरीकृत क्षेत्रों में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन यह कोई पूरे देश की समस्या नहीं है। जिसे आप अमरीका के इशारे पर जानबूझ कर उस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैं कुछ उदाहरण दूंगा। पहले तो आपको यह तय करना है कि उद्योग मंत्रालय से कैसे बातचीत की जाए और इस विषय पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन किस प्रकार आयोजित किया जाए। देश में अब लाइसेंस व्यवस्था नहीं है, हर चीज लाइसेंस मुक्त हो चुकी है। पहले तो जोखिम वाले उद्योगों जिन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है, तथा बिना जोखिम वाले उद्योगों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। बिना जोखिम वाले उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करने की क्या आवश्यकता है? जोखिम वाले उद्योगों से संबंधित क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए। यदि जोखिम पूर्ण उद्योगों के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए तो पूरे देश में सभी ताप विद्युत एककों को बंद करना पड़ेगा। ताप विद्युत एककों में कोयले की धूल से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या सरकार ऐसा करेगी? यह असंभव है। यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण से यह अनुरोध करे कि किसी ताप विद्युत एकक विशेष को बंद कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं यह कहना चाहूंगा कि यह प्राधिकरण बी•आई•एफ•आर• के समान ही है।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि पहले संसद का काम कानून बनाना था जिसका उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वचन किया जाता था। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद को सम्बद्ध विषयों पर कानून बनाने का निर्देश दिया जाता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी•आर• दासमुंशी : मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं बल्कि मुद्दे पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें क्योंकि चर्चा को 4.30 बजे तक समाप्त करना है।

श्री पी•आर• दासमुंशी : यह विधान एक साधारण विधेयक सा प्रतीत होता है। इसके द्वारा एक दूसरा संचालन दल सारे अधिकारों को अपने हाथ में ले लेगा।

[हिन्दी]

एक तरफ तो एनवायरमेंट क्लीयरेंस के लिये पैसा, फिर अपीलाट अथारिटी के पास पैसा, ये दोनों जगह रहता। इसलिये हम

[श्री पी॰आर॰ दासमुंशी]

चाहते हैं कि सदन के अंदर बहस समाप्त करने के बाद इसको पुनर्विचार करने के लिए कोई कमेटी को सौंप दिया जाये। वह कमेटी इसकी पूरी छानबीन करे। इसमें किसी रिटायर्ड जज की जरूरत नहीं है। इस देश में रिटायर्ड जज को हम प्रणाम करेंगे, कानून की किताब लिखेंगे, लॉ कालेज में पढ़ेंगे लेकिन उसे काम की जरूरत नहीं है। हमारे रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को ग्रेच्युटी या पेंशन की जरूरत नहीं है। इसमें बुद्धिमान आदमी काफी हैं, पढ़ा-लिखा काफी है, समझदार काफी है। उनकी कमेटी बनाई जायेगी।

[अनुवाद]

महोदय, आप जानते हैं कि मेरा राज्य इससे सर्वाधिक प्रभावित है। छोटे ढलाई एककों ने आदेशानुसार मलनिस्राव को नियंत्रित करने के सभी उपाय कर लिए थे लेकिन फिर भी उच्चतम न्यायालय के आदेश से 110 एकक बंद कर दिए गए।

[हिन्दी]

डायरेक्शन्स बनाईये। सब कहने लगे कि नल या पाईप ठीक नहीं, आफिसर को पैसा दो। अगर ठीक भी है तो कभी बांया ठीक है और यदि बांया ठीक नहीं तो दांया ठीक नहीं। कितने दिनों से हैरानी रहेगी? फिर भी पैसा दो। अपीलाट बाडी होगी जिसमें ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

सामाजिक उत्तरदायित्व सर्वोपरि है।

[हिन्दी]

इस देश में वर्कर्स की रोटी छीनकर कोई चीज नहीं चलेगी। इस आजाद देश में सब कुछ बना दो जो बन सके लेकिन सिलेक्ट कमेटी में इसको भेजिये। बाकी रिटायर्ड आफिसर को नौकरी देने के लिये हम इस बिल को थपथपाने के लिये तैयार नहीं है। धन्यवाद।

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : सभापति जी, ऐनवायर्नमेंट प्रोटैक्शन बिल के बारे में आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पांध मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

जब पोल्यूशन एण्ड नेशनल ऐनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन बिल बना था तो वह अच्छी बात थी। मगर इस देश के धर्म-ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि इस देश के मूल वासियों को गंदे नालों पर और गंदी जगहों पर ही रहना चाहिए। ऐसे जो धर्म-ग्रंथ हैं उनको मैं यहां पर कंडैम करता हूं क्योंकि जब पॉल्यूशन की बात आती है तो हर इंसान को इस देश में अच्छी जगह पर रहने का अधिकार मिलना चाहिए। यहां से कुछ किलोमीटर दूर पर आप देखें तो यमुना में गंदे नालों के किनारे झुग्गियों में लोग रहते हैं। यहां बिल की बात हो रही है लेकिन पांच लाख लोग ही दिल्ली में ऐसी बस्तियों में रहते हैं। यह सरकार बिल तो लाई है, लेकिन सरकार के अधिकारी वहां जाकर देखें जहां इस देश के बाशिन्दे गन्दे नालों के पास रहते हैं। क्या आप उनके लिए भी कुछ करने वाले हैं? वह भी इस देश के वासी हैं, वे बाहर से आए हुए आर्य लोग नहीं हैं।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। एबीसी पेपर मिल सेलाखुर्द, जिला शाहपुर, पंजाब में है। उससे पानी इतना पॉल्यूटैड होता है कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में बालों, चेतां, कंगरौड़, गोविन्दपुर, फगवाड़ा, नवांशहर और बंगा में हैण्ड-पम्पों में और कुओं में पानी पॉल्यूटैड हो गया है। मैंने 28 तारीख को सरकार से बात की थी, लेकिन कोई ऐक्शन इस पर नहीं लिया गया। मंत्री जी जो हमारे दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि आप अपने पांइट रखें, हम पंजाब सरकार से बात करेंगे ताकि इस पोल्यूशन को बंद किया जाए। ऐनवॉयर्नमेंट पोल्यूशन की वजह से ही मेरी कांस्टीट्यूएंसी में हमारे शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के जो लोग हैं, वे 1974 से जमीन कल्टिवेट करते हैं जिनको जंगलात महकमे वालों ने कहा कि वे जंगलों को पॉल्यूशन से बचाना चाहते हैं और जितनी भी कल्टिवेबल लैण्ड है, जालंधर जिलें में जो हैडक्वार्टर है, वहां से फॉरेस्ट रेंजर सारी की सारी जमीन ऐक्वायर कर रहे हैं। हमने उसके लिए बहुत ह्यू एण्ड क्राइ किया, लेकिन कोई सुनता नहीं है।

कुछ समय पहले मैं केरल गया था। वहां शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग जो जंगलों में रहते हैं, वे कहते हैं कि हमें जगह दो, हम भी इस देश के वासी हैं पर वे कहते हैं कि ऐनवॉयर्नमैंट की वजह से हम आपको जगह नहीं दे सकते क्योंकि यह जगह जंगलात महकमे की है। जंगलात महकमे की जगह का हमने क्या करना है जब इस देश में लोगों को दो इंच जमीन भी रहने के लिए नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कल्टिवेबल लैण्ड पंजाब के लोगों से जंगलात की वजह से ली गई है, उसका कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता। मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि इस प्रकार की रैस्ट्रिक्शन डालें कि ऐनवॉयर्नमेंट के नाम पर जितनी भी कल्टिवेबल लैण्ड शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को सरकार की तरफ से दी गई है, उसके ऊपर बाइंडिग नहीं रखनी चाहिए और जंगलात महकमे या ऐनवॉयर्नमेंट के नाम पर या 1986 के एक्ट के तहत उनको ऐक्वायर नहीं किया जाना चाहिए।

इतना कहकर मैं तहेदिल से आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : सभापति महोदय, जो बिल सदन में लाया गया है, हम इसका समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय : कृपया पांच मिनट के अंदर समाप्त करें।

श्री हाराधन राय : ठीक है, लेकिन इसमें काफी सतर्कता की जरूरत है। इसके बाद एक पूर्ण बिल लाया जाए, जिसमें हम हिस्सेदार

रहेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके बारे में चर्चा की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे यहां सबसे ज्यादा खदानों की बात करते हैं। इसमें जो एनवायरनमेंट कानून है उसको कोई परवाह नहीं करता है, उसको कोई नहीं मानता है। जिसके बारे में हमने यहां सदन में बार-बार चर्चा की है। हमारे बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां-जहां भी खदान हैं उन इलाकों में इस कानून का पालन नहीं होता है। इसी कारण से वहां पर बहुत धसान होती है। वहां पर आदमी भी रहते हैं और इस कारण से वहां पर जीवन विपन्न होता है, सम्पत्ति का भी लॉस होता है। इसलिए इस तरह की कोई प्रोजैक्ट बनाने से पहले जो एनवायरनमेंटल हैजर्ड है, उसमें सुधार करने का भी प्रोविजन इसमें रखना चाहिए। इसमें एनवायरमेंट के लिए जो कुल खर्च होगा, उसी में इसको शामिल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एनवायरनमेंट हैजर्ड के कारण जो जीवन विपन्न होगा और लोगों को तकलीफ सहनी पड़ेगी और सम्पत्ति का भी नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए अलग से पैसा रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मेरा यह भी सुझाव है।

हमारे यहां दामोदर नदी है उसमें बिहार और बंगाल के सारे कारखानों का दूषित पानी और पदार्थ गिरता है, जिसके कारण वह दूषित होती है। वह पानी लोगों के पीने के लायक नहीं है और इससे वहां के जन-जीवन को खतरा है। इसलिए गंगा एक्शन प्लान की तरह दामोदर एक्शन प्लान होना चाहिए और गंगा एक्शन प्लान में जो काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है वह चाहे बंगाल या बिहार की तरफ हो या जहां भी हो, पूरा किया जाए और दामोदर के पानी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वहां भी एक्शन प्लान होना चाहिए और जो चीज श्री जसवंत सिंह जी ने बतायी थी हम उस पर एकमत हैं। बहुत से कारखानों का प्रदूषण हो रहा है, बाहर से कच्चा माल लाया जाता है और कारखाने लगाये जाते हैं, उत्पादन किया जाता है, जिससे प्रदूषण होता है। लेकिन प्रदूषण के कारण अगर कारखाने बंद होंगे तो उस इलाके के मजदूर मरेंगे। तो कानून इस प्रकार होना चाहिए कि उसको कड़े से कड़ा पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन जो मजदूरों की नौकरी चली जायेगी, उनको खाना-कपड़ा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या किया जाए, इस चीज का भी प्रावधान इसमें करना चाहिए। कारखाने बंद करना ठीक नहीं है। पहले ही से बहुत से बेरोजगार हमारे देश में पहले से ही हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं और प्रदूषण के कारण जो कारखानें बंद होंगे उनमें जो मजदूर काम करते हैं हम उनकी रोजी-रोटी छीन लेंगे, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए हमें कारखानों की रक्षा करनी होगी और प्रदूषण को रोकना होगा और मजदूरों की रोजी-रोटी को कायम रखना होगा। ये तीनों बहुत बड़ी चीजें हैं। इसलिए इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए कि जो खदान वाले इलाकों में रीहैबिलिटेशन की समस्या है, उनको वक्त पर दूर करना चाहिए और जो उनकी सम्पत्ति का विनाश हो रहा है उनका भी कम्पेसेशन उसको मिलना चाहिए और उनकी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए और इलाके में जो पानी, हवा और आवाज का जो प्रदूषण है उसको कैसे दूर किया जाए, इसका भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक, 1997 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं उन मुद्दों को, जो चिंता के विषय हैं तथा जिन पर देशभर में चर्चायें हो रही हैं विशेषकर न्यायिक सक्रियता के बारे में, उजागर करना चाहूंगा। हम जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 वर्ष 1986 से लागू है। जैसा कि पहले कहा गया, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अनुसार सरकार को एक प्राधिकरण का गठन करने अथवा पर्यावरणीय समस्याओं तथा उद्योगों की स्थापना को स्वीकृत देने संबंधी सभी विषयों को निपटने हेतु एक तन्त्र की स्थापना का अधिकार है।

लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इस कानून को पारित हुए एक दशक हो चुका है लेकिन ग्यारह वर्षों के बाद यह विधान चर्चा हेतु इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि उस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा चमड़ा उद्योग, मछली पालन और अन्य अनेक पहलुओं के संबंध में अनेक फैसले दिए गए। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किसी तंत्र के विकास की अत्यधिक आवश्यकता तथा 'ग्रीन बेंच' की आवश्यकता के बारे में अनेक निर्देश जारी किये। सरकार को एक प्राधिकरण की स्थापना का आदेश दिया गया।

अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ तथ्यों को स्वीकार करना है। गत दशक के दौरान हम किसी ऐसे तंत्र का विकास कर पाने में समर्थ नहीं हो पाये हैं ताकि पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सके। इसीलिए। इस कानून को उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, जो भी हो, के निर्देश पर मजबूरी में लाया गया कानून कहा जा सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि हमें कानून के अनुसार और समय से भी कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस मामले में प्रक्रिया को निश्चित समयावधि के अन्तर्गत पूरा करना होता है। अधिनियम की धारा 11(4) में विहित है कि संबंधित प्रक्रिया एक निश्चित समयावधि मे पूरी की जानी चाहिए। किसी उद्योग को लगाये जाने से यदि किसी को कोई आपत्ति होती है तो इस संबंध में उचित अधिकारी के पास 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए और उसके बाद की प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए। अतः इस कानून के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, जो व्यक्ति उद्यम अथवा उद्योग स्थापित करता है, उसे भी यह जानने का मौका मिलेगा कि इस संबंध में कोई

[श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन]

शिकायत की गई है। चूंकि इसमें मामलों के शीघ्र तथा प्रभावी निपटान हेतु प्रभावी तंत्र का प्रावधान किया गया है और समय की भी बचत होगी, अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

पर्यावरण के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इसके विरूद्ध नहीं हूं। हम सब इसका समर्थन कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन तथा देश के पर्यावरण को अवश्य ही नियंत्रित एवं संतुलित किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा करने में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समाज में लोगों के हितों के कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। आज हमारे देश में विकास की सभी गतिविधियों को पर्यावरणविदों से खतरा उत्पन्न हो रहा है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अनेक निर्णय दिए गए हैं। चूंकि समय की पाबंदी है, इसलिए मैं इनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

सर्वप्रथम मैं तटीय क्षेत्र प्रबंधन की बात कहूंगा। यह मुद्दा पहले भी उठाया जा चुका है। सबसे अधिक नुकसान केरल को हुआ है। दूसरा मुद्दा मछलीपालन का है। आखिर हो क्या रहा है? सबको पता है कि करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अभी तक कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। मुझे अंदेशा है कि पर्यावरण के मुद्दे को देश के आर्थिक, औद्योगिक तथा कृषि विकास को रोकने के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य एजेन्सियों द्वारा इस मुद्दे का उपयोग अस्त्र के रूप में किया जा रहा है और इसके पीछे कतिपय देश द्रोही लोग भी हैं। मछलीपालन के क्षेत्र में कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी नहीं आयी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और निर्देश भी दिया गया है कि 31 मार्च तक इसे बंद कर दिया जाए। इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? न्यायालय द्वारा फैसला दिए जाते समय मानवीय आवश्यकताओं एवं मांगों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस सरकार ने मछलीपालन को प्रोत्साहन दिया है। दिल्ली में 168 से अधिक उद्योग तथा तमिलनाडु में बहुत से चर्मशोधक एकक प्रभावित हो रहे हैं। इसके क्या दुष्परिणाम होंगे? इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र को विकसित करना चाहिए। हमें प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनुसंधान करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। चेन्नई में एक केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समिति के सदस्य के रूप में हम लोगों ने वहां का दौरा किया है। वहां वे लोग इस समस्या से निपटने के लिए एक तंत्र का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मेरे कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण की बात करते समय हमें पर्यावरण तथा विकास में संतुलन बनाये रखना चाहिए। उस संतुलन से निरन्तर विकास हासिल किया जा सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा इस प्रकार की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, मुझे एक बात का आश्चर्य है–नौकरशाहों से यह उम्मीद की जा सकती है वह लोगों के हितों की परवाह न करें लेकिन मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, हो या वन संरक्षण अधिनियम अथवा यह वर्तमान विधेयक, उन्होंने लोगों के हितों की कतई परवाह नहीं की है। इनमें से किसी कानून में भी लोकहित का प्रावधान नहीं है। मैं इसका विश्लेषण नहीं कर सकता क्योंकि आप घंटी बजाना शुरू कर देंगे।

महोदय, पूरे भारत में वन लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। चाहे केप कोमीरिन हो अथवा गंगोत्री, वनों की आवश्यकता सर्वत्र है। मैं उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों का उदाहरण देना चाहूंगा जो वनों से घिरे हैं। वहां और वैसे क्षेत्र में उक्त अधिनियम तथा विधेयक का काफी असर पड़ेगा। हम चारे, जीवन यावन, मवेशियों को चराने, खाना पकाने हेतु लकड़ी, अंतिम संस्कार हेतु लकड़ी, मकान बनाने इत्यादि के लिए वनों पर ही आश्रित हैं। हम वनों पर पूर्णतः आश्रित हैं और इसीलिए रियायती दरों पर हमें पेड़ उपलब्ध कराये गए और मुफ्त अनुदान दिए गए। अब इन सबों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसीलिए मैं सरकार से, नौकरशाहों से तथा न्यायपालिका से प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वे यह चाहते हैं कि जो लोग वनों से प्राप्त लकड़ियों से खाना पकाते हैं, उनके यहां चूल्हा न जले? क्या उनके मवेशी वनों से चारा न मिलने के कारण भूखे मर जाए? क्या वे यह चाहते हैं कि लोग हल चलाना छोड़ दें? क्या वे लोग बेघर हो जाएं? वे क्या चाहते हैं? आखिर वे लोगों का हित क्यों नहीं चाहते? न तो सरकार ने और न ही मंत्रियों ने यह देखने की चिंता की है कि आखिर ये अधिनियम तथा विधेयक लोगों के हितों की रक्षा करते हैं अथवा नहीं।

इस तरह से मैं न सिर्फ इस विधेयक का बल्कि दोनों अधिनियमों का भी विरोध करता हूं। यदि सरकार थोड़ी भी संवेदनशील है तो उसे इन दो अधिनियमों तथा विधेयक के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। उसे एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए और संसद की प्रवर समिति में उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और नौकरशाहों अथवा मंत्रियों की तुलना में जो रबड़ की मुहर मात्र हैं, हमें लोगों के हितों की अधिक चिंता है।

इसलिए मेरा यह पुरजोर अनुरोध है कि इस विधेयक को वापस लेकर इस पर पुनःविचार किया जाए। मेरा यह भी अनुरोध है कि एक प्रवर समिति का गठन किया जाए और तत्पश्चात् सभी पहलुओं पर फिर से विचार किया जाए ताकि लोगों के हितों की पूर्ति हो सके।

श्री रमेश चेन्नित्तला : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस विधान का स्वागत करता हूं। लेकिम मुझे दो बातें कहनी हैं।

पहली बात तो यह कि मुझे इस अध्यादेश का तर्क समझ में नहीं आता। केवल विशेष परिस्थिति में ही अध्यादेश जारी किए जाते हैं। इस समय कोई भी विशेष परिस्थिति नहीं है।

दूसरी बात यह कि संसद की स्थायी समिति की अवहेलना करना ठीक नहीं है। इससे हमें भविष्य में भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि संसद की स्थायी समिति की, जो विधेयकों तथा अनुदान की मांगों की जांच करने के लिए एक प्रभावशाली व्यवस्था है, अवहेलना की प्रथा को रोका जाए।

महोदय, पर्यावरणीय सुरक्षा बहुत ही गंभीर विषय है। पूरे विश्व भर में पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से घुटन हो रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य सभी महानगरों में घुटन है। औद्योगिक क्रियाकलापों में वृद्धि तथा पर्यावरण के प्रति कम ध्यान देने एवं मोटर यातायात में वृद्धि से हमारे शहरों में प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गयी है। हम इस प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करें? प्रदूषण रोकने की कोई प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चय ही राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा संसद द्वारा बनाये गए बहुत से अधिनियम की व्यवस्था है। लेकिन हम लोग यह स्पष्ट अनुभव करते हैं कि ये कानून कतई असरदार नहीं हैं और प्रदूषण कई रूपों में बढ़ रहा है।

मेरे कई विद्वान मित्रों ने अपने भाषण के सिलसिले में सांविधिक संकल्प का उल्लेख किया है। प्रदूषण भी विभिन्न तरह के होते हैं। हम इस समस्या को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? यह एक बहुत ही अहम मसला है और इसके कारण लोगों को जानलेवा बीमारियां होती हैं। कारखानों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आसपास रहने वाले लोग इस मसले को उठा रहे हैं और वे इस मामले में अत्यन्त गंभीर हैं। हालांकि नदियों के तट पर और अन्य स्थानों पर स्थित कारखानों में शोधन संयंत्रों का प्रावधान है, लेकिन वे किसी भी तरह से असरदार नहीं हैं और लोगों को इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए इस पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह निश्चय ही लोगों को प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद करेगा।

मेरे मित्र श्री प्रेमचन्द्रन ने ठीक ही उल्लेख किया कि केरल में कतिपय पनबिजली परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने के सिलसिले में लंबित पड़ी हुई हैं। निःसंदेह, हम सभी पर्यावरण संरक्षण की जरूरतों के प्रति सजग हैं। लेकिन हम पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकासात्मक गतिविधियों को ठप्प भी नहीं कर सकते।

महोदय, मूक घाटी परियोजना का कार्य इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि यह एक गहन वन है। कारप्पारा-कुरियारकुट्टी दूसरी पनबिजली परियोजना है जो स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी है। केरल राज्य में बिजली की भारी कमी है। हमारे यहां लगातार घंटों तक बिजली गायब रहती है। पनबिजली ऊर्जा ही ऊर्जा का सबसे सस्ता उपलब्ध स्रोत है। कारप्पारा-कुरियारकुट्टी परियोजना को केन्द्र सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी है। पूयमकुट्टी परियोजना भी एक अन्य परियोजना है जो पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित पड़ी है।

मेरा एक ही मुद्दा है और वह यह है कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिन्तित हैं लेकिन इसका किसी राज्य में विकासात्मक गतिविधियों को ठप्प करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करने दिया जा सकता। स्वीकृति देने में अत्यधिक विलम्ब होता है। हम लोग पर्यावरण स्वीकृति लेने के लिए दिशा निर्देशों को पूरी करते हैं तथा केन्द्रीय सरकार के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। लेकिन स्वीकृति मिलने में अत्यधिक विलम्ब होता है।

मैं तीन चार बिन्दुओं पर कहना चाहूंगा। अब मैं विधेयक पर बोलूंगा। विधेयक में यह कहा गया है :

> "प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा।"

जैसाकि आप जानते हैं, पर्यावरण संबंधी विवाद हमारे देश के अलग-अलग भागों में होते रहते हैं और वादियों के लिए अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली आना काफी मुश्किल होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव इसकी तीन शाखाओं की स्थापना का है और दक्षिण भारत तथा पश्चिम भारत में कम से कम एक शाखा होनी आवश्यक है और माननीय मंत्री जी के द्वारा इसके लिए आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री चेन्नितला, हमें पौने पांच बजे तक इस चर्चा को समाप्त करना है।

श्री रमेश चेन्नितला : खण्ड 11 (2) में उन व्यक्तियों की श्रेणियों की परिभाषा दी गई है जो प्राधिकरण में अपील कर सकते हैं। खण्ड 11 (2) (ग) में कहा गया है :

> "व्यक्तियों का कोई ऐसा संगम (चाहे वह निगमित हो या नहीं), जिसके ऐसे आदेश द्वारा प्रभावित होने की संभावना है और जो पर्यावरण के क्षेत्र में कृत्य कर रहा है।"

इसमें स्पष्टता का अभाव है। किसी भी आदेश से कोई संगम कैसे प्रभावित होगा? वस्तुतः यदि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत कोई संगम, कहा जाए तो यही पर्याप्त होगा। इस प्रकार की स्पष्टता विधेयक में रहनी चाहिए। खण्ड 11(3) से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण सिर्फ आदेश पारित करने के बाद ही अपील सुनेगा। चूंकि प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होगी इसलिए प्राधिकरण को दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देना होगा। अन्यथा न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए, नैसर्गिक न्याय के क्रम में दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। मेरा चौथा मुद्दा यह है कि क्या प्राधिकरण के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई है? इसे विशेषरूप से स्पष्ट कर देना

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

चाहिए क्योंकि विधेयक में कठोर दंडों का प्रावधान किया गया है जो कि सात वर्षों का कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना है। चूंकि यह कठोर दंड है इसलिए इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसलिए माननीय मंत्री से मेरी अपील है कि इस विधेयक पर और अधिक विचार और मनन किया जाए।

सभापति महोदय : अब कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमें एक व्यापक पर्यावरण संरक्षण विधेयक की आवश्यकता है ताकि इन सब चीजों को उसमें शामिल किया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी अंतिम वक्ता हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर सभी सदस्यों को बोलने की इच्छा हो, इतना कम समय दिया जाए...*(व्यवधान)* मैं संक्षिप्त तौर पर इस विषय पर आना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* 1986 में जब इस देश में ऐनवायर्नमैंट एक्ट लागू किया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : महोदय, मैंने अपना नाम दिया है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : इस अध्यादेश को लाने से पहले इसे बिल के रूप में लाया जाना चाहिए था। सरकार की यह चेष्टा थी कि इसे लाकर तुरन्त लागू किया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के मैम्बर बोल रहे हैं, आप शांत हो जाइए। उनको बोलने दीजिए।

आपकी पार्टी के एक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा है। अन्य किस सदस्य ने बोला है? मैंने भी अपना नाम दिया है।

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें क्योंकि माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं पहले ही अपना नाम दे चुका हूं।

सभापति महोदय : श्री रुडी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कृपया शांत रहें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं जानता हूं कि इतने संक्षिप्त समय में सब बात रखना संभव नहीं है। लेकिन मैं इसकी मूल भावना बिल के साथ लाना चाह रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं आप तक इस संवाद को पहुंचाना चाह रहा हूं। सरकार ने इस बिल को आज सदन में पेश किया है। इस देश में 1986 से ऐनवायर्नमैंट एक्ट लागू है और इस बिल को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।

आज पूरे भारतवर्ष में लोगों में जागृति बढ़ती जा रही है और लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ती जा रही है। सरकार का जब निर्णय होता है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं तो वह सीधे दौड़कर सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बिल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियों को करटेल करने का जो चिंतन है, मैं इस विषय की तरफ इसलिए आ रहा हूं कि कहीं सरकार अपनी तरफ से यह प्रयास तो नहीं कर रही है कि अपनी इच्छा, अपने सहयोग के लिए और पर्यावरण के खिलाफ कार्य करने के लिए ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस किया जाये, ताकि सरकार के किये गये कार्यों को सहमति प्रदान की जा सके।

इस ट्रिब्यूनल का, अपीलेट एथारिटी का जो कांस्टीट्यूशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो उसके चेयरपरसन बनाये जा रहे हैं, जो उसके वाइस चेयरपरसन बनाये जा रहे हैं और जो बाकी तीन सदस्य बनाये जा रहे हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से पर्यावरण का उनको जो मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, जिस तरह उनकी इस कार्य के लिए ज्ञानता होनी चाहिए। वैसी चीजों से अलग व्यक्तियों को चुनने का एक प्रयास है, जो इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है।

यह जो वर्तमान सरकार है, इसको इस बिल की बड़ी आवश्यकता दिखाई दे गई, क्योंकि वर्तमान सरकार किसी न किसी रूप से पर्यावरण की विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट के पास आज सरकार द्वारा लिये गये कई निर्णयों के खिलाफ पब्लिक इंटरैस्ट लिटीगेशन के आरोप आये हैं और जब वह कार्रवाई करने लगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, यह पर्यावरण विरोधी सरकार है और पर्यावरण विरोधी सरकार का परिणाम इसलिए मैं कह सकता हूं कि वह कितना तीव्रता के साथ यह आर्डिनेंस लाई और आर्डिनेंस लाकर इसे बिल के रूप में लाई। यह बीच में मध्य व्यवस्था कायम करना चाहती है, ताकि इनकी जो मंशा है, वह पूरी हो सके। मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जिसका रवैया पर्यावरण के प्रति बड़ा ही समर्पित है, पर्यावरण के प्रति बहुत जगा हुआ है। उसको करटेल करने के लिए यह बिल लाकर मध्यान्तरी तौर से इसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा

रहा है। मैं देख रहा हूं कि इसमें जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इसकी व्यवस्थाओं के तहत, चाहे सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक और मध्यान्तरी एक बीच में प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस बिल के पूरे मुद्दे का विकास, खासकर इसका कम्पोजीशन, जो मेरी टिप्पणी है, उसको देखते हुए यह उचित होगा कि इस बिल को सलैक्ट कमेटी को सौंप दिया जाये, ताकि इस पर विस्तृत रूप से विचार हो सके।

पर्यावरण का विषय ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, जिसपर सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वह इस बार सम्भव नहीं हो पा रहा है, उस परिस्थिति में इस बिल को सलैक्ट कमेटी को सौंपकर इसकी दोनों धाराओं को देखकर कि किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ है, देखने के पश्चात् ही सदन में लाया जाये और तब इसे पास किया जाये। मैं चाहूंगा कि इस बिल को तत्क्षण समिति को सौंप दिया जाये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सुनिये। आप थे, जब हाउस ने डिसाइड किया?

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ये सुबह से बैठे हैं, 11 बजे से बराबर यहां बोलने के लिए बैठे हुए हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या करेंगे। जोशी जी, आप तो बोलते हैं, हर सबजैक्ट पर बोलते हैं। आप फिर बोल लीजिएगा। जोशी जो तो हर बिल पर बोलते हैं।

(व्यवधान)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं किसी सबजैक्ट पर नहीं बोला।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह राजस्थान का तो मामला नहीं है, एनवायर्नमैंट का मामला हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप तो थे, जब तय हुआ। सुनिये, तब आप एग्री कर गये।

[अनुवाद]

4.00 म॰प॰ पर सभा ने आधा घंटा समय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस पर भी सहमति हुई थी कि 4.30 म॰प॰ तक चर्चा पूरी कर ली जाएगी और मंत्री अपना जवाब 4.30 म॰प॰ पर देंगे। इसलिए हमें यह 5.00 म॰प॰ तक समाप्त करना होगा। हम इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रख सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : हमारी पार्टी से खाली एक मैम्बर बोला है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं होगा। मधुकर जी, देखिये सुनिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : क्या यह महत्वपूर्ण विधेयक नहीं है? आप इस विधेयक पर बोलने के लिए सदस्यों पर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया सुनिए। कार्य मंत्रणा समिति ने एक घंटा समय देने का निर्णय किया था। तदोपरांत सभा ने एक घंटा समय और बढ़ाने का निश्चय किया। फिर यह आधा घंटा बढ़ाया गया। आप इसे कितना लंबा खींचना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह समय हाउस बढ़ा रहा है।

सभापति महोदय : इस पर तीन घण्टे चर्चा हो चुकी, आप और कितनी चर्चा चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री नाईक ने सभा का समय एक घंटा बढ़ाने का अनुरोध किया था।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जिन्होंने नाम दिए हैं, उनको बोल लेने दें।

सभापति महोदय : कैसे होगा? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब आप बैठ जाएं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, मैं किसी भी बिल पर नहीं बोला।

सभापति महोदय : आपका नाम पहले नहीं दिया। राम नाईक जी ने जो लिस्ट दी है उसमें आपकी पार्टी की तरफ से आपका छठा नम्बर है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दो-दो मिनट में अपनी बात कह देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सबको एकोमोडे नहीं कर सकता।

श्री राम नाईक : मैं एक छोटा सा सुझाव देता हूं। आप भा॰ज॰पा॰, शिवसेना, और कांग्रेस के एक-एक सदस्य को तीन-तीन मिनट तक बोलने का अवसर दे सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : हमारी पार्टी से सिर्फ एक सदस्य ने अब तक वक्तव्य दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम इस पर सहमत नहीं हो सकते।

माननीय मंत्री अब बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : इस मद के लिए एक घंटा समय निर्धारित था। हम लोग पहले ही ढाई घंटे का समय ले चुके हैं। यदि अब मंत्री बोलना शुरू करते हैं तो वह अपना वक्तव्य अगले 15-20 मिनट में समाप्त कर सकेंगे। मुख्य समस्या यह है कि बजट पर सामान्य बहस अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा था कि हम लोग 5.00 म॰प॰ तक चर्चा समाप्त कर दें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आज आप सत्ता में बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं, अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है।

श्री श्रीकांत जेना : हमने इस बिल के लिए एक घंटे का समय रखा था, अब ढाई घंटे हो गए हैं। बाकी काम भी करना है, वह कैसे होगा?

सभापति महोदय : और कितना बढ़ायेंगे?

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : हम यहां दो बजे से बैठे हैं। हमको बोलने भी नहीं देते हैं...*(व्यवधान)* कोरम की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन हम यहां सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बैठकर कोरम पूरा करते हैं, आपकी जिम्मेदारी निभाते हैं, फिर भी हमें बोलने नहीं देते।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मेरा सुझाव यह है कि आप भा॰ज॰पा॰, शिवसेना और कांग्रेस के एक-एक सदस्य को बोलने का अवसर दें।

सभापति महोदय : क्या इस मद पर 15 मिनट का समय बढ़ाने का सभा का विचार है?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : अब श्री दाऊ दयाल जोशी बोलेंगे।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : जो काम सभा को करना चाहिए वह कार्य कोर्ट में दायर जनहित की याचिकाओं के माध्यम से हो रहा है। जो कानून हमें यहां बैठकर सुओ मोटो पास करना चाहिए, उसकी जगह अदालतें अपनी जिम्मेदारी के साथ यह कार्य निभा रही हैं। यदि वे इस प्रकार का निर्णय न लेतीं तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण किसी भी मूल्य पर खत्म नहीं हो सकता था। मंत्री महोदय जो बिल लाए हैं, यह आधा-अधूरा कानून लाए हैं।

अगर आप यहां सदन में एक विस्तृत कानून लाते तो निश्चित रूप से उससे राहत मिल सकती थी। आपने एक बिल पर चर्चा की है। पर्यावरण की जो स्थिति है, उसके बाद जो प्रदूषण की स्थिति है, वह चिंताजनक है।

मेरे राजस्थान में चंबल नदी बहुत भारी तादाद में प्रदूषित हो गई है। बार-बार आगाह करने के बाद भी आज तक इस चंबल नदी को शोधित करने के बारे में कोई कदम आपके विभाग की तरफ से नहीं उठाया गया। इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कृपा करके इस संबंध में कुछ व्यवस्था करें।

दिल्ली के अंदर कोर्ट ने आदेश दिया है कि बूचड़खाना तथा बिक्री के स्थानों को वहां से हटाया जाए। अभी फिलहाल बिक्री के स्थानों को तो हटा दिया गया है, लेकिन बूचड़खानों को वहां से क्यों नहीं हटाया गया? कानून बनाने से क्या होता है? सदन को अच्छी तरह से याद है कि सुंदर लाल पटवा जी, कमलनाथ जी को हराकर आए हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने हिमाचल प्रदेश में जाकर नदी की धार को बदल दिया और मोटल बनाया। अदालत को निर्णय लेना पड़ा। अभी तक सरकार कोई निर्णय न ले सकी, कानून कोई निर्णय न ले सका। सुप्रीम कोर्ट ने जाकर फैसला किया और उसके आधार पर मोटल की परमिशन रद्द की गई। आप कितने ही कानून बना दें, जब तक राजनैतिक संरक्षण इन नेताओं को मिलता रहेगा, राजनैतिक आधार पर निर्णय होते रहेंगे, तब तक किसी प्रकार से भी राहत नहीं मिल सकती। इसलिए जब तक पर्यावरण और प्रदूषण के लिए आपमें ऐसी शक्ति जागृत नहीं होगी, देश का कल्याण नहीं हो सकता। आप जो बिल लाए हैं, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अध्यादेश को प्रख्यापित करने के सरकार के प्रस्ताव का मैं विरोध करते हुए जो उद्देश्य इस विधेयक में लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर जो फैसला दिया, आज हम उस फैसले से लोगों में बहुत बड़ी घबराहट पैदा हो गई है।

मैं कोंकण प्रांत से आता हूं यह पूरे महाराष्ट्र का जो सागर किनारा है, 720 कि॰मी॰ का, यहां पर मुझसे पहले उसका जिक्र किया गया। सभापति जी, 720 कि॰मी॰ के अंदर कई ऐसे क्षेत्र, गांव तथा पूरी की पूरी बस्तियां हैं जो इस कोस्टल रेग्यूलेशन जोन से प्रभावित हैं। सागर के पांच सौ मीटर या ब्लैकिश वॉटर से दो सौ मीटर जो इसके बीच में है, आज इन लोगों के दिल में डर पैदा हो गया है कि कहीं हम लोगों का मकान तो उजाड़ने नहीं आ जाएंगे और वहां से हमें

अपना मकान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस बारे में मुझे निवेदन करना जरूरी हैं।

मैं कोकण प्रांत से आता हूं। हमारे यहां महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोंकण में बारिश होती है। लेकिन जब बारिश के महीने खत्म हो जाते हैं और दो महीने के बाद कोंकण में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जल संसाधन के प्रस्ताव जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय के पास सालों से पड़े हुए हैं, वहां की जनता पानी के लिए तरस रही है और जल संसाधन के प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय के पास पड़े हुए हैं। पर्यावरण के विकास के कार्य में इससे रुकावट नहीं आनी चाहिए। हमारे यहां के ऐसे कई प्रस्ताव हैं खासकर कोंकण और विदर्भ के जो प्रस्ताव हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, उसकी वजह से आज जो एक्वॉकल्चर के ऊपर मुसीबत आई है। महाराष्ट्र के सागर किनारे के बहुत से लोग प्रॉन-फार्मिंग पर निर्भर करते हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग बेकार हो गए हैं। वे भुखमरी के कगार पर हैं। इसलिए मंत्रालय को इसके ऊपर बयान देना जरूरी है। पर्यावरण का संतुलन करना जरूरी है। लेकिन पर्यावरण के नाम पर विकास कार्य में रुकावट नहीं आनी चाहिए।...*(व्यवधान)* भूखा नहीं मरना चाहिए, लोग आज बेकार हो गए हैं।

दो लाख कर्मचारी प्रॉन्स फार्मिंग का काम कर रहे हैं। कोंकण क्षेत्र के एक तरफ पहाड़ हैं और दूसरी तरफ सागर है। पर्यावरण मंत्रालय के पास राज्य सरकार के कई ऐसे प्रपोजेल्स हैं, जो रुके पड़े हुए हैं। जो प्राधिकरण आप गठित करने जा रहे हैं, उस प्राधिकरण के अन्दर कई प्रस्ताव आयेंगे, क्योंकि लोगों के अन्दर डर पैदा हो गया है कि वे अपनी समस्याओं को लेकर कहां जायें। मछली पकड़ने वालों का सागर ही जीवन है, वे सागर से हटकर दूर नहीं रह सकते हैं। मछलीमार ही उनका व्यवसाय है। मछलीमार सागर के तट पर ही रहेगा, वहां से दूर नहीं जा सकता है। इस बिल से उनके दिल में डर पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद राज्य सरकार द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से इस सदन के अन्दर समस्या को रखना बहुत जरूरी है। हम आशा करते हैं कि मंत्री जी इस बारे में जवाब देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : सभापति महोदय, जिस प्रकार जहां धर्मान्धता होती है वहां ईश्वर गौण हो जाता है, उसी प्रकार अत्यधिक कानून मन और शरीर की शांति को समाप्त कर देता है और इससे व्यक्ति नौकरशाही और विशेषज्ञों का दास बन जाता है।

यह विधेयक उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया है; इसका प्रयोजन भी उतना ही खराब है। जहां तक विधेयक के खराब प्रारूपण का प्रश्न है, मेरे मित्रगण इस पर पहले ही बोल चुके हैं और मैं इनके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन, कृपया खंड 15 को देखें जो यह कहता है कि यह सिविल न्यायालय या किसी प्राधिकरण में नहीं जाएगा। यह उच्च न्यायालय के प्राधिकार का निषेध नहीं करता है। यह अपील प्राधिकरण, अपना फैसला देने के बाद उच्च न्यायालय और उसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के अधीन होगा। पर्यावरण संबंधी कानूनों की भरमार है। हम अनेकों कानूनों को पारित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रयोजन को ही परास्त कर देंगे। कुछ अन्य कानून भी सामने आने वाले हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

अभी हाल ही में हम लोगों ने दो आपातकालीन उपबन्धों संबंधी नियम पारित किए हैं और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को काफी चालाकी से आपदा ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया गया है। आपदा ग्रुप की शक्तियां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 के अनुसार होंगी। यदि उसे धारा 10 में निहित शक्तियां दी जाती हैं तो वह निरीक्षण, खोज, और जब्त करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकेगा। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं इन सब चीजों को विस्तार में बताता। यह बहुत ही अशुभ मंसूबा है।

स्वंय इस अधिनियम के अनुसार जो कि लागू होगा, एक व्यक्ति जो न तो भूभौतिकीविद् है, न भूगर्भवेत्ता है, न भूरसायनविद् है और न ही जिसे पारिस्थितिकी अनुकूलता का ज्ञान है, वह इस निकाय का अध्यक्ष होगा। यह बहुत ही बुरी बात है। जैसा कि मेरे मित्रों ने भी कहा है, हमें स्थायी समिति के द्वारा इसके प्रावधानों का गहन अध्ययन किए बिना इस विधेयक को अधिनियमित नहीं करना चाहिए। आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, अन्यथा मैं अब तक पारित किए गए अधिनियमों के विस्तृत ब्यौरे में जाता।

आप कृपया यह देखें कि एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह संकेत दिया था कि विभिन्न अधिनियमित कानूनों और विभिन्न नियमों और कानूनों को लागू किया जा चुका है। पहली बात तो यह है कि हमने आपराधिक दुर्घटना के लिए आपात आयोजना संबंधी तैयारी और अनुक्रिया नियम 1986 है जो कि छः महीने बाद सदन के सभापटल पर रखा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था! इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि यह लघु और मध्यम उद्योगों के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न करेगा। मैं बड़े उद्योगों की बात नहीं कर रहा हूं। हां, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए लेकिन ऐसा न हो कि इतने रोक और संतुलन लगा दिए जाएं कि मनुष्य का जीवन यापन ही मुश्किल हो जाए। हमने विदेशों से विश्वास, व्यवहार और विचारों का आयात किया है। यह हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्यों और हमारे व्यवहार और काम करने के तरीके के अनुरूप नहीं है। कतिपय नियमों का अधिनियमन करके हमें इनका भी ध्यान रखना होगा। यह हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगा और यह हमारे लिए कई प्रकार की समस्याएं खड़ी करेगा।

इसके अतिरिक्त भी अन्य अधिनियम हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने 'इको-मार्क' मानक-निर्धारित किया है। भारतीय मानक ब्यूरो को इस अधिनियम में क्यों नहीं जोड़ा जाए? मैं 'इको-मार्क' के विस्तार

[श्री अनादि चरण साहु]

में नहीं जाऊंगा। फिर हमारे पास हानिकारक वस्तुओं इत्यादि से होने वाली क्षति संबंधी राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 है। इस विधेयक के सभी उपबन्धों को इस अधिनियम में रखा जा सकता है। मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, सबसे पहले आपने जो मुझे दो मिनट का समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पहली बात तो यह है कि 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना, अगर उस अधिनियम को सही में लागू किया जाता तो आज फिर इस बिल को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम जो भी कानून बनाते हैं उसको सही दिशा में पूरी तरह लागू नहीं करते हैं और जब बहुत ज्यादा हमारे देश का अहित होने लगता है तब हम नियम बनाते हैं। यह परिपाटी शुरू से चल रही है। अब जैसे मान लीजिए अभी आपने प्रदूषण को कम करने के लिए यह गंगा जल का जो एक्शन प्लान बना है, गंगा जल में जो प्रदूषण हुआ उसको साफ करने के लिए जो प्लान बना है उसकी अभी तक इस सदन में कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि अभी तक वहां कितने काम में सफल हुए हैं?

आपने उसमें विदेश से कर्ज लेकर खर्च किया, लेकिन उसकी कोई मोनिटरिंग नहीं होती है, जिससे आपका सारा खर्चा बेकार चला जाता है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक कानून बनाते हैं। वह नहीं रूकता है तो फिर दोबारा एक कानून बनाते हैं तो यह जगह खाली कानून बनाने की तो नहीं है। उसका जो उपयोग हो उसकी भी खबर मिलनी चाहिए। उसमें कितना खर्च हुआ है, उसमें हम कितने सफल हुए हैं। गंगा के पानी को हमने कहां तक शुद्ध किया है, ये सब चीजें भी सदन को बतानी चाहिए, जिससे सदन यह समझ सके कि हमारी जो प्रदूषण कम करने की सरकार की नीयत है वह सही है, यही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस चर्चा में अत्यधिक रुचि दिखाने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। हालांकि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए अधिकांश सुझाव इस विधेयक के साथ सीधे रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, तथापि मैंने उन सुझावों को नोट कर लिया है और प्रत्येक सदस्य के सुझाव का उल्लेख इतने कम समय में करना संभव नहीं है।

लेकिन यहां और अभी मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें कुछ गलतफहमी है। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के प्रत्युत्तर में ही इस राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के साथ इस सम्मानित सदन के समक्ष उपस्थित हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का खण्ड 5, उपधारा 2, धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार को कुछ क्षेत्रों में निर्बन्धन का अधिकार है जहां कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे।

अब इसके साथ ही, हम लोगों ने इसके उद्देश्यों में भी यह उल्लेख किया है कि उच्चतम न्यायालय ने कतिपय जनहित याचिकाओं में कुछ निर्णय किए थे। हमने उन निर्णयों पर भी ध्यान दिया है। हम लोगों के बीच ही कुछ गलतफहमियां हैं। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने एक मुद्दा उठाया। वे यहां तो नहीं हैं। लेकिन उन्होंने अपने संशय से मुझे अवगत करा दिया है। मुझे इस संबंध में किसी तरह का संदेह नहीं है। जहां तक इस अपील प्राधिकरण का संबंध है, वह यहां इसलिए नहीं है कि उच्चतम न्यायालय का एक स्वतंत्र फैसला था। निःसंदेह जनहित याचिकाओं पर कई फैसले हो चुके हैं। माननीय न्यायालय चर्मशोधकों और अन्य मामलों के संबंध में एक प्राधिकरण की स्थापना चाहती थी। उन्हीं निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है। प्राधिकरण का गठन हो चुका है।

अपराह्न 4.59 बजे

[**श्री पी॰एम॰ सईद** *पीठासीन हुए*]

हम यहां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों को एहतियाती सिद्धान्त के रूप में कार्यान्वित करना चाहते हैं... *(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : श्री पाणिग्रही ने गलत नहीं कहा था। उन्होंने वही कहा है जो आपने अपने वक्तव्य में कहा था।

> "उच्चतम न्यायालय द्वारा लोकहित के मुकदमे के कुछ मामलों में जिनमें पर्यावरण संबंधी विधायक अन्तर्वलित थे, हाल के निर्णयों को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि लोक शिकायतों को शीघ्रता से दूर करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए।"

अपराह्न 5.00 बजे

फलस्वरूप एक अध्यादेश जारी किया गया। इसमें गलत क्या है? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक सदन में इसलिए नहीं पेश किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण मंत्रालय से ऐसी अपेक्षा की गई थी... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : हमने यह कहा है कि हम 'पर्यावरण अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है। इसी पृष्ठभूमि में हम

लोग यहां खड़े हुए हैं। स्वयं पर्यावरण अधिनियम में भी एहतियात का सिद्धांत दिया है। मैं आपका ध्यान अध्याय-दो, धारा 3, उप-धारा 2(पांच) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :—

> 'कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे।'

अतः मैं इस विधेयक को बड़े ऐतिहासिक महत्व वाला सामाजिक विधान मानता हूं। यह उक्त एहतियात के बदौलत है। हमने सावधानी बरती है और हम एक कानून बना रहे हैं जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

श्री नीतीश कुमार सहित कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि इस अध्यादेश की क्या आवश्यकता है। ऐसा पहले भी हुआ है और भविष्य में होने की संभावना है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसकी तत्काल आवश्यकता थी। मंत्रालय को लगा कि इस संबंध में कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि लोग न्यायालय में अपील याचिका दायर कर सकें। आपको पता है कि न्यायालयों में काफी समय लगता है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की। जनहित याचिकाओं पर इतना शीघ्र फैसला क्यों होता है और अन्य मामलों में शीघ्र फैसला क्यों नहीं होता। यह एक अलग प्रश्न है और मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन यहां मंत्रालय ने यह समझा कि यह तत्कालिक महत्व का है। मैं आपको घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा। सचिवों की समिति ने इस पूरे प्रश्न पर विचार किया। तत्पश्चात् 15 जनवरी को मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दे दी। 24 जनवरी को मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के गठन को स्वीकृति दे दी और 30 जनवरी को एक अध्यादेश जारी कर दिया गया और इसके बाद मैंने सभा में यह विधेयक पेश किया। अध्यादेश को सभा पटल पर 21 फरवरी, 1997 को रखा गया और 14 मार्च को लोक सभा में राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक पेश किया गया। अतः मेरा कहना यह है कि अध्यादेश को तत्काल लाये जाने की आवश्यकता थी। इसीलिए मुझे इस विधेयक को इस सम्मानित सदन में पेश करने की आवश्यकता भी पड़ी...*(व्यवधान)*

अब इससे पीछे हटना संभव नहीं है। मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी है। अब मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देना है।

सभापति महोदय : यदि आपको कुछ स्पष्टीकरण चाहिए तो आप बाद में पूछ सकते हैं। यदि मंत्री महोदय आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं तो आप उन्हें विवश नहीं कर सकते हैं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में शीघ्रता से उल्लेख करूंगा क्योंकि श्री नीतीश कुमार, श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री राम नाईक ने विधेयक की संरचना के बारे में कई मुद्दे उठाए हैं। यह प्रश्न उठाया गया कि अपील कौन दायर कर सकता है पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने से प्रभावित होने वाला कोई भी व्यक्ति अपील दायर कर सकता है। यह इतना विस्तृत एवं विविध है कि इससे निश्चय ही लोगों को राहत मिलेगी। उस परियोजना का मालिक अथवा नियंत्रक जिसके संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया हो और व्यक्तियों का कोई संघ जिन्हें इन आदेशों से प्रभावित होने की संभावना हो तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें एवं स्थानीय निकायों द्वारा अपील दायर की जा सकती है। मैं इसे पढ़ नहीं रहा चूंकि समय की पाबंदी है। प्राधिकरण के अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले हम प्रक्रिया को देखें। हमने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रक्रियायें प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी लेकिन यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा संचालित होगा।

इसका यह भी अर्थ है कि यह अपील प्राधिकरण स्थानान्तरित हो सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय किसी भी तरह लोगों तक पहुंच कर उनके अनुरोध पर ध्यान दे सकता है। इसे काफी स्वतंत्रता है और यह अपील प्राधिकरण लोगों की आवश्यकताओं तथा उनके अनुरोधों के अनुरूप अपनी उक्त स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : कृपया आप विधेयक की धारा (12) (2) को पढ़ें।

श्री सैफुद्दीन सोज : मैं उस पर भी आऊंगा। विधेयक की धारा 12(2) के अनुसार प्राधिकरण के अधिकार निम्नलिखित है :—

"(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) व्यक्तिक्रम के लिए अभ्यावेदन को खारिज करना या उसका एक पक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(ज) व्यक्तिक्रम के लिए किसी अभ्यावेदन के खारिज किए जाने के किसी आदेश या उसके द्वारा एक पक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना; और

(झ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाना है या किया जाए।"

अतः ये शक्तियां तथा यह प्रक्रिया अपील प्राधिकरण को एक दर्जा प्रदान करता है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मंत्री महोदय, विधेयक की धारा 12(1) के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं होगी लेकिन विधेयक की धारा 12(2) के अनुसार प्राधिकरण के अधिकार वही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विदित हैं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : विधेयक की धारा 12(1) तथा धारा 12(2) में कोई विरोधा मास नहीं है। यह अपील प्राधिकरण एक स्वतंत्र प्राधिकरण होगा जो खुद निर्णय लेगा। लेकिन उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की जाएगी और किसी अपील का मूल क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधीन होगा। यह आवश्यक है क्योंकि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का इसमें अपना एक दर्जा होगा। यह एक ऐसा निकाय होगा जो निश्चित तौर पर निर्णय लेगा; इसका काम पहले लोगों की कठिनाइयों को समझना तथा बाद में निर्णय लेना होगा।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आप इसमें नियमित न्यायाधीश को क्यों नहीं रखते?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : अतः, अपील उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में दायर नहीं की जाएगी।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आप इस प्रयोजनार्थ एक नियमित न्यायाधीश को क्यों नहीं रखते?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : यह एक अलग मुद्दा है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : वह एक अलग मुद्दा नहीं है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं आपको बताऊंगा।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आप सेवानिवृत्त सचिव अथवा न्यायाधीश को क्यों रखना चाहते हैं?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए हैं और अपने साथी श्री दासमुंशी जी के प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। मेरा कहना है कि विधेयक की धारा 12(1) तथा 12(2) में कोई विरोधाभास नहीं है।

यहां माननीय सदस्यों ने पर्यावरण से संबंधित मामलों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। वे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यदि से संबंधित मुद्दों को उठाना चाहते थे।

इसके अलावा गंगा कार्य योजना के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई। मैं कामना करता हूं कि मुझे काम करने का समय मिले। कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही मैंने गंगा कार्य योजना-I के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया था। कई कठिनाईयां हैं। मैं गंगा कार्य योजना-I के बारे में इस माननीय सदस्य को विश्वास में लूंगा क्योंकि यह एक गरिमाशाली राष्ट्रीय परियोजना है जिसे पर्यावरण मंत्रालय में सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

लेकिन मैं उन मुद्दों पर पृथक-पृथक रूप अपनी बात कहूंगा; इन मुद्दों को यहां उठाए जाने से मुझे चिंता नहीं है। यहां एक सीमित प्रश्न है कि यह विधेयक पर्यावरण अपील प्राधिकरण को मान्यता देने से संबंधित है। इसीलिए गंगा कार्य योजना I तथा II और प्रदूषण इत्यादि से जुड़े प्रश्न इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर हैं।

माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और मैं चाहूंगा कि उन सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का अलग-अलग उत्तर दूं।

इस वाद विवाद के दौरान एक प्रमुख प्रश्न उठाया गया। कुछ लोगों ने पर्यावरण के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की और कुछ अन्य लोगों का विचार था कि पर्यावरण के प्रति उक्त चिंता व्यक्त करने वाले लोग विकास के प्रति चिंतित नहीं हैं। इसीलिए हमने मध्य मार्ग अपनाया है और मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर दे देने के पश्चात् यह माननीय सभा मध्यम मार्ग की बात से सहमत होगी क्योंकि यहां कारण महत्वपूर्ण हैं, विकास जरूरी है क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है। पश्चिम के देश विकास कर चुके हैं और वे अब हमें सलाह दे रहे हैं। मैं सदन में पर्यावरण के प्रति व्यक्त की गई चिंता से सहमत हूं। हम अपने देश की स्थिति की तुलना विश्व के किसी अन्य देश की स्थिति से नहीं कर सकते। यह आत्म प्रशंसा नहीं है। पर्यावरण के प्रति चिंता हमारे लोकाचार तथा संस्कृति का हिस्सा है।

मैं एक दिन गंगा परियोजना को देख रहा था और काफी दुखी था, सौभाग्य से मुझे एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी (आई॰ए॰एस॰), जो मुस्लिम हैं, की एक कविता मिली। उन्होंने गंगा पर एक कविता लिखी है। उन्होंने कहा है कि शताब्दियों पहले हमने दुनिया को प्रकाश दिया और मेलजोल एवं शांति का संदेश दिया और अब हम उस नदी को प्रदूषित कर रहे हैं जो न सिर्फ हिन्दुओं बल्कि समाज के दूसरे तबकों के लिए भी पवित्र है। मैंने उस कविता को पढ़ा और गंगा पर चर्चा के दौरान मैं उस कविता को यहां सुनाऊंगा।

यहां मेरा कहना यह है कि पश्चिम के देश हमें सलाह दे सकते हैं लेकिन हमें अपनी स्थिति को भी समझना चाहिए तथा उसका ख्याल करना चाहिए। मैं सदन में विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पर्यावरण के बारे में हमारे यहां काफी व्यापक कानून हैं। जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण के बारे में कई प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि हम सभी जगह सफल रहे हैं। लेकिन हम यह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम उपलब्ध कानून को निश्चित रूप से लागू करेंगे, निश्चय ही यह सभी सदस्यों तथा राजनीतिक दलों के सहयोग से ही हो पायेगा। लेकिन विकास के बारे में मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है। हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाये विकास करेंगे। विकास की अनदेखी किए बिना हम पर्यावरण के बारे में ख्याल करेंगे। इसतरह से मेरी स्थिति बीच की है, मुझे उम्मीद है कि हम देश में विकास कार्य करेंगे। मंत्रालय इसका ख्याल रखेगा।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों का स्वागत करता हूं। हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाये विकास करेंगे। यहां मैंने

पश्चिम की बात इसलिए कही क्योंकि भारत को अत्यधिक सलाह दी गई है। यदि मुझे सम्मेलनों में भाग लेने का मौका मिला तो मैं उन्हें बताऊंगा कि वे हमारे देश से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। यह विषयांतर है क्योंकि आपने गंगा योजना का उल्लेख किया था। मैं आपको बताऊं कि वन्य जीव के बोर्ड की बैठक तीन चार दिनों पहले नौ वर्षों के पश्चात हुई थी। 'टाईगर फोरम' की बैठक थी जिसमें कुछ विदेशियों ने भी हिस्सा लिया। मैंने उन्हें बताया कि यदि उन्हें बाघों की चिंता है तो वे न्यूयार्क में चल रही उन 16 दुकानों के बारे में सोंचे जहां बाघ की हड्डियां तथा उससे जुड़ी अन्य वस्तुएं बेची जाती हैं और उन लोगों ने यूरोप तथा अमरीका में बाघ की हड्डियों तथा अन्य वस्तुओं का बहुत बड़ा बाजार सृजित कर लिया है। इसके बावजूद भी वे यहां आकर कहते हैं कि बाघों की सुरक्षा होनी चाहिए। हम बाघों की सुरक्षा का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उन लोगों की सलाह में खोट है। मैंने इतना उनसे जरूर कहा...*(व्यवधान)* एक माननीय सदस्य द्वारा प्रधिकरण की रचना के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई। वह इससे सहमत नहीं थे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहूंगा तथा प्राधिकरण की संरचना के बारे में काफी सोच-विचार किया गया है। इस प्राधिकरण के लिए अच्छे, पढ़े लिखे तथा योग्य लोगों का चयन किया जाएगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, यदि आप उन्हें सीधे उत्तर देना शुरू करें तो परेशानी में पड़ जाएंगे।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : श्री पी॰आर॰ दासमुंशी और श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने कुछ निश्चित सुझाव दिए हैं और कहा है : "वहां सिर्फ सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी ही क्यों होने चाहिए?" यहां और अभी मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता और मैं कहता हूं, "मैं उनसे सहमत हूं।" यह कठिन है। मैं उनसे विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं। लेकिन कुछ समय होने पर इसकी जांच *अवश्य* होनी चाहिए। यदि उनके पास कोई निश्चित सुझाव हैं तो मैं उनके साथ विचार-विमर्श करूंगा। इससे मुझे भविष्य के लिए शिक्षा मिलेगी। लेकिन जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं इसकी प्रशंसा करूंगा। मैं आपसे इस विधेयक को यथा प्रस्तावित रूप में पारित करने का अनुरोध करूंगा।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में पर्याप्त पारदर्शिता है। कोई भी इसे समझ सकता है। अपील प्राधिकरण स्वयं ही लोगों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और उनकी समस्याओं का हल निकालेगा। इसलिए इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात पारदर्शिता है।

अब, मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि उन्होंने ही संकल्प प्रस्तुत किया था। उन्होंने आगरा के जंगल, गंगा और जयपुर की स्थिति के बारे में चर्चा की है। मैंने आपकी टिप्पणियों को नोट कर लिया है। आपने ताज का भी उल्लेख किया है। मैं सिर्फ एक मुद्दा जो कि सजा से संबंधित है, का जवाब विशेषकर देना चाहूंगा। सात वर्षों की सजा का प्रावधान नहीं है। यह छः महीने से लेकर सात वर्षों तक कुछ भी हो सकती है। यह सजा या जुर्माना या सिर्फ जुर्माना हो सकता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि उन्हें सजा के बारे में अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दण्ड का भागीदार बनना होगा। लेकिन सात वर्ष अधिकतम सीमा है।

श्री राम नाईक ने मुम्बई की तटीय दशा के बारे में कई मुद्दों को उठाया है। इस संबंध में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ऐक्वाकल्चर अलग चीज है। ऐक्वाकल्चर प्राधिकरण अलग है। एक दिन उसका भी गठन होगा। एक्वाकल्चर मूलतः कृषि से संबंधित विषय है। यह मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं है। जहां तक पर्यावरण के पहलू का संबंध है, यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी स्थिति अलग है। उन्होंने मुझे मुम्बई बुलाया है। मैं जरूर मुम्बई जाऊंगा और तट को देखूंगा। मैं उनके और वहां के अन्य संसद सदस्यों के साथ वहां जाऊंगा।

मैंने श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय के फैसले हैं। हमने यह भी कहा है कि वे फैसले भी मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे। हमने पर्यावरण अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन में आपके सामने यह विधेयक पेश किया है। उच्चतम न्यायालय चाहता था कि हम उस प्राधिकरण का गठन करें। इसका गठन किया जा चुका है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आपने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं समझता हूं कि श्री नीतीश कुमार ने इसकी शक्तियों और अनेकों प्रक्रियाओं के बारे में कहा था। मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं।

अंततः मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को रिकार्ड कर लिया है। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं कि मैं इन पर विचार करूंगा और सदस्यों के पास उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दूंगा। लेकिन यहां और अभी मैं इस सम्मानित सभा से इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग करने की अपील करता हूं।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, मैं सरकार की मदद करने के क्रम में उनसे इस विधेयक को और व्यापक बनाने की अपील करता हूं। हम प्रदूषण के बारे में और विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह देश और पारिस्थितिकी पर्यावरण के सर्वाधिक हित में होगा। मंत्री महोदय को इस विधेयक को वस्तुनिष्ठ विचार-विमर्श हेतु प्रवर समिति को अवश्य भेज देना चाहिए। हमें ऐसी बातों के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। हमें इतनी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार को इस पर सोचने का पर्याप्त समय मिलेगा। हम लोगों को भी समय मिलेगा। यह कोई तरीका नहीं है। कई बातें हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान दिलाया जाना चाहिए। वह इस विषय पर

[श्री पी॰आर॰ दासमुंशी]

और अधिक विशेषज्ञों को बुला सकते हैं। वे अपने अनुभवों को बता सकते हैं। यह बेहतर होगा। वह प्रवर समिति को समयबद्ध दिशा निदेश दे सकते हैं कि फलां-फलां समय तक इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। इसलिय यह मामला प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है। तदोपरान्त इसे पुनः सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति जी, मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब नहीं आया है। मैंने कहा था जो नेशनल फिशरीज फोरम ने आज से आंदोलन शुरू किया है और ऐक्वाफार्मिंग वालों की समस्या खड़ी हुई है, इस बात को ख्याल में रखते हुए जैसे डीप-सी फिशिंग के बारे में एक कमेटी बनाई गई थी, उसी प्रकार इस सीआर जोन और ऐक्वाकल्चर के बारे में आप एक कमेटी बनाइए तो आगे चलकर हम उसका स्वागत करेंगे। इस बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में कुछ कहें।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : यह बात सूचना के लिए है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जहां राजनैतिक सभाएं होने को हैं, वहां एक निश्चित सीमा से अधिक आवाज वाले माइक्रोफोनों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

मस्जिदों में प्रार्थना के लिए माइक्रोफोनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, माइक्रोफोनों का प्रयोग मंदिरों में मंत्रोच्चार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह इस तरह से आया है। मैं इसे बहुत ही हल्के ढंग से नहीं ले रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने अत्यधिक कठिनाई के बावजूद धार्मिक नेताओं को बुलाया और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कुछ समझौते किए। हम सभी लोग इससे सहमत थे और इस संवेदनशील चीज को रोक दिया। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए कृपया इस पहलू पर भी विचार कीजिए। यदि प्रवर समिति द्वारा नहीं तो कम से कम स्थायी समिति के द्वारा ही इसकी जांच होने दीजिए; फिर इसे सदन में आने दीजिए। इससे आपके हाथ और मजबूत ही होंगे। आप कृपया इसे समझने की कोशिश कीजिए।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, श्री पी॰आर॰ दासमुंशी जी ने जो बात कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है, बिल विस्तृत आना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री जी उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं और साथ ही मैंने जो बात कही है कि राष्ट्रपति जी का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। श्री कमलनाथ जी और श्री सुखराम जी ने जिस प्रकार से हिमाचल में अपने होटल, मोटल खड़े किये थे उसको रोकने के लिए एक कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे राजनीतिक नेताओं को आप किस प्रकार से फेस करेंगे, इसका स्पष्टीकरण आप देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू : महोदय, मैं इसे दोहराना चाहूंगा। इस सदन ने 1988 में अत्यन्त जल्दबाजी में भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित किया था। जब इस विधेयक की धारा 19 पर बहस हो रही थी तब कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था कि पूर्व अनुमति प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है और संसद सदस्यों के लिए पूर्व अनुमति के मुद्दे के बारे में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए लेकिन इस विधेयक को जल्दीबाजी में पारित कर दिया गया। तत्कालीन मंत्री ने यह कहा था कि वे इस समस्या को बाद में देख लेंगे। अब 7-8 वर्षों के बाद हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस विधेयक के मामले में भी हमें इसके परिणाम बाद में भुगतने होंगे। अत्यधिक कठिनाइयां होंगी। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिए... *(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, कई मुद्दे हैं जिनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह अध्यादेश जल्दबाजी में प्रख्यापित किया गया और वे आज इसे इस विधेयक के द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस विधेयक में सभी पहलुओं की बारीकी में सावधानीपूर्वक जांच किए जाने की जरूरत है। इस विधेयक को प्रवर समिति या कम से कम स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए तथा उसे इस बात का स्पष्ट निदेश देना चाहिए कि वे इसे एक सप्ताह के अंदर वापस कर दें। मैं समझता हूं कि यह किया जा सकता है। प्रवर समिति के मामले में एक सप्ताह का समय पर्याप्त है।

दूसरी बात यह है कि मैंने शीर्ष न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय के दो फैसलों का हवाला दिया था। मैंने दूसरे फैसले का हवाला दिया था जो 'प्रॉन कल्चर' के सिलसिले में 11 दिसम्बर को दिया गया था। इसमें यह कहा गया था कि इसे 15 अप्रैल तक नष्ट कर दिया जाना चाहिए तथा इसकी देखरेख एक प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए और इसे एक महीने के अन्दर गठित कर दिया जाना चाहिए। उस संबंध में क्या प्रगति रही है? केन्द्र सरकार इस मामले में बिल्कुल चुप है। चिलका झील के बारे में भी हवाला दिया गया था... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सिर्फ एक मुद्दे पर ही केन्द्रित रहें।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैंने चार शंकाएं प्रकट की थीं। लेकिन उन मुद्दों का उत्तर अस्पष्ट है। इसमें स्पष्टता की आवश्यकता है। आज कानून बनाने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है इसलिए कल हम यह नहीं कह सकते कि यह जल्दबाजी में किया गया। मैंने जिन चार मुद्दों को उठाया है उनको स्पष्ट किया जाना आवश्यक है क्योंकि हम कानून बनाने का एक गंभीर प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री से

मेरा अनुरोध है कि इन मुद्दों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, मेरी समझ में, इसे प्रवर समिति या स्थायी समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। यह एक सप्ताह में वापस आ सकता है और तब इसे यह सम्मानित सभा पारित कर सकती है। इस विधेयक के काफी दूरगामी परिणाम होंगे।

सभापति महोदय : मंत्री जी, क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं श्री राम नाईक द्वारा उठाए गए मुद्दे पर काफी संक्षेप में हस्तक्षेप करना चाहूंगा। ऐक्वाकल्चर बहुत बड़ी समस्या है। कृषि मंत्रालय इस पर उचित ध्यान दे रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। जहां तक मेरे मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय का सवाल है यह मामला भी हमारे ध्यान में है और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस संबंध में चिन्ता न करें। वे दो दिन के अंदर ही इस संबंध में हमारे उत्तर को देख सकेंगे।

मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक गहन चिन्तन के बाद इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। आप सभी जानते हैं कि यह अध्यादेश कैसे प्रख्यापित किया गया था। सात से आठ बैठकें हुई थीं। यह एक व्यापक कानून है। यदि आप भाषा के स्तर पर किसी अभिव्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो उन पर विचार किया जा सकता है। मैं इस सम्मानित सभा से सिर्फ यही अनुरोध करता हूं हिक इस विधेयक को पारित किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं रिप्लाई करने के लिए इन्हें बुला रहा हूं। आप जोशी जी प्लीज बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, हमारे बहुत अच्छे और पुराने साथी हैं जो अभी-अभी मंत्री बने हैं। उन्होंने यह कहा है कि इसे बड़े थौरोली, डीपली और सात मीटिंग करने के बाद यहां पर लाए हैं और वे आज इसे किसी न किसी प्रकार से यहां पर पास करवाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह इस प्रकार से पास नहीं होगा और यदि यह पास न होगा, तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा और सरकार पर कोई बड़ी भारी विपत्ति आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी सरकार, यदि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए, जैसी बात यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, गिर नहीं जाएगी। चली नहीं जाएगी। इस बिल को सिलैक्ट या स्टैंडिंग कमेटी को भेजना कोई बुरी बात नहीं है। यदि यह उन कमेटियों को चला जाएगा, तो इससे सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। सात मीटिंगें हो गई और थौरोली डिसकस हो गया और डीपली विचार हो गया इसलिए आप यदि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएंगे, तो यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा, जल, वायु और ध्वनि, जैसा आप सुबह बता रहे थे कि आवाज यानी भोंगू की आवाज, लाउडस्पीकर की आवाज और जैसा मैंने सुबह आपको हार्न का उदाहरण दिया था वह और ये जो स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि यहां पर आकर गाड़ी की गति धीमी हो जाए। अब आप मुझे पता नहीं, कहीं विदेश में गए हैं कि नहीं?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा ख्याल है कि आप गए होंगे। वहां विदेशों में लिखा हुआ है कि हार्न बजाना अपराध है।

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : क्या आप मुझे एक मिनट के लिए बोलने देंगे?

मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर हमारे पास पहले ही एक व्यापक अधिनियम है। इस विधेयक का दायरा सिर्फ पर्यावरण के मानदंडों तक सीमित है। इसलिए मैं आपसे जोरदार शब्दों में अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को इस सम्मानित सभा से पारित कराने में आप मेरा साथ दें। जब आप ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो यह अपने आप में एक अलग विषय है। मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली शहर ध्वनि प्रदूषण व अन्य प्रदूषणों से अवरूद्ध हो रहा है। हमें इसके संबंध में भी समय आने पर सोचना होगा। आपको इसी विधेयक में सब कुछ नहीं मिल सकता। यह सुनिश्चित है। इसलिए मेरी आपसे अपील है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : सभापति महोदय, इस बिल को सिलैक्ट या स्टैंडिंग कमेटी को भेजने में क्या आपत्ति है, मंत्री जी बताएं? कमेटी अपनी रिपोर्ट सात दिन के अंदर दे देगी।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे एक कांप्रीहैंसिव बिल लाने का यहां आश्वासन तो कम से कम दे दें...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। हम काफी समय ले चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसमें ध्वनि का प्रदूषण भी

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

शामिल कर लें। मंत्री जी, कृपया पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बड़े विद्वान हैं, मैं आपकी बड़ी कद्र करता हूं। वहां यानी विदेशों में तो लिखा है कि हार्न बजाना मना है और यहां पर लिखा है कि हार्न बजाकर बताओ। फिर यहां तो हार्न भी ऐसे बन रहे हैं कि कहीं हार्न बज रहा है, तो लगता है कि कोई बच्चा रो रहा है और कहीं पता लगता है कि कोई गीत गा रहा है। देश में हार्न भी अजीब-अजीब प्रकार के हो गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि आप एक कांप्रीहेंसिव बिल लाएं। अब यहां पर भी प्रदूषण हो रहा है। ये 13 पार्टियां हैं। यहां पर भी प्रदूषण हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है और उसका असर आप पर भी हो रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप इसमें ध्वनि को भी जोड़िए।

महोदय, जहां तक आपकी भावना का संबंध है, हमारे आदरणीय चीफ व्हिप ने पहले ही कह दिया है कि हम आपकी भावना का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने जो मेहनत की है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बहुत मेहनत की है। अभी हाल ही में ये नए-नए मंत्री बने हैं और कुशल मंत्री हैं और आप भी यह मानते हैं कि हम आपकी भावना के विरूद्ध नहीं हैं, लेकिन जो बात यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने कही है कि इसको सिलैक्ट या स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या मंत्री जी आज इस बात को मन में ठाने बैठे हैं कि इसको वे आज ही पास करवा लेंगे, तो वे वोट करवा कर देख लें। वैसे हम आपके साथ हैं, लेकिन आज तक आपने इसके लिए रूल्स नहीं बनाए हैं, इसमें कौन अधिकारी होंगे, इसका दफ्तर कहां होगा, ये सारी बातें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैंने जयपुर शहर के बारे में निवेदन किया था कि 350 खानें हैं जो इसके परव्यू में भी नहीं आ रही हैं, लेकिन उनको भी बंद कर दिया गया है। इससे काफी परेशानी हो रही है। केलव झालना की खान को बंद करने के आदेश पर गवर्नर साहब ने दस्तखत किए हैं कि वह बंद होगी, लेकिन वह भी बन्द नहीं है। जयपुर शहर में 350 खानें हैं जहां कि मकान का काम चलता था जहां पर सड़क बनाने के लिए रोड़े मिलते थे। उन सारी खानों को भी आपने बंद कर दिया है। जिससे वहां पर विकास कार्य करने में बड़ी कठिनाई सामने आ रही है। आपने इसमें बहुत सी बातें कही हैं। इसमें जो बात कही है कि इसमें रिटायर्ड सैक्रेट्री होंगे और रिटायर्ड जज होंगे और सिविल प्रासीजर कोड वाली बात भी कही है और आपने कहा है कि इसमें जो सात साल और एक लाख रुपया जुर्माना अधिकतम करने की बात है, वह हरेक पर लागू नहीं होगी। मैं कहता हूं कि इस संबंध में भी आप फिर से विचार करें और मुझे विश्वास है कि जब आप उत्तर देंगे, तो मुझे इस बात का भी उत्तर दें कि जब इसमें इतनी सजा का प्रावधान है, तो क्या आप किसी जज को रोक लेंगे कि सात साल की नहीं बल्कि छः महीने की सजा दें। जब रिटायर्ड जज होगा और केस चलेगा, तो वह सात साल की सजा भी देगा और एक लाख रुपया भी जुर्माना करेगा। इसलिए मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए और आप इस बिल को सिलैक्ट या स्टेडिंग कमेटी को भेज दीजिए और मुझे उम्मीद है कि सदन में बैठे हुए सारे सदस्य सहमत होंगे। इसके बाद भी यदि आप इसको यहां पास करवाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी।

[अनुवाद]

श्री एन॰एस॰वी॰ चित्थन (डिंडीगुल) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि 13 पार्टियां सदन को प्रदूषित कर रही हैं। यह आपत्तिजनक टिप्पणी है और इसे रिकार्ड से हटा देना चाहिए... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, इसमें मैंने कौन सी ऐसी बात कहीं है जो आपत्तिजनक है। आप बताइए 40 आदमी कहीं हिन्दुस्तान पर राज कर सकते हैं। यह सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या आप सांविधिक संकल्प को वापस लेना जा रहे हैं या आप इस पर दबाव डालेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, यदि मंत्री महोदय आश्वासन दें, तो मैं इसे वापस ले लूंगा। पहले आप मंत्री जी से आश्वासन तो दिलवाइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी, क्या आप इसे स्थायी समिति को भेजने के लिए तैयार हैं?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : जी नहीं।

मैं इसे स्थायी समिति को भेजने के लिए तैयार नहीं हूं। श्री भार्गव ने जयपुर की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उन्होंने वैधानिक समस्याओं का भी उल्लेख किया है। मैंने इसे नोट कर लिया है। मैं उनके साथ उन स्थानों का दौरा करूंगा और उन समस्याओं को समझ कर उनका समाधान करूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तो ठीक है महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या सदन श्री गिरधारी लाल भार्गव को उनके द्वारा प्रस्तावित सांविधिक संकल्प को वापस लेने की अनुमति देने को सहमत है?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ऐसे क्षेत्रों के निर्बन्धन की बाबत जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे, अपील की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे।

खण्ड 2 से 10 तक

खण्ड 2 से 10 में कोई संशोधन नहीं है, इसलिए अब मैं उन्हें मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 10 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 11 प्राधिकार के पास अपील

सभापति महोदय : श्री नाईक, क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव रख रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4 पंक्ति 7 -

"प्रसंस्करण" के पश्चात् निम्निखित अंतः स्थापित किया जाये—

"जिसमें आवास, मत्स्य पालन अथवा जलचर पालन के बारे में अथवा नागरिक सुविधाओं के लिए उपबंध करने संबंधी प्रसंस्करण शामिल है।" (1)"

सभापति महोदय, मैं यह अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं। मैं इसमें कोई भाषण नहीं करना चाहता लेकिन मैंने अपने भाषण में कहा कि इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग हाउस के साथ ही साथ हाउसिंग, फिशिंग, एक्वाकल्चर और सिविल एमनेस्टी को देना अवश्य है। इस बात को लेकर विचार करना चाहिए।

मंत्री जी, मेरा जो अमेंटमैंट है, वह एक क्लेरीफिकेशन के तौर पर है। यह बात समझकर आप मेरे अमेंडमैंट को स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

प्रो सैफुद्दीन सोज : मैं श्री नाईक से अपना संशोधन वापिस लेने का आग्रह करता हूं क्योंकि बागवानी कृषि संबंधी कार्य है।

सभापति महोदय : मैं श्री नाईक द्वारा खण्ड 11 के लिए रखा गया संशोधन सं 1 मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 से 23 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हमें सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ करनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, बीच में जो तीन बिल और आर्डिनेंस हैं उसको आप आज नहीं ले रहे हैं। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जनरल बजट पर चर्चा पूरी होनी चाहिए। कल पूरी करिये। कल रात को ज्यादा देर बैठकर पूरी करिये ताकि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले। लेकिन जो जनरल बजट की डिबेट है, वह फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपके सजेशन्स बिजनस एडवाईजरी कमेटी को भेज देंगे।

श्री राम नाईक : बीच में से हम तीन बिल छोड़ रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करें।

सभापति महोदय : आपके सुझाव बिजनस एडवाईजरी कमेटी में भेज देंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, यह संशोधित कार्य सूची सदन की सम्पत्ति है। यदि संशोधित कार्य सूची में कुछ मद छोड़े जाते हैं तो उसकी स्वीकृति सदन से लेनी चाहिए। इसलिए कृपया वह स्वीकृति प्राप्त करें और फिर हम सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ करेंगे। इस संशोधित कार्य सूची में अनेक अन्य विधेयकों का भी उल्लेख है...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सभापति महोदय, हम कल और परसों के कार्य की सूची पुनः बनाएंगे। आज हम सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। हम अध्यक्ष महोदय तथा विभिन्न दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे तथा कार्य की सूची तदनुरूप पुनः बनाएंगे तथा फिर कल और परसों के लिए कार्य निर्धारित करेंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यही सुझाव मैंने दिया है।

मैं समझता हूं कि सदन अब इससे सहमत है।

अपराह्न 17.41 बजे

सामान्य बजट, 1997-98 (सामान्य चर्चा)
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1997-98
अनुपूरक अनुदानों की मांगें— (सामान्य), 1996-97
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें— (सामान्य), 1994-95

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद सं॰ 20, 21, 22 और 23 पर एक साथ चर्चा करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 26, 28, 29, 31 से 60, 62 से 92, 94, 95 और 97 से 102 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1997 का समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

मांग संख्या 3 से 9, 12 से 20, 22 से 24, 26, 28, 32 से 37, 39 से 50, 52 से 58, 62, 65 से 68, 70 से 72, 75, 77 से 83, 85, 87, 88, 91, 93, 96 से 101

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं—मांग संख्या 14, 17, 19, 24, 64, 77, 90 और 98"

सभापति महोदय : अब मैं श्री शरद यादव से अपना भाषण जारी करने का अनुरोध करता हूं।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिंए प्रस्तुत लेखा अनुदान की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	490,80,00,000	3,26,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	46,95,00,000	39,18,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	99,88,00,000	-
4.	पशु पालन और डेयरी कार्य विभाग	43,06,00,000	31,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	38,32,00,000	6,76,00,000
6.	उर्वरक विभाग	1848,82,00,000	107,64,00,000
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन विभाग	43,08,00,000	6,86,00,000
8.	पर्यटन विभाग	17,96,00,000	3,31,00,000
नागररिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
9.	नागरकि पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	13,05,00,000	8,00,000
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	28,46,00,000	54,14,00,000
वाणिज्य मंत्रालय			
11.	वाणिज्य विभाग	133,71,00,000	17,83,00,000
12.	पूर्ति विभाग	6,28,00,000	-
संचार मंत्रालय			
13.	डाक विभाग	523,11,00,000	12,39,00,000
14.	दूर संचार विभाग	2504,82,00,000	1831,50,00,000
रक्षा मंत्रालय			
15.	रक्षा मंत्रालय	397,09,00,000	4,13,00,000

1	2	3	
16.	रक्षा पेंशन	619,10,00,000	-
17.	रक्षा सेवा-थल सेना	3250,69,00,000	-
18.	रक्षा सेवा-नौसेना	483,09,00,000	-
19.	रक्षा सेवा-वायु सेना	829,72,00,000	-
20.	रक्षा आयुध कारखाने	620,37,00,000	-
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	-	1673,44,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	92,13,00,000	1,21,00,000
विदेश मंत्रालय			
23.	विदेश मंत्रालय	234,23,00,000	30,00,00,000
वित्त मंत्रालय			
24.	आर्थिक कार्य विभाग	696,25,00,000	20,89,00,000
25.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	130,21,00,000	94,22,00,000
26.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	93,41,00,000	694,43,00,000
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	1830,51,00,000	170,83,00,000
29.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	-	49,78,00,000
31.	व्यय विभाग	786,38,00,000	-
32.	पेंशन	257,79,00,000	-
33.	लेखा परीक्षा	85,12,00,000	58,00,000
34.	राजस्व विभाग	31,01,00,000	21,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	84,50,00,000	21,00,00,000
36.	अप्रत्यक्ष कर	132,68,00,000	44,20,00,000
37.	कंपनी कार्य विभाग	3,00,00,000	1,00,000
खाद्य मंत्रालय			
38.	खाद्य मंत्रालय	1288,93,00,000	18,71,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
39.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	8,12,00,000	2,95,00,000

1	2	3	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
40.	स्वास्थ्य विभाग	239,43,00,000	84,07,00,000
41.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	9,47,00,000	1,00,000
42.	परिवार कल्याण विभाग	368,00,00,000	27,00,000
गृह मंत्रालय			
43.	गृह मंत्रालय	51,96,00,000	3,68,00,000
44.	मंत्रिमंडल	16,26,00,000	5,00,00,000
45.	पुलिस	668,37,00,000	77,68,00,000
46.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	58,46,00,000	30,68,00,000
47.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	41,80,00,000	43,14,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
48.	शिक्षा विभाग	871,80,00,000	14,00,000
49.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	26,25,00,000	31,00,000
50.	संस्कृति विभाग	36,70,00,000	-
51.	महिला और बाल विकास विभाग	158,02,00,000	-
उद्योग मंत्रालय			
52.	औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	114,73,00,000	6,00,000
53.	सरकारी उद्यम विभाग	85,00,000	-
54.	भारी उद्योग विभाग	3,73,00,000	36,52,00,000
55.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	118,46,00,000	48,46,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
56.	सूचना, फिल्म तथा प्रचार	27,17,00,000	2,99,00,000
57.	प्रसारण सेवाएं	266,31,00,000	72,37,00,000
श्रम मंत्रालय			
58.	श्रम मंत्रालय	123,91,00,000	20,,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
59.	विधि और न्याय	61,37,00,000	-

1	2	3	
60.	चुनाव आयोग	97,00,000	-
खान मंत्रालय			
62.	खान मंत्रालय	40,16,00,000	6,83,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
63.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	37,86,00,000	19,12,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय			
64.	संसदीय कार्य मंत्रालय	57,00,000	-
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
65.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	20,95,00,000	43,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
66.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	64,00,000	-
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
67.	योजना	17,14,00,000	7,67,00,000
68.	सांख्यिकी विभाग	24,90,00,000	86,00,000
69.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	131,95,00,000	-
विद्युत मंत्रालय			
70.	विद्युत मंत्रालय	88,30,00,000	452,59,00,000
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय			
71.	ग्रामीण विकास विभाग	744,36,00,000	-
72.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	2101,18,00,000	-
73.	बंजर भूमि विकास विभाग	15,87,00,000	-
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
74.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	85,47,00,000	8,17,00,000
75.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	76,33,00,000	92,00,000
76.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	17,26,00,000	88,00,000

1	2	3	
इस्पात मंत्रालय			
77.	इस्पात मंत्रालय	1,18,00,000	4,28,00,000
भूतल परिवहन मंत्रालय			
78.	भूतल परिवहन	12,34,00,000	3,61,00,000
79.	सड़कें	142,20,00,000	350,98,00,000
80.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	38,87,00,000	71,92,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
81.	कपड़ा मंत्रालय	73,38,00,000	50,96,00,000
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय			
82.	शहरी विकास	58,74,00,000	66,43,00,000
83.	शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	36,57,00,000	6,67,00,000
84.	लोक निर्माण कार्य	77,42,00,000	35,66,00,000
85.	लेखन सामग्री और मुद्रण	23,90,00,000	75,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
86.	जल संसाधन मंत्रालय	74,84,00,000	5,68,00,000
कल्याण मंत्रालय			
87.	कल्याण मंत्रालय	249,04,00,000	48,90,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
88.	परमाणु ऊर्जा	127,86,00,000	108,40,00,000
89.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	128,65,00,000	58,53,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग			
90.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	17,49,00,000	5,24,00,000
महासागर विकास विभाग			
91.	महासागर विकास विभाग	15,34,00,000	79,00,000
अन्तरिक्ष विभाग			
92.	अन्तरिक्ष विभाग	171,04,00,000	24,09,00,000

1	2	3	
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
94.	राज्य सभा	3,82,00,000	-
95.	लोक सभा	8,87,00,000	-
97.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	8,00,000	-
संघ राज्य क्षेत्र बिना विधान मंडल वाले			
98.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	61,72,00,000	31,18,00,000
99.	चंडीगढ़	64,37,00,000	10,71,00,000
100.	दादरा और नागर हवेली	19,01,00,000	3,92,00,000
101.	दमन और दीव	14,30,00,000	2,74,00,000
102.	लक्षद्वीप	21,23,00,000	2,85,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	*25901,85,00,000*	*6707,19,00,000*

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक मागें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखा अनुदान की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	32,42,00,000	-
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	7,39,00,000	-
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	-	9,90,00,000
6.	उर्वरक विभाग	2,00,000	-
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन विभाग	-	1,00,000
8.	पर्यटन विभाग	-	3,00,00,000
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	31,30,00,000	-

1	2	3	
वाणिज्य मंत्रालय			
12.	पूर्ति विभाग	3,85,00,000	-
संचार मंत्रालय			
13.	डाक विभाग	409,98,00,000	-
14.	दूर संचार विभाग	2,00,000	474,00,00,000
रक्षा मंत्रालय			
15.	रक्षा मंत्रालय	81,78,00,000	-
16.	रक्षा पेंशनें	383,00,00,000	-
17.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	367,10,00,000	-
18.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	136,46,00,000	-
19.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	312,35,00,000	-
20.	रक्षा आयुध निर्माणियां	52,69,00,000	-
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	-
विदेश मंत्रालय			
23.	विदेश मंत्रालय	83,82,00,000	-
वित्त मंत्रालय			
24.	आर्थिक कार्य विभाग	-	1,00,000
26.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	18,94,00,000	669,27,00,000
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	148,55,00,000	-
32.	पेंशनें	205,37,00,000	-
33.	लेखा परीक्षा	48,87,00,000	1,50,00,000
34.	राजस्व विभाग	11,36,00,000	-
35.	प्रत्यक्ष कर	24,50,00,000	-
36.	अप्रत्यक्ष कर	44,82,00,000	1,00,000
खाद्य मंत्रालय			
37.	खाद्य मंत्रालय	175,69,00,000	-

1	2	3	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
39.	स्वास्थ्य विभाग	31,00,00,000	2,00,000
40.	भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणालियां	1,00,000	-
41.	परिवार कल्याण विभाग	71,10,00,000	-
गृह मंत्रालय			
42.	गृह मंत्रालय	18,88,00,000	-
43.	मंत्रिमंडल	2,19,00,000	-
44.	पुलिस	260,93,00,000	1,00,000
45.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	68,12,00,000	35,79,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	113,19,00,000	15,36,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
47.	शिक्षा विभाग	5,00,000	-
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	6,50,00,000	-
49.	संस्कृति विभाग	3,02,00,000	-
50.	महिला और बाल विकास विभाग	1,00,000	-
उद्योग मंत्रालय			
52.	सरकारी उद्यम विभाग	2,26,00,000	-
53.	भारी उद्योग विभाग	867,68,00,000	101,36,00,000
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	2,00,000	-
सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
55.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	11,30,00,000	-
56.	प्रसारण सेवाएं	22,50,00,000	11,73,00,000
श्रम मंत्रालय			
57.	श्रम मंत्रालय	1,00,000	-
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय			
58.	विधि और न्याय	1,00,000	-
खान मंत्रालय			
62.	खान मंत्रालय	8,73,00,000	-

1	2	3	
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
65.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	9,10,00,000	23,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
66.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	17,00,000	174,40,00,000
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
67.	योजना	1,00,000	-
68.	सांख्यिकी विभाग	6,19,00,000	-
	विद्युत मंत्रालय		
70.	विद्युत मंत्रालय	69,09,00,000	2,00,000
	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय		
71.	ग्रामीण विकास विभाग	1,00,000	-
72.	बंजर भूमि विकास विभाग	1,00,000	-
75.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	30,35,00,000	-
	इस्पात मंत्रालय		
77.	इस्पात मंत्रालय	64,70,00,000	1,00,000
	भूतल परिवहन मंत्रालय		
78.	भूतल परिवहन	2,22,00,000	-
79.	सड़कें	61,93,00,000	58,56,00,000
80.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	2,70,00,000	2,00,000
	कपड़ा मंत्रालय		
81.	कपड़ा मंत्रालय	2,00,000	97,68,00,000
	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय		
82.	शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी निवारण	-	4,00,000
83.	लोक निर्माण कार्य	15,96,00,000	1,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
85.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	5,00,000

1	2	3	
परमाणु ऊर्जा विभाग			
87.	परमाणु ऊर्जा	53,21,00,000	-
88.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	130,05,00,000	-
अन्तरिक्ष विभाग			
91.	अन्तरिक्ष विभाग	6,74,00,000	-
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
93.	राज्य सभा	1,44,00,000	-
96.	उपराष्ट्रपति का सविचालय	8,00,000	-
गृह मंत्रालय-संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)			
97.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26,65,00,000	-
98.	चंडीगढ़	33,61,00,000	1,00,000
99.	दादरा और नगर हवेली	-	2,49,00,000
100.	दमन और दीव	4,94,00,000	35,00,000
101.	लक्षद्वीप	22,00,000	8,00,000
	कुल जोड़	**4587,21,00,000**	**1655,92,00,000**

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांगों की राशि
1	2	3
1.	**राजस्व से पूरा किया गया व्यय**	
14	डाक सेवाएं	33,59,03,379
17	रक्षा पेंशनें	9,94,02,120
19	रक्षा सेवाएं-नौसेना	6,30,17,484
24	विदेश मंत्रालय	35,50,79,760
64	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,87,386
77	पत्तन, दीपस्तम्भ एवं नौवहन	1,13,87,819
90	राज्य सभा	1,25,759
2.	**पूंजी से पूरा किया गया व्यय**	
14	डाक सेवाएं	2,07,82,817
98	दमन एवं दीव	3,49,410

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय, अभी जिस बिल पर बहस हो रही थी, पौने छह बज गए हैं, सदन के सदस्यों ने उसे पास जरूर कर दिया है लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका मन भरा है। महोदय, अपनी बात कहने से पहले मैं आपके माध्यम से अपनी पीड़ा और तकलीफ रखना चाहता हूं। यह सदन पचास वर्षों से चल रहा है। देश में इससे बेहतरीन बहस की जगह नहीं है, बाकी दुनिया का मुझे मालूम नहीं है। जिस तरह से सारे बिल और बहस जल्दबाजी में हो रही है, जब से स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी है, तब से सदन का समय बिल्कुल सिकुड़ गया है। पिछले बजट में, राष्ट्रपति महोदय के भाषण में भी मजाक चलता है। इस बजट में भी बहुत जल्दबाजी की जा रही है। मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो हालात यह हैं कि अब लोग खाना खाकर सोने जा रहे होंगे और हम देश के 90 करोड़ लोगों की बाबत बहस करने के लिए खड़े हैं। मैं बारह बजे से इंतज़ार कर रहा हूं कि कब वक्त आएगा। मेरी आपसे एक अपील है, मैं किसी एक दल के दायरे से नहीं बोल रहा हूं, दासमुंशी जी के साथ मेरा मन हुआ था, खड़ा होकर कहूं कि इस बिल को अलग ले जाएं। मैं यह नहीं कहता कि इस बिल में अच्छाई नहीं है, यह बिल ठीक नहीं है लेकिन जिस बहस से सदन संतुष्ट हो जाए, वही सबसे बड़ी बात है। स्टैंडिंग कमेटी के चलते सदन का जो वक्त घट गया है, उसने सदन की महान् परम्पराओं का बहुत कमजोर कर दिया है। यह एक समय नहीं है जब आप जल्दबाजी में इन्हें कर रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, इस सदन के भीतर की बात में जितनी सच्चाई है वह सदन के बाहर की बात में नहीं होती। स्टैंडिंग कमेटी बाहर बैठी हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या करके आ गई, क्या करके नहीं आई। मैं सारे सदन के लीडर्स और पार्टी के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि जिस दिन स्टैंडिंग कमेटीज़ बन रही थीं, उस दिन भी मैंने उसका विरोध किया था। लोगों ने इसे बड़ी कठिनाई से बनाने का काम किया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शरद जी, जब आप रिमार्क्स पास करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कमेटियां हाउस का एक पार्ट हैं।

श्री शरद यादव : मैं उनके खिलाफ रिमार्क नहीं कर रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि एक तरह से यह सदन दल का हिस्सा है। मैं सिर्फ विनती कर रहा हूं कि इस पर विचार कीजिए। पचास साल में जो परम्पराएं बनी हैं उससे बहस बढ़िया रहती। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता।...*(व्यवधान)*

मैंने इस बजट के हक में जहां छोड़ा था, वहीं से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। विरोधी दल के सम्माननीय नेता अटल जी ने इस बहस को शुरू किया था और उन्होंने कुछ बातों पर आलोचना की थी, कई मुद्दों पर आलोचना की थी। एक अहम् मुद्दा, एक मुख्य मुद्दा, एक धुरी सवाल उन्होंने इस सदन में रखा था कि यह बजट गरीबों को छोड़ गया है, इस बजट में हिन्दुस्तान का जो मेहनत करने वाला है, उसको छोड़कर यह सारा बजट कुछ मजबूत लोगों के लिए बना है, उद्योग-धन्धे, व्यापारी और कारपोरेट हाउस के लिए बना है। उस बात की बहस चल रही थी, उसी के आंकड़े में रख रहा था।

संयुक्त मोर्चा की सरकार ने गरीब को लक्ष्य बनाकर यह बजट बनाया है और जब यह बात मैं कह रहा हूं कि यह बजट जब बना है तो गरीब को हमने लक्ष्य रखा है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है। हमारी सरकार के प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री चिदम्बरम जी और जो संयुक्त मोर्चा है, उसका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसमें हमारा यदि कोई लक्ष्य है तो सबसे पहले वह हिन्दुस्तान का दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज़ की मजदूरी करने वाला है, गांव है, देहात है और उसके लिए हमने क्या प्रावधान किया है। मैं उस दिन अपनी बात और अपनी चर्चा में आंकड़ों के साथ इस बात को रख रहा था। पिछले बजट में हमने सोशल सर्विसेज पर 11,785 करोड़ रुपया रखा था, इस बार 1997-98 में हमने 15,707 करोड़ रुपया रखा है। इसमें हमने 4000 करोड़ रुपया बढ़ाया है। ग्रामीण ऋण का जो प्रावधान था, वह 22 हजार करोड़ रुपये था, उसको बढ़ाकर 38,600 करोड़ रुपया किया है। खाद पर और भोजन पर, फूड पर जो सब्सिडी पिछले साल 1996-97 मं 13,833 करोड़ रुपये थी, इसे हमने 1997-98 में बढ़ाकर 16,990 करोड़ किया है। जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोग्राम है, उसमें 1996-97 में 2466 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया था, उसे बढ़ाकर हमने उसको 3300 करोड़ किया है। ग्रामीण रूरल डवलपमेंट में, एम्पलायमेंट में हमने पिछले साल 1996-97 में जो प्रावधान किया था, वह 7825 करोड़ रुपये था। इस वर्ष हमारे संयुक्त मोर्चा की सरकार ने इसको बढ़ाकर 9096 करोड़ रुपया 1997-98 में रखा है। सिंचाई पर पिछले वर्ष 900 करोड़ रुपया था, इस बार हमने 1300 करोड़ रुपया रखा है और वह 1300 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने अपने पास यहां नहीं रखा है, यहां सिंचाई मंत्री बैठे हैं, वित्त मंत्री बैठे हैं, यह एक-एक पाई हमने सूबों को दे दी है। हमने बेसिक सर्विसेज के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये की एक-एक पाई सूबों को पहुंचा दी है।

सभापति जी, गंगा कल्याण योजना गंगा के आसपास की नहीं है। गरीब लोग जिनके पास एक-दो या तीन एकड़ जमीन है, दो-चार बीघा जमीन है, उनको इस योजना के तहत दो-चार लोगों को इकट्ठा करके पानी की और सब सब तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से आधा पैसा देकर मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए हमने 200 करोड़ रुपया रखा है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि यह पैसा थोड़ा कम है। यह योजना बेहतरीन है, इसको यदि बढ़ाएंगे तो इस देश के गरीब आदमी के पास यह सीधे जाएगा और उसका सीधा लक्ष्य बनेगा।

हमारा उत्तर पूर्वी इलाका जम्मू-कश्मीर सब तरह के साधनों से कटा हुआ है। भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता का यह एक प्रतीक राज्य है। यह इस देश के विखंडन का जो खंडित हुआ, का भी प्रतीक है। पहले महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत मेरी लाश

[श्री शरद यादव]

के काटने पर विभाजित होगा। वह कश्मीर आज घायल हैं। वह इस राष्ट्र का हिस्सा है। जब वहां के इलाके का नौजवान बंदूक उठाता है तो वह गलती करता है, लेकिन हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि उसने हाथ में बंदूक क्यों उठाई। उन कारणों की तरफ भारत की सरकार को और जनता को सहानुभूति से सोचना चाहिए। वहां अभी चुनाव हुए और लोकतंत्र की बहाली हुई। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर के चुनाव हुए, सबको मालूम है कि वहां के लोगों ने और बाहर के लोगों ने कई तरह के सवाल किए। लेकिन वहां की जनता ने गोलियों और बंदूकों के बीच जाकर वहां लोकशाही, लोकतंत्र और लोकप्रिय सरकार बनाने का काम किया। वहां हमने स्पेशल पैकेज दिया और 663 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

हम लोगों की जुबान से जब भी हम भाषण देते हैं तो राष्ट्रीय एकता और अंखडता की बहुत बातें निकलती हैं। कच्छ से लेकर बंगाल तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक है। हम मानते हैं कि संयुक्त मोर्चा की सरकार मजबूत नहीं है, हमारा मजबूत बहुमत नहीं है। हम तेरह दलों ने मिलकर सरकार बनाई है। हमें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, जिसके सहारे हमारी सरकार कायम है। हम दावा नहीं करते कि हम मजबूत सरकार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो यहां बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि डा॰ जोशी जब श्रीनगर झंडा फहराने गए तो उन्हें पैदल जाना पड़ा जबकि कश्मीर को भारत से राष्ट्रीय एकता का रास्ता भी जोड़ता है, रेल लाइन भी जोड़ती है, संस्कृति और तहजीब भी जोड़ती है। हम लोगों ने बारामूला तक रेल लाइन के लिए उसे नेशनल प्रोजेक्ट बनाकर रेल बजट के अलावा भी इस बजट में अलग से पैसा देने का प्रावधान किया है। अब डा॰ जोशी झंडा फहराने कश्मीर ही नहीं बारामूला तक भी ट्रेन में बैठकर जा सकेंगे।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : लाल किले पर फहराएंगे तो वहां क्यों जाएंगे?

श्री शरद यादव : वहां भी जाएंगे।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : शायद शरद जी, अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री शरद यादव : जोशी जी वहां जाकर निश्चितरूप से मुरली बजा सकते हैं, क्योंकि उनका नाम मुरली मनोहर है, वे वहां सीधे ट्रेन से जा सकेंगे। हमने कश्मीर और कन्याकुमारी की जो भाषा थी, उसे धरती पर एक्शन में उतारा है। जो सैकुलर लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं,...*(व्यवधान)* इनकी ज्यादा बड़ी ताकत है। मैं सच बात कहता हूं। हम 45 हैं और ये 145 हैं। इनकी ताकत से हमने काम किया है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : आप इनको भी सैकुलर मानते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : हम तो आपको भी सैकुलर मानते हैं। आपने जो गलती की है, उसमें सुधार लाना चाहते हैं। यदि यहां का मुसलमान बेहतर बनेगा तो फिर पाकिस्तान बनना असत्य हो जाएगा क्योंकि जब रोजगार में यहां का मुसलमान ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा तो महात्मा जी कहते थे कि मैं पाकिस्तान में जाकर मरना चाहता हूं। उनकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई क्योंकि उनको गोली मार दी गई। उनकी इच्छा थी कि वह पाकिस्तान जाकर बसें। पाकिस्तान में बसने के पीछे उनका यही मानना था। वह यही विश्वास दिलाना चाहते थे। उन्होंने अपने कई भाषणों में कहा है कि यह जो विभाजन है, यह कस्टम है। डा॰ लोहिया ने कहा था कि 25 साल में जो पाकिस्तान, बंगलादेश अलग-अलग बने थे, ये टूट जाएंगे। महात्मा जी लोहिया जी से बहुत बड़े थे। उन्होंने कहा था कि धरती परमात्मा की तरफ से बनती है, उसे इंसानी कौमों में नहीं बांटा जा सकता। यदि यहां का मुसलमान वहां के मुसलमान से बेहतर हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान के बनने की सारी ख्वाहिश चकनाचूर हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : पहले जैसा भारत बनाएंगे तो हमको भी खुशी होगी। हम सब मिलकर पहले जैसा भारत बनाएंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : वह ऐसे ही बनाएंगे, जैसे कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दिल्ली के नौजवान भी वही महसूस करें जो हम महसूस करते हैं। उनको भी यह लगना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं। हम उनके लिए कुछ करने वाले हैं। तभी बात बनेगी।

आप हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगा सकते हैं कि हमारी 13 पार्टी वाली सरकार है, 14 पार्टी वाली सरकार है, 15 पार्टीज से मिलकर सरकार बनी है। मैं मानता हूं, यह बड़ी अद्‌भुत बात है। जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, यहां हो गया, यह बस कह सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे संविधान का फैडरल स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा संघीय स्वरूप देने का काम हमारी यूनाईटेड फ्रंट की सरकार ने श्री देवे गौड़ा जी के नेतृत्व में किया है। चिदम्बरम जी ने जो बजट बनाया है, बजट के पहले जो पैसा खर्च किया है, इसमें बहस हो सकती है कि यह किस तरह से हुआ है। लेकिन पहली बार चाहे बिजली का मामला हो चाहे पैसे और योजना का मद हो, हमने एक्शन लेकर अपनी पूरी दौलत को संघीय राज्य के अनुसार कि आर्थिक, राजनैतिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, आर्थिक विकेन्द्रीकरण का कदम सबसे ज्यादा 6 महीने में और इस बजट के इतिहास में इसको कारगर करके दिखाया है। इसलिए मैं देवे गौड़ा जी की सरकार को और उनको सहयोग देने वाली पार्टीज को कहना चाहता हूं कि आपने देश के संघीय राज्य को और अलग-अलग तरह के लोगों के मन में जो चोट है, उसको सहलाने का काम किया है।

अपराह्न 6.00 बजे

उनको पूरा करने का काम किया है। इतिहास में पहली बार 800 करोड़ रुपया इस प्लान के अन्तर्गत...

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं आपसे सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाने का आग्रह करता हूं ताकि इसे पूरा किया जा सके।

श्री पी॰ उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, नहीं।

श्री राम नाईक : महोदय, हम एक काम कर सकते हैं। हम इनका भाषण समाप्त होने तक बढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात हम सभी की बैठक स्थगित कर सकते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : मेरे दल में अव्यवस्था मत पैदा कीजिए। महोदय, मुझे 6 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित होना है। यदि आप सदन का समय बढ़ाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। परन्तु यह सुनिश्चित कीजिए कि वह एक घण्टे में अपना भाषण समाप्त कर लेंगे...*(व्यवधान)* वह अभी भी 'स्वतंत्रता' का उल्लेख कर रहे हैं। उन्हें बजट पर चर्चा तो अभी आरंभ करनी है... *(व्यवधान)* मैं अपनी बैठक 7 बजे तक स्थगित कर दूंगा और वापिस आ जाऊंगा। मुझे आशा है कि वह एक घंटे में अपना भाषण पूरा कर लेंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या सदन इस बात से सहर्ष सहमत है कि श्री शरद यादव का भाषण समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : श्री शरद यादव अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। दसवें फाइनेंसे कमीशन ने सिफारिश की थी और पहली बार 29 फीसदी राजस्व सूबों को देने का फैसला स्वीकार कर लिया गया है। मैं जब इस बात को कह रहा हूं, तो मेरी बात और विस्तार से हो जाएगी और समय कम है। इसलिए मैं गरीब के हक में बोलना चाहता हूं। इस बजट में जो गरीब के हक में कहा गया है, मैं उसके बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कहा गया है कि यह बजट गरीब के हक में नहीं है। मैं गरीब के हक में जो किया गया है, उसको मोटे-मोटे तौर पर कहना चाहता हूं। बहुत बड़ी फहरिस्त है, मैंने इस पर दो दिन गहराई से लगाए हैं, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पब्लिक हैल्थ में 615 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपरेशन-ब्लैड-बोर्ड, जो शिक्षा से संबंध रखता है और सिर्फ गरीबों के लिए है, 304 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए 651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिड-डे-मील-स्कीम के लिए 960 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यादव जी, मिड-डे-मील नहीं मिल रहा है।

श्री शरद यादव : मैं मानता हूं कि नहीं मिल रहा है।

श्री नीतीश कुमार : आप मंत्री जी को कहें कि स्कूलों में जो कच्चा माल दिया जाता है, उसके स्थान पर बना हुआ भोजन देना चाहिए।

श्री शरद यादव : इस विषय पर आप भी बोलेंगे।

सभापति महोदय : अगर आप जवाब देंगे तो आपकी स्पीच और लम्बी हो जाएगी।

श्री शरद यादव : मिड-डे-मील-स्कीम के लिए 960 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम है, जिनमें गरीबों को लक्ष्य रखकर पैसा दिया गया है। मैं जानता हूं, शाम का वक्त है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं मोटी-मोटी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था।

रूरल एम्पलायमेंट एंड पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में जो पैसा हमने रखा है वह 6805 करोड़ है। ओल्ड ऐज पेंशन में 700 करोड़ रुपया रखा है। हैंडलूम सब्सिडी में 84 करोड़ रुपए रखा है। मैं यह मानता हूं कि जो दस्तकार लोग हैं उनके लिए इसमें बहुत कुछ और करना चाहिए था, क्योंकि 11 फीसदी लोग हैं और 8000 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए, 7500 करोड़ रुपए, जो सिर्फ गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कम भोजन करते हैं तथा जिनकी उम्र 70 साल की होती है लेकिन वे 50 साल में ही मर जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए इतने बड़े बोल, हम बहुत कुछ कर सकते थे। देश को विकास की बहुत तरह की आवश्यकता है लेकिन इन भूखे लोगों को भूखा रख कर विकास नहीं हो सकता है। इसलिए दो रुपऐ किलो गरीब लोगों को भोजन देने का, 7500 करोड़ रुपए का पैसा लगाने का सरकार ने इंतजाम किया है।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये सारे जो प्रोगाम्स हैं, कार्यक्रम हैं, यानी गरीबी को लक्ष्य मान कर, उसको केन्द्र बिन्दु बना करके सरकार ने जितना पैसा खर्च किया है उसको कोई दूसरी सरकार इस काम को नहीं कर पाई, यह मैं दावे से कह रहा हूं। आज हालत यह है कि विरोध पक्ष तीन दिन तो मूर्छित रहा, इसके खिलाफ बोल नहीं पाया। मान लो हमने हाथ की सफाई भी की है तो यह तो मानना पड़ेगा कि तीन दिन तक तुमको पता ही नहीं चला, आज 16 दिन बाद मूर्छा से जागे हैं जबकि मूर्छा थोड़ी देर के लिए होती है। इसमें जो हमारे विरोध पक्ष के अटल जी ने कहा है कि गरीब को छोड़ दिया गया। अब बहुत से लोग लिख रहे हैं कि गरीब छूट गया। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, केवल मालदार लोगों को ही फायदा पहुंचाया है। निश्चित तौर पर जैसा देश हमको मिला उसमें पी॰ चिदम्बरम जी अकेले के लिए यह छोड़ दो कि यह जो आज

[श्री शरद यादव]

पूरे देश की आर्थिक दशा है उसको वह अकेले ही ठीक कर दें तो यह नहीं हो सकता। दुनिया में जादू कभी नहीं होता है। परमात्मा में लोगों का यकीन है लेकिन परमात्मा का टेलीफोन कभी नहीं आया। इसी तरह से जो सीमा है उस सीमा में गरीब आदमी के हक में जो है...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : ट्रेनिंगे किस ने दी?

श्री शरद यादव : ट्रेनिंग आपने दी, आपके यहां से आई। ...*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : आप लोहिया जी से सीखे। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : मैं मानता हूं। आप भी लोहिया जी से सीख कर वहां बैठे हैं और मैं लोहिया जी से सीख कर यहां खड़ा हूं। ...*(व्यवधान)*

सरकार ने अपनी सीमा में गरीब को लक्ष्य करके खेत, किसान, खाद, भोजन आदि, इन सब में रुपया खर्च किया है। मैं भाई नीतीश जी की और नायक जी की बात मानता हूं कि इस सरकार के मिनिस्टर या प्रधान मंत्री का इस नौ महीने में किसी भी प्रकार के घोटाले में इस सदन में जिक्र नहीं आया है। स्वर्गीय राजीव गांधी की बात से मैं सहमत हूं कि गांव में विकास के लिए जो पैसा पहुंचता है वह केवल 15 प्रतिशत ही पहुंचता है। हमने जो आठ सौ करोड़ रुपया फूड सब्सिडी दी है वह इस बात पर दी है कि यह सीधे गरीब के पास पहुंचेगी और मैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से सदन में कहना चाहता हूं कि यह आठ हजार करोड़ रुपया जो देश की गाढ़ी कमाई है जहां पी॰डी॰एस॰ का सिस्टम मजबूत नहीं होगा, जहां उसके बांटने और पहुंचने का इंतजाम नहीं होगा, वहां मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह एक ऐसी कमेटी बनाए जो इन सारी चीजों को देखने का काम करे कि पी॰डी॰एस॰ मजबूत हो और यह भी देखे कि कहीं लूट तो नहीं होगी। लूट होगी तो फिर यह पैसा पानी और पानी से बिजली निकालने में ही रिजर्व कर दिया जाए। इसे ऐसे ही न बहाया जाए। इस पैसे से 25 लाख मिनरल वाटर की बोतलें पीने वाले लोगों को और तैयार न किया जाए। संयुक्त मोर्चे की सरकार इस बात को देखेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं। फूड मिनिस्टर यहां बैठे हैं, जनेश्वर जी बैठे हैं, भाई जैना जी बैठे हैं, वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं। जैसा अटल जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि यह पैसा तो आपने दे दिया है लेकिन यह पैसा गरीब तक जाए उसके लिए प्रबंधन क्या हैं, यह मैनेज कैसे होगा? यह पैसा गरीब तक जाए इसका कोई प्रशासनिक इंतजाम आपने किया है या नहीं किया है। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इसमें सुधार होना चाहिए।

प्रकृति हमको रोज जीवन देती है। शाम सुबह में बदल जाती है और सुबह शाम में बदल जाती है लेकिन इस देश की लूट की उम्र की काली रात कटती नहीं है। अध्यक्ष जी, पर्दे के पीछे घपले ही घपले हैं चाहे दिल्ली हो या गांव हो। इन पर कोई न कोई रोक तो लगनी चाहिए, कोई न कोई फैसला सदन को इस पर कर लेना चाहिए। गरीब के हक में और बहुत बातें थी लेकिन वक्त की बहुत कमी है। अब जो आलोचना विरोधी पक्ष की तरफ से अखबारों में है कि महंगाई बढ़ेगी। अध्यक्ष जी, छः महीने पहले हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमारे शक्ल घरेलू उत्पाद का घाटे का बजट साढ़े चार प्रतिशत रखेंगे। लेकिन घाटे का बजट पहली बार शक्ल घरेलू उत्पाद का पांच प्रतिशत है और लक्ष्य साढ़े चार प्रतिशत है। जब यह घाटा कम होगा तो महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह घाटे का बजट होता है।

इस घाटे के बजट में हमने पूरी कसरत नॉन प्लान पर कम पैसा खर्च करके की। उसको घटा कर प्लान पर ज्यादा पैसा खर्च करने की बात कही। हमने जो बातें कही थी, उसके अनुरूप अपने वचन को निभाने का काम किया। मैं इसके लिए चिदम्बरम साब और सरकार को बधाई देता हूं। इसने जो बात पहले कहीं थी, इस बजट में उसे रख कर पूरा करने का काम किया। हमने घाटे को पांच फीसदी तक लाने का काम किया जबकि लक्ष्य साढ़े चार फीसदी था। यह बात हो रही है कि टैक्स की जो सीमा है, आमदनी की जो सीमा है, उसको बढ़ा दिया यानी 75 हजार रुपए की आमदनी करने वाले को इससे बाहर कर दिया गया है और टैक्स 40 फीसदी से 10 फीसदी कर दिया गया है। दुनिया के कई देशों में ऐसी व्यवस्था है। हमारा देश गरीबी में सबसे आगे, भूख में सबसे आगे, अशिक्षा में सबसे आगे है। इसका कारण यह भी है, मैं निर्मल दादा की बात को ज्यादा मानता हूं, सरकार की बात कम मानता हूं, इस देश में एक करोड़ 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। इनमें से 60 फीसदी वे लोग हैं जो सरकार से पैसा पाते हैं और हम से लेकर हमें टैक्स देते हैं। ऐसे में खजाना कैसे भरेगा? यह जो टैक्स कम करने का सिलसिला है, यह पहली बार नहीं हो रहा है। संयुक्त मोर्चा सरकार और वाम मोर्चा की जब पहले सरकार थी, उस समय से यह घटानी शुरू हुई है। उस समय 54 फीसदी इनकम टैक्स देते थे। आज ऐसे लोग 30 फीसदी है। हमने जब-जब टैक्स घटाया है, तब-तब रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आई है। इस देश की बचत का आंकड़ा क्या है? इस देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है और जो हमारी बचत है, वह 26 फीसदी हैं। आप 26 फीसदी को जरा बांट कर देखें तो पाएंगे कि हाउस होल्ड 16 फीसदी बचत करता है। हमारी कारपोरेट सेविंग छः फीसदी है और पब्लिक सैक्टर की सेविंग तीन फीसदी है जो कि सबसे कम है। इस देश की संस्कृति और तहजीब में एक बड़ी चीज है। महात्मा गांधी जी ने मितव्ययी रहने की बात कही थी। वह अपने वस्त्र पर अंग भी धारण नहीं करते थे। डाक्टर लोहिया जी भी ऐसी ही बात कहते थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी से ही यह बात सीखी थी। यहां के लोग बहुत मितव्ययी हैं। यहां की संस्कृति ही ऐसी है कि यहां के आदमी इतने कम साधनों में अपना जीवन-यापन करते हैं। वे दिल और तबीयत से बचत करते हैं। हमारे यहां सम्पत्ति को इकट्ठा करने की वृत्ति सबसे ज्यादा है। चाहे कोई

आदमी छोटा हो या बड़ा हो, जरूर पैसा इकट्ठा करके रखता है। इसलिए सबसे ज्यादा सेविंग हाउस होल्ड की है। हम यदि उनको इनसैंटिव देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस देश के हाउस होल्ड लोगों की सबसे ज्यादा बचत करायी। वे इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। इसलिए उनको राहत देनी चाहिए जिससे वे ज्यादा बचत कर सकें। उनकी आदत बदली जानी चाहिए जिससे वे सोने पर कम पैसा खर्च करें। बचत के पैसों की आज पार्टियों को जरूरत है, लोगों को जरूरत है।

राजनीतिक दल इस बात का प्रचार करें कि राष्ट्र कमजोर है, 26 प्रतिशत बचत का पैसा विकास में खर्च किया जा सकता है। इस बचत पूंजी से सड़क, पानी, बिजली, खेती, गरीबी, बेरोजगारी दूर करने का काम कर सकते हैं।

सभापति जी, टैक्स में कमी की गई, लिमिट बढ़ाई गई, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में जो राहत दी गई है, उसका मकसद एक ही है। जिस तरह से सीमायें तोड़ने का काम किया गया है, यह मानना पड़ेगा कि यह बजट आने के बाद, मैंने सोचा कि यह सदन 50 साल से चल रहा है और मैं 20-25 साल से देख रहा हूं कि जब भी बजट पेश होता था तो यहां लोगों की भीड़ रहती थी। उद्योगपतियों की भीड़ रहती थी कि बजट में ऐसा काम हो जाये कि जमाखोरी करें और फिर कमायें लेकिन इस बजट को पेश करने के बाद किसी व्यक्ति ने कहीं भी इस बजट पर उंगली उठाने का काम नहीं किया। इसका कारण है कि जब टैक्स ही नहीं बढ़ाया बल्कि घटाया है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और इनकम टैक्स घटाया है और इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई है तो आज 18 दिन हो गये हैं, किसी चीज के दाम नहीं बढ़े। लोगों को बाजार में उलट-फेर करने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार में और सट्टा बाजार में जितनी तेजी से ब्लड प्रैशर बढ़ता है, वह यहां नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, यहां पर काले धन के बारे में रोज बातें की जाती हैं। यहां कहा जाता है कि हमारे देश में काले धन की पैरलल इकोनोमी चल रही है जिसका इलाज होना चाहिए। इसका इलाज भी सुझाया है। इसके बारे में पहली बार प्रयास हो रहे हों, ऐसी बात भी नहीं है। हमने इसमें कोई राहत दी हो, ऐसी बात पहली बार भी नहीं हुई है। कई बार प्रयास किये गये लेकिन सफलता नहीं मिली। गांव में एक कहावत है कि किसान लोग जानते हैं कि कुंआ खोदने के लिये प्रयास किया जाता है और जब तक कहीं पानी नहीं मिलता तब तक प्रयास चलता रहता है। मकसद एक ही है-पानी। हमारा भी मकसद समस्या का समाधान है और इसके लिये प्रयास किये हैं। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि हम बिलकुल सफल हो जायेंगे। पिछली सरकारों ने भी प्रयास किये हैं। यदि इस बारे में चिन्ता नहीं करेंगे तो देश कैसे बनेगा? विरोधी पक्ष के लोगों का कहना है कि सच्चे लोगों को दंडित करने का तरीका है। क्या ये टैक्स देने वाले लोग काला धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि काला पैसा इकट्ठा करने में जो टैक्स दे रहे हैं, वे काला पैसा रखते हैं। इसमें कुछ लोग कम और कुछ ज्यादा रखते हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बात नहीं कहनी चाहिये।

बीजेपी के चुनाव घोषणापत्र के पेज 19 पर लिखा है—

> "जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और काले धन, दोनों बुराइयों के खिलाफ अनवरत युद्ध छेड़े हुए है। हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने और इस प्रकार के काले धन का भी उन्मूलन करने के लिए वचनबद्ध हैं।"

वचनबद्ध कैसे हैं?

> "हम इस समानान्तर अर्थव्यवस्था के धन से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार निर्गत पूंजी से प्राप्त होने वाले राजस्व पर सरकार को कर लगाने का अधिकार भी होगा।"

यह घोषणापत्र में लिखा हुआ है।

आज घरेलू बचत सबसे ज्यादा है। उस बारे में भी आपने कहा है—

> "हम राजकोषीय सुधारों को ऐसा रूप देंगे कि घरेलू बचत में इतनी वृद्धि हो जाए जिससे हम तीव्र विकास के लिए जरूरी मात्रा में निवेश कर सकें।"

आप कहां से लाएंगे? सबसे ज्यादा बचत तो हाउसहोल्ड में होती है। कहां से निकालकर आप लाते हैं? या तो काले धन से लाते या हाउसहोल्ड से लाते। कारपेट हाउस भी छः परसेंट है और पब्लिक सेक्टर तो गजब है। इसका तो हिसाब ही नहीं है। मैं खुद मंत्री था। एन॰टी॰सी॰ का रंग-ढंग देखकर दहशत होती थी। लगता था कि इस देश का आदमी कभी सरकार से नौकरी नहीं पाता है। मिट्टी तोड़ता है, खेत-खलिहान में काम करता है। पुंजीपतियों को लोग बहुत गाली देते हैं, लेकिन इकट्ठा होकर कहते हैं कि क्रांति हो जाए और दुनिया के मजदूर एक हो जाएं। मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर में 13 आदमी एक लूम पर थे और हमें पता लगा कि मद्रास में एक लूम पर पांच-छः आदमी हैं। यदि वह कारखाना बंद कर दें तो हमें ज्यादा बचत हो जाएगी। यह तीन फीसदी बचत है।...*(व्यवधान)* बंद हुए तो उसमें केवल सरकार का हाथ नहीं है। जहां कारपेट वाले और बचत वाले जाएंगे वहां गलत काम करेंगे पर अपने घर में, अपने बच्चों को घर में ठीक काम करेंगे। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति में हमको कोई परवाह नहीं है। यह रोग है, बीमारी है, लेकिन इस पर हम बहस नहीं करेंगे। यह बात कोई हमने अनदेखी नहीं की है। यह पहले भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी दिशा में सोचा था। कोई भी हो, उसे सोचना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी हैं, जिन पर विचार और मतभेद नहीं हो सकता है। इस देश में घरेलू

[श्री शरद यादव]

बचत सबसे ज्यादा है, इस बात से कौन मतभेद करेगा? यह हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं।

अभी खुले बाजार की बहुत बहस हुई। महात्मा गांधी जी होते तो मैं सोचता हूं कि तीसरी दुनिया को इकट्ठा करके जरूर यह बात कहते। मैं तो छोटा आदमी हूं। वे जरूर यह बात कहते कि सीमाओं से सामान का आना-जाना बिल्कुल फ्री हो। इस पर कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन आदमी पर रोक होनी चाहिए। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सवाल को उठाना चाहिए कि वे दूसरे मुल्कों को कहें कि तुम्हारे यहां एक ड्राइवर 500 डॉलर में मिल रहा है और हमारा आदमी 100 डालर पर काम कर देगा। एक रजाई में और दो कपड़ों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने दुनिया में एक देश बसा दिया है। यदि आने-जाने का खर्चा इनको मिल गया तो फिर मालामाल हो जाएंगे। वहां जाकर मामला फिट कर देंगे। आप क्यों नहीं बॉर्डर फ्री करते? कहते हो कि सामान आना जाना चाहिए। सामान पूंजी है, तो फिर पूंजी बनाने वाले पर रोक-टोक क्यों होनी चाहिए? दुनिया एक होनी चाहिए। आदमी पर रोक है और मशीन पर छूट है। वह चलनी चाहिए। पैप्सी और कोला आने चाहिए पर आदमी बंद रहना चाहिए। आदमी नहीं जाएगा। रामभरोसे, रामविचार, रामकृपाल, रामगुलाम, पलटूराम, बदलूराम को कोई नहीं जाने देगा। वह मेहनत करना चाहता है, बरतन मांझना चाहता है, बाहर जाकर रोटी बनाना चाहता है, लेकिन इसको नहीं जाना चाहिए।

एक रास्ता वह है। लेकिन हम इतने मजबूत नहीं है, हमारी कौन सुनेगा। लेकिन देश को मजबूत करना है और उसे मजबूत करने के लिए इस सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वे कदम मजबूती के हैं।

सभापति महोदय, अब बिजली का सवाल हैं। माननीय अटल जी कह रहे थे कि बिजली के सवाल पर आपने क्या किया। हमारे देश में जो एन॰टी॰पी॰सी॰ है उसका भट्ठा बैठ गया, भट्ठा इसलिए बैठ गया कि सूबाई लोगों पर बहुत लेनदारी है और वे देते नहीं हैं। अब तो सबकी सरकार है। यदि नहीं दिया है तो अब संयुक्त मोर्चा की सरकार ने तय किया है कि एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। यदि यह आप आज से भी शुरू कर दें तो एन॰टी॰पी॰सी॰ के जरिये हम लोग रास्ता बना सकते हैं और बिजली के काम को बढ़ा सकते हैं। यह बात साफ है कि बिजली का मामला बहुत संकट का मामला है। आज गैस से बिजली बन रही है, ऐसी परिस्थिति हमने निर्माण कर ली है कि गैस, कोयला और पेट्रोल से बिजली बन रही है। कोई नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे।

सभापति महोदय : कम से कम पूर्ण आश्वासन तो देते हैं।

श्री राम नाईक : देर से उठने का असर ज्यादा होता है।

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि यह सदन ज्यादा दिन चलता तो मजा आता, मैं सवेरे बोलता। अब तो पूरा देश सो गया है, लेकिन अब बोलना तो है और रिकार्ड भी करना है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : कल समाचारपत्रों में प्रकाशित हो जाएगा... *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : श्री चिदम्बरम इस प्रकार कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सभापति जी, मेरा कहना यह है कि बिजली का मामला अकेले संयुक्त मोर्चा सरकार के कूवत का मामला नहीं है। इसलिए सब जगह जो भी हम कर सकते थे, हमने वह कर दिया। यहां डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक हुई। उस बैठक में मांग करने से पहले माननीय प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी ने कह दिया कि 250 मेगावाट की बिजली बनाने के लिए कोई परमीशन की जरूरत नहीं है। आप लोग इसे सूबों में बनाइये। इसके लिए न एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है और न किसी और क्लियरेंस की जरूरत है। आप यह तत्काल बनाइये। हमारे हाथ में जो भी संभव था, जो भी हो सकता था, जो भी कानून की बाधायें आदि हैं या और चीजें हैं, वे सब हमने यह कहकर दूर कर दी। जो हमारी सीमाएं हैं अपनी कूवत के अंदर हम जो खर्च कर सकते थे उसमें इतिहास में सबसे ज्यादा गरीबों के हक में खाद, पानी, बिजली, खेत, खलिहान, गरीबों और मजदूरों के लिए हमने बजट में कितना पैसा दिया, वे आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिये। हमने इन सपनों और उम्मीदों पर लोगों को कुछ हिदायतें और राहतें भी दी हैं। जो कि राष्ट्र को मजबूत बनायेंगी। हमने कहा है कि कालाधन बाहर निकालो, नहीं निकालोगे तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ये कालेधन वाले, ये जो चोर हैं, बातचीत से नहीं मान रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं। माननीय जयप्रकाश जी की अपील पर चंबल के डाकुओं ने सरेन्डर कर दिया था। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सदन फैसला ले कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए तथा साथ ही यह भी फैसला किया जाए कि यदि दिसम्बर तक सब पैसा नहीं निकलता है और कालेधन की जो पैरेलल इकोनोमी है, उसकी उम्र खत्म नहीं होती है, तो इनका इलाज निश्चित तौर पर यह सदन करे। यदि यह सदन कमजोर हो गया या आप कमजोर हो गये तो लोकतंत्र कमजोर हो जायेगा। भारत के गरीब आदमी का पुरसाई हाल नहीं रहेगा।

श्री संतोष मोहन देव : शरद जी, बहुत अच्छा बोल रहे हो।

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, वोट का राज गरीब का राज होता है और क्या कभी हम जैसे गरीब लोग इस सदन में आ सकते थे, वोट नहीं होता तो क्या हम यहां खड़े होकर कभी बोल सकते थे? हम तो यहां घास भी नहीं छील सकते थे। यह तो वोट है जो हमें यहां ले आया है। तो मेरा कहना यह है कि यह सदन कमजोर नहीं

होना चाहिए। बाकी सब चीजें तो चलती रहती हैं। इसलिए हमको इस पर बैठकर सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, ऑयल पूल का सवाल है। यह बात सही है कि इसकी समस्या है। इस देश में यदि कोई सबसे ज्यादा हमारी जान ले रहा है तो यह तेल ले रहा है। पिछली सरकार के भी मंत्री थे, हमने उनसे कोई पैट्रोल पम्प नहीं मांगा, तेल नहीं मांगा, कोई धंधा नहीं मांगा। लेकिन जब भी वह हमसे मिले तो हमने कहा कि तेल के इस संकट के बारे में आप कुछ करो।

यानी हिन्दुस्तान में जरूरत के हिसाब से आधे से कम तेल मिलता है। इस देश में जो वाटर रिसोर्स है उसका हमारे देश ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आई, हमने महाकाली नदी की ट्रीटी की। जब वी॰पी॰ सिंह की सरकार आई थी, तो कोसी का समझौता किया। जब हम यहां आते हैं, तो कुछ न कुछ करते हैं। हम लोग वे लोग हैं जिनके मां-बाप बादल और पानी से पीड़ित हैं। सबेरे हमारी महतारी हमें सोने नहीं देती है। कभी कहती है पानी आ गया, कभी कहती है खलिहान खराब हो गया। हम उस प्रकार के लोग हैं। परसों अटल जी कह रहे थे और ठीक ही कह रहे थे कि हमारे यहां पिछले छः साल से मौसम ठीक है। अगर यह मौसम ठीक नहीं रहता, तो हमें अनेक प्रकार के संकट भुगतने पड़ते। यह देश भगवान भरोसे चल रहा है। हम अब चाहते हैं कि यह देश भगवान भरोसे न चले। यह भरोसा तोड़ना चाहिए।

सभापति जी, 19 हजार करोड़ रुपए का मामला है और यह इसी बजट में नहीं आ रहा है और अकेले चिदंबरम साहब ने नहीं लाया है और बजट से बाहर नहीं किया है, बल्कि यह समस्या है और खुली समस्या है। इस पर मनमोहन सिंह जी भी बोले, इस पर आप भी बोल रहे हैं। आपको भी मालूम है। हमारी सरकार भी इस पर चिन्तित है। हमारी स्टीयरिंग कमेटी में भी इस पर कई बार चर्चा हुई थी कि इसका क्या किया जाए। भारी संकट है। तेल की कमी है और भारी कमी है। इसके ऊपर सोचना चाहिए। एक बात जरूर है कि संयुक्त मोर्चा सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती थी जो कह सकती थी, उसने वह कह दिया और पूरी दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि कोई भी आए और हमारे यहां तेल का पता लगाए और तेल निकाले और हमें आधा ही तेल दे या वह चाहे तो हम 40 और 60 के अनुपात में भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। हम क्या करें। हम चाहते हैं कि बाहर वाले यहां आएं और तेल का पता लगाएं। हमारी जान बचे। लेकिन अभी तो कोई तेल का पता लगाने आया नहीं है। इसलिए निश्चितरूप से इसके ऊपर सदन में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और अकेले सरकार के ऊपर छोड़कर काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार कोई बड़ी कूवत वाली सरकार तो नहीं है। हम क्या करें।

सभापति महोदय, अभी पाल्यूशन के ऊपर चर्चा हो रही थी। मैं सुन रहा था। बड़ी समस्या है। पर्यावरण की इस देश में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बना दी गई। उससे आसानी से निपटा जा सकता है, लेकिन ऐसी समस्या बन गई और यहां बहस हो रही थी, लेकिन पूरी बहस नहीं हो पाई। अब यह जो तेल है, यह हम लोगों की जान लिए हुए है। गाड़ी में तेल जलाने वाले लोग कितने हैं। सरकार का सबसे बड़ा पूल है। उसके बाद जो मिनरल वाटर पीने वाले लोग हैं इनके पास तीन-तीन और चार-चार गाड़ियां हैं। मैं आपसे पाल्यूशन के बारे में कहूं। नदियों को छोड़कर यह पाल्यूशन की समस्या इस देश में कहीं नहीं है। नदियों के किनारे जो कारखाने बने हैं, वे इस प्रदूषण को फैला रहे हैं और यह समस्या केवल पांच-छः शहरों में ही है। इस समस्या के तीन कारण हैं। एक तो पेट की खातिर लोग गांव से भागकर यहां बस गए हैं। गांवों में आज स्थिति यह है कि वहां रोजगार नहीं है। धंधा नहीं है। पेट की भूख वतन को छोड़ने पर मजबूर करती है। यह सिलसिला आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। पहले दुर्मटिया के नाम से जाने जाते थे। अब वे नदियों के किनारे बने कारखानों में काम करने के लिए वहां बस गए हैं। वे लोग जो अपने घरों को छोड़कर बेवतन और बेआबरू होकर यहां आए और वे यहीं बस गए, उनकी ओर भी हमने रूख किया है। सभापति जी एक कारण तो यह है कि गांव में रोजगार खत्म हो रहा है। रोजगार के स्रोत सूख रहे हैं इसलिए लोग गांव छोड़कर शहर आने पर मजबूर हैं। दूसरा कारण यह है कि जो आबादी बढ़ रही है वह पाल्यूशन को बढ़ा रही है। हमने सीपेज का, यानी पानी की निकासी का इंतजाम भी ठीक नहीं किया। सबसे बड़ा कारण पाल्यूशन का यह है कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, मोपेड वाले लोग हैं, ये दिल्ली में सबसे ज्यादा पाल्यूशन फैला रहे हैं।

ये जो अपनी अदालतें हैं वे पाल्यूशन के लिए फैसला दे रही हैं। सबसे ज्यादा यही कोई पाल्यूशन फैला रहे हैं तो ये फैला रहे हैं। हमको सोचना चाहिए कि पॉल्यूशन कैसे खत्म होना चाहिए जिससे पेट्रोल भी बचेगा और पॉल्यूशन भी खत्म होगा। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो प्राइवेट कार चलाने वाले लोग हैं वे शनिवार और इतवार को न निकलें। यदि निकलें तो ट्रेन या बस में निकलें। दुपहिया और साईकिल ही एलाऊ हो। यदि पिकनिक पर भी जाना हो तो हीरो हांडा पर जाओ। राजदूत पर जाओ, साईकिल पर जाओ। इसके साथ-साथ पूरे देश में सर्वे कराया जाये और जिसके पास एक गाड़ी से ज्यादा गाड़ी है, उस गाड़ी पर ऐसा टैक्स लगाया जाये कि वह गाड़ी ही खड़ी रहे। जिनके पास ज्यादा पैसा है, वे उतना पैसा देकर गाड़ी बाहर निकालेंगे तो उससे देश का फायदा ही होगा। उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। खर्च पर एक सीमा लगाना एक बड़ा सवाल है जिस पर बहस करनी चाहिए।

माननीय अटल जी कह रहे थे कि जो पैसा बचेगा उससे वे फाईव स्टार में जायेंगे। यह सही बात है कि वे रात को मौज मस्ती मनायेंगे, दिवाली मनायेंगे और बड़े दिन पर डांस करेंगे, दारू पीयेंगे। इनका कोई इलाज होना चाहिए। उनको देश को कुछ होश होना चाहिए। इस देश में दुनिया में सबसे कम टैक्स पियर हैं। इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भाषण भर देने से काम नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि

[श्री शरद यादव]

महान राष्ट्र बनना चाहिए, महान देश बनना चाहिए। इन गप्पों से क्या देश बन जायेगा।

सभापति महोदय : एक घंटे से ज्यादा हो गया है।

श्री शरद यादव : मैं अभी खत्म कर रहा हूं। टेलीफोन पर टैक्स देने की बात है। मैं नहीं कहता कि इनके ऊपर कोई इंक्वायरी करायें। क्या वह 2200 रुपये या 200 रुपये नहीं दे सकता है। एक स्कूटर वाला जो हीरो हांडा चला रहा है और रोज 40 रुपये का पेट्रोल फूंकता है तो क्या वह 100 या 200 रुपये राष्ट्र को नहीं देगा? कौन देगा? टेलीफोन वालों से टी॰वी॰ वालों से इंकम टैक्स लेना है तो पहले आप तय कर लें कि कितना पैसा उनसे लिया जाये। उससे भी ज्यादा बिल उनके आ रहे हैं। वे आसानी से, मौज मस्ती से दे देंगे। उनको टैक्स देने की आदत होनी चाहिए। पहले कम टैक्स लगाना चाहिए। 30 रुपये लगाओ, 50 रुपये लगाओ, 100 रुपये लगाओ। उनको टैक्स देने की आदत तो होनी चाहिए। आदत तो बनानी ही पड़ेगी। इसलिए टैक्स का जो दायरा है, जो संख्या है, दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वहां टैक्स कोई न देता हो।

हम यह कहें कि सदन खराब है, यह खराब है, एम॰पी॰ खराब है और देश बहुत बढ़िया है, यह सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कहावत है कि 'जस राजा तस प्रजा' लेकिन इस देश में पहली बार हुआ है कि 'जैसी प्रजा तैसा राज' क्षेत्रीय पार्टियों का बन गया है। क्षेत्रीय पार्टी दिक्कत में हैं। हम तो बहुत ही दिक्कत में हैं। आप भी जल्दी ही दिक्कत में आने वाले हैं।

सभापति महोदय : अभी तो मैं दिक्कत में हूं।

श्री शरद यादव : बघेला, खजूरिया और हजूरिया, अब तो यहां भी शुरू हो गया है क्योंकि आप इस देश को बदल नहीं सकते। यह आपको भी खायेगा। यह जो जात बिरादरी है, भाषा है, रीजन है, उसका आप इलाज सोचें। इसको तोड़ने का कोई कानून बनायें। हम सब लोग कह रहे हैं कि जात-पात खत्म होना चाहिए। इसके लिए आप सबको कानून बनाना चाहिए।

पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट और सरकारी नौकरी में उसी को नौकरी देंगे जो अंतर्जातीय शादी करेगा। 50 साल में शादी टूट जाती है। इस पर भी फैसला करें कि कब तक जात-पात के नाम पर वोट होगा। जो पेट्रोल है जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा तात्कालिक संकट है। वित्त मंत्री जी, प्लान या पदवी नाम है और बजट का प्लान क्या है? इसलिए एक और प्लान करें।

पैट्रोल के बारे में क्या किया जाए। ढूंढा जाए, खोजा जाए और सबको बुलाकर बात की जाए कि कम खर्च कैसे होगा। इस देश के गरीब आदमी का पैट्रोल से कोई वास्ता नहीं है। 90 फीसदी गरीब आदमी को कार वगैरह से कोई मतलब नहीं है। हमारा यही निवेदन है कि यह सरकार की वाजिब चिन्ता है, सब लोग इसे मिलकर ढोएं, मिलकर इसे थोड़ा हल्का करें। नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पैट्रोल के मामले में मंहगाई का मामला आएगा। पहले लगाते तब भी आता, बाद में लगाते तब भी आता। आपकी सरकार होती तब भी आता, उनकी होती तब भी आता।

सभापति महोदय, आप तो बहुत ही नाराज हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप थक गए हैं। मैं भी थक गया हूं।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट तर्कसंगत है, युक्तिसंगत है, व्यावहारिक है और साहसिक है। यदि सब सहयोग करें तो यह अद्‌भुत बजट सब तरह से देश को आगे ले जाने वाला है। इसमें जो कमी है, वह आपके सहयोग के बिना दूर नहीं हो सकती। कनसैन्सस होना चाहिए। इस देश में तेल की समस्या है, और भी समस्याएं हैं जिनपर सोचना चाहिए। इस देश में आबादी की समस्या है। इस देश को परमात्मा ने 22 करोड़ लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं दी है।...*(व्यवधान)* आप तो सबसे ज्यादा परमात्मा के करीब हैं। उसे हिलाएं, डुलाएं। हमें तो वह मिलता नहीं। हमें मिले तो उसे एक क्विंटल दूध पिलाएं और कहें कि हे भगवान, तू जहां पैदा हुआ वहां का तो नाश हो गया। हमारे 56 करोड़ देवी-देवता और परमात्मा हैं। वह डायरैक्ट हमारे देश में पैदा होता है। अमरीका में एक बजरंगबली पैदा नहीं हुआ, एक गणपति बाबा पैदा नहीं हुआ। वह आपके करीब है, भार्गव जी, उनसे हमारी मुलाकात करवा दीजिए। हम उनकी सेवा करेंगे और कहेंगे कि तुम एक बार अमरीका में पैदा हो जाओ, वह बहुत ज्यादा मालामाल हो गया है क्योंकि आप एक बार जहां पैदा हो जाते हैं वहां बंटाधार हो जाता है।...*(व्यवधान)*

आबादी, तेल और पानी - ये तीन चीजें हैं जिनपर कनसैन्सस बनना चाहिए कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। जहां पानी चला गया वहां किस्मत बदल गई। जो गांधी जी का अंतिम आदमी है, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता। पिछली बार के पंजाब के चुनाव को रामदसियों ने कामयाब कर दिया था। इसलिए उन्हे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि जब पानी आता है तो आदमी के चेहरे में पानी आ जाता है। एक भांखड़ा नांगल पूरे अमरीका को भोजन खिला रहा है। इस पर सोचने की जरूरत है। आज बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, बगेलखंड आदि वे इलाके हैं जो गरीबी और भूख से तबाह हो रहे हैं। उनको कैसे बचाया जाए और कैसे कोई रास्ता निकाला जाए।

इस बजट के लिए और इस बजट में गरीब आदमी के हक में जो प्रयास हुआ है, उसके लिए प्रधान मंत्री को और वित्त मंत्री को इस ऐतिहासिक काम के लिए बधाई ही नहीं देता हूं, हौसला और हिम्मत भी देता हूं कि आगे बढ़ो, भले राज रहे न रहे, मुल्क बनना चाहिए। हम टूटकर गिर जाएंगे, लेकिन इस मुल्क को बनाकर रहेंगे, इस मुल्क को बढ़ाकर रहेंगे। हम बढ़ें न बढ़ें, रहें न रहें, यह देश बनाना है, इसलिए राह को पकड़कर रखना है, मजबूत बनाना है। भारत राष्ट्र मजबूत नहीं होता तो हम दुनिया में कहीं सिर उठाने लायक नहीं रहेंगे। उस सिर उठाने लायक इस भारत को बनाने के लिए यह एक कदम

उठाया गया है। इस कदम को और मजबूत करने के लिए मैंने जो कुछ बातों का रोग बताया, उन रोगों को भी आप सब लोग मिलकर समाधान करने का रास्ता निकालिये ताकि नया भारत, नया राष्ट्र और बलशाली राष्ट्र बन सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को उसके बजट के लिए बधाई देता हूं और सभापति जी, आपको तो बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमें बड़ी देर तक सुना।

सभापति महोदय : अब सभा कल 18 मार्च, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 18 मार्च, 1997/27 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।